वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	**सिंहावलोकन**	1–18
2.	**कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा**	19–56
3.	**निर्यात संवर्धन**	57–63
4.	**कच्ची सामाग्री सहायता**	64–109
	4.1 कपास	
	4.2 पटसन	
	4.3 रेशम	
	4.4 ऊन	
5.	**प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता**	110–113
6.	**प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु सहायता**	114–151
7.	**अवसंरचना के लिए सहायता**	152–154
8.	**वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास**	155–158
9.	**तकनीकी वस्त्र**	159–172
10.	**क्षेत्रवार योजनाएं**	173–236
	10.1 विद्युतकरघा	
	10.2 हथकरघा	
	10.3 हस्तशिल्प	
11.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन**	237–244
12.	**वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहल**	245–248
13.	**राजभाषा**	249–251
14.	**एससी/एसटी, महिला तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं**	252–256
15.	**सतर्कता कार्यकलाप**	257–259

अध्याय–1

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग, समूची मूल्य श्रृंखला में अद्वितीय कच्ची सामग्री आधार तथा विनिर्माण क्षमता वाला विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता तथा निर्यातक है। भारत में वस्त्र एवं क्लॉदिंग का हिस्सा कुल निर्यात का काफी अधिक 13% (2017–18) है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत का 5% हिस्सा है। इस उद्योग की अनन्य विशेषता हाथ से बुनाई क्षेत्र के साथ–साथ पूंजी प्रधान मिल क्षेत्र दोनों में इसकी क्षमता में निहित है। मिल क्षेत्र विश्व में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हथकरघा, हस्तशिल्प तथा लघु स्तरीय विद्युतकरघा इकाइयां ग्रामीण एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है तथा देश के कुल वस्त्र उत्पादन में इसका 75% से अधिक का योगदान है।

भारतीय वस्त्र उद्योग के कृषि तथा देश की संस्कृति तथा परंपराओं के साथ नैसर्गिक संबंध हैं जो घरेलू तथा निर्यात बाजारों, दोनों के लिए उपयुक्त उत्पादों के बहुआयामी विस्तार को संभव बनाते हैं। वस्त्र उद्योग, मूल्य के संदर्भ में उद्योग के आउटपुट में 7%, भारत की जीडीपी में 2% तथा देश की निर्यात आय में 15% का योगदान देता है। वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन का एक सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिला है तथा बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीण लोगों सहित संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ और लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह क्षेत्र मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण एंव ग्रामीण युवा रोजगार के संबंध में सरकार की मुख्य पहलों के अनुरूप है।

भारत के विकास को समावेशी तथा प्रतिभागी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, कौशल तथा परपंरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करना रहा है। वर्ष 2018–19 की कुछ प्रमुख पहलें तथा मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.2 निर्यात संवर्धन:

सरकार ने जून, 2016 में संवर्धित ड्यूटी ड्रॉबैक कवरेज/परिधान/मेड–अप के निर्यात पर राज्य लेवियों में छूट (आरओएसएल); संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन परिधान निर्माणकारी इकाइयों की सहायता के लिए उत्पादन एवं रोजगार से जुड़ी सहायता (एसपीईएलएमजीयू) योजना (10% सब्सिडी)/ईपीएफ (प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के लिए नियोक्ताओं के पूरे 12% योगदान के लिए सहायता; समयोपरि सीमा में वृद्धि करने के लिए श्रम कानून में सुधार तथा नियत अवधि के रोजगार की शुरूआत; परिधान क्षेत्र के लिए धारा 80जेजेएए के तहत आयकर

रियायत जैसे घटकों सहित परिधान एवं मेड–अप के लिए 6000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी।

1.3 कच्ची सामग्री सहायता

क. कपास

कपास एक सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से है और यह कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की खपत में कपास का हिस्सा लगभग 59% है। प्रति वर्ष 300 लाख गांठों (170 किग्रा प्रत्येक) से अधिक की कपास की खपत होती है। भारत ने लगभग 124.29 हैक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो वैश्विक क्षेत्र के 341.37 लाख हेक्टेयर का लगभग 36% है। वर्ष 2017–18 के दौरान भारत की उत्पादकता 505 किग्रा/हैक्टेयर रही। भारत, वर्ष 2017–18 में 370 लाख गांठों के उत्पादन के साथ विश्व का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है।

कपास, लगभग 5.8 मिलियन कपास किसानों तथा कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलापों में लगे 40–50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों यथा मध्यम स्टेपल और लंबी स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है। वस्त्र मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज कपास (कपास) के मूल्यों के एमएसपी स्तर को छू जाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। कपास वर्ष 2017–18 के दौरान सीसीआई द्वारा एमएसपी के तहत कपास की 3.90 लाख गांठों की खरीद की गई।

ख. पटसन:

पटसन उद्योग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग, तृतीय श्रेणी के उद्योग (गौण क्षेत्र) और संबंधित क्रियाकलापों सहित संगठित मिलों और विविधीकृत इकाइयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कई लाख किसानों की आजीविका में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के कारोबार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं।

भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न केवल भारतीय पटसन निगम द्वारा संचालित एमएसपी अभियानों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करके खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए प्रति वर्ष लगभग 6500 करोड़ रुपए के मूल्यों वाले पटसन बोरों की सीधी खरीद के माध्यम से भी पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराती है। यह न केवल पटसन किसानों बल्कि पटसन मिल कामगारों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता है।

1 नवंबर, 2016 से पटसन बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म 'जूट–स्मार्ट' (जूट सेकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वीजिशन

टूल) को क्रियान्वित किया गया है। इस समय 'जूट–स्मार्ट' सॉफ्टवेयर लागू हो गया है तथा पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार से एसपीऐज ने नवंबर से मार्च, 2017 के दौरान जूट–'स्मार्ट' के माध्यम से लगभग 20.22 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 80.90 लाख गांठों के मांग पत्र पहले से ही प्रस्तुत कर दिए हैं तथा इन गांठों के लिए 7 विभिन्न मध्यस्थों को शामिल करके कई पटसन मिलों से राज्य सरकारों की 7 राज्यों में स्थित पटसन मिलों को इन गांठों के लिए पीसीओ प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

जूट–आई–केयर की शुरूआत प्रमाणित बीजों, बेहतर कृषकीय प्रक्रियाओं और पटसन संयंत्र का पुनरूप्रयोग करके माइक्रोबियल रेटिंग के प्रयोग को बढ़ावा देकर पटसन किसानों की आय में कम–से–कम 50% की वृद्धि करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाएं मुख्यतया राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं जो पटसन क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए सृजित किया गया एक सांविधिक निकाय है।

ग. रेशमः

रेशम एक कीट रेशा है जिसमें चमक, ड्रेप और मजबूती होती है। इन अनन्य विशेषताओं के कारण रेशम को विश्व भर में 'वस्त्र की रानी' के रूप में जाना जाता है। भारत प्राचीन सभ्यता की भूमि रही है तथा इसने विश्व को कई चीजों का योगदान दिया है जिसमें रेशम भी एक है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके बावजूद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो 5 मुख्य वाणिज्यिक किस्मों के रेशम अर्थात मलबरी ट्रापिकल तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग की मुख्य विशेषता इसकी उच्च रोजगार क्षमता, कम पूंजी अपेक्षा है तथा यह रेशम उत्पादकों को लाभप्रद आय प्रदान करता है।

चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है जिसका रेशम उत्पादन 31,906 मी.टन है। वर्ष 2017–18 में चार किस्मों के रेशम उत्पादन में से कुल 31906 मी.टन कच्ची रेशम के उत्पादन में मलबरी का हिस्सा 69.16% (22066 मी.टन) तसर 9.37% (2988 मी.टन), एरी 20.87% (6661 मी.टन) और मूगा 0.60% (192 मी. टन) है। आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन 2016–17 के 5266 मीट्रिक टन से 11.5% बढ़कर 2017–18 में 5,874 मीट्रिक टन हो गया है। वान्या रेशम (तसर, एरी, मूगा) के उत्पादन में भी 2017–18 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वान्या रेशम का उत्पादन 9,075 मीट्रिक टन से बढ़कर 9,840 मीट्रिक टन हो गया जिसमें 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। मूगा रेशम के उत्पादन में अब तक का सबसे अधिक 192 मीट्रिक टन का उत्पादन दर्ज किया गया है और इसने विकास की नई गति स्थापित की है।

घ. ऊनः

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) नामक एक नया एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसका अनुमोदन स्थायी वित्त समिति द्वारा 23.03.2017 को

हुई अपनी बैठक में किया गया था। माननीय वस्त्र मंत्री ने 4 दिसंबर, 2017 को एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया था। यह कार्यक्रम वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के दौरान 3 वर्षों में मुख्य ऊन उत्पादक राज्यों में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अभिकल्पना ऊन क्षेत्र के विकास के लिए सभी स्टेकधारियों अर्थात ऊन उत्पादक सहकारी संगठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊन उत्पाद विनिर्माण के सशक्तिकरण की आवश्यक जरूरतों को शामिल करके की गई थी। पश्मीना ऊन के प्रमाणीकरण, लेबलिंग, ब्रांडिंग तथा औद्योगिक उत्पादों में दखनी ऊन के उपयोग में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 50 करोड़ रुपए के आबंटन से पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को आईडब्ल्यूडीपी में 'जम्मू एवं कश्मीर राज्य की पुनर्निर्माण योजना' के नाम से शामिल किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी, ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला अर्थात ऊन उत्पादकों से लेकर अंतिम प्रयोक्ता तक सहायता उपलब्ध कराएगा।

1.4 प्रौद्योगिकी सहायता

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयनः संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस): एटीयूएफएस को जनवरी, 2016 में 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को जुटाने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 25563.95 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से एटीयूएफएस के तहत कुल 6982 यूआईडी जारी किए गए हैं।

1.5 कौशल विकास हेतु सहायता

क. नई कौशल विकास योजना अर्थात 'समर्थ'– वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना

आईएसडीएस के अनुभवों के आधार पर मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और वीविंग को छोड़ते हुए वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 'वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना (एससीबीटीएस)'दृसमर्थ नामक एक नई कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुसार वित्त पोषण के मानको के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस योजना के द्वारा वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट में 10 लाख लोगों को कौशल प्रदान किए जाने और प्रमाणित किए जाने का अनुमान है जिनमें से 1 लाख व्यक्ति परंपरागत क्षेत्रों में होंगे।

1.6 अवसंरचना सहायता

क. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना का अनुमोदन अक्तूबर, 2013 में सीसीईए द्वारा किया गया है जिसका कार्यान्वयन कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाना है। इस

योजना का उद्देश्य मरीन, रिवराईन तथा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को सक्षम बनाना है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि राज्यों में नई प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए अथवा वर्तमान वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव परियोजना लागत के 25% वहन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सहित इस मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित करे जो कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा विधिवत अनुशंसित हों। इस मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस योजना के तहत सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित 7 प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

इन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के तहत 47.81 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस योजना का विस्तार मार्च, 2020 तक किया गया है।

ख. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही कार्यान्वयनाधीन रही है ताकि वस्त्र उद्योग को विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की जा सकें। परियोजना लागत में सामान्य अवसंरचना तथा उत्पादन/सहायता के लिए इमारतें शामिल हैं जो 40% परियोजना लागत तथा अधिकतम 40 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता वाले आईटीपी आवश्यकताओं पर निर्भर है। स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप आईटीपी स्थापित करने की छूट है।

इस योजना के तहत घटकों अर्थात केप्टिव पावर प्लांट, अपशिष्ट शोध, दूरसंचार लाइनों सहित कंपाउंड वॉल, सड़क, ड्रेनेज, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति जैसी **सामान्य अवसंरचनाओं,** जांच प्रयोगशाला (उपस्करों सहित), डिजाइन केंद्र (उपस्करों सहित), प्रशिक्षण केंद्र (उपस्करों सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, भंडारण सुविधा/कच्चे माल के डिपो, एक पैकेजिंग इकाई, क्रेश, कैंटीन, कामगारों के हास्टल, सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, श्रमिकों के आराम एवं मनोरंजन की सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली (बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) इत्यादि, उत्पादन प्रयोजन के लिए **फैक्ट्री बिल्डिंग, संयंत्र एवं मशीनरी** तथा वस्त्र इकाइयों के कार्य स्थल एवं कामगारों के हॉस्टल जैसी **सामान्य सुविधाओं** के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया जाता है जो कि किराए/हायर प्रचेज आधार पर भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

भारत सरकार द्वारा कुल वित्त सहायता अधिकतम 40 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% तक सीमित है। तथापि, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में पहली दो परियोजनाओं (प्रत्येक के लिए) कुल 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 90% की दर से भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

अभी तक स्वीकृत 59 वस्त्र पार्क क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

ग. अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) की शुरूआत 12.93 करोड़ रुपए/उद्भवन केंद्र की दर से 3 उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए 38.80 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय

के साथ जनवरी, 2014 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अपैरल विनिर्माण में नए उद्यमियों को पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और प्लग तथा प्ले की सुविधा के साथ एकीकृत कार्य स्थल प्रदान कर उन्हें बढ़ावा देना है जो उन उद्भवन केंद्र स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत तथा प्रयासों को कम करने में उनकी मदद करेगा। इस योजना के अंतर्गत उद्भवन केंद्र स्थापित करने के लिए तीन परियोजनाओं अर्थात हरियाणा में एचएसआईआईडीसी, ओडिशा में एसपीआईएनएफईडी तथा मध्य प्रदेश में आईआईडीसी को स्वीकृत किया गया है।

घ. वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास योजना (एसटीआईडब्ल्यूए)

वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरूआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2014 में 45 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के कामगारों को वस्त्र एवं अपैरल उद्योगों के उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों के नजदीक सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। ऐसी दो परियोजनाओं को अक्तूबर, 2014 में स्वीकृत किया गया था जिनमें गुजरात में गुजरात इको–टेक्सटाइल्स पार्क प्रा.लि. तथा तमिलनाडु में पल्लाडैम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा.लि. शामिल हैं। पल्लाडैम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा. लि. के कामगारों के हॉस्टल का कार्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा कर लिया गया है।

1.7 वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस):

जून, 1985 की वस्त्र नीति के पैरा 18.7 के अनुसार भारत सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना तैयार की जो 15 सितम्बर, 1986 से प्रभाव में आई। वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) का उद्देश्य मिलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता केवल 3 वर्षों के लिए टेपरिंग आधार पर उपलब्ध है जिसमें पहले वर्ष में मजदूरी के 75%, दूसरे वर्ष में 50% और तीसरे वर्ष में 25% के बराबर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दिनांक 05.06.1985 को अथवा उसके बाद बंद होने वाली मिलों को टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत शामिल किया गया है।

टीडब्ल्यूआरएफएस का आरजीएसकेवाई में विलय

टीडब्ल्यूआरएफएस को अब वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 06.04.2017 को जारी अधिसूचना सं. सा.आ.1081(ई) के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के साथ विलय कर दिया गया है। टीडब्ल्यूआरएफएस को 01.04.2017 से बंद कर दिया गया है। पंजीकृत कामगार अब नई आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे।

1.8 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्र एक उच्च प्रौद्योगिकी उभरता क्षेत्र है जो कि भारत में धीरे–धीरे अपना आधार स्थापित कर रहा है। तकनीकी वस्त्र, कार्यात्मक फैब्रिक है जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग एंव विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखरेख, औद्योगिकी सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त किया

जाता है। उपयोग के आधार पर तकनीकी वस्त्रों के 12 सेगमेंट हैं यथा एग्रोटेक, मेडीटेक, बिल्डटेक, मोबिलटेक, क्लॉथटेक, ओएकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक तथा स्पोर्टेक। भारत में वर्ष 2020–21 तक तकनीकी वस्त्रों के बाजार का आकार 2,00,823 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

क्षमतावान उद्यमियों की तकनीकी वस्त्रों में प्रवेश करने में सहायता करने के उद्देश्य से 59.35 करोड़ रुपए (टीआरए/सीओई में पाँच तथा आईआईटी (दिल्ली, मुंबई, कानपुर तथा खड़गपुर) में छह की लागत से प्लग एंड प्ले मॉडल पर 11 फोकस उद्भवन केंद्रों (एफआईसी) की स्थापना की गई है।

तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सहायता करने के उद्देश्य से जियोटेक (बीटीआरए), एग्रोटेक, (एसएएसएमआईआरए), प्रोटेक (एनआईटीआरए), मेडीटेक (एसआईटीआरए), नॉन–वूवेन (डीकेटीई), इंडूटेक (पीएसजी प्रौद्योगिकी कॉलेज), कम्पोजिट (एटीआईआरए) तथा स्पोर्टेक (डब्ल्यूआरए) के क्षेत्रों में 139.00 करोड़ रुपए की लागत पर 8 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के तहत 530 प्रोटो–टाइप नमूने विकसित किए गए हैं, उद्योग में 22147 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए हैं, 360 तकनीकी परामर्श सहायता आकलन किए गए हैं, तकनीकी वस्त्र इकाइयों को स्थापित करने के लिए 105 डीपीआर तैयार किए गए हैं, 654 प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित किए गए हैं तथा 297 मानक तैयार किए गए हैं।

कृषि वस्त्र के उपयोग को संवर्धित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्र तथा शेष भारत में 10 प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा लगभग 42.46 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 1171 एग्रो–टेक्सटाइल किटें वितरित की गई हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियोटेक्निकल वस्त्र के उपयोग को संवर्धित करने के लिए इस योजना के तहत 101.83 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर 17 सड़क परियोजनाएं, 13 जल संचयन परियोजनाएं तथा 10 स्लोप स्थिरीकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

तकनीकी वस्त्रों पर 7वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा सम्मेलन 'टेक्नोटेक्स 2018' का आयोजन 28–29 जून, 2018 के दौरान बॉम्बे एग्जीबीशन सेंटर, गोरेगांव तथा मुंबई में किया गया था। महाराष्ट्र मेजवान राज्य था तथा गुजरात, झारखंड एवं कर्नाटक राज्यों ने भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया। दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान, यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन और तुर्की आदि जैसे 22 देशों से तकनीकी वस्त्र उद्योगों के विशिष्ट पैवेलियनों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।

1.9 क्षेत्र–वार योजनाएं

क. विद्युतकरघा क्षेत्र

विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र, फैब्रिक उत्पादन तथा रोजगार सृजन के मामले में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गए मैसर्स नीलसन बेसलाइन पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार यह 44.18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा देश में कुल वस्त्र उत्पादन के 60% का योगदान देता है। विद्युतकरघा

क्षेत्र में 60% फैब्रिक मानव निर्मित है। उत्पादित से अधिक फैब्रिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। निर्यात किए जाने वाला 60% से अधिक फैब्रिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। सिलेसिलाए परिधान तथा होम टेक्सटाइल क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युतकरघा क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

सितंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार लगभग 27.77 लाख विद्युतकरघे हैं। इस क्षेत्र का प्रौद्योगिकी स्तर साधारण करघा से उच्च तकनीकी वाले शटल रहित करघे तक भिन्न भिन्न है। इस क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख शटल रहित करघे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 75% से अधिक करघे 15 वर्ष से अधिक की अवधि के अप्रचलित और पुराने हैं और इनमें कोई प्रोसेस अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/अटैचमेंट नहीं है। तथापि, पिछले 8–9 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी स्तर में पर्याप्त उन्नयन हुआ है।

ख. हथकरघा क्षेत्र

हथकरघा वीविंग, कृषि के उपरांत लगभग 43 लाख से अधिक बुनकरों तथा संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। यह क्षेत्र देश के क्लॉथ उत्पादन में लगभग 15% का योगदान देता है और देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना हुआ फैब्रिक भारत से आता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने दिनांक 7 अगस्त, 2018 को चौथा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया और इस अवसर पर माननीय वस्त्र राज्य मंत्री ने जयपुर (राजस्थान) में हथकरघा बुनकरों को वर्ष 2017 के लिए संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

i. हथकरघा क्लॉथ उत्पादन और निर्यात

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विकासात्मक और कल्याणकारी उपायों के परिणामस्वरूप हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में आ रही गिरावट की प्रवृत्ति को काफी हद तक रोक लिया गया। यद्यपि हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों की संख्या में गिरावट आ रही है। वस्तुतः वर्ष 2004–05 से (वर्ष 2008–09 की मंदी को छोड़कर) हथकरघा उत्पादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2017–18 में 7990 मिलियन वर्ग मीटर का रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2017–18 के दौरान 2280.19 करोड़ रुपए और वर्ष 2018–19 (नवम्बर, 2019 तक) के दौरान 1554.48 करोड़ रुपए मूल्य की हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया।

ii. रियायती ऋण

तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000/– रुपए की मार्जिन मनी सहायता और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है। इससे पहले बुनकर ऋण कार्ड के रूप में ऋण प्रदान किए जाते थे। अब, हथकरघा बुनकरों और बुनकर उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा मंच अपनाया गया है और इस योजना को 'बुनकर मुद्रा' योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 31.01.2019 तक 34057 ऋण मंजूर किए गए हैं जिनमें 188.10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर

की गई है।

समय पर वित्तीय सहायता अंतरित करने के लिए मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी फीस का ऑन लाइन दावा और संवितरण करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर 'हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' नामक पोर्टल विकसित किया गया है। बुनकर मुद्रा योजना के तहत इस पोर्टल ने दिनांक 01.04.2017 से सभी सहभागी बैंकों के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

iii. ब्लॉक स्तरीय कलस्टर अप्रोच

ब्लॉक स्तरीय कलस्टर, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के संघटकों में से एक है। ब्लॉक स्तरीय कलस्टर अप्रोच को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के दिशानिर्देशों में जून, 2015 में संशोधन किया गया था जो कलस्टर की आवश्यकता के अनुरूप अधिक लचीली जिसमें भारत सरकार अधिक धनराशि प्रदान करती है, राज्य वित्तीय योगदान को समाप्त कर दिया गया है, कार्यान्वयन एजेंसी को सीधे ही निधियां जारी की जाती हैं, ईसीएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही धनराशि आदि जमा कर दी जाती है। इसके अलावा ब्लॉक में कोई कलस्टर सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने (सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी सहित), डिजाइन विकास, वर्क शेड के निर्माण, कलस्टर विकास कार्यापालक (सीडीई) की नियुक्ति करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन आदि जैसी विभिन्न पहलों के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। इसके अलावा, जिला स्तर पर डाइ हाउस स्थापित करने के लिए 50.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

वर्ष 2017–18 के दौरान 14 राज्यों में एनएचडीपी के तहत 61 ब्लॉक स्तरीय कलस्टर मंजूर किए गए और 42.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान (31.03.2019 तक) 5 राज्यों में एनएचडीपी/सीएचसीडीएस के अंतर्गत 31 बीएलसी मंजूर किए गए हैं और 28.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

iv. व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस):

- व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के अनुसार मेगा हथकरघा कलस्टर में कम से कम 15,000 हथकरघे होने चाहिए और पांच वर्ष की समयावधि के लिए प्रति कलस्टर भारत सरकार के शेयर के रूप में 40 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध है।
- वर्ष 2018–19 के दौरान (31.03.2019 तक) इन पहलों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मेगा हथकरघा कलस्टरों को 16.61 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

v. हथकरघों का ब्रांड निर्माण:

(क) 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड

'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी), ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय सिद्धांतों का अनुपालन करने के अलावा कच्ची सामग्री, प्रसंस्करण, बुनकरों और अन्य पैरामीटरों के संदर्भ में उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम'

ब्रांड केवल उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिहीन प्रमाणित हथकरघा उत्पादों को दिया जाता है ताकि उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके जो अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों को पसंद करते हैं। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य विशेष बाजार क्षेत्र बनाना और बुनकरों की आय बढ़ाना है। इस प्रकार 'इंडिया हैंडलूम' की अवधारणा उन हथकरघा उत्पादों की ब्रांड बनाना है जो विशेष रूप से सामाजिक पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों की 'गुणवत्ता संबंधी' जरूरतों को पूरा करते हैं।

'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड के लाभः

- प्रीमियम इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले हथकरघा उत्पादों को गुणवत्ता के संदर्भ में दूसरे उत्पादों से अलग किया जाता है।
- ब्रांड के माध्यम से ग्राहक को यह आश्वस्त किया जाता है कि उचित टेक्सचर, अच्छी किस्म के यार्न और डाइंग का उपयोग किए जाने के साथ–साथ यह उन नॉन–कारसीनोजेनिक डाई से सुरक्षित है जो प्रतिबंधित रसायनों से मुक्त होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं।
- बड़ी संख्या में क्रेता और निर्यातक अपने डिजाइनों के अनुसार अच्छी किस्म के ब्रांडेड फैब्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं।
- बुनकर उद्यमी और अन्य विनिर्माता, देश में और देश के बाहर बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म के हथकरघा फैब्रिक्स का उत्पादन और विपण न करना शुरू करेंगे।
- इससे मूल्य वर्धित अच्छी किस्म का उत्पादन करके बेहतर आय प्राप्त करके हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं और अन्य वंचित वर्ग के लोग सशक्त बनेंगे।
- वस्त्र मंत्रालय, ग्रोहकों में जागरूकता बढ़ाकर मीडिया अभियानों के माध्यम से ब्रांड को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले उत्पादों की मांग का सृजन कर रहा है।
- ग्राहक, www.indiahandloombrand.gov.in में रखी गई ब्रांड के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की सूची से आसानी से उत्पादकों का सत्यापन कर सकते हैं।

कार्यान्वियन

इंडिया हैंडलूम ब्रांड पहल को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वस्त्र समिति की सहायता से विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आईएचबी के उत्पादों की बिक्री ने उत्साहवर्धक प्रवृत्ति दर्शाई है।

इसे शुरू किए जाने से लेकर दिनांक 31.01. 2019 तक 122 उत्पादों के तहत कुल 1185 पंजीकरण जारी किए गए हैं और 655.19 करोड़ रुपए तक की बिक्री हुई है।

(ख) हैंडलूम मार्कः हैंडलूम मार्क यह गारंटी देने के लिए शुरू किया गया था कि ग्राहक जिस हथकरघा उत्पाद को खरीद रहा है वह हाथ से बुना वास्तविक उत्पाद है और यह विद्युतकरघा या मिल से बना उत्पाद नहीं है। हथकरघा मार्क को समाचारपत्रों और पत्रिकाओं, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडीकेट किए गए लेखों, फैशन शो, फिल्मों इत्यादि में विज्ञापन देकर बढ़ावा दिया जाता है और लोकप्रिय बनाया जाता है। हैंडलूम मार्क को बढ़ावा देने की क्रियान्वयन एजेंसी वस्त्र समिति है। दिनांक 28.02.2019 तक कुल 12.31 करोड़ रुपए मूल्य (संचित) के हैंडलूम

मार्क लेबल बेचे गए हैं और 21250 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

VI. **ई–मार्केटिंगः** सामान्य रूप से हथकरघा विपणन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से इसे युवा पीढ़ीके ग्रहतकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हथकरघा उत्पादों की ई–मार्केटिंग को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

अब तक 23 ई–कामर्स इकाइयां अनुमोदित की गई हैं और दिनांक 31.01.2019 तक 37.79 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है।

VII. **दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी**

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय, वाराणसी के परिसर को 'दीनदयाल हस्तकला संकुल' (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी को जनता को समर्पित किया।

यह परियोजना 24 माह की निर्धारित अवधि के अंदर 305.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 275.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित 43,450 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में 7.93 एकड़ भूमि पर स्थापित की गई है। यह परियोजना वाराणसी और निकटवर्ती क्षेत्रों के बुनकरों और कारीगरों की सहायता करेगी।

यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से वाराणसी में भारत की हथकरघा और हस्तशिल्प की विशिष्ट परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए है और जो अपने आप में एक ही स्थान पर हथकरघा, हस्तशिल्प और हाथ से बुने कालीनों की समृद्ध परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण है।

इस परियोजना में सम्मेलन हॉल, दुकानों, फूट कोर्ट, रेस्टोरेंट, मार्ट और कार्यालय, बैंक और एटीएम, अतिथि कक्ष, डोरमिटरीज, स्टॉल/कियोस्क, हथकरघा/हस्तशिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक/सामाजिक समारोहों, शिल्प संग्रहालय के साथ ही साथ एंफीलियेटर और सौबिनेयर शॉप के लिए स्थान उपलब्ध है। यहां पर 500 से अधिक कारों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है।

ग. हस्तशिल्प क्षेत्र

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृति विरासत का संरक्षण करते हुए ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है और देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता है क्योंकि यह न केवल देश के विशाल भूभाग में फैले मौजूदा लाखों शिल्पियों का जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है बल्कि शिल्प क्रियाकलाप में बड़ी संख्या में निरंतर रूप से आ रहे नए लोगों को भी संरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में हस्तशिल्प रोजगार सृजन और निर्यात में पर्याप्त योगदान करता है। यद्यपि हस्तशिल्प क्षेत्र शिक्षा की कमी, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों से अनभिज्ञ होने, बाजार की जानकारी का अभाव और कमजोर संस्थागत ढांचे की कमियों के साथ ही असंगठित होने के कारण इसे नुकसान हुआ है।

वर्तमान में इस क्षेत्र में 68.86 लाख कारीगरों के जुड़े होने का अनुमान है और मार्च, 2019 तक हस्तनिर्मित कालीन सहित हस्तशिल्प

का निर्यात 36798.20 करोड़ रुपए रहा और वर्ष 2018–19 के दौरान योजनागत आबंटन 226.15 करोड़ रुपए (प्रथम अनुपूरक अनुदान के पश्चात) है, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 193.75 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय सर्वांगीण तरीके से हस्तशिल्प कलस्टर का विकास करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए **'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'** और **'व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना** (सीएचसीडीएस)' के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करता है।

एनएचडीपी के संघटक निम्नलिखित हैं:

1. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के अंतर्गत कारीगरों का बेसलाइन सर्वेक्षण एवं प्रोत्साहन
2. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
3. मानव संसाधन विकास
4. कारीगरों को सीधे लाभ
5. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान और विकास
7. विपणन सहायता एवं सेवाएं

सीएचसीडीएस के संघटक निम्नलिखित हैं:

1. मेगा कलस्टर
2. हस्तशिल्प का एकीकृत विकास और संवर्धन (आईडीपीएच) के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं

नई पहलें

1) दिनांक 19 फरवरी, 2018 से 24 फरवरी 2018 तक पंडित दीन दयाल उपाध्याय गरीब कल्याण वर्ष को समर्पित 99 हस्तकला सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के दौरान देशभर में निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए:

- सहयोग शिविरों में 26246 कारीगरों ने भाग लिया।
- मुद्रा ऋण के अंतर्गत 3134 पंजीकरण किए गए और उनमें से 158.60 लाख रुपए रुपए राशि के 387 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए।
- पहचान पत्र के लिए 11309 पंजीकरण किए गए और 10826 पहचान पत्र वितरित किए गए।
- 2150 टूल किट वितरित किए गए।
- हस्तशिल्प कारीगरों और अनुसूचित जाति के कारीगरों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए राष्ट्रीय खुला शिक्षण संस्थान (एनआईओएस) के लिए 263 आवेदन प्राप्त किए गए।
- इग्नू के लिए 459 आवेदन प्राप्त हुए।
- 327 विपणन क्रियाकलाप आयोजित किए गए।

1) दिनांक 17 मार्च, 2018 को तवांग (अरूणाचल प्रदेश) में हस्तकला सहयोग शिविर लगाया गया, श्री किरण रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने हस्त शिल्पियों को पहचान पत्र तथा उन्नत टूल किट वितरित किए। इस शिविर के दौरान कुल 103 हस्त शिल्पियों ने भाग लिया।

2) दिनांक 12 मार्च, 2018 को टीएफसी, वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री और फ्रांस

के राष्ट्रपति के दौरे के संबंध में शिल्पियों के लाभ के लिए दिनांक 10 मार्च से 15 मार्च, 2018 तक एक **विशेष विपणन कार्यक्रम** आयोजित किया गया। एक शिल्प प्रदर्शनी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

3) **बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले** की जन्म दिन मनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में दिनांक 11 से 17 अप्रैल, 2018 तक एससी/एसटी कारीगरों के लिए 24 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें लगभग 1000 एससी/एसटी कारीगर लाभांवित हुए।

4) हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग के लिए माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की अध्यक्षता में दिनांक 26 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में **राज्यों के वस्त्र मंत्रियों की एक बैठक** आयोजित की गई जिसमें वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा और सचिव (वस्त्र), श्री अनंत कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक में वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विकास आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प सहित अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड के राज्य मंत्री उपस्थित थे।

5) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत मुद्रा ऋण (वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए) के अंतर्गत **मार्जिन मनी** के एक नए संघटक का स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) नोट अनुमोदित किया गया।

6) माननीय वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में रायपुर (छत्तीसगढ) में छत्तीसगढ के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2016 के लिए दिनांक 14 सितंबर, 2018 को 8 शिल्प गुरूओं और 25 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं (9 महिला कामगारों सहित) को **हस्तशिल्प अवार्ड** प्रदान किए गए।

7) **हस्तशिल्प हेल्पलाइन नं. 18002084800 (टोल फ्री)** के अंतर्गत 5 मार्च, 2019 तक 18448 कॉल प्राप्त हुए और उनका निवारण किया गया है।

8) गांधी शिल्प बाजार घटक के अंतर्गत मुंबई, गोवा, नागपुर, अहमदाबाद और अल्मोडा में **'दीप उत्सव'** का आयोजन किया गया जिसमें 431 कारीगरों ने भाग लिया और नवंबर, 2018 के दौरान 208.00 लाख रुपए की बिक्री की गई।

9) माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 02 नवम्बर, 2018 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए **सहायता एवं आउटरीच कार्यक्रम नामक** अभियान की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रधानमंत्री ने 12 महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया जिसे इस क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने के लिए 5 महत्वपूर्ण पहलुओं का समाधान हुआ है। इनमें ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय में आसानी और कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना शामिल है। एमएसएमई सहायता एवं आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई के लिए क्रियान्वयन योग्य बहुआयामी समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ऋणदाताओं, निजी क्षेत्र को एक साथ लाकर सरकार के प्रयासों के साथ ताल–मेल बैठाना है। एमएसएमई सहायता एवं आउटरीच पोर्टल 100 जिलों में कार्यक्रम की स्थिति को गहनता से मॉनीटर करता है। दिनांक 09 फरवरी, 2019 को समाप्त 100 दिनों की

अवधि के दौरान 13 राज्यों (19 जिलों) में विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा की गई पहलों से 1.30 लाख से अधिक कारीगर लाभांवित हुए हैं, कारीगर पहचान पत्र जारी करने के लिए पहचान पहल के अंतर्गत 61872 कारीगरों को पंजीकृत किया गया है और 33673 पहचान पत्र वितरित किए गए हैं। मुद्रा ऋण के लिए 12973 आवेदन प्राप्त हुए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 4502 कारीगरों को पंजीकृत किया गया है और शिक्षा का लाभ उठाने के लिए इग्नू/एनआईओएस के अंतर्गत 170 कारीगरों को पंजीकृत किया गया है। 624 कारीगरों को आधुनिक टूल किट मुहैया कराया गया था और 6367 से अधिक कारीगरों ने विभिन्न विपणन कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें 10.07 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। इसके अलावा कारीगरों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की जीएसटी, जीआई, हस्तशिल्प हेल्पलाइन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया है।

10) **वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों एवं समाधान के राष्ट्रीय कार्यक्रम** का आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 6 जनवरी, 2019 को किया गया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 17 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया। समारोह के दौरान श्री एम.वेंकैया नायडू को 5 जीआई पंजीकृत हस्तशिल्प पर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया जिसमें कच्छ एमब्रॉयडरी (गुजरात), कर्नाटक ब्रोन्ज वेयर (कर्नाटक), पाल्लकड़ का मड्डालम (केरल), बिहार का सिक्की ग्रास प्रोडक्ट, जयपुर की ब्ल्यू पोटरी (राजस्थान) शामिल था। उद्घाटन सत्र के पश्चात तकनीकी वस्त्र, व्यापार में आसानी, हस्तकला–परंपरा का आयोजन, वैश्विक बाजार तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला तथा फैशनिंग वीव पर एक पैनल में विचार–विमर्श किया गया।

11) **हस्तशिल्प आउटरीच कार्यक्रम (एमएसएमई के लिए सहायता और आउटरीच कार्यक्रम)** के अंतर्गत सभी 19 हस्तशिल्प जिलों में दिनांक 09 फरवरी, 2019 को एक विशेष शिविर लगाया गया जिसमें 6529 कारीगरों ने भाग लिया, शिल्पी पहचान पत्र जारी करने के लिए 'पहचान' पहल के अंतर्गत 2487 कारीगरों को पंजीकृत किया गया, 1146 कारीगरों को पहचान पत्र वितरित किए गए, 58 बैंकों ने भाग लिया, मुद्रा ऋण के अंतर्गत 331 आवेदन प्राप्त हुए एवं 71.35 लाख रुपए के 114 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए, नरसापुर (क्रोचेट लेस क्राफ्ट), खूंटी (लेस बैंगल क्राफ्ट), ईस्ट इम्फाल (एमब्रॉयडरी क्राफ्ट) के शिल्पियों को 85 आधुनिक टूल किट वितरित किए गए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 245 शिल्पियों को पंजीकृत किया गया है और, शिक्षा का लाभ उठाने के लिए इग्नो/एनआईओएस के अंतर्गत 13 शिल्पियों को पंजीकृत किया गया है और 63 शिल्पियों ने विभिन्न विपणन कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें 4.92 लाख रुपए की बिक्री हुई है। इसके अलावा शिल्पियों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की जीएसटी, जीआई, हस्तशिल्प हेल्पलाइन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया है।

12) 13 राज्यों के 64 शिल्पियों ने 5 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के लिए तमिलनाडु भवन, बिहार निवास, हिमाचल भवन, गुजरात भवन, मणिपुर भवन, कर्नाटक भवन, मध्य प्रदेश भवन, बीकानेर हाउस और शिल्प संग्रहालय में दिनांक 11–12 फरवरी, 2019 को अपने–अपने शिल्प का **सीधे प्रदर्शन** किया।

13) **वस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई के लिए तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम** का आयोजन डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में दिनांक 13 फरवरी, 2019 को किया गया। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत और माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा 6 लाभार्थियों को 5 श्रेणियों नामतः महिला, दिव्यांग, एससी, एसटी एवं उद्यमी में एमएसएमई पुरस्कार प्रदान किए गए।

14) निकट भविष्य में निर्यातक, उद्यमी और शिल्पियों को आवश्यक सहायता/हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सीईपीसी और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), भदोही, ईपीसीएच एवं एमएचएससी (मुरादाबाद), एफडीडीआई (जोधपुर) और ऑल इंडिया क्रोचेट लेस एसोसिएशन (नरसापुर) के बीच हस्तशिल्प आउटरीच कार्यक्रम के दौरान **तीन एमओयू** पर हस्ताक्षर किए गए।

15) माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा दिनांक 18.02.2019 को **दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन, वसंतकुंज, नई दिल्ली** की आधारशिला रखी गई जिसमें श्री रमेश बिधूड़ी, माननीय संसद सदस्य, दक्षिण दिल्ली उपस्थित थे। हस्तशिल्प भवन का निर्माण 113.56 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से मैसर्स एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है। हस्तशिल्प भवन के निर्माण का कार्यक्रम 24 महीने की परियोजना अवधि की तुलना में 18 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा हो जाएगा। इस भवन में शिल्पियों के लिए 23 दुकानें, सार्क देशों के शिल्पियों के लिए एक शोरूम, एक कियोस्क, 5 गैलरियों और एक सम्मेलन हॉल होगा।

16) **33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला** का आयोजन सूरजकुंड, फरीदाबाद में दिनांक 1–17 फरवरी, 2019 को किया गया जिसका उद्घाटन श्री देवेन्द्र फडनवीस, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2019 को किया गया। थाइलैंड साझेदार देश था और महाराष्ट्र इस कार्यक्रम का थीम राज्य था। वर्ष 2018–19 के लिए देश भर से 199 शिल्पियों (16 शिल्प गुरू, 58 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 41 राष्ट्रीय मेरिट प्रमाणपत्र, 84 राज्य अवार्डी) ने भाग लिया जिसमें 17 दिनों की अवधि में लगभग 2 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है।

17) श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने श्री रामचरण बोहरा, संसद सदस्य, जयपुर की उपस्थिति में दिनांक 25 फरवरी, 2019 को जयपुर में **हस्तशिल्प उत्पादकता केंद्र एवं परीक्षण प्रयोगशाला** का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी द्वारा शिल्पियों को टूल किट वितरित किए गए। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने हस्तशिल्प क्षेत्र की रीढ़ शिल्पियों और कारीगरों को पहचान पत्र, मुद्रा ऋण, आरपीएल प्रमाणपत्र भी वितरित किए। माननीय मंत्री जी ने जयपुर के प्रतिष्ठित निर्यातकों और व्यक्तियों

को भी सम्मानित किया। इनमें श्री लेखराज महेश्वरी, श्रीमती रूमा देवी, श्री दिलीप वैद, सुश्री लीला बोराड़िया, श्री राधेश्याम रंगा, श्री रमेश मीना और श्री मनोज यादव शामिल हैं। समुचित परीक्षण प्रोटोकॉल और इस परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खरीद एजेंसी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन भी किया गया।

18) एक दिवसीय **हस्तशिल्प आउटरीच कार्यक्रम** का उद्घाटन श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में पंचायत भवन, मुरादाबाद में दिनांक 15.02.2019 को किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय वस्त्र मंत्री ने हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान पत्र, उन्नत टूल किट और मुद्रा ऋण प्रमाणपत्र वितरित किए।

19) **राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2019** का आयोजन दिनांक 19.01.2019 से 02.02.2019 (15 दिन) तक किया गया जिसका उद्घाटन राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में सेक्टर–6, कुंभ मेला, प्रयागराज में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा किया गया। यह मेला 200 स्टॉलो, 05 प्रदर्शनों काउंटरों और एक शिविर कार्यालय के प्रावधान के साथ 4 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में लगाया गया था। 200 स्टॉलों में से 40 स्टॉल हथकरघा को आबंटित किए गए थे और 5–5 स्टॉल राष्ट्रीय पटसन बोर्ड तथा भारत के शिल्प मार्क संगठन को प्रदान किए गए थे।

20) **एम्बियेंट 2019** का आयोजन 8 से 12 फरवरी, 2019 तक किया गया जिसका उद्घाटन श्री शांतमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और भारत की कंसूल जनरल, श्रीमती प्रतिभा पारकर की उपस्थिति में भागीदार देश के रूप में भारत के साथ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में 8 फरवरी, 2019 को रंगारंग कार्यक्रम में किया गया था। इस मेले में 80 देशों की 4500 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। प्रसिद्ध शिल्प गुरू द्वारा शिल्प कौशल, जीआई शिल्प प्रदर्शनी और पूर्वोत्तर राज्यों के धारणीय पर्यावरण अनुकूल 'मेक इन इंडिया' शिल्प को प्रदर्शित करने वाले थीम पवैलियन सहित क्रिसमस सजावट, फैशन ज्वैलरी, कास्ठ शिल्प की वस्तुओं, वस्त्र फर्निशिंग, लेदर उत्पाद, लैंप और लाइटिंग, सेरामिक को प्रदर्शित करने वाले इस शो में 517 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

1.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक वृद्ध योजना है जो पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन में आवश्यक लचीलापन और क्रियान्वयन के साथ अप्रोच आधारित परियोजना में क्रियान्वित की गई है। इस योजना में शामिल अपैरल और परिधान निर्माण, पटसन, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा और रेशम उत्पादन सहित वस्त्र के सभी उप–क्षेत्रों को इस योजना के तहत मंजूर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और बाजार तक पहुंच के लिए आवश्यक सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का संपोषणीय विकास करना है।

1.11 फैशन प्रौद्योगिकी का संवर्धनः

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट), फैशन शिक्षा, एकीकृत ज्ञान, अकादमिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक सोच वाला एक अग्रणी संस्थान है। पिछले तीन दशकों में संस्थान की मजबूत उपस्थिति इसके सिद्धांतों की गवाह है जहां अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र में मौजूद है। यह संस्थान गंभीर और महत्वपूर्ण कार्यों के मार्गदर्शक तथा सक्षम पेशेवर लोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मौजूद है।

1986 में स्थापित निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक रहा है। इसे भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा 2006 में सांविधिक संस्थान बनाया गया था जिसमें भारत के राष्ट्रपति 'विजिटर' हैं और समूचे देश में इसके हर तरह से पूर्ण परिसर हैं। इसमें व्यापक रूप से सौंदर्यपरक और बौद्धिक अभिविन्यास लाने के लिए इसके शुरूआती प्रशिक्षकों में इसमें फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान न्यूयार्क, यूएसए के अग्रणी प्रगतिशील विद्वानों को शामिल किया गया था। प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के समूह से उन इन–हाउस संकाय को लिया गया था जो प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें। नई दिल्ली स्थित निफ्ट मुख्यालय में पुपुल जयकर हॉल उन कई शैक्षिक विचारकों और विजनरी की याद दिलाता है जो संस्थान की सफलता के रोड मैप के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शैक्षणिक समाविष्टि, संस्थान की प्रसार योजनाओं में उत्प्रेरक रही है। इस दौरान निफ्ट का प्रसार पूरे देश में हो गया है। पेशेवर रूप से प्रबंधित इसके 16 परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान एक ऐसा फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के विभिन्न भागों के भावी विद्यार्थी उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसकी स्थापना के शुरूआती वर्षों से संस्थान का डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैशन शिक्षा में मजबूत आधार है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक प्राप्त किए हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषणकर्ताओं के एक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

अपनी इस यात्रा में निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया गया है। रचनात्मक विचारकों को एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

निफ्ट, फैशन की शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। संस्थान का विजन चुनौतियों का सामना करना है और सर्वोच्च शिक्षा मानकों को स्थापित करने पर ध्यान देना है। निफ्ट लगातार श्रेष्ठ बनने की

कोशिश करता रहता है।

विगत वर्षों में डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भूमिका और संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। निफ्ट में हम निरंतर रूप से उद्योग से आगे बने रहने की कोशिश करते हैं और भारत के फैशन परिदृश्य का मार्गदर्शन करने के लिए अग्रणी के रूप में कार्य करते हैं। मौजूदा और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और निफ्ट ने बढ़ी हुई सृजनात्मक क्षमता और लचीलेपन तथा समय से कहीं आगे नए पुनर्गठित पाठ्यक्रमों के अनुसार 2018 के प्रवेश की घोषणा की है। इसकी मुख्य विशेषताओं में कार्यक्रम के अंतर्गत 'मेजर' और 'माइनर' विनिर्देशनों की अवधारणा है और जनरल इलैक्टिव्स का समूह है जिनसे विषय चुने जा सकते हैं जो प्रशिक्षणार्थियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

अध्याय–2

कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना और विकास के लिए उत्तरदायी है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख वस्त्र मंत्री हैं जिन्हें वस्त्र राज्य मंत्री, सचिव (वस्त्र) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 विजन

तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और सतत आर्थिक विकास के लिए गतिशील हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करना तथा इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना और बचाए रखना।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को पर्याप्त फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र के सुनियोजित व सामन्जस्यपूर्ण विकास का संवर्धन करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उद्योग का आधुनिकीकरण करना।
- सभी वस्त्र कामगारों की क्षमता और कौशल का विकास करना।
- कार्य का समुचित वितरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुंच तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए बुनकरों और कारीगरों को बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वस्त्र और क्लोदिंग तथा हस्तशिल्प के निर्यात का संवर्धन करना और इन क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:–

2.4.1 संबद्ध कार्यालय:–

(i) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 28 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) हैं। यह हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को क्रियान्वित करता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चैन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बंगलुरू, कोयम्बतूर, नवी मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, प्रौद्यो–आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस–पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष बत्तीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह विद्युतकरघा योजनाओं पर विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी मॉनीटरिंग भी करता है।

(ii) पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

पटसन आयुक्त के कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां दृ(प) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना (पप)राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) जैसे वस्त्र मंत्रालय के पटसन संबंधी निकायों के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों विशेष रूप से भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और अन्य वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से ऐसे क्षेत्र तथा आरएंडडी कार्यक्रमों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा उद्यमशीलता कौशल में पटसन हस्तशिल्प और पटसन हथकरघा के संवर्धन के लिए कार्यान्वयन (पपप) पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्ची पटसन और पटसन सामानों दोनों के मूल्य परिवर्तन की मानीटरिंग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन (पअ) स्वदेशी तथा निर्यात बाजार दोनों में पटसन सामानों के बाजार की तलाश करने के लिए विशेष रूप से बाजार संवर्धन। उन पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित/प्रोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसे कार्यकलाप अपर्याप्त हैं और पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर पटसन उत्पादक राज्यों में हैं। पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन आयुक्त, बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त, नियमित और समयबद्ध

आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना भी मंत्रालय को भेजते हैं।

2.4.3 इनके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत समितियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय

(i) वस्त्र समिति, मुंबई

वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम,1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र समिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त,1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। अधिनियम की धारा 3 द्वारा वस्त्र समिति निरंतर उत्तराधिकार के साथ एक सतत अनुक्रमणशील सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता:

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के खंड–। के उप–खंड (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को उस तिथि के रूप में निर्धारित किया है जिससे राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना पटसन की खेती, विनिर्माण तथा पटसन के विपणन के विकास तथा पटसन उत्पादों और उनसे संबद्ध मामलों के लिए की गई है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है:–

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत एप्रोच विकसित करना;
- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का संवर्धन;
- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- कच्ची पटसन के बेहतर विपणन तथा कच्ची कपास के मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए प्रोन्नत करना अथवा व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;
- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचना का प्रचार करना;
- गुणवत्ता नियंत्रण अथवा कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों का संवर्धन करना और उपाय

करना।

- कच्ची पटसन के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ग्रेडिंग की तकनीकी और पैकेजिंग में सुधार के लिए सहयोग करना और अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना।
- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में आंकड़ों का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा करना;
- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;
- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा विपणन अनुसंधान के लिए स्पांसर, सहयोग,समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;
- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना;
- नयी सामाग्रियों, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों, उपकरण, उत्पादन की पद्धतियों, उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए प्रायोजित, सहयोग, समन्वय अथवा प्रोत्साहित करना;
- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर–सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध कराकर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;
- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- पटसन फसलों की जेस्टेशन अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;
- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;
- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;
- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- पटसन उद्योग में लगे कामगारों के लिए सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में सुधार करना तथा बेहतर कार्यशील परिस्थितियों तथा प्रावधानों की व्यवस्था करना;
- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;
- समेकन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं

पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना;

- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन के लिए किसी अन्य निकाय के साथ कोई अनुबंध (भागीदार, संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना अथवा शेयर कैपिटल प्राप्त करना।

(iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं 61) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोया तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम–उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन भी करता है।

(iv) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली

राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (एनएफआईटी) को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 1986 में स्थापित किया गया था और यह निफ्ट अधिनियम, 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक निकाय है। व्यापक सुरुचिपूर्ण एवं भौतिक दृष्टिकोण को लेकर आने वाले प्रारंभिक शिक्षकों में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, न्यूयार्क, यूएसए के प्रमुख प्रगतिशील विद्वान शामिल थे। घरेलू शिक्षकों को बुद्धिजीवियों के एक विशिष्ट समूह से लिया गया था जिन्होंने प्रभावी अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक गतिशील दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। नई दिल्ली में निफ्ट के मुख्यालय का पुपुल जयकर हॉल विभिन्न शैक्षणिक विचारकों तथा विजिनरियों की याद दिलाता है जो संस्थान की सफलता के रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण रहे थे। संस्थान की विस्तार योजनाओं में शैक्षणिक समावेशन एक उत्प्रेरक के रूप में रहा है। समय के साथ–साथ, निफ्ट ने देश भर में अपना विस्तार किया है।

2.4.4 पंजीकृत समितियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन 1987 में एकीकृत नीति के विकास के साथ ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था जिसका मुख्यालय, जोधपुर राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह, बोर्ड के शासी निकाय के समग्र मार्गदर्शन तथा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। यह बोर्ड ऊन क्षेत्र की उन्नति तथा विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए सलाहकारी निकाय का भी कार्य करता है।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम)

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम) की स्थापना 24 दिसम्बर, 2002 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक वस्त्र प्रबंधन संस्थान के रूप में की गयी थी।

2.4.5 सलाहकार बोर्ड

(i) अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी):

बेहतर उत्पादकता, संवर्धित कुशलता हासिल करने, कामगार कल्याण और विद्युतकरघों के स्थानिक फैलाव में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों सहित विद्युत चालित बुनाई क्षेत्र के भीतर विद्युतकरघों के स्वस्थ विकास से जुड़े मामलों में आमतौर पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी) का गठन सर्वप्रथम नवम्बर, 1981 में भारत सरकार के सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। भारत सरकार समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन करती है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा उद्योग के विद्युतकरघा परिसंघ/संघों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हैं तथा माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

(ii) कपास सलाहकार बोर्डः

कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) सरकारी एजेंसियों, उत्पादकों, उद्योग एवं व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है। यह सरकार को सामान्यतः कपास के उत्पादन, खपत और विपणन पर परामर्श देता है तथा कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उत्पादन, कपास ट्रेड तथा सरकार के मध्य समन्वय का मंच भी उपलब्ध करवाता है। सीएबी का कार्यकाल 2 वर्ष का है। दिनांक 28.01.2015 के संकल्प के माध्यम से मौजूदा कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी)तथा सीएबी की परामर्शदात्री समिति का गठन वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में 01.01.2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए किया गया था जिसे दिनांक 25.04.2017 के आदेश के माध्यम से नए बोर्ड के पुनर्गठन तक विस्तारित कर दिया गया है।

कपास सलाहकार बोर्ड कपास तुलनपत्र तैयार करता है। यह बोर्ड द्विस्तरीय प्रणाली में कार्य करता है जिसमें परामर्शदात्री समिति कपास उत्पादकों, कपास व्यापारियों, कपास मिलों से इनपुट प्राप्त करती हैं। कपास परामर्शदात्री समिति कपास सलाहकार बोर्ड की औपचारिक बैठक से पहले अपनी बैठकें आयोजित करती है। परामर्शदात्री समिति की

सिफारिशों के बिंदुओं पर सीएबी द्वारा विचार किया जाता है।

(iii) पटसन सलाहकार बोर्ड:

पटसन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सचिव (वस्त्र) हैं जो सरकार को पटसन व पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश–2016 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटसन से संबंधित मामलों पर सलाह देते हैं जिनमें पटसन और मेस्ता के उत्पादन से संबंधित अनुमान शामिल हैं। बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 19.07.2018 को दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

(iv) हस्तशिल्प सलाहकार बोर्ड:

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (एआईएचबी) का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है।

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले–सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। वैश्विक निर्यात बाजार में अपने–अपने क्षेत्र के विकास का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। अपैरल मेले तथा प्रदर्शनियां और भारत तथा विदेशी बाजारों में स्टैंड एलोन शो का आयोजन निर्यात को बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच के लिए किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)

ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)

iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यूईपीसी)

v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूल टेक्सप्रो)

vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

2.5. सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास में सक्रियता से लगे हुए हैं:–

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.(एनटीसी)
2. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचएचईसी)
3. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)
4. भारतीय कपास निगम (सीसीआई)
5. सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली (सीसीआईसी)
6. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)

7. भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता

8. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

2.5.1 नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी):

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक अनुसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो देशभर में स्थित अपनी 23 कार्यशील मिलों में 8.03 लाख स्पिंडल्स तथा 408 करघों के द्वारा लगभग 550 लाख किग्रा. यार्न और 200 लाख मीटर फैब्रिक प्रति वर्ष के उत्पादन के साथ यार्न तथा फैब्रिक के उत्पादन में संलग्न है। एनटीसी अपनी जेवी कंपनियों के माध्यम से परिधानों का विनिर्माण भी करती है। इसके अतिरिक्त, एनटीसी के पास देशभर में अपने 92 रिटेल स्टोरों के साथ एक विस्तृत रिटेल नेटवर्क भी उपलब्ध है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या लगभग 11000 (संविदागत 3000 कर्मचारियों सहित) है। एनटीसी का मौजूदा निवल मूल्य 1640.00 करोड़ रुपए (31.03.2019 को) (अनंतिम) है।

एनटीसी अपनी प्रचालनशील मिलों में अपनी प्रौद्यागिकी का उन्नयन करने के निकट है तथा आधुनिकीकरण, विस्तार, उत्पाद विविधीकरण आदि के उपाय कर रही है। भविष्य के उभरते हुए क्षेत्र – तकनीकी वस्त्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए इसके रिटेल विपणन आउटलेट का कायाकल्प करना तथा इसकी ब्रांड इमेज को बढ़ाना निगम के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी) की स्थापना वर्ष 1974, 1986 और 1995 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से अपने कब्जे में लिए गए रूग्ण वस्त्र उपकरणों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनी में से 8 को वर्ष 1992–93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी नौ सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित की– उनमें से 8 को वर्ष 2002–03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002–03 की स्वीकृत मूल योजना (एसएस–02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित 736 करोड़ रुपए के संघटक के साथ कुल 3937 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी – पहली बार 5267 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस–06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपए का संघटक शामिल था और दूसरी बार यह योजना 4 नई मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1155 करोड़ रुपए के संघटक के साथ 9102 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस–08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

निवल मूल्य सकारात्मक हो जाने के

साथ मैसर्स एनटीसी लि., 20.10.2014 के बीआईएफआर के आदेश के माध्यम से एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के आशय के भीतर रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रही। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निवल परिसंपत्तियां 1640 करोड़ रुपए (लगभग) की है। बीआईएफआर ने निदेश दिया है कि पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वित न किए गए प्रावधान को संबंधित प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत की गई कुल 124 मिलों में से बीआईएफआर को संदर्भित की गई 119 मिलों और हसन में स्थापित एक नई मिल का विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) 77 मिलें बंद हो गई हैं (78 मिलें आईडी अधिनियम के अंतर्गत बंद की गई हैं किंतु बंद की गई एक मिल नामतः बिदर्भ मिल, अचलपुर को फिनले मिल्स, अचलपुर के नाम से पुनः शुरू किया गया था)

(ii) 23 मिलें एनटीसी द्वारा प्रचालित की जा रही हैं (हसन में स्थापित एक नई मिल सहित)

(iii) जेवी मार्ग के माध्यम से पुनरुद्धार की जाने वाली 16 इकाइयों में से 5 इकाइयों का पुनरुद्धार कर दिया गया है और शेष 11 इकाइयां जिसके लिए जेवी हेतु एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर निरस्त कर दी गई थी। इन 11 मिलों का मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है।

(iv) 2 मिलों को पुदुच्चेरी सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(v) उदयपुर एवं बीवर, राजस्थान स्थित दो मिलें प्रचालनशील नहीं हैं।

इस समय एनटीसी समूचे देश में स्थित निम्नलिखित 23 वस्त्र मिलों में काम कर रही है:

एनटीसी द्वारा स्वयं आधुनिकीकृत की गई 23 मिलों की सूची

क्र.सं.	मिलों का नाम	स्थिति
आंध्र प्रदेश		
1	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनिगुंटा
गुजरात		
2	राजनगर मिल्स	अहमदाबाद
कर्नाटक		
3	न्यू मिनर्वा मिल्स	हासन
केरल		
4	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पा नगर
5	कनानुर स्पिंनिंग एवं वीविंग मिल्स	कनानूर
6	केरल लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
7	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश		
8	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
9	न्यू भोपाल टेक्स टाइल मिल्स	भोपाल

महाराष्ट्र		
10	पोदार मिल्स	मुंबई
11	टाटा मिल्स	मुंबई
12	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
13	बारशी टेक्सइटाइल मिल्स	बारशी
14	फिनले मिल्स	अचलपुर
माहे		
15	कन्नौर स्पिंनिंग एवं वीविंग मिल्स	माहे
तमिलनाडु		
16	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	कामुदाकुदी
17	कालीश्वरर मिल्स 'बी' यूनिट	कलयारकोइल
18	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
19	कोयम्बोटूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बटूर
20	पंकजा मिल्स	कोयम्बटूर
21	श्री रंगविलास एस एंड डब्यू मिल्स	कोयम्बटूर
22	कोयम्बंटूर स्पिंनिंग एवं वीविंग मिल्स	कोयम्बटूर
पश्चिम बंगाल		
23	आरती कॉटन मिल्स	दासनगर

एनटीसी के पास लगभग कुल 3611.78 एकड़ की जमीन है जिसमें से 960.85 एकड़ जमीन लीज होल्ड है और शेष 2650.93 एकड़ जमीन फ्री होल्ड है। संसद द्वारा दिनांक 17 दिसंबर, 2014 को वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2014 पारित किए जाने से एनटीसी के पास 5825 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 960.85 एकड़ लीज होल्ड जमीन की रक्षा करने में एनटीसी को मदद मिली। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि विभिन्न अदालतें विभिन्न किराया नियंत्रण अधिनियमों के तहत एनटीसी को संरक्षण प्रदान नहीं कर रही थीं और राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उपबंधों की सही भावना के साथ व्याख्या नहीं कर रही थी। इससे मंत्रालय/एनटीसी को उस फ्रीहोल्ड जमीन को अपने पास रखने में मदद मिली जो राष्ट्रीयकरण के बाद एनटीसी को मिली थी तथा साथ ही इसने केंद्र सरकार/एनटीसी को मेसनी लाभ की सैकड़ों करोड़ रुपए की देनदारी से भी बचा लिया।

इस समय एनटीसी के कर्मचारियों की संख्या लगभग 11000 (इसमें 3000 संविदागत कर्मचारी शामिल हैं) हैं, अप्रैल, 2002 से एमवीआरएस लेकर 63,792 कर्मचारी पहले ही एनटीसी छोड़ चुके हैं। इन कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 2383.51 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा एनटीसी ने रिटेल मार्केटिंग डिविजन के 193 अक्षम शोरूम भी बंद कर दिए हैं।

एनटीसी ने तीन नई ग्रीन फील्ड परियोजनाएं स्थापित की हैं और 20 अन्य मिलों का आंशिक रूप से आधुनिकीकरण किया है। एनटीसी द्वारा नजदीकी निगरानी किए जाने

और प्रबंधकीय हस्तक्षेप किए जाने से यह यार्न और क्लॉथ सेगमेंट, दोनों में ही बेहतर भौतिक कार्य निष्पादन करने में सफल रहा है। **एनटीसी की कार्य-निष्पादन क्षमता में सुधार हो रहा है और वर्तमान तथा विगत कुछ वर्षों के दौरान इसकी उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:**

उत्पादन

उत्पाद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (अनंतिम)
यार्न (लाख किग्रा.)	518.54	562.02	521.95	527.81	510
फैब्रिक (लाख मीटर)	171.70	190.34	201.81	191.58	190

क्षमता उपयोग

मापदंड	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (अनंतिम)
क्षमता उपयोग (%)	85.47	86.67	84.81	87.61	85.50

उत्पाादकता

मापदंड	इकाई	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (अनंतिम)
कपास उत्पाादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	88.90	91.78	93.05	93.17	93.03
ब्लेंसड उत्पाादकता (40 परिवर्तित)	जीएमएस	92.28	93.78	94.84	95.89	96.56

कारोबार

मापदंड	इकाई	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (अनंतिम)
अभियानों से राजस्व	करोड़ रुपए	1066.27	1213.89	1129.22	1168.50	1130.00

डीपीई द्वारा दी गई एमओयू रेटिंगः-

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
रेटिंग	बहुत अच्छी	अच्छी	अच्छी	अच्छी	सामान्य	सामान्य

यद्यपि कंपनी स्थापित किए जाने से ही इसकी बजट आबंटन से सहायता की जा रही है, एनटीसी ने वर्ष 2009–10 से कोई बजट सहायता नहीं ली है और यह अपने संसाधनों से ही अपने कार्य कर रही है।

कंपनी की तकनीकी वस्त्रों में विविधता लाने के अलावा कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान निर्माण के साथ एकीकृत वस्त्र कंपनी के रूप में स्वयं को बदलने की योजनाएं हैं। कंपनी को और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा) के साथ मिलकर इस समय काम कर रही मिलों का प्रौद्योगिकी उन्नयन करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण, विस्तार और विविधीकरण योजनाएं तैयार की गई हैं।

1. एनटीसी से संबंधित मुद्दे

टीडीआर का अधुनिकीकरण – इंदु मिल सं. 06 की जमीन

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, जीओएस और एनटीसी के बीच दिनांक 5 अप्रैल, 2015 को हुए त्रिपक्षीय एमओयू पर भारत सरकार के निर्देशानुसार डॉ. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के सम्मान में स्मारक के निर्माण के लिए इंदु मिल सं.6 (डाइ वर्क्स) की 11.96 एकड़ जमीन जीओएम को अंतरित करना।

- दिनांक 08.01.2016 को निदेशक, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट (जीओएम) ने संपत्ति का मूल्यांकन अर्थात 1413.48 करोड़ रुपए अग्रेषित किए।
- दिनांक 16.08.2016 को वस्त्र मंत्रालय ने अन्य निबंधन और शर्तों के साथ उक्त जमीन के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार के अनुमोदन की सूचना मुख्य सचिव, जीओएम को दी।
- एनटीसी ने उक्त इंदु मिल सं.06 की 11.96 एकड़ जमीन (लगभग 48414.83 वर्ग मीटर) दिनांक 25.03.2017 को महाराष्ट्र सरकार को अंतरित की।
- उक्त अंतरण के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेटर मुम्बई नगर निगम (एमसीजीएम) के माध्यम से दिनांक 25.03.2017 के पत्र संख्या टीडीआर/सिटी/वार्ड/जीएन–12/1 के तहत एनटीसी के नाम पर 1,30,720.04 वर्ग मीटर (14,07,070.51 वर्ग फीट के बराबर) का विकास अधिकार प्रमाणपत्र (डीआरसी) संख्या 009933, फोइलियो सं. टीडीआर/सिटी/वार्ड/जी/एन–12/1 जारी किया।
- निदेशक, टाउन प्लानिंग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित भूमि का मूल्यांकन 1413.48 करोड़ रुपए पर निश्चित किया गया।
- एनटीसी और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुई सहमति के अनुसार उक्त मूल्यांकन से अधिक इन टीडीआर की बिक्री से प्राप्त राशि को एनटीसी, स्मारक के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को देगी और यदि उक्त भूमि मूल्यांकन से कम राशि प्राप्त होती है तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस कम राशि का भुगतान एनटीसी को किया जाएगा।
- दिनांक 01.10.2018 को वस्त्र मंत्रालय को इस आशय का अनुरोध पत्र भेजा गया कि टीडीआर की बिक्री के लिए इस मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया जाए।

2. पीएसयू का रणनीतिक विनिवेश

एनटीसी को वस्त्र मंत्रालय से दिनांक 9 अप्रैल, 2018 का पत्र संख्या 05/06/2012–एनटीसी मिला जिसमें **"एनटीसी को अधिशेष जमीन**

का गैर–कोर क्षेत्र अलग करना चाहिए और कार्य कर रही 23 मिलों का आधुनिकीकरण के लिए कोर क्षेत्र में प्राइवेट पूंजी निवेश के लिए उपायों की पहचान करनी चाहिए" के नीति आयोग के सुझाव की सूचना दी गई थी।

यह मामला दिनांक 23.05.2018 को हुई बोर्ड की 380वीं बैठक में पेश किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किए जाने के बाद एक ख्याति प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त किया जा सकता है जो इसमें शामिल दोनों प्रस्तावों पर तीन माह के अंदर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार **जमीन के लिए अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और प्राइवेट पूंजी निवेश के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में निविदा दस्तावेज तैयार किया गया और अनुमोदन** के बाद इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और इसे एनटीसीएल की वेबसाइट तथा सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

इसी बीच वस्त्र मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें यह सुझाव दिया गया कि रणनीतिक विनिवेश के मुद्दे पर सरकारी स्तर पर चर्चा की जानी अपेक्षित है। इस अवस्था में एनटीसी परामर्शदाता की नियुक्ति करने संबंधी कार्रवाई न करे। तदनुसार एनटीसीएल की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर उक्त निविदा दस्तावेज को रद्द करने के लिए शुद्धि पत्र अपलोड किया गया।

इसके अलावा एनटीसी को वस्त्र मंत्रालय से दिनांक 27.12.2018 का पत्र सं. 05/06/2012–एनटीसी प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 11.10.2018 को हुई सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिशों की सूचना दी गई थी जिसमें **"विस्तार से चर्चा करने के बाद विनिवेश संबंधी सचिवों का कोर ग्रुप(सीजीडी) सिफारिश करता है कि मिलों का दो/तीन के समूहों में बंच बनाने के लिए ब्ल्यू प्रिंट तैयार किया जाए और सारी जमीन किसी एसपीवी को दी जाए। इसके बाद एनटीसी के रणनीतिक विनिवेश पर विचार किया जा सकता है"** की नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया। इसमें अनुरोध किया गया था कि विनिवेश संबंधी सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिशों पर तत्काल ही मंत्रालय को टिप्पणियां/विचार प्रस्तुत किए जाएं।

यह मामला दिनांक 24.01.2019 को हुई एनटीसी की बोर्ड की बैठक में पेश किया गया था। बोर्ड ने सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिश पर चर्चा की और इसे कार्य योग्य दृष्टिकोण के रूप में स्वीकृत किया क्योंकि संपूर्ण रूप से कंपनी के लिए 'जहां है जैसा है' के आधार पर रणनीतिक खरीददार का पता लगाना व्यावहारिक कार्रवाई प्रतीत नहीं हो रही है। विनिवेश के प्रयोजनार्थ प. कार्यकर रही मिलों; पप. कार्य न कर रही मिलों और पपप. जेवी/विवादित मिलों के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और क्रियाविधि की आवश्यकता होगी और तदनुसार मिलों का बंच बनाया जा सकता है। यद्यपि रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया, सरकार द्वारा प्रबंधन की जाने वाली प्रक्रिया होगी, अदालती मामलों और अन्य लंबित विवादों के संकल्प पर नीतिगत निदेश और सरकारी निर्णयों की जरूरत होगी। यदि कंपनी को अधिशेष आस्तियों, विशेष रूप से जमीन के निपटान के लिए कार्रवाई करनी हो। इसके अतिरिक्त जेवी के विगत अनुभव के अनुसार भविष्य की विनिवेश रणनीति का समग्र विनिवेश होना चाहिए और जेवी

के गठन के बजाए प्रबंधन का अंतरण होना चाहिए। विनिवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ अर्जित करने वाली मिलों को पर्याप्त विनिवेश–पूर्व और अधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

3. भारत सरकार का ऋण

वर्ष 2006–07 के दौरान एनटीसी को जारी किया गया 6250 लाख रुपए का ऋण बट्टे खाते डालना और आज की तारीख तक उस पर अर्जित ब्याज को माफ करना और वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान एनटीसी लि. को प्रदान किए गए 20750.00 लाख रुपए के ऋण पर आज की तारीख तक अर्जित ब्याज को माफ करके मूलधन की वापसी अदायगी करना।

2006-07	
ओएम 8/2/2006 – एनटीसी दिनांक 23.05.2006	प्राप्त हुई राशि – 6250.00 लाख रुपए जारी करने की तिथि – 23.05.2006 शर्तें – ब्याज वाला ऋण
2007-08	
ओएम 8/2/2007 –एनटीसी दिनांक 25.05.2007, 12.12.2007, 24.01.2008 एवं 24.03.2008	निम्नानुसार कुल 6250.00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई:– जारी की गई राशि और तिथि – – दिनांक 25.05.2007 को 1500.00 लाख रुपए – दिनांक 12.12.2007 को 1500.00 लाख रुपए – दिनांक 24.01.2008 को 3000.00 लाख रुपए – दिनांक 24.03.2008 को 250.00 लाख रुपए शर्तें – ब्याज वाला ऋण
2008-09	
ओएम 8/2/2008 – एनटीसी दिनांक 18.03.2009 एवं 30.03.2009	निम्नानुसार 14500.00 लाख रुपए की कुल राशि प्राप्त हुई: जारी की गई राशि और तिथि – दिनांक 18.03.2009 को 10742.00 लाख रुपए दिनांक 30.03.2009 को 3758.00 लाख रुपए शर्तें – ब्याज वाला ऋण

पुनरूद्धार योजना की क्रियान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार ने मजदूरी का भुगतान करने के लिए कम पड़ी राशि को पूरा करने के लिए उक्त ऋण जारी किया।

- बीआईएफआर ने वर्ष 2002 में एनटीसी की 8 अनुषंगी कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजनाएं मंजूर की। बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाएं दिनांक 31.03.2004 तक क्रियान्वित की जानी थी जिसके लिए अधिशेष आस्तियों की बिक्री करके स्वयं धन एकत्रित करना था। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों से जमीन की बिक्री के लिए समय पर अनुमति न मिलने पर मुख्यतः जमीन की बिक्री में विलंब होने के कारण इन योजनाओं का क्रियान्वयन दो वर्ष की निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका।

- वर्ष 2002 की मंजूरशुदा योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए विलंब के कारण बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एमएस–06 में यह परिकल्पना की गई थी कि *"प्रोमोटर (भारत सरकार–वस्त्र मंत्रालय) को पुनरूद्धार योजना की लागत को पूरा करने के लिए संसाधन सहित पुनरूद्धार अवधि के दौरान निधियों प्रवाह में आई किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए निधि संबंधी सहायता प्रदान करनी चाहिए और इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।"*

- बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित योजना (एमएस–06) में यह परिकल्पना की गई है कि *"प्रोमोटर (भारत सरकार–वस्त्र मंत्रालय) को निधि की कमी के बारे में कंपनी द्वारा की गई मांग के 30 दिन के अंद भुगतान करना चाहिए ताकि उचित तौर तरीकों/निधि के प्रावह को बनाए रखा जा सके। यदि इसमें कोई विलंब होता है तो प्रोमोटर को उस दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो सरकारी अप्रतिभूत ऋणों पर स्वस्थ इकाइयों से वसूल की जाती है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार को पुनरूद्धार अवधि के दौरान कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज नहीं लेना चाहिए।"*

- भारत सरकार ने 2800 लाख रुपए के ऋणों (दिनांक 31.03.2000 को बकाया) को इक्विटी में परिवर्तित किया और तत्कालीन अनुषंगी एनटीसी (टीएंडपी) लि. के संबंध में वर्ष 2001–02 के दौरान उक्त ऋण पर 833 लाख रुपए का ब्याज माफ किया।

- भारत सरकार ने 2,51,479 लाख रुपए के ऋणों (दिनांक 31.03.2001 को बकाया) को इक्विटी के परिवर्तित किया और एनटीसी की तत्कालीन 6 अनुषंगियों के संबंध में वर्ष 2003–04 के दौरान उक्त ऋण पर 144568 लाख रुपए का ब्याज माफ किया।

- इसके बाद भारत सरकार ने 340262 लाख रुपए के ऋणों (दिनांक 31.03.2006 को बकाया) को बट्टे खाते डाला और वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान दिनांक 31.03.2006 तक अर्जित 272713 लाख रुपए का ब्याज माफ किया।

- तत्कालीन मंत्रियों के समूह ने दिनांक 05.12. 2006 को हुई अपनी बैठक में नोट किया कि वर्ष 2006–07 के लिए एनटीसी को मजदूरी संबंधी सहायता पहले ही बजट में प्रदान कर दी गई है। तथापि, एनटीसी, वर्ष 2007–08 के दौरान मजदूरी और वेतन संबंधी अपनी जरूरतों को अपने संसाधनों से पूरा करने की कोशिश करेगी। यदि वह ऐसा नहीं कर पाती है तो एनटीसी, वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से मार्च, 2007 में वित्त मंत्रालय से अनुरोध कर सकती है ताकि वर्ष 2007–08 में इस संबंध में आई कमी, यदि कोई हो, को पूरा किया जा सके।

- **बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एमएस-08 योजना के अनुसार भारत सरकार को आज की तारीख तक के बकाया ब्याज के साथ दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सभी ऋणों को माफ कर देना चाहिए।**

- जाओएम के निर्णय और एमएस–08 को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख तक उस पर उपचित ब्याज को माफ किये जाने के साथ वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किए गए 6250.00 लाख रुपए के ऋण के मूलधन को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए।

- एमएस–06 में बीआईएफआर के इन निदेशों के अनुसार कि सरकार को पुनरूद्धार अवधि के दौरान कंपनी से ऐसी निधियों पर ब्याज नहीं लेना चाहिए, एनटीसी ने मजदूरी संबंधी कमी के लिए वर्ष 2007–08 में 6250 लाख रुपए और वर्ष 2008–09 में 14,500 लाख रुपए जारी करने के लिए वस्त्र मंत्रालय से अनुरोध किया।
- तथापि, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान मजदूरी सहायता मंजूर करते हुए बीआईएफआर की अनुमोदित योजना के विपरीत एनटीसी को ब्याज मुक्त ऋण के बाजए ब्याज वाले ऋण के रूप में मजदूरी में कमी के लिए धनराशि जारी किए जाने पर विचार किया।
- यह मामला वस्त्र मंत्रालय के साथ उठाया गया। मंत्रालय ने दिनांक 21.11.2017 के अपने पत्र के तहत एनटीसी के बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने के बाद इसकी भविष्य की जरूरतों पर विस्तृत दृष्टिकोण इस मंत्रालय को अग्रेषित करने की इच्छा जाहिर की।
- इसमें प्रस्तावित अमरावती परियोजना की डीपीआर को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

4. पीएफ हानियों की माफी का संक्षिप्त इतिहास – एनटीसी

- पीएफ प्राधिकारी, अधिग्रहण से पूर्व की देनदारी को एनटीसी द्वारा निपटाए जाने की मांग करते रहे हैं जबकि रूग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 5 के अनुसार अधिग्रहण से पूर्व की देनदारी, एनटीसी की देनदारी नहीं है।
- जबकि राष्ट्रीयकरण की अवधि के बाद की हानियों पर समय–समय पर यथा संशोधित बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना के संदर्भ में विचार किया जाना है। बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित योजना में हानियों को माफ करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सहित सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा कतिपय राहतों और रियायतों का प्रावधान किया गया है। पीएफ प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहण से पहले एनटीसी की देनदारी के रूप में दर्शाई गई देय राशियों और हानियों के संबंध में सीपीएफ आयुक्त, नई दिल्ली के साथ उनके कार्यालय में दिनांक 05.10.2012 को हुई एनटीसी के सीएमडी और डी(एफ) की बैठक में यह सहमति हुई थी कि एनटीसी, अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि से संबंधित मूलधन और ब्याज का भुगतान कर सकती है। एनटीसी ने अनुरोध किया कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अलावा विवाद संबंधी समिति ने भी विभिन्न बैठकों में ईपीएफ अधिनियम की धारा 14 (ख) के उपबंधों के तहत हानियों को माफ किए जाने पर विचार करन के के निदेश दिए हैं।
- माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21.09.2010 को हुई अपनी समीक्षा बैठक में नोट किया कि एनटीसी ने पीएफ और ईएसआई को राष्ट्रीयकरण के बाद की देय राशियों (मूलधन और ब्याज) का भुगतान कर दिया है। पीएफ द्वारा लगाई गई हानियों को अभी भी एमएस–08 के अनुसार माफ किया जाना चाहिए।
- ईपीएफओ ने दिनांक 20.03.2015 के अपने पत्र सं. आरआरसी/40(3) 07/एनटीसी के तहत धारा 14(ख) के तहत हानियों को माफ करने के एनटीसी के अनुरोध को नामंजूर कर

दिया तथा बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु समूचे देश में अपने आरओ को प्रतिलिपि प्रेषित की। इसके बाद ईपीएफओ के आरओ ने इकाइयों को नोटिस दिए बगैर हमारे बैंकरों के माध्यम से देय राशियों की वसूली करनी शुरू कर दी।

- एनटीसी ने दिनांक 20.03.2015 को ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए उस आदेश से व्यथित होकर, जिसमें एनटीसी को "राष्ट्रीयकरण के बाद की देनदारियों और राष्ट्रीयकरण के बाद की हानियों" से संबंधित पीएफ की बकाया राशियों को जमा करने का निदेश दिया गया था माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दिनांक 12.10.2015 को रिट याचिका दायर की।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.06. 2015 के अपने आदेश के तहत ईपीएफओ के दिनांक 20.03.2015 के उक्त आदेश को लागू किए जाने पर स्थगन लगा दिया।
- श्री पी.ए. उद्गटा, एसीसी–।, ईपीएफओ, दिल्ली मुख्यालय में दिनांक 02.11.2016 को बैठक हुई। इस बैठक का मसौदा कार्यवृत्त दिनांक 08.11.2016 को ईपीएफओ को भेजा गया।
- श्री पंकज, आरपीएफसी (वसूली) से दिनांक 01.01.2018 का पत्र सं. आरआरसी/40(3)2007–एनटीसी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे द्वारा और उनके कार्यालय द्वारा भेजी गई देय राशियों में अंतर है जिसके लिए एम(एफ) ने दिनांक 07.02.2018 को दौरा किया था तथा इस पत्र के साथ हमारे विवरण का समर्थन करने के लिए विभिन्न आरपीएफसी से एनटीसी की इकाइयों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां संलग्न की गई थीं। इन्हें श्री नीरज श्रीवास्तव, आरपीएफसी, ईपीएफओ को सौंप दिया गया। उन्होंने सूचित किया कि विवरण का फिर से मिलान किया जाएगा और अंतर की संवीक्षा की जाएगी ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश किए जाने के लिए अंतिम विवरण तैयार किया जा सके।
- ईपीएफओ ने आरपीएफसी को निदेश दिया कि वह अपने क्षेत्राधिकार की संबंधित इकाइयों के साथ शेष राशियों का पुनः मिलान करे। तदनुसार एनटीसी के मुख्यालय ने भी अपने आरओ को निदेश दिया कि वे संबंधित आरपीएफसी के साथ इसका पुनः मिलान करें। पुनर्मिलान का कार्य चल रहा है।

5. बीआईसी ऋण

एनटीसी ने बीआईसीएल की अनुषंगी मिल एल्गिन मिल्स के प्रतिभूत ऋणकर्ताओं के पुनरूद्धार के लिए वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से (दिनांक 09.11.2011 का पत्र) प्राप्त वित्त मंत्रालय के निर्देशों (दिनांक 03.11.2011 का पत्र) के अनुसार बीआईसीएल को दिनांक 16.01.2012 को (वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसयू) 56.10 करोड़ रुपए का ब्रिज लोन प्रदान किया है।

56.10 करोड़ रुपए का ऋण तिमाही आधार पर 10.42% वार्षिक की ब्याज दर पर संवितरित किया गया था। ऋण की निबंधन और शर्तें निदेशक (वस्त्र मंत्रालय) की उपस्थिति में एनटीसी और बीआईसी के बीच 12.01.2012 को निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार तय की गई थीं जिसमें उल्लेख किया गया था कि व्यय विभाग द्वारा सूचित मंजूरी की शर्तों के अनुसार ऋण की वापसी अदायगी सुनिश्चित करने के लिए एनटीसी और बीआईसी, वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा प्रयास करेंगी।

यदि ऋण की वापसी नहीं की जाती है तो वस्त्र मंत्रालय, बीआईसी को जारी किए जाने वाले अनुदान में से इसका समायोजन किए जाने पर विचार कर सकता है और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार एनटीसी को उसका भुगतान कर सकता है।

एनटीसीएल ने वस्त्र मंत्रालय के निदेशों पर विभिन्न अवसरों पर बीआईसीएल को ब्रिज लोन दिए हैं। बीआईसीएल की अनुषंगी मिल एल्गिन मिल्स को प्रतिभूत ऋणकर्ताओं के पुनरूद्धार के लिए दिनांक 16.01.2012को बीआईसीएल को 56.10 करोड़ रुपए के मूलधन का भुगतान किया गया था। इसके अलावा बीआईसीएल के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के संवितरण के लिए दिनांक 25.06.2013 और दिनांक 07.01.2014 को क्रमशः 9.91 करोड़ रुपए और 4.70 करोड़ रुपए जारी किए गए थे जिनकी वापसी बीआईसीएल ने बगैर ब्याज के दिनांक 29.09.2015 को कर दी थी। सभी तीन ब्रिज लोन, वस्त्र मंत्रालय की उपस्थिति में बीआईसीएल के साथ निष्पादित एमओयू की शर्तों के अनुसार ब्याज वाले ऋण थे। तथापि, इस संबंध में बीआईसीएल/वस्त्र मंत्रालय के कई अनुरोधों/अनुस्मारकों के बावजूद 56.10 करोड़ रुपए का कुल बकाया मूलधन और दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 73.98 करोड़ रुपए का उस पर उपचित ब्याज का अभी तक पुनर्भुगतान नहीं हुआ है।

बीआईसीएल ने 56.10 करोड़ रूपए के ब्रिज लोन को जारी किए जाने से पहले निष्पादित एमओयू की शर्तों का पालन नहीं किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि 'बीआईसीएल की अनुषंगी कंपनी एल्गिन मिल्स कंपनी लि., संपत्तियों की किसी भी प्रकार की देनदारियों से मुक्त होने के बाद इक्विटेबल मोर्टगेज से वह एनटीसीएल की संतुष्टि के मुताबिक अपनी लागत पर अपनी आस्तियों की पर्याप्त प्रतिभूति देगी।

6. केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि

दिनांक 18.10.1983 के वस्त्र उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1983 और दिनांक 26.12.1983 के वस्त्र उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 के तहत दिनांक 18.10.1983 को केंद्र सरकार ने 13 वस्त्र मिलों (मुंबई शहर में 11 मिल और कानपुर शहर में दो मिल) का अधिग्रहण किया था।

तदुपरांत दिनांक 27.06.1995 के वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 और दिनांक 08.09.1995 के वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 के तहत 01.04.1994 को इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 की धारा 5(2)(ग) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उपक्रम के प्रबंधन का अधिग्रहण किए जाने के पश्चात किसी भी अवधि के संबंध में राष्ट्रीयकरण की तारीख तक वस्त्र उपक्रम के कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन और अन्य देय राशियों की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की होगी और जब कभी ऐसे ऋण या राशियों का पुनर्भुगतान देय होता है या जब कभी ऐसी मजदूरी, वेतन या अन्य राशियां देय होती हैं तो उनका भुगतान सरकार के लिए और उसकी ओर से नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त के मद्देनजर एनटीसी ने दिनांक 01.04.1994 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान 108.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया और

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पता लगाई गई और भुगतान न की गई 11.41 करोड़ रुपए की देनदारी शेष है। इस प्रकार केंद्र से कुल 120.27 करोड़ रुपए का दावा प्राप्त होना है।

7. पुदुच्चेरी सरकार से प्राप्त होने वाली राशि

वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 3 मार्च, 2005 के का.ज्ञा. के अनुसार, जिसमें पुदुच्चेरी में स्थित पूर्ववर्ती एनटीसी (टीएनएंडपी) की अनुषंगी दो मिलों अर्थात स्वदेशी कॉटन मिल्स और श्री भारती मिल्स को 1 अप्रैल, 2005 को पुदुच्चेरी राज्य सरकार को सौंपने के सरकार के निर्णय की सूचना दी गई थी, एनटीसी ने इन दोनों मिलों की सभी विगत देनदारियों को अपने पास रखते हुए उपर्युक्त दोनों मिलों को कामगारों और कर्मचारियों के साथ जहां जैसा है के आधार पर दिनांक 01.04.2005 को राज्य सरकार को सौंप दिया।

एनटीसी और पुदच्चेरी सरकार के बीच दिनांक 01.04.2005 को एक एमओयू हुआ जिसमें यह सहमति हुई कि परस्पर सहमत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 39.37 करोड़ रुपए का भुगतान, जो बिक्री योग्य आस्तियों का मूल्य है, पुदुच्चेरी सरकार द्वारा किया जाएगा।

बिक्री के आधार पर प्राप्त हुई राशि के भुगतान के संबंध में मुख्य मंत्री, पुदुच्चेरी सरकार ने दिनांक 19.09.2014 के अपने पत्र के तहत वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह बकाया राशि पर लगे ब्याज को माफ करने पर विचार करें और मूलधन का भुगतान किश्तों में करने की अनुमति दें तथा मिलों को बंद होने से रोकने के लिए आस्तियों का हस्तांतरण पूरा करें।

उक्त मुद्दे पर एनटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2014 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और 39.37 करोड़ रुपए के मूलधन का भुगतान तीन किश्तों में करने के लिए इस शर्त पर सहमति हुई कि पुदुच्चेरी सरकार तीन किश्तों की समय अनुसूची प्रस्तुत करेगी जिसमें से पहली किश्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया जाएगा और शेष दो किश्तों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में या दूसरी किश्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 और तीसरी किश्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जाए। ब्याज माफ करने के लिए इस पर एनटीसी तब विचार करेगी जब सभी तीन किश्तें निर्धारित समय में प्राप्त हो जाएंगी।

निदेशक मंडल के निर्णय की सूचना दिनांक 21.04.2015 के पत्र के तहत वस्त्र मंत्रालय को दी गई थी ताकि यह मामला पुदुच्चेरी सरकार के साथ उठाया जा सके। एनटीसी और वस्त्र मंत्रालय द्वारा पुदुच्चेरी सरकार के साथ 39.37 करोड़ रुपए के भुगतान का मामला पुरजोर तरीके से उठाए जाने के बावजूद पुदुच्चेरी सरकार से यह राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

एनटीसी और वस्त्र मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर यह मामला निरंतर रूप से पुदुच्चेरी सरकार के साथ उठाते रहे हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 28 जुलाई, 2017 के अपने पत्र में सचिव (उद्योग और वाणिज्य), पुदुच्चेरी सरकार से अनुरोध किया है कि वे दिनांक 01.04.2005 को एनटीसी और पुदुच्चेरी सरकार के बीच हुए एमओयू के अनुसार बिना किसी और विलंब के 39.37 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान एनटीसी को कर दें। इस पत्र के उत्तर में मुख्यमंत्री, पुदुच्चेरी ने दिनांक

31.07.2017 के अपने पत्र सं. 12–016/सीएम/2017 के तहत माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध किया कि वे पुदुच्चेरी की बजट संबंधी समस्याओं के कारण 39.37 करोड़ रुपए की राशि को माफ करने पर विचार करें।

इसके अलावा सीएमडी, एनटीसी ने निदेशक (वित्त) और मुख्य महाप्रबंधक (तकनीक) के साथ 24.11.2017 को माननीय मुख्य मंत्री, पुदुच्चेरी से मुलाकात की और अनुरोध किया कि दिनांक 01.04.2005 को हुए एमओयू के तहत पुदुच्चेरी सरकार को दो मिलों अर्थात स्वदेशी कॉटन मिल्स और श्री भारती मिल्स के हस्तांतरण के संबंध में वे पुदुच्चेरी सरकार से ब्याज सहित काफी समय से लंबित देय राशियों को जारी करवा दें। सीएमडी ने यह भी उल्लेख किया कि रूग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अनुसार मिलों का हस्तांतरण किसी बिक्री विलेख के बगैर नहीं किया जा सकता है। यह बात भी जानकारी में लाई गई कि डॉ. अम्बेडकर स्मारक के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को एनटीसी की जमीन सौंपने का कार्य उचित बिक्री विलेख के आधार पर किया गया था। पुदुच्चेरी के माननीय मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि वे इस संबंध में माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री से मिले हैं और अनुरोध किया है कि एनटीसी की देय राशियों का भुगतान करने के लिए वे निधियां जारी करें। अंततः पुदुच्चेरी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे वित्त सचिव, पुदुच्चेरी सरकार के साथ परामर्श करके पुदुच्चेरी सरकार से एनटीसी को काफी समय से लंबित देय राशियों के भुगतान के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे।

इसके अलावा, दिनांक 15 दिसंबर, 2017 को विशेष सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। पुदुच्चेरी से प्राप्त होने वाले भुगतान पर यह निदेश दिया गया कि यह मामला एनटीसी द्वारा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूटी) के साथ उठाया जाना चाहिए।

निदेशानुसार दो मिलों के हस्तांतरण के कारण पुदुच्चेरी सरकार द्वारा एनटीसी के देय 39.37 करोड़ रुपए और उपचित ब्याज के भुगतान के संबंध में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूटी) को हमारे दिनांक 06.03.2018 के पत्र के तहत सूचित कर दिया गया था।

एनटीसी ने उपर्युक्त मुद्दे पर एक और पत्र दिनांक 04.02.2019 को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूटी) को भेजा है।

वर्ष 2018–19 के दौरान एनटीसी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहलें:

(1) ऑनलाइन मोड के माध्यम से यार्न की बिक्री

अगस्त, 2018 से यार्न की ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रभावी ढंग से बिक्री क्रियान्वित की गई।

(2) स्किल इंडिया के तहत योगदान

समर्थ योजनाः समर्थ, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप कौशल विकास योजना है। इस योजना में 1300 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से 3 वर्ष (2017–20) की अवधि में 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और इसमें वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकार के वस्त्र उद्योग, संस्थानों/संगठनों और प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ/सोसाइटियों/ट्रस्टों/संगठनों/कंपनियों/स्टॉर्ट अप/उद्यमियों की भागीदारी के लिए

आमंत्रित किया गया है।

एनटीसी को भौतिक सत्यापन एजेंसी (पीवीए) के रूप में आरएसए द्वारा परिभाषित प्रति पाठ्यक्रम–वार मानदंड के अनुसार लक्ष्य आबंटन के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता का मूल्यांकन करने सहित अवसंरचना का सत्यापन करने के लिए 296 प्रशिक्षण केंद्र आबंटित किए गए हैं।

(3) पोदार मिल्स, मुंबई के टिनेंसी अधिकार

वर्ष 2001 में सेठ हीराचंद रूपचंद चौरिटेबल ट्रस्ट ने एनटीसी के विरूद्ध अधिग्रहण सौंपने और बेदखली का दावा दायर किया। माननीय उच्चतम न्यायालय में एनटीसी यह मामला हार गया। दिनांक 05.09.2011 को उच्चतम न्यायालय ने एनटीसी की एसएलपी खारिज कर दी और इस मामले का निर्णय भू–स्वामी/ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया गया।

चूंकि कार्यवाही में कभी भी भारत सरकार की सुनवाई नहीं हुई थी इसलिए इस आदेश से व्यथित होकर भारत सरकार ने समीक्षा याचिका दायर कर दी। वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन से परिसर खाली करने हेतु वचन पत्र दिया गया। तथापि, वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2014 के पारित होने के बाद एनटीसी ने यह पक्ष रखा कि उसे परिसर खाली करने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 28.11.2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतिम निर्णय सुनाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा याचिका स्वीकार की। अदालत ने व्यवस्था दी कि **वाद संपत्ति के संबंध में पोदार मिल्स लि. के सांविधिक या संरक्षित टिनेंसी अधिकार केंद्र सरकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाते हैं** और ये उसके पास ही रहेंगे तथा एनटीसी द्वारा दिया गया वचन पत्र और एनटीसी के विरूद्ध डिक्री को निरस्त किया जाता है।

(4) भोपाल मिल्स की पुनर्स्थापना

दिनांक 25.02.2018 की रात को लगभग 2.30 बजे एनबीटी में आग लग गई जिससे 2 सिंथैटिक संयंत्र में संयंत्र और इंवेंटरी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अनुमान के अनुसार 56.24 करोड़ रुपए की हानि हुई है जिसमें इंवेंटरी स्टॉक्स भी शामिल हैं जिनकी बीमे से प्रतिपूर्ति होने की आशा है। तथापि, 14.94 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि का दावा किया गया है और क्षतिग्रस्त स्टॉक को बचा कर 3.20 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं।

87.84 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय से निटरा द्वारा पुनरीक्षित बिजनेस से प्लान के अनुसार कंपनी अब संयंत्र को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

परामर्श देने के लिए मैसर्स सुविन एडवाइजर्स को परियोजना परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और इलैक्ट्रिकल, ह्यूमिडिफिकेशन आदि जैसे सिविल और युटिलिटी कार्य में परियोजना की मानीटरिंग टर्नकी आधार पर होगी।

मशीन निविदा कार्य की लागत लगभग 48 करोड़ है और इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

(5) डीलरों की वृद्धि

एनटीसी में यार्न और फैब्रिक, विशेषतः किसी मिल विशेष के लिए मिल–वार डीलरों की प्रणाली है। दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार कुल 30 डीलर थे जिनमें से 27 यार्न के लिए और 3 फैब्रिक के लिए थे। डीलरों में

एनटीसी के यार्न और फैब्रिक को और अधिक स्पष्टता के लिए एनटीसी ने पूर्व प्रणाली की समीक्षा की और पूर्ववर्ती डीलरशिप को रद्द कर दिया तथा जुलाई, 2018 में समग्र रूप से एनटीसी के लिए नई डीलरशिप की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज की तारीख तक एनटीसी के पास 101 पंजीकृत डीलर हैं जिनमें से 89 विशिष्ट रूप से यार्न के लिए 8 फैब्रिक के लिए और 4 यार्न तथा फैब्रिक दोनों के लिए हैं।

(6) कंपनी, कार्य कर रही प्रत्येक मिल में अग्नि और सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है।

(7) संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए एनटीसी, आरसीसी पिलर लगा रही है ताकि अवैध कब्जा, अतिक्रमण आदि न हो।

(8) ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का क्रियान्वयन और वित्त के साथ इसका एकीकरण (जिसमें ऑनलाइन कर्मचारी द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन, कर्मचारी स्वयं सेवा, एक्जिट प्रोसीजर, प्रतिभा प्रबंधन आदि शामिल हैं)।

2.5.2 हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.(एचएचईसी)

दि हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. "(कॉरपोरेशन)", वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में 'इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.' के रूप में दो उद्देश्यों के साथ हुई (प) निर्यात प्रोत्साहन तथा (पप) हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम उत्पादों का व्यापार विकास। वर्ष 1962 में इसका नामकरण षदि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.ष के रूप में किया गया। कॉरपोरेशन वर्तमान में दो सितारा निर्यात गृह है जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए वूलन कारपेट एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के कार्य करता है। कोपोरेशन को वर्ष 1997–98 में सोने–चाँदी के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था।

मुख्य संकेतकों के संदर्भ में वर्ष 2017–18 (लेखा परीक्षित) और वर्ष 2018–19 (अनंतिम) में कारपोरेशन का कार्य–निष्पादन नीचे दिया गया है:

मुख्यत संकेतकों के संदर्भ में वर्ष 2017–18 (लेखा परीक्षित) और वर्ष 2018–19 (अनंतिम) में कारपोरेशन का कार्य–निष्पाददन नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

	2017–18 (लेखापरीक्षित)	2018–19 (अनंतिम)
व्यापार	613.95	52.75
कर से पहले लाभ/(हानि)	(23.61)	(6.10)
कर के बाद लाभ/(हानि)	(23.61)	(6.10)

टर्नओवर का ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

		2017–18 (लेखापरीक्षित)	2018–19 (अनंतिम)
	निर्यात		
क	हस्तशिल्प	2.86	2.84
ख	हथकरघा	6.25	7.22
ग	पहनने के लिए तैयार	9.51	9.32
1	उप–जोड़	18.62	19.38
	घरेलू		
क	हस्तशिल्प और हथकरघा	8.85	7.45
ख	*बुलियन	586.48	25.57
2	उप–जोड़	595.33	33.02
3 (1+2)	सकल जोड़	613.95	52.40

* वस्त्र मंत्रालय के निदेशों के अनुसार बुलियन व्यवसाय रूक जाने के कारण मुख्यतः कमी आई।

मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से विगत वर्ष की 18.38 करोड़ रुपए की परिचालनात्मक हानियों की तुलना में वर्ष के दौरान 22.33 करोड़ रुपए की परिचालनात्मक हानियों के साथ वर्ष 2017–18 समाप्त हुआः

- असंतुलित संगठनात्मक ढांचा, अन्य परिसमापन बाधाओं के कारण कोर व्यपार में गिरावट।
- कार्यशील पूंजी में कमी के कारण कंपनी विदेशी खरीददारों से नए आदेश स्वीकार नहीं कर पाई।
- विवेकसम्मत लेखांकन नीति के रूप में 14.18 करोड़ रुपए के संदिग्ध ऋण और अग्रिमों का प्रावधान।
- भविष्य की आय की निश्चित पुष्टि न होने के कारण 1.01 करोड़ रुपए की एमटी क्रेडिट पात्रता का प्रावधान।
- भविष्य निधि सीमा का 0.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 0.20 करोड़ रुपए होने के कारण 1.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भविष्य निधि का प्रावधान।

इसके अलावा निगम ने विगत वर्ष 2016–17 में कर पश्चात 30.53 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में वर्ष के दौरान कर पश्चात 23.61 करोड़ रुपए की निवल हानि के साथ वर्ष 2017–18 की समाप्ति की।

पूंजी

वर्ष 2017–18 के दौरान कारपोरेशन की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए और 13.82 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रही। पूरी प्रदत्त पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अभिदत्त है।

कार्यशील परिणाम

कारपोरेशन का कुल टर्नओवर वर्ष 2016–17 के 590.14 करोड़ रुपए से 23.81 करोड़ रुपए (4.03%) बढ़कर वर्ष 2017–18 के दौरान 613.95 करोड़ रुपए हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई:

- बुलियन का व्यापार अवसरवादी व्यापार है। वर्ष के दौरान बुलियन के आयात में 29.58 करोड़ रुपए (5.26%) की वृद्धि हुई।
- निर्यात में 1.57 करोड़ रुपए की कमी (7. 8%) मुख्यतः महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और रणनीतिक प्रबंधन का अभाव, परिसमापन क्रंच पर प्रतिकूल प्रभाव और अनुदान सहायता उपलब्ध न होने के कारण मेलों और प्रदर्शनियों में अपेक्षाकृत कम भागीदारी।
- कार्यशील पूंजी में कमी होने के कारण कंपनी विदेशी खरीददारों से नए आदेश स्वीकार नहीं कर सकी।
- कारपोरेट संस्थागत बिक्री में कमी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और रणनीतिक प्रबंधन का अभाव, परिसमापन क्रंच पर प्रतिकूल प्रभाव जैसे मुख्य कारणों से घरेलू व्यापार में 3.94 करोड़ रुपए (30.81%) की कमी आई।

श्रमशक्ति

	स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या	2017-18	2018-19
अधिकारी	125	47	40
स्टॉफ	89	48	39
कुल	214	95	79

निर्यात संवर्धन और व्यापार विकास

कॉरपोरेशन ने विदेशी डिजाइनों एवं फैशन पर ज्ञान बढ़ाने के साथ ही साथ परम्परागत शिल्प और टैक्सटाइल क्लस्टरों से नए नमूनों के विकास को प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मेलों यथा एमबियेन्ट फेयर 2017, जर्मनी में भाग लिया। घरेलू मेलों में प्रतिभागिता में आईएचजीएफ (पतझड़कालीन)–2017 (ग्रेटर नोएडा), आईएचजीएफ (बसन्त)–2018 (ग्रेटर नोएडा), दीवाली मेला 2017 (नोएडा काम्प्लैक्स) और टेक्सटाइल इंडिया, 2017, गांधीनगर, गुजरात शामिल है।

एचएचईसी ने कोर ग्रुप क्रियाकलापों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने और आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विपणन नीतियों को अगले स्तर तक ले लाने के लिए योजना बनाई है।

2.5.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लि., की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा फरवरी 1983 में की गई। एनएचडीसी लि. की प्राधिकृत पूँजी 2000 लाख रुपए है तथा इसकी प्रदत्त पूँजी रुपए 1900 लाख है। एनएचडीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं:–

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार के यार्न की आपूर्ति करना।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता रंगों तथा संबंधित सामग्री की आपूर्ति करना।
- हथकरघा उत्पादों के बाजार का संवर्धन करना।

उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में एनएचडीसी निम्नांकित कार्यों को कर रहा है:–

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस), भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसके अधीन एनएचडीसी द्वारा मिल गेट की दरों पर संपूर्ण भारत के पात्र हथकरघा बुनकरों को समस्त प्रकार की यार्न की आपूर्ति की जाती है। वाईएसएस के अधीन 5 वर्षों में आपूर्ति किए गए यार्न का विवरण निम्न है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रूपए करोड़ में)
2014–15	1484.300	2160.77
2015–16	1725.00	2356.86
2016–17	1799.14	2941.94
2017–18	1556.05	2564.59
2018–19 (जनवरी, 2019 तक)	376.79	808.84

वाईएसएस के अंतर्गत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो प्रचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो प्रचालन खर्चे दिए जाते हैं। वर्तमान में सारे भारत में ऐसे 625 यार्न डिपो कार्यरत हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतियोगी/न्यून दरों पर गुणवत्ता रंग और रसायन की आपूर्ति भी करता है। 5 वर्षों में की गई आपूर्ति का विवरण निम्न है:–

वर्ष	रंग एवं रसायन	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रूपए करोड़ में)
2013–14	36.31	35.69
2014–15	36.90	49.48
2015–16	37.46	44.84
2016–17	45.82	45.97
2017–18	38.91	37.38

2. हथकरघा उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन, सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 5 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है: –

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	स्टॉलों की सं0	कुल बिक्री (रूपए करोड़ में)
2013–14	23	2168	101.00
2014–15	24	1742	89.00
2015–16	23	1802	92.37
2016–17	25	1716	88.99
2017–18	33	2090	93.78

3. एनएचडीसी, बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है:–

- क्रेता–विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न का प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

विगत 4 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, जारी किया गया लाभांश, रेटिंग इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:–

(रूपए लाख में)

वर्ष	कुल बिक्री	निवल लाभ	लाभांश	एमओयू रेटिंग
2014–15	221696.49	2540.00	511.00	उत्कृष्ट
2015–16	240604.43	2407.92	731.00	उत्कृष्ट
2016–17	299351.79	2888.16	870.00	बहुत अच्छान
2017–18	260515.54	2357.75	708.00	–––––

2.5.4 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई, भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। अपनी शुरूआत से निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में चल रहा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी एमएसपी अभियानों के अंतर्गत कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई, 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय–सयम पर संशोधित की गई। 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई, न्यूनतम मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्य (बीज

कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे पहुंचता है। एमएसपी अभियानों के अलावा, घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, विशेष रूप से जब इसकी फसल का समय नहीं होता है, कारपोरेशन अपने जोखिमपर वाणिज्यिक खरीद अभियान चलाता है।

- जब कभी कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाए तब बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कीमत समर्थन कार्यों को आरंभ करना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक अभियान को प्रारंभ करना।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीसीआई ने पिछले वर्ष के 1962.96 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 1392.96 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2017–18 के दौरान वित्तीय परिणामों की विशेषताएं निम्नलिखित थीः

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2017-18	2016-17
खरीद (लाख गांठ में)	10.77	0.95
घरेलू बिक्री (लाख गांठ में)	3.97	9.44
कारोबार (करोड़ रुपए में)	1392.22	1962.96
कर पश्चात लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए में)	9.33	7.44

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने अल्प कालीन ऋण की रेटिंग केयर ए1+(एसओ) [केयर ए1 प्लस] (संरचनात्मक दायित्व) अर्थात 25,000 करोड़ रुपए की अल्प कालीन बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में सौंपा गया उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो अल्प कालीन ऋण दायित्व के समय से भुगतान के लिए सशक्त क्षमता को प्रदर्शित करता है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखता है।
- लाभांशः सीसीआई ने वित्तीय 2017–18 के दौरान कंपनी के कर पश्चात लाभ के 30 प्रतिशत अर्थात 2.80 करोड़ रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है।

2.5.5 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना वर्ष 1952 में दिल्ली में इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन की प्रबंधकारिणी के अधीन किया गया। बाद में 1964 में सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा 4 फरवरी, 1976 को सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी) के रूप में निगमित किया गया। सीसीआईसी, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

सीसीआईसी का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता युक्त भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का डीलर, निर्यातक, विनिर्माता तथा एजेंट होना है और भारत तथा विदेशों में इन उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना है। कॉरपोरेशन के दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर, चौन्नई, हैदराबाद, पटना और वाराणसी में शोरूम हैं।

पूँजी

कॉरपोरेशन की प्राधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है।

कार्यशील परिणाम

(क) कारोबार

निगम का कारोबार पूर्व वर्ष अर्थात 2017–18 में 7126.12 लाख रुपए के मुकाबले वर्ष 2018–19 में 6800.00 लाख रुपए था।

(ख) निर्यात

वर्ष 2018–19 के दौरान निगम का कुल निर्यात पिछले वर्ष में 211.80 लाख रुपए की तुलना में 255.00 लाख रुपए था।

(ग) लाभप्रदता

पिछले वर्ष की 949.14 लाख रुपए की तदनुरूपी कर पूर्व हानि की तुलना में चालू वर्ष में 650.00 लाख रुपए की कर पूर्व हानि होने की संभावना है।

सांख्यिकी

पिछले तीन वर्षों के कार्यशील परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित में दिया गया है:–

(लाख रूपए में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 के लिए अनंतिम आंकड़े
कारोबार	8592.44	8763.48	7126.12	6800.00
कर पूर्व निवल लाभ(+)/हानि (–)	93.50	13.87	(–)949.14	(–)650.00
कर पश्चात निवल लाभ(+)/हानि (–)	21.10	8.32	(–)2173.64	हानि
लाभांश	8.68	2.50	शून्यश	शून्यश

डिजाइनों का विकास/प्रदर्शनियाँ

सीसीआईसी निरंतर नए डिजाइनें विकसित करने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 700 नई डिजाइनें विकसित की गई। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 10 नए कारपोरेट ग्राहक भी जोड़े गए जिन्हें वर्ष के दौरान एक लाख रुपए और उससे अधिक की बिक्री हुई।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीसीआईसी ने इंपोरिया में अंदर–बाहर 82 थीम आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें निगम के संरक्षण का विस्तार करने के लिए निगम द्वारा नवनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना

वर्ष के दौरान वस्त्र मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन के सीसीआईसी ने इसके द्व ारा पूर्व में वाराणसी में चोलापुर एवं रामनगर में प्रबंधित सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) तथा सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को क्रमशः 21.11.2017 तथा 27.08.2018 से नई क्रियान्वयन एजेंसियों को सौंप दिया गया है।

हस्तांतरण किए जाने तक सीसीआईसी ने चोलापुर तथा रामनगर में इसके द्वारा संचालित सीएफसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर सूचनाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराकर 10,125 बुनकरों को सुविधा पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त सीसीआईसी ने वाराणसी में सीएफसी से संबद्ध 322 बुनकरों को काम उपलब्ध कराया है तथा सीसीआईसी एम्पोरिया के माध्यम से विपणन हेतु 654.33

लाख रुपए मूल्य के साड़ी, ड्रेस मेटैरियल और दुपट्टा जैसी हथकरघा वस्तुओं के आदेश प्रस्तुत किए।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

सीसीआईसी हस्तशिल्प तथा हथकरघा कलस्टरों तथा देशभर में बड़ी संख्या में फैले कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों आदि के साथ–साथ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, एमएसएमई उद्यमियों, महिला संगठनों, अल्प संख्यकों तथा कमजोर तबकों आदि से वस्तुएं खरीदता है। सीसीआईसी के रिटेल मूल्य तथा उत्पादों की गुणवत्ता इस व्यापार में एक मानक समझी जाती है। सीसीआईसी ने वित्त वर्ष 2017–18 में 93.48% की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में कारीगरों से सीधे तौर पर कुल खरीद का 93.38% (चांदी को छोड़कर) हिस्सा खरीदा था।

राजभाषा नीति :

वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए अनथक प्रयास जारी रखे। कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा ऐसे कार्य करने के लिए उदार प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए। राजभाषा पखवाड़ा समारोह तथा हिंदी कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित की गईं। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रमाण पत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित की गई प्रतिस्पर्धाओं के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली, उपक्रम–2 के तीन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है।

ऑनलाइन शोपिंगः

सीसीआई के पास अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए **www.thecottage.in** नामक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लगभग 1000 हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को उनके विवरण के साथ प्रदर्शित किया गया है। उत्पादों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक सुरक्षित भुगतान गेटवे के माध्यम से खरीदा जा सकता है जो कि वेरीसाइन प्रमाणित है। खरीदे गए उत्पादों को दुनिया के किसी भी देश में पहुंचाया जा सकता है। इस वेबसाइट में आर्डर ट्रैकिंग प्रणाली और विभिन्न सरकारी वेबसाइटों, इन्क्रेडिबल इंडिया आदि के लिंक उपलब्ध हैं।

सीसीआईसी में डिजीटल पहल

- सीसीआईसी के इम्पोरिया सात शहरों (दस शोरूम) में हैं। सभी शोरूम और कार्यालय एमपीएलएस नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं।
- खरीद, बिक्री, माल सूची, उपभोक्त संबंध प्रबंधन आदि के प्रबंधन के लिए एलएस खुदरा के साथ एक ईआरपी सैल्यूशन, माइक्रो सॉफ्ट नेवीजन 2009 आर2 क्रियान्वित किया गया है।
- सभी शाखाओं में जीएसटी के अनुपालनों के अनुसार ईआरपी सैल्यूशन का अनुकूलन किया गया है।
- इसके इम्पोरियम में क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई/भीम एप, यूएसएसडी, ई–वैलेट, आरटीजीएस/एनईएफटी और चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाता है (76% पावतियां ई–साधन के माध्यम से)।
- सीसीआईसी ने एन्ड्रॉयड और एपल प्लेटफार्म के लिए मोबाइल एप क्रियान्वित किया है।
- बुनकरों, शिल्पियों और अन्य क्रेताओं को सभी भुगतान ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाते हैं (98.63% भुगतान ई–साधन के माध्यम से)।

- नकदी रहित, विशेष रूप से भीम एप का प्रयोग करके भुगतान करने के लिए अपने उपभोक्ताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए सीसीआईसी ने 151 शिविर लगाए और 80000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- सीसीआईसी ने ई–टेंडरिंग के लिए ई–प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के लिए और बिक्रेता, पीएफएमएस के लिए जीईएम (अनुदान प्राप्त करने के लिए) और आरटीआई का काम संभालने के लिए ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली जैसी ई–गवर्नेंस सुविधाओं को क्रियान्वित किया है।

लैंगिक न्याय

जहां तक सीसीआईसी का संबंध है महिला कर्मचारियों की कार्य स्थितियां उत्तम हैं। जहां तक मजदूरी, कार्य के घंटों, अन्य लाभों आदि का संबंध है उनके साथ उनके पुरूष समकक्षों जैसा व्यवहार किया जाता है।

विभिन्न विभागों में वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और वास्तव में वित्त, प्रचार, आईडीएस, डिस्प्ले जैसे विभागों की प्रमुख हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाता है। उनकी सामान्य शिकायतों और यौन उत्पीडन के मामले, यदि कोई हों के निपटान के लिए एक उचित प्रणाली मौजूद है।

महिला कर्मचारियों के हितोंकी सुरक्षा के उद्देश्य से, यदि कार्य की आकस्मिकता के कारण किसी महिला कर्मचारी को सीसीआईसी मुख्यालय अथवा शाखाओं में 8 बजे रात्रि के उपरांत कार्य करना आवश्यक हो तो यह संबंधित विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि ऐसी महिला कर्मचारियों को एक भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड अथवा निगम के पुरूष कर्मचारी के माध्यम से टैक्सी सेवा द्वारा घर छोड़ा जाए।

श्रमशक्ति की संख्या और प्रशिक्षणः

कारपोरेशन में दिनांक 31 मार्च, 2018 के 267 कर्मचारियों की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 255 कर्मचारी थे।

2.5.6 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी):

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर के पास दो ऊनी मिलों का स्वामित्व तथा उनका प्रबंधन कार्य है (1) कानपुर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः ''लाल इमली'' तथा ''धारीवाल'' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयाँ ऊनी/ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों, गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती हैं।

बीआईसी लिमिटेड का आधुनिकीकरण/पुनर्वासनः

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया और एक रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। वर्ष 2002 में बीआईएफआर ने कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक 273 करोड़ रुपए की पुनर्वास योजना अनुमोदित की। योजना को समग्र रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लीज होल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में परिवर्तित किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। बीआईएफआर द्वारा 2008 में संशोधित पुनर्वासन योजना अनुमोदित की गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा 273 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा शेष 116 करोड़ रुपए अधिशेष भूमि की बिक्री से करने की संकल्पना की गई थी। वर्ष 2010 में ब्यूरो फॉर रिकंस्ट्रक्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर

एन्टरप्राइजेज (बीआरपीएसई) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2011 में 338 करोड़ रुपए की संशोधित योजना मंजूर की गई। एक संशोधित पुनर्वास योजना का मसौदा (एमडीआरएस) तैयार किया गया और बीआईएफआर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 273.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी प्राप्त हुई जिसमें से 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजट सहायता तथा शेष राशि अधिशेष भूमि की बिक्री से प्राप्त की जानी थी। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ की एक और संशोधित योजना की संस्तुति की। संशोधित योजना को कैबिनेट, भारत सरकार ने 09.06.2011 को हुई अपनी बैठक में 'सिद्धांत रूप में' इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया था कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

विचारार्थ वित्तीय साधन निम्नवत हैं:–

(रूपए करोड़ में)

भारत सरकार वीआरएस से अनुदान	17.10
प्रचालन हानियाँ 9/10, 10/11 अनुदान	66.99
भूमि की बिक्री से ब्याज मुक्त ऋण	128.66
वेतन के लिए (2 वर्ष) भारत सरकार से कम ब्याज पर ऋण	78.00
परिवर्तन प्रभार भुगतान हेतु भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	47.35
योजना की लागत	338.04

योजना का कार्यान्वयन अभी प्रारंभ होना है क्योंकि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए आवश्यक मंजूरी अभी उत्तर प्रदेश सरकार से ली जानी है। यह मामला विभिन्न स्तरों पर उठाया जा रहा है तथा हाल के घटनाक्रम के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 25.11.2014 के का.ज्ञा. के माध्यम से इस मामले के त्वरित निपटान के लिए मंडल आयुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की पहली बैठक 07.01.2005 को आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सरकार कानपुर स्थित बीआईसी की इकाई का संचालन मौजूदा प्रबंधन अथवा पीपीपी मॉडल के अनुसार करने की इच्छा रखती है। प्रमुख उद्देश्य कानपुर के औद्योगिकी परिदृश्य को पुनः सुधारने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित करना है।

बीआईएफआर तथा बीआरपीएसई योजनाओं का बल लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के साथ अधिशेष भूमि की बिक्री से निधियों के सृजन पर था। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि परिवर्तन मामले की जांच कर रही है।

क. बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

(i) एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. वर्ष 1864 में स्थापित की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो इकाइकों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं.2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। एक अध्यादेश नामतः ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों का अधिग्रहण किया और इस प्रकार यह 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बनी। एल्गिन मिल्स कंपनी ने सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। कंपनी को सिविल बाजार के

लिए सूती और मिश्रित फैब्रिकों तथा रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्टिंग्स, ड्रिल, सैल्यूलर आदि के उत्पादन का कार्य सौंपा गया था।

कंपनी द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने के कारण इसे एसआईसीए के उपबंधों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपा गया था और रुग्ण घोषित किया गया था। बीआईएफआर ने 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में इसे बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने जून, 2001 में स्वैच्छिक पृथककरण योजना (वीएसएस) कार्यान्वित की। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. ने 1980 के आसपास कार्यशील पूंजी तथा आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए थे। इन ऋणों का निधियों की कमी के कारण पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका और मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक, मैसर्स आईसीआईसीआई बैंक के अभिहस्तांकिती द्वारा उनके बकाया की वसूली के लिए 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में एक केस दर्ज किया गया था तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2011 में परिसमापन के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामले की पेरवी की जा रही है। कंपनी ने ओटीएस योजना के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाताओं के बकाया अर्थात मूलधन और उपचित ब्याज का 25% का भुगतान कर दिया है।

अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.10.2010 को बंद करने का आदेश पारित किया। दिनांक 25.10.2010 का बंद करने का उक्त आदेश न्यायालय ने दिनांक 18.02.2011 के आदेश से रिकॉल किया ओर मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक ने 2011 की विशेष अपील सं. 439 दायर की जिसमें उक्त रिकॉल आदेश को चुनौती दी गई। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दिनांक 24.03.2011 के अपने आदेश के तहत दिनांक 18.02.2011 के आदेश को स्थगित कर दिया (बंद करने का आदेश लागू किया गया)। इसके अलावा, कंपनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी दायर की और शीर्ष न्यायालय ने निदेश दिया कि कंपनी न्यायाधीश द्वारा यह मामला उठाया जाए। माननीय उच्च न्यायालय दिनांक ने 19.12.2012 को आदेश पारित किया जिसमें उल्लेख किया गया कि 'यह न्याय के हित में है कि कंपनी को पुनर्वास और अपने आपका पुनरूद्धार करने का एक अवसर दिया जाए इसलिए तीन माह की अवधि के लिए दिनांक 19.12.2012 को बंद करने का आदेश निलंबित कर दिया और निदेश दिया कि कंपनी को खोलने तथा साथ ही अपने ऋणकर्ताओं (प्रतिभूत ऋणदाताओं) को पुनः भुगतान करने क लिए ठोस प्रस्ताव पेश करें, कंपनी को यह अनुमति दी गई है कि वे इस प्रयोजनार्थ अपने कर्मचारियों तथा साथ ही आईएफसीआई बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक सहित अपने ऋणकर्ताओं के साथ समझौता करें। एल्गिन मिल्स की काउंसिल तीन माह के अंत तक पुनर्वास प्रस्ताव दायर करेगी। चूंकि समय के अंदर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कंपनी द्वारा कोई योजना पेश नहीं की गई। समझौते की शर्तों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोटक महिन्द्रा बैंक को 1.92 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। लेकिन कोटक महिन्द्रा बैंक ने विभिन्न स्तरों पर मुकदमा दायर करना जारी रखा। बीआईसी ने दिनांक 06.09.2011 को

रिकॉल आवेदन दायर किया लेकिन माननीय न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया और बंद करने के आदेश पारित कर दिए तथा निदेश दिया कि माननीय इलाहाबाद उच्च नयायालय द्व ारा नियुक्त किए गए सरकारी परिसमापक द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण किया जाए। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.12. 2015 के आदेश के तहत उस निविदा को रद्द किए जाने का निदेश दिया जिसे ओ.एल. द्वारा भूमि की बिक्री के लिए जारी किया गया था और जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर को निदेश दिया कि तीन माह के अंदर एल्गिन मिल्स की संपतित को खाली कर दें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी की 2009 की याचिका सं.24 में अपने दिनांक 23.01.2019 के आदेश में निदेश दिया कि दोनों मिलों अर्थात् एल्गिन मिल्स कं. लि. और कानपुर टेक्सटाइल्स लि. के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चल आस्तियों की बिक्री के लिए निविदा नोटिस प्रकाशित करें। सरकारी परिसमापक ने हिन्दुस्तान और अमर उजाला समाचार पत्रों में चल आस्तियों की बिक्री के लिए निविदा नोटिस प्रकाशित किया और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.02.2019 को बिक्री निविदा पेश की गई जिसे दिनांक 27.02.2019 को खोला गया और माननीय उच्च न्यायालय ने 5,10,00,000.00 रुपए की राशि के मैसर्स अश्वाया अग्रवाल, बिजनौर से प्राप्त कानपुर टेक्सटाइल की बिक्री की सबसे ऊंची बोली स्वीकार की जबकि एल्गिन मिल्स कं. लि. सं. 1 और 2 के लिए केवल एक ही बोली प्राप्त हुई जिस कारण माननीय न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। तथापि, माननीय न्यायालय के समक्ष बीआईसीएल द्वारा दायर की गई रिकॉल एप्लिकेशन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कंपनी का चल आस्तियों की बिक्री प्रक्रिया को रद्द किए जाने के लिए इलाहाबाद न्यायालय की डिविजन बैंच में विशेष अपील दायर की जा रही है।

ii **कानपुर टेक्सटाइल्स लि., कानपुर**

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि., वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार की कंपनी, कानपुर टेक्सटाइल्स लि., बीआईसी लि. की अनुषंगी कंपनी है और इसे वर्ष 1920 में निगमित किया गया था। इस कंपनी को घरेलू बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक, सरकार और अन्य संस्थानों के लिए फैब्रिक और यार्न उत्पादन का काम सौंपा गया था।

कंपनी को लगातार हानि होने और निवल मालियत कम/नकारात्मक होने के कारण कंपनी का मामला एसआईसीए के उपबंध के तहत बीआईएफआर के पास भेजा गया था और कंपनी को वर्ष 1992 रूग्ण घोषित किया गया था। वर्ष 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे बंद करने का आदेश पारित किया और सरकारी परिसमापक नियुक्त किया। 1995 के कंपनी के मामला सं.2 में कई सुनवाइयों के बाद 2001 में भारत सरकार ने स्वैच्छिक पृथकीकरण योजना (वीएसएस) क्रियान्वित की, कंपनी अदालत में अपील दायर की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.05.2012 को सरकारी परिसमापक के लिए आदेश पारित किया कि वह इसकी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले। इस आदेश का अनुपालन करते हुए ओएल ने वर्ष 2012 में कंपनी की आस्तियों को अपने कब्जे में लिया। तब से कंपनी की आस्तियां ओ.एल. के कब्जे में हैं। यहा यह उल्लेख करना वांछनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में परिसमापन आदेश के विरूद्ध विशेष अपील दायर की गई और माननीय न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया तथा बंद करने के आदेश पारित

कर दिए। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी की 1995 की याचिका सं. 2 और 2009 की याचिका सं.24 में अपने दिनांक 23.01.2019 के अपने आदेश के तहत निदेश दिया कि दोनों मिलों अर्थात एल्गिन मिल्स कंपनी लि. और कानपुर टेक्सटाइल लि. की चल आस्तियों की बिक्री के लिए निविदा प्रकाशित की जाए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए सरकारी परिसमापक ने चल आस्तियों की बिक्री के लिए हिन्दुस्तान और अमर उजाला समाचार पत्रों में निविदा नोटिस प्रकाशित किया और माननीय न्यायालय में बिक्री निविदा दिनांक 26.02.2019 में पेश की गई जिसे दिनांक 27.02.2019 को खोला गया तथा माननीय उच्च न्यायालय ने 5,10,00,000.00 रुपए की राशि की मैसर्स अश्वया अग्रवाल, बिजनौर से प्राप्त कानपुर टेक्सटाइल की बिक्री की सबसे ऊंची बोली स्वीकार की जबकि एल्गिन मिल्स कं. लि. सं. 1 और 2 के लिए केवल एक ही बोली प्राप्त हुई जिसके कारण माननीय न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। तथापि, माननीय न्यायालय के समक्ष बीआईसीएल द्व ारा दायर रिकॉल एप्लिकेशन को माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसके अलावा इलाहाबाद न्यायालय की डिविजन बैंच में बिक्री प्रक्रिया को रद्द करने के लिए विशेष अपील दायर की गई है।

2.5.7 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिरकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जेसीआई वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है, जैसे लाभ के सृजन के लिए वाणिज्यिक प्रतिफल पर एमएसपी से ऊपर मूल्य पर पटसन की खरीद करना। जेसीआई के मूल्य समर्थन अभियानों में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी कर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान, कच्चे पटसन के मूल्य में अंतर–मौसमी और अंतरा–मौसमी उतार–चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक नोशनल बफर के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय क्रय केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हैं, किसानों से पटसन सीधे खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और त्रिपुरा आदि राज्यों में जेसीआई के लगभग 141 डीपीसी हैं।

31.3.2018 की स्थिति के अनुसार निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रूपए और निवल मूल्य 124.90 करोड़ रुपए है। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी को अभिदत्त किया गया है।

मिशन/विजन

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में कार्य करना और पटसन उत्पादकों को कच्चे पटसन का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाना तथा घरेलू व्यापार में इसके बाजार हिस्से को धीरे–धीरे बढ़ाना।

मुख्य कार्य

i. जब भी कच्चे पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूता है तो बिना किसी मात्रात्मक सीमा के सरकार की ओर से समर्थन मूल्य अभियान

चलाना।

ii. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।

iii. एनजेबी की सब्सिडी योजना के तहत पटसन के प्रमाणित पटसन बीजों का वितरण करना और किसानों को प्रमाणित पटसन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धीरे–धीरे मात्रा को बढ़ाना।

iv. अन्य विस्तारित गतिविधियों को संचालित करना जैसे कि पटसन उत्पादकों के लाभ जेटीएम एमएम–।।। और एनजेबी योजनाओं के तहत केन्द्रों के आवंटन द्वारा नई रेटिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना और दैनिक बाजार दर को प्रदर्शित करना।

v. मिनी मिशन–।।। के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाना और मिनी मिशन–प्ट तथा पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के अन्य मिनी मिशन की गतिविधियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।

vi. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्कीमों की योजना बनाना और उनको कार्यान्वित करना।

भारतीय पटसन निगम लि. के कार्य निष्पादन को निम्नवत स्पष्ट किया गया है:

विवरण मात्रात्मक (गांठें/लाख में)	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (अनुमानित)
कच्चे पटसन की खरीद	3.63	1.90	0.57	0.05	2.25	3.15	2.33
कच्चे पटसन की बिक्री	2.40	2.60	1.46	0.20	0.71	2.49	1.95
अंत शेष माल	1.75	1.07	0.17	0.02	1.57	2.24	2.62
वित्तीय (रुपए लाख में)							
कच्चे पटसन की बिक्री	11135.58	12331.00	8027.07	1506.45	5097.70	17406.26	13680.00
पटसन बीज की बिक्री	132.65	227.13	895.44	627.55	1214.17	580.79	1280.00

2.5.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

राष्ट्रीय कंपनी लि. अधिनियम, 1980 तथा पटसन कंपनियां (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 6 औद्योगिक इकाइयों/मिलों नामतः नेशनल, एलेक्जेंड्रा, यूनियन, खारदाह, किन्नीसन और आरबीएचएम मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जून, 1980 में इन्हें एनजेएमसी में निहित कर दिया गया था। इसकी स्थापना की शुरूआत से एनजेएमसी निरंतर घाटा उठा रहा था। इसलिए इसे 1993 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। मार्च, 2010 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनरूद्धार योजना को कुल 1417.53 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया था और नवंबर, 2010 में 1562.98 करोड़ रुपए द्वारा संशोधित किया गया जिसे जनवरी, 2010 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। पुनरूद्धार योजना में अनिवार्य रूप से नेशनल, यूनियन तथा एलेक्जेंड्रा नामक 3 मिलों को बंद किया जाना तथा शेष 3 मिलों को संचालन शामिल था। इस पुनरूद्धार योजना में सभी कर्मचारियों को वीआरएस देना, 3 मिलों के संचालन के लिए मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव तथा पूंजीगत व्यय आदि शामिल थे। तदनुसार सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया। इन तीन मिलों के पुनरूद्धार के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए।

(क) **एनजेएमसी को बंद किए जाने के कारण:** प्रचालन के लिए चिन्हित की गई तीन मिलों

यथा कटिहार में आरबीएचएम; तथा कोलकाता में खारदाह और किन्नीसन मिलों को 2010 तथा 2011 में प्रचालनशील बना दिया गया था। श्रमिकों को कमीशन आधार पर काम पर रखकर उत्पादन शुरू कर दिया गया। चूंकि मिलें घाटा उठा रही थीं इसलिए अप्रैल, 2014 में खारदाह मिल तथा बाद में आरबीएचएम और किन्नीसन मिल में उत्पादन संविदा के आधार पर श्रमिकों को संविदा पर रखने के एक नए मॉडल की शुरूआत की गई। तथापि, इस मॉडल के माध्यम से प्रचालन में कुछ सुधार दर्शाने के बावजूद मिलें औद्यागिक विवाद मामलों, जल्दी–जल्दी होने वाली हड़तालों तथा ठेकेदार द्वारा संविदा के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन किए जाने के कारण ये मिलें सफलतापूर्वक नहीं चल सकीं। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया था कि उद्योग के पास पटसन के बोरों के विनिर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। तदनुसार नीति आयोग ने एनजेएसमी को बंद करने की सिफारिश कर दी।

2.5.8.1 **बर्ड्स जूट एक्स्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल), एनजेएमसी की एक सहायक कंपनी:** इस कंपनी को 1904 में लेंसडाउन जूट मिल प्रा. लि. के रूप में निगमित किया गया था। यह 1986 में राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. की एक सहायक कंपनी बन गई थी। बीजेईएल ने अक्तूबर, 2002 से उत्पादन क्रियाकलापों को बंद कर दिया था। तब से लेकर 2014–15 तक कंपनी में कोई बिक्री नहीं हुई थी। मार्च, 2016 से बीजेईएल विपण न क्रियाकलापों में शामिल है और महिला स्वयं सहायता द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केंद्रों और छोटे विनिर्माताओं के लिए एक एग्रेग्रेटर के रूप में कार्य कर रही थी। बीआईएफआर ने अगस्त, 2012 में 137.88 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित किया था। बीआईएफआर द्वारा मसौदा पुनरूद्धार योजना (डीआरएस) को निम्नलिखित 2 शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था:

(i) परिसंपत्ति बिक्री समिति (एएससी) का गठन किया जाना था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य थी।

(ii) बीजेईएल को इसके मौजूदा भूमि उपयोग को 'औद्योगिक' से बदलकर 'वाणिज्यिक' किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध करना होगा।

मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल सरकार की गैर–सहयोगात्मक प्रकृति के कारण इन दोनों शर्तों के पूरा न होने की वजह से पुनरूद्धार योजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी थी।

(क) **बंद करने की प्रक्रिया:** पुनरूद्धार योजना के भाग के रूप में एनजेएमसी के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया था। वर्तमान में एनजेएमसी तथा बीजेईएल में कोई कर्मचारी उनकी नामावली पर नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर एनजेएमसी तथा बीजेईएल को बंद किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। वर्तमान में एनजेएमसी तथा बीजेईएल की कुल देयताएं/बकाया क्रमशः 533.40 करोड़ रुपए (31.03.2018 को गैर–लेखापरीक्षित) तथा 130.29 करोड़ रुपए (31.03.2018 को गैर–लेखापरीक्षित) थीं। तथापि, एनजेएमसी (2017 से आकलित मूल्य के अनुसार) की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य 2392.09 करोड़ रुपए था जबकि बीजेईएल का मूल्य 738.58 करोड़ रुपए था।

(ख) मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 को संपन्न हुई बैठक में दिनांक 13 सितंबर, 2018 के मंत्रिमंडल नोट संख्या 11/18/2014–पटसन (वोल्यूम–।।) तथा दिनांक 1 अक्तूबर, 2018 के एक अनुपूरक नोट पर विचार किया तथा एनजेएमसी तथा इसकी सहायक कंपनी बीजेएईएल को बंद किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। एनजेएमसी तथा बीजेईएल को बंद किए जाने की प्रक्रिया को लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.06.2018 को प्रकाशित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

अनुमोदित पैरा इस प्रकार हैः–

i) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी) तथा इसकी सहायक कंपनी बड्र्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल) की बंदी;

ii) भारत सरकार के पास तत्काल आधार पर 200 करोड़ रुपए जमा करना; न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए तात्कालिक आकसमिक देयताओं के लिए 21.21 करोड़ रुपए को बचाकर रखना; एनजेएमसी को बंद किए जाने को प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखना तथा इसकी बंदी प्रक्रिया के साथ–साथ प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु बीजेईएल को 5 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करना;

iii) एनजेएमसी तथा बीजेईएल की परिसंपत्तियों का निपटान डीपीई द्वारा दिनांक 14.06.2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/5(1)/2014–वित्त(भाग– I) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एनजेएमसी तथा बीजेईएल चल तथा अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन करेंगे तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान के लिए अचल संपत्तियों का दायित्व नामित की गई भूमि प्रबंधन एजेंसी को सौंप सकते हैं। नामित की गई भूमि प्रबंधन समिति अचल संपत्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करेगी और इसका सत्यापन करेगी तथा दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

iv) परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से सृजित निधि से देयताओं को चुकाना; और

v) शेष राशि को भारत सरकार तथा स्टेकहोल्डरों को लौटाना।

2.6 वस्त्र अनुसंधान संघ

2.6.1 प्रौद्योगिकी की प्रगति में अनुसंधान और विकास तथा वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए मंत्रालय वस्त्र अनुसंधान संघों को सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है जिसमें इस क्षेत्र का समग्र क्रियाकलाप शामिल है। अनुसंधान और विकास कार्य में निम्नलिखित 8 टीआरए शामिल हैं:

(i) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा)
(ii) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बिटरा)
(iii) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा)
(iv) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा)
(v) मेन–मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा)
(vi) सिंथैटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा)
(vii) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (इजिरा)
(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

टीआरए की परियोजनाओं और पेटेंटों का विवरण

क्र. सं.	टीआरए का नाम	आरएंडी परियोजनाओं की संख्या	दर्ज/प्राप्त पेटेंटों की संख्या
1.	अटीरा	4	3
2.	बिटरा	10	6
3.	इजिरा	14	–
4.	मंतरा	3	1
5.	निटरा	9	4
6.	सिटरा	7	4
7.	ससमीरा	12	10
8.	डब्ल्यूआरए	17	6
	कुल	76	34

I. वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों की सूची

श्रेणी	संगठन का नाम
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), कोलकाता,इसकी सहायक कंपनियों के साथ ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (बीआईसी), सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली, द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) मुंबई,भारतीयहस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी) लि., नई दिल्ली,भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता,राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ, राष्ट्रीय पटसनविनिर्माण निगम (एनजेएमसी), कोलकाता,राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी),नई दिल्ली।
वस्त्र अनुसंधान संघ	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए), अहमदाबाद, बंबई वस्त्रअनुसंधान संघ (बीटीआरए), मुंबई,भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए), कोलकाता, मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत, उत्तर भारत वस्त्रअनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद, दक्षिण भारत वस्त्र अनुधान संघ (सिटरा), कोयंबटूर, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), ठाणे।
सांविधिक निकाय	केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू,भुगतान आयुक्त (सीओपी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता, वस्त्र समिति, मुंबई,राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली
पंजीकृत समिति	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) जोधपुर,सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम), कोयंबटूर
सलाहकार निकाय	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड,अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड, वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए समन्वय परिषद, कपास सलाहकार बोर्ड, पटसन सलाहकार बोर्ड

अध्याय–3
निर्यात संवर्धन

3.1 निर्यात

भारतीय वस्त्र उद्योग, दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है। इस उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और क्लोदिंग (टीएंडसी) की हिस्सेदारी वर्ष 2018–19 में 12% है जो पर्याप्त है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 5% है। भारत हेतु प्रमुख वस्त्र तथा परिधान गंतव्य ईयू–28 और यूएसए है जिन्हें कुल वस्त्र तथा अपैरल का 48% निर्यात किया जाता है। यह उद्योग रोजगार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों सहित संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ और लोगों को रोजगार देता है। सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की प्रमुख पहलों के साथ इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से तालमेल बना हुआ है। वस्त्र और अपैरल का निर्यात ब्यौरा निम्नलिखित है:–

मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल	35,995	35,372	35,666	36,627
हस्तशिल्प	3,293	3,639	3,573	3,804
हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र एवं	39,288	39,011	39,239	40,431
क्लोदिंग	262,290	275,852	30,33,76	329,536
भारत का समग्र निर्यात	15%	14%	13%	12%
समग्र निर्यात का % वस्त्र निर्यात				

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डनएस

- भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र व परिधान के निर्यात में 3% की वृद्धि हुई है, जोकि 2017–18 के दौरान 39.2 बिलियन अमरीकी डालर से आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान 40.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। भारत की संपूर्ण निर्यात बास्केट में वस्त्र व अपैरल का हिस्सा 2017–18 में 13% की तुलना में 2018–19 में 12% था।
- 2017–18 में रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 40% है। इसके अलावा निर्यात में योगदान करने वाले मुख्य भाग सूती वस्त्र (31%), मानव निर्मित वस्त्र (14%), कारपेट (4%) तथा हस्तनिर्मित कारपेट को छोड़कर हस्तशिल्प (9%) है।
- 2018–19 के दौरान कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग के निर्यात का मूल्य 40.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि इसी अवधि के दौरान 329.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के भारत के कुल

निर्यात में 12% की हिस्सेदारी थी।

- हथकरघा तथा हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र उत्पाद सौ से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। तथापि, यूएसए तथा यूरोपीय संघ में भारत के वस्त्र व अपैरल निर्यात का लगभग 48% हिस्सा हैं। चीन, यूएई, बंग्लादेश, श्रीलंका, सउदी अरब, कोरिया गणतंत्र, तुर्की, पाकिस्तान, ब्राजील, हांगकांग, कनाडा तथा मिस्र आदि अन्य प्रमुख निर्यात केंद्र हैं।

आयात :

- भारत, वस्त्र तथा अपैरल का प्रमुख निर्यातक देश है और यहां व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश आयात पुनः निर्यात के लिए अथवा कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकता के लिए किया जाता है।
- 2017–18 में भारत में वस्त्र और अपैरल उत्पादों का 7.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात 3% बढ़कर 2017–18 में 7.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
- 2017–18 में वस्त्र व अपैरल उत्पादों का आयात 7,319 मिलियन अमरीकी डॉलर से 3% बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7,555 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

मिलियन यूएस डालर में मूल्य	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
हस्तशिल्प सहित वस्त्र व अपैरल का आयात	6,022	6,293	7,319	7,555
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में		5%	16%	3%

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डनएस

3.2 निर्यात में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमः–

निर्यात बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2016 तथा दिसम्बर 2016 में क्रमशः परिधान और सिलेसिलाए वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को अनुमोदित किया। विशेष पैकेज के घटक निम्नानुसार हैं:

क. एटीयूएफएस के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी की वृद्धि

i. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनः** वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसी तैयार वस्त्र तथा निर्माण इकाइयों हेतु एक 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश आर्थिक–सहायता (सीआईएस) मुहैया करवाती है जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रक्षेपित उत्पादन तथा रोजगार की प्राप्ति पर आधारित एटीयूएफएस के अंतर्गत 15 प्रतिशत सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। ए–यूटीएफएस की योजना के अंतर्गत आईटीयूएफएस साफ्टवेयर के अंतर्गत परिधान उद्योग में दिनांक 25.07.2016 से 31.03.2019 तक 12,836 करोड़ रु का निवेश शामिल करते हुए 1,759 आवेदन रिपोर्ट किए गए हैं। यह आकलन किया गया है कि योजना ने कुल 23.01 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष) का सृजन किया है।

ख. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सुधारः

i. प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई)– इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत प्रदान किए गए मौजूदा 8.33% के अलावा नियोक्ताओं के ईपीएफ अंशदान का 3.67% प्रदान कर रही थी। परिधान और मेडअप्स क्षेत्रों के नए कर्मचारी, जो 15,000 रु प्रति माह से कम आय अर्जित कर रहे हैं, अपने रोजगार के प्रथम 3 वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। दिनांक 01.04.2018 से सरकार टीएंडए क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को ईपीएफओ के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियोक्ता का पूर्ण अंशदान (12%) उपलब्ध करा रही है। ईपीएफओ द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2019 तक पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत 24.09 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। 802 इकाइंयों/प्रतिष्ठानों और 2,69,044 कामगारों को लाभ पहुंचा है।

ii. **वैकल्पिक निधिः** 15,000 रुपए से कम मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक ईपीएफ की रुपरेखा को ईपीएफओ के सैंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

ग. श्रम कानून सुधारः

i. **ओवर टाइम की सीमा में वृद्धिः** इस विशेष पैकेज के अंतर्गत अपैरल उद्योग में कामगारों के लिए ओवर टाइम की सीमा को प्रति तिमाही (आईएलओ के मानदंड के अनुसार) 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे किया जाना था जिससे उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना थी। तथापि यह प्रस्ताव राज्य सभा में लंबित है।

ii. **निर्धारित अवधि रोजगार की शुरूआतः** अपैरल उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए परिधान क्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि वाले रोजगार की शुरूआत की गई थी। अब निर्धारित अवधि वाले कामगार को कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ता और अन्य सांवधिक देयताओं के संदर्भ में स्थायी कामगार के बराबर समझा जाता है। निर्धारित अवधि वाले रोजगार को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 07 अक्तूबर, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

घ. आयकर अधिनियम में सुधारः

i. **आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के दायरे में वृद्धिः** मौजूदा प्रावधान के अनुसार न्यूनतम 100 कामगारों वाली कोई विनिर्माता कंपनी रोजगार के वर्ष सहित 3 वर्ष के लिए कारखानों में नए नियमित कामगारों को प्रदान किए गए अतिरिक्त वेतन के 30% की कटौती का दावा कर सकती है। तथापि पात्रता की खंडों में से एक यह है कि कामगार को न्यूनतम 240 दिन तक नियोजित होना चाहिए। किंतु अपैरल निर्माण इकाइयों की मौसमी प्रकृति होने के कारण कारखाने वर्ष में लगभग केवल 6 महीने ही कार्यशील होते हैं और इस दौरान वे अधिक लाभ कमाने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए 240 दिन की न्यूनतम आवश्यकता को कम करके 150 दिन कर दिया गया था।

इसलिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत नए कामगारों के लिए न्यूनतम रोजगार की आवश्यकता को 240 दिन से घटाकर 150 दिन कर दिया गया था। इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के दिनांक

08 सितंबर, 2016 के नोट के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इसे 01 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था।

ङ. **उच्चदर ड्यूटी ड्रॉबैक**

i. **अपैरल और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य लेवियों पर छूट (आरओएसएल) योजनाः** राज्य करो/लेवियों, जो निर्यातित समानों की लागत में शामिल था, की छूट प्रदान करने के लिए आरओएसएल की शुरूआत की गई थी। आरंभ में यह योजना अपैरल क्षेत्र के लिए लागू की गई थी। इसके पश्चात इसे मेडअप्स क्षेत्र के लिए भी लागू कर दिया। इस योजना की शुरूआत (20.09.2016) से लेकर दिनांक 31.03.2019 तक लागू राज्य लेवियों के लिए छूट के रूप में अपैरल और मेडअप्स निर्यातकों को लगभग 5,882.09 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत फैब्रिक का आयात किए जाने पर भी अदा किए गए घरेलू शुल्क मुक्त इनपुट्स के लिए सभी उद्योगों की दरों पर ड्रॉबैक दिया गया था।

जून 2016 में अपैरल क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज के अनुमोदन के बाद अपैरल निर्यात समान पिछली अवधि की तुलना में अक्टूबर 2016 से जनवरी 2019 तक 15,070 करोड़ रु बढ़ा है। इसी प्रकार दिसम्बर में मेड अप्स के लिए स्पेशल पैकेज के अनुमोदन के बाद यह समान पिछली अवधि की तुलना में अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2019 तक 6,946 करोड़ रु बढ़ा है।

ii. अपैरल और मेडअप्स क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए ड्रॉबैक समिति द्वारा संस्तुत की गई दरों के अनुसार सभी लागू राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों पर छूट योजना (आरओएससीटीएल) को मंत्रिमंडल ने दिनांक 07 मार्च, 2019 को अनुमोदित किया था। आरओएससीटीएल योजना तत्कालीन आरओएसएल योजना के स्थान पर लागू की गई है। आरओएससीटीएल के अंतर्गत छूट की अनुमति दिनांक 31.03.2020 तक अधिसूचित दरों पर डीजीएफटी द्वारा आईटी आधारित स्क्रिप प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई है।

विशेष पैकेज के अतिरिक्त निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- **भारत के लिए मर्चेन्डाइज निर्यात योजना (एमईआईएस):** इस योजना को विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अंतर्गत भारत में उत्पादित/विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात में शामिल होने वाली आधारभूत ढ़ाचागत अकुशलताओं और संबद्ध लागतों को निष्क्रिय करने के लिए प्रारंभ किया गया था और यह विशेष रूप से उच्च निर्यात गहनता, रोजगार संभाव्यता तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए थी।

प्रोत्साहन का प्रतिशत उत्पाद दर उत्पाद भिन्न–भिन्न है और यह अधिकांश वस्तुओं हेतु 2–7 प्रतिशत के मध्य है। सरकार ने वस्त्र उद्योग के 2 उप क्षेत्रों जैसे तैयार वस्त्रों तथा मेडअप्स के लिए 01.11.2017 से एमईआईएस के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु दरों को दुगना करके निर्यात के मूल्य के 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक कर दिया है। सभी हस्तशिल्प तथा हधकरघा मदों की एमईआईएस दरें 5% या 7% है।

- **ब्याज समानीकरण की दरः**

  वर्ष 2015 में शिपमेंट से पूर्व तथा पश्चात ऋण ब्याज दर छूट को तीन वर्षों के लिए बहाल किया गया था। इस कदम का उद्देश्य निर्यातकों को कच्चे माल की खरीद, उनके प्रसंस्करण तथा तैयार माल में बदलने और उनकी पैकेजिंग जैसे प्रयोजन हेतु बैंकों से ऋण पर ब्याज दरों के प्रति वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

  ब्याज समानीकरण की दर शिपमेंट पूर्व रुपए निर्यात ऋण तथा शिपमेंट पश्च रुपए निर्यात ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की है। यह योजना एमएसएमई के सभी निर्यातों और 416 टैरिफ लाइनों (4 अंकों वाले एचएस कोड हेतु) के लिए उपलब्ध है जिसमें 94 वस्त्र तथा परिधान लाइनें शामिल हैं। वस्त्र क्षेत्र की एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों के लिए ब्याज समानीकरण की दर को दिनांक 02.11.2018 से 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा इस योजना के लाभ, जो पूर्व में केवल विनिर्माता निर्यातकों तक सीमित थे, वर्ष 2019 से मर्चेन्ट निर्यातकों को भी प्रदान किए गए हैं।

- **बाजार पहुंच पहल (एमएआई):** इस योजना का उद्देश्य सतत आधार पर भारत के निर्यातों को बढ़ावा देना है। इस योजना को बाजार अध्ययनों/सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाजार तथा विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए फोकस उत्पाद–फोकस देश पद्धति पर बनाया गया है। इस पहल के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप कार्यान्वित किए गए हैं–

  - 2018–19 में वस्त्र ईपीसी द्वारा 31 अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन गतिविधियों को एमएआई के सहयोग से समर्थन प्रदान किया गया है।
  - विदेशों में विपणन परियोजनाएं
  - क्षमता निर्माण
  - सांविधिक अनुपालनों हेतु सहायता
  - अध्ययन
  - परियोजना विकास
  - विदेश व्यापार सुविधा वेब पोर्टल विकसित करना
  - कुटीर और हस्तशिल्प इकाइयों को सहायता करना

3.3 वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

वस्त्र और परिधान निर्यात में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाएं गए हैं:

- **उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का जापान दौराः** वस्त्र क्षेत्र में निर्यात और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2019 में सचिव (वस्त्र) के नेतृत्व में जापान का एक दौरा किया गया था। इस प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य विभाग, भारी उद्योग विभाग विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, क्लोदिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई), भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), वस्त्र मशीनरी निर्माता संघ (टीएमएमए) और वस्त्र समिति के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरे के दौरान सभी उद्योगों के जापानी स्टेक होल्डरों और सरकार के साथ निम्नलिखित उद्देश्यों से व्यापक विचार–विमर्श किया गया था:

  - अपैरल, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए भारत से व्यापार को बढ़ाना।

- जापानी उपभोक्ताओं की गुणवत्ता और स्टैंर्ड आवश्यकताओं की बेहतर और व्यावहारिक समझ के लिए जापान में गुणवत्ता और स्टैंर्ड स्थापित करने वाली एजेंसियों को सहयोग करना।
- प्रौद्योगिकी अंतर वाली मशीनरी के क्षेत्रों में वस्त्र मशीनरी विनिर्माण में सहयोग करना और वृद्धि की संभावना को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक वस्त्र इंजीनियरिंग समाधान करना।
- जापान के साथ तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में सहयोग करना और भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग को नई उंचाई तक ले जाने के लिए भारत सरकार से उचित सहायक तंत्र के साथ जापान और भारत की कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम की तलाश करना।

- **504 लाइनों पर बीसीडी में वृद्धिः-** भारत का वस्त्र व अपैरल निर्यात काफी ज्यादा है लेकिन भारत के द्वारा वस्त्र व अपैरल का आयात भी काफी ज्यादा है। वस्त्र व अपैरल आयात 2016–17 के दौरान 6.3 बिलियन अमरीकी डालर से 16.6% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ 2017–18 के दौरान 7.3 बिलियन अमरीकी डालर था। वस्त्र व अपैरल आयात में बढ़त को नियंत्रित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने ऐसे उत्पादों की पहचान की जिनका आयात मूल्य घटने के साथ आयात विशेष रुप से बढ़ा है। 6 अंकों वाली शीर्ष आयातित एचएस लाइनों के श्रेणी–वार अनुसार विश्लेषण के आधार पर कपड़ा (246 लाइने) सहित 504 लाइने (8 अंक के स्तर पर), कारपेट (29 लाइने), अपैरल (383 लाइने), मेड–अप (9 लाइने) तथा अन्य (15 लाइने) शामिल हैं। परिणामस्वरुप दिनांक 16.07.2018 की कस्टम अधिसूचना संख्या 53/2018 व दिनांक 7.8.2018 की अधिसूचना संख्या 58/2018 तथा दिनांक 13.08.2018 के शुद्धि पत्र 58/2018 के माध्यम से बीसीडी 10% से बढ़कर 20% कर दिया गया है।

- **वस्त्र क्षेत्र के लिए व्यापक निर्यात रणनीतिः** वस्त्र क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय (निर्यात डिवीजन) ने निम्नलिखित कार्य योजना बनाई हैः
  - प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना
  - बाजारों का विविधीकरण करना
  - भारत के एटीएफ भागीदारों द्वारा उच्च प्रशुल्कों का समाधान करना
  - मूल्य श्रृंखला में तैनाती करना
  - सभी लागू राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट
  - सभी निर्यातकों को सहायता प्रदान करना

  प्रत्येक संघटक के उद्देश्यों की पहचान उनकी प्राप्ति के प्रस्तावित पहलों और समय–सीमा सहित की गई है। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना और वस्त्र तथा अपैरल निर्यात का विविधीकरण करना है। इस दिशा में रणनीति में अल्पावधि (एमईआईएस के अंतर्गत सहायता) और मध्यावधि पहल (12 देशों को बाजार विविधीकरण), दोनों स्तरों पर विचार किया गया है। इस रणनीति को वाणिज्य विभाग के साथ साझा किया गया है।

3.4 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र के सभी सेगमेंट अर्थात

सिले–सिलाए परिधान, कपास, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजार में अपने संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि और निर्यात का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं। ये परिषदें, निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों में पहुंच बनाने के लिए भारत और विदेशी बाजारों में वस्त्र एवं अपैरल मेलों तथा प्रदर्शनियों एवं एकल प्रदर्शनियों में भाग लेती हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्नलिखित हैं:

i) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद(एईपीसी)

ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)

iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)

v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संघ (वूल टेक्सप्रो)

vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

3.5 प्रचार-प्रसार:

- संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा न्यूज लेटर का प्रकाशन
- विभिन्न बाजारों, नीतिगत घटनाक्रम, निर्यात संबंधी खबर, सरकारी अधिसूचना, निर्यात लक्ष्य, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम पर नवीनतम सूचना प्रदान करना।

अध्याय–4

कच्ची सामग्री सहायता

4.1 कपास

प्रस्तावना

4.1 कपास देश की प्रमुख फसलों में से एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल खपत में कपास और मानव निर्मित रेशों तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 60:40 है।

परिदृश्यः

क. उत्पादन और खपत : भारत में कपास की खेती 3 भिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे गैर–परंपरागत राज्यों के छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण सुधार किया है। पिछले दशकों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत, कपास का एक अग्रणी उपभोक्ता भी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2014–15	386	309.44
2015–16	332	315.28
2016–17	345	310.41
2017–18	370	315.50
2018–19 (पी)	361	317.00

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 22.11.2018 पी–अनंतिम

ख. क्षेत्रफल/उत्पादकता : भारत को कपास की खेती के अंतर्गत लगभग 124.44 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल के साथ विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात 341. 37 लाख हेक्टेयर के विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 62 प्रतिशत। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमियों पर उगाई जाती है। उत्पादकता के संदर्भ में भारत, अमरीका तथा चीन की तुलना में काफी पीछे है। गत 5 वर्ष हेतु कपास की उत्पादकता निम्नानुसार है:

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2014–15	128.46	511
2015–16	122.92	459
2016–17	108.26	542
2017–18	124.29	506
2018–19 (पी)	122.38	501

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 22.11.2018 पी–अनंतिम

ग. **आयात/निर्यात :** वर्तमान में कपास, भारत से मुक्त रूप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत प्रमुख रूप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता है जिसमें से बंगलादेश भारतीय कपास का सबसे बड़ा आयातक है। यद्यपि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व आयातक है एक्स्ट्रा लांग स्टेपल किस्म जो देश में उपलब्ध नहीं है, की कुछ मात्रा आयात की जाती है। निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के आयात और निर्यात आंकड़े दिए गए हैं:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2014–15	14.39	57.72
2015–16	22.79	69.07
2016–17	30.94	58.21
2017–18	15.80	67.83
2018–19 (पी)	15.00	65.00

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 22.11.2018 पी–अनंतिम

घ. **कपास का तुलन पत्र:** गत पाँच वर्षों के लिए नीचे दिया गया है:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19(पी)
आपूर्ति					
प्रारंभिक स्टॉक	33.00	66.00	36.44	43.76	47.20
फसल आकार	386.00	332.00	345.00	370.00	361.00
आयात	14.39	22.79	30.94	15.80	15.00
कुल आपूर्ति	**433.39**	**420.79**	**412.38**	**429.56**	**423.12**
मांग					
मिल खपत	278.06	270.20	262.70	275.91	278.00

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19(पी)
एसएसआई खपत	26.38	27.08	26.21	27.20	27.00
गैर वस्त्र खपत	5.00	18.00	21.50	11.50	12.00
कुल खपत	309.44	315.28	310.41	314.61	317.00
निर्यात	57.72	69.07	58.21	67.83	65.00
कुल मांग	367.16	384.35	368.62	382.44	382.00
अंतिम स्टॉक	**66.23**	**36.44**	**43.76**	**47.12**	**41.12**

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 22.11.2018 पी–अनंतिम

ड. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियानः–

बीज कपास (कपास) का मूल्य एमएसपी के स्तर से नीचे आ जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्व ारा पेशकश की गई कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद करने के लिए अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

देश के कपास किसानों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्टूबर से सितम्बर) के प्रारंभ होने से पहले कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अपने परामर्शदाता बोर्ड कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों मध्यम लंबी स्टेपल किस्म *(स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तथा माइक्रोनेअर मान 4.3 से 5.1) तथा लंबी स्टेपल कपास (स्टेपल लंबाई 29.5 मी. से 30.5 मिमी. तथा माइक्रोनेअर मान 3.5 से 4.3)* के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

2018–19 कपास मौसम के लिए कृषि मंत्रालय ने एफएक्यू ग्रेड का एमएसपी मध्यम स्टेपल के लिए 5150 रु प्रति क्विंटल पर तथा लंबी स्टेपल कपास के लिए 5450 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा गत कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित है।

वर्ष	मध्यम स्टेपल (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तक द्यमा. इक्रोनेयर के मूल्य 4.3 से 5.1)	लंबा स्टेपल (स्टेपल की लंबाई 29.5 मी से 30.5 मिमी तक माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 से 4.3 तक)
2013–14	3700	4000
2014–15	3750	4050
2015–16	3800	4100
2016–17	3860	4160
2017–18	4020	4320
2018–19	5150	5450

बीज कपास की इन दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य के आधार पर और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की बीज कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा कपास मौसम 2018–19 (अक्तूबर–सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता पैरामीटर		न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2018–19 रूपये / क्विंटल में
		मूल स्टेपल लंबाई (2.5% स्पैन लंबाई) मिमी में	माइक्रोनेयर मूल्य	
	लघु स्टेपल (20.0 मिमी और नीचे)			
1	असम कोमिला	–	7.0–8.0	4650
2	बंगाल देशी	–	6.8–7.2	4650
	मध्यम स्टेपल (20.5 मिमी –24.5 मिमी)			
3	जयधर	21.5–22.5	4.8–5.8	4900
4	वी–797 / जी.कॉट.13 / जी.क़ॉट.21	21.5–23.5	4.2–6.0	4950
5	एके / वाइ–1 (महा. एवं म.प्र.) / एमसीयू–7 (त.ना.) / एसवीपीआर–2 (त.ना.) / पीएसओ–2 (आ.प्र. एवं कर्ना.) / के.–11 (त.ना.)	23.5–24.5	3.4–5.5	5000
	मध्यम लंबा स्टेपल (25.0 मिमी –27.0 मिमी)			
6	जे –34 (राज)	24.5–25.5	4.3–5.1	5150
7	एलआरए–5166 / के.सी.–2 (त.ना.)	26.0–26.5	3.4–4.9	5250
8	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	26.5–27.0	3.8–4.8	5300
	लंबा स्टेपल (27.5 मिमी –32.0 मिमी)			
9	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	27.5–28.5	4.0–4.8	5350
10	एच–4 / एच–6 / एमईसीएच / आरसीएच–2	27.5–28.5	3.5–4.7	5350
1 1	शंकर–6 / 10	27.5–29.0	3.6–4.8	5400
12	बन्नी / ब्रह्म	29.5–30.5	3.5–4.3	5450
	अतिरिक्त लंबा स्टेपल (32.5 मिमी और अधिक)			
13	एमसीयू–5 / सुरभि	32.5–33.5	3.2–4.3	5650
14	डीसीएच–32	34.0–36.0	3.0–3.5	5850
15	सुविन	37.0–39.0	3.2–3.6	6650

च. वर्ष 2017-18 के दौरान कपास एमएसपी अभियानः-

कपास मौसम 01 अक्तूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है तथा 31 जुलाई को समाप्त होता है। नवम्बर से फरवरी माह तक इस मौसम की शुरूआत आवक की गति में वृद्धि के साथ होती है तथा इसके पश्चात बाद वाले महीनों में गिरावट आनी शुरु होती है।

कपास मौसम 2017–18 के दौरान एमएसपी अभियान शुरू करने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 11 कपास उत्पादक राज्यों के 102 जिलों में तीन 348 खरीद केंद्र खोलें। जहां कहीं भी बीज कपास का मूल्य एमएसपी स्तर से नीचे चला गया था, वहां 23, अक्टूबर, 2017 से एमएसपी अभियान के अधीन खरीद प्रारंभ की गई थी। एमएसपी अभियान के अधीन कपास की खरीद के अलावा, जहां व्यवहार्य हो, वहां सीसीआई ने व्यवसायिक अभियान के अधीन इसी प्रकार की खरीददारी की थी ताकि एमएसपी अवसंरचना के हिस्से का उपयोग किया जा सके और ओवरहेड व्यय के हिस्से की वसूली की जा सके।

इस प्रकार, कपास मौसम 2017–18 के दौरान सीसीआई ने 2300 करोड़ के मूल्य की 10.70 लाख गाँठों (3.90 लाख एमएसपी के अधीन +6.80 गाँठें वाणिज्यिक अभियान के अधीन) की खरीद की थी। उपरोक्त समग्र स्टाफ को ई–नीलामी के माध्यम से एमएसएमई यूनिट मिलों सहित पंजीकृत खरीददारों को बेचा जा रहा है।

छ. कपास एमएसपी अभियान 2017-18

कपास वर्ष 2018–19, 43 लाख गाँठों के अग्रेणिता कपास स्टॉक के साथ प्रारंभ हुआ। इस वर्ष हेतु बुआई अप्रैल/मई माह में प्रारंभ हुई। अब तक, अर्थात 15 अक्टूबर 2018 की स्थिति के अनुसार 122 लाख हेक्टेयर की बुआई पूर्ण हो चुकी है। 2017–18 के कपास मौसम के समान एमएसपी दर में वृद्धि तथा कपास उत्पादन के कारण बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर सकते हैं जिससे सीसीआई द्वारा मूल्य समर्थन अभियान आवश्यक हो जाएगा। इस उद्देश्य से संभावित न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के लिए तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। एमएसपी अभियान को एक पारदर्शी व दक्ष तरीके से करने के लिए सभी कपास उत्पादक राज्य सरकारों के साथ निम्नलिखित पर समर्थन हेतु यह मामला उठाया गया है;–

i. एपीएमसी पर खरीद प्रणाली वजन करने के तरीके, तत्काल फोटोग्राफ के माध्यम से किसानों की पहचान व उनके खातों में भुगतान से संबद्ध है।

ii. सही किसानों की पहचान के लिए कुछ राज्य सरकारों ने बार कोड वाले पहचान पत्र प्रारंभ किए हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो, ऐसे खरीद केंद्रों को स्थापित किए जाने की एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए जिसमें किसानों की एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के आधार पर विक्रेताओं की स्पष्ट पहचान की जा सके जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उनके चित्र, आधार विवरण, धारित भूमि, कपास उगाई क्षेत्र और बैंक खाता संख्या शामिल हों। खरीद के समय अर्थात् टाकपत्ती के निकाले जाने के समय किसानों का एक वेबकैम के माध्यम से चित्र लिया जाए और अपेक्षा होने पर सत्यापन हेतु इस सूचना को एक डिजिटल डाटाबेस में रखा जाए।

iii. सीसीआई ने एमएसपी प्रचालनों हेतु पूर्व की आवश्यकता के आधार पर कुल 394 खरीद केंद्रों की अस्थाई रूप से पहचान की है। ये केंद्र अधिकांशतः एपीएमसी के बाजार यार्डों में अवस्थित हैं। तथापि किसानों के लिए यह सुविधाजनक होगा कि खरीद केंद्रों को गिनिंग तथा प्रेसिंग कारखानों में आवश्यक आधारभूत ढ़ांचा मुहैया करवाकर प्रतिस्थापित किया जाए। इसके लिए एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत बाजार यार्ड के रूप में गिनिंग तथा प्रेसिंग कारखानों को अग्रिम रूप से अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता होगी जिसमें एमएसपी खरीद के लिए उनसे संबद्ध गांवों तथा अपेक्षित सुविधाओं की स्थापनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

iv. किसानों के मध्य जागरुकता अभियान चलाए जाए जिनमें उन्हें अधिसूचित बाजार यार्डों पर संदूषण मुक्त, अच्छी गुणवत्ता वाली 8 प्रतिशत के नाममात्र नमी तत्व वाली कपास को लाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उन्हें सर्वाधिक मूल्य मिल सके। हालांकि सीसीआई 8–12 प्रतिशत नमी वाली कपास की खरीद अनुपातिक रूप से कम मूल्य पर करेगा।

v. अधिकांश अन्य राज्यों ने एमएसपी प्रचालनों के दौरान एपीएमसी को अदा किए जाने वाले 2 प्रतिशत के कमीशन से सीसीआई को छूट प्रदान की है क्योंकि किसानों द्वारा विवशतापूर्ण ब्रिकी से बचने के लिए सीसीआई द्वारा सीधे खरीद की जाती है। ऐसे अभियान में वास्तव में कोई बोली नहीं लगाई जाती। अतः एपीएमसी को सीसीआई को किसी कमीशन एजेंट को शामिल किए बिना सीधा कपास के किसानों से खरीद करनी की अनुमति प्रदान कहने का परामर्श दिया जाता है। यह समूचे देश में एमएसपी खरीदों में समान प्रणाली को सुनिश्चित करेगा तथा एमएसपी अभियानों से होने वाली हानियों को भी कम करेगा। कपास मौसम 2018–19 (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पिछले मौसम की इसी अवधि के दौरान 267.57 लाख गांठों की तुलना में 252.49 लाख गांठें पहुँची हैं। इनमें से कपास 10.70 लाख गांठों की खरीद भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत की गई है।

4.2 पटसन व पटसन वस्त्र

प्रस्तावना

पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायो–डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग संगठित मिलों तथा तृतीय क्षेत्र और संबद्ध क्रियाकलापों सहित विविधीकृत इकाईयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कई लाख कृषक परिवारों को आजीविका में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं।

क. कच्ची पटसन परिदृश्य

कच्ची पटसन की फसल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कच्ची पटसन की फसल की खेती न केवल आद्योगिक प्रयोग हेतु फाइबर उपलब्ध कराती है बलकि पटसन की छड़ी भी उपलब्ध कराती है जिसका कृषक समुदाय द्वारा ईंधन तथा निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता

है। भारत में पटसन की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों में सदैव बड़े उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। वर्ष–दर–वर्ष के उतार–चढ़ाव मुख्यतः तीन कारकों के कारण होते हैं, नामतः (1) बुवाई के मौसम के दौरान वर्षा में उतार–चढ़ाव, (2) पिछले पटसन मौसम के दौरान प्राप्त औसत कच्चे पटसन के मूल्य और (3) पिछले मौसम के दौरान प्रतिस्पर्धी फसलों से प्राप्त प्रतिफल। पटसन के अंतर्गत एक बड़ा क्षेत्र उसी मौसम में धान के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अतः वर्ष–दर–वर्ष पटसन के मूल्यों और धान के मूल्यों के संबंध में उतार–चढ़ाव से इन दोनों फसलों के मध्य भूमि का अपेक्षाकृत आवंटन सामान्यतः प्रभावित होता है।

कच्ची पटसन का उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में किया जाता है। निम्नलिखित तालिका में 2013–14–13 से 2018–19 (अनुमानित) की अवधि के लिए मेस्टा सहित कच्ची पटसन की आपूर्ति मांग की स्थिति दर्शायी गई है:

(मात्रा : 180 कि.ग्रा. की प्रत्येक गांठ वाली लाख गाँठों में)

	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (अनुमानित)
(क) आपूर्ति						
i) प्रारंभिक स्टॉक	29.00	24.00	14.00	6.00	22.00	22.40
ii) पटसन और मेस्टा की फसल	90.00	72.00	65.00	92.00	76.00	72.00
iii) **आयात**	1.00	1.00	6.00	4.00	3.40	4.00
कुल :	**120.00**	**97.00**	**85.00**	**102.00**	**101.40**	**98.40**
(ख) वितरण						
iv) मिल की खपत	86.00	70.00	70.00	70.00	68.00	68.00
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	10.00	12.00	9.00	10.00	10.00	10.00
vi) निर्यात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल :	96.00	82.00	79.00	80.00	79.00	78.00
(ग) अंतिम स्टॉक	**24.00**	**15.00**	**6.00**	**22.00**	**22.40**	**20.40**

स्रोत : पटसन सलाहकार बोर्ड

ख. कच्ची पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्ची पटसन तथा मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यतया समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची

पटसन बाजार तथा समग्र रूप से पटसन अर्थव्यवस्था को थ्स्थर करने के लिए भी की गई थी। जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन–देन किया जाता है। पिछले कई वर्षों के दौरान जेसीआई द्वारा राज्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग से खरीदी गई कच्ची पटसन का विवरण निम्नलिखित हैः–

(हजार गांठ में मात्रा *)

वर्ष (जुलाई–जून)	उत्पादन	प्रापणजू			प्रापण उत्पादन के प्रतिशत के रूप में
		समर्थन	वाणिज्यिक	कुल	
2012–13	9300	319.0	44.2	363.8	3.91
2013–14	9000	138.0	52.1	190.2	2.11
2014–15	7200	15.5	41.1	56.6	0.77
2015–16	6500	0	4.9	4.9	0.075
2016–17	9200	57.4	168.7	226.1	2.46
2017–18	7600	339	0	339	4.46

1 गाँठ = 180 किलो।

ग. पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में कच्ची पटसन तथा पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष में पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई हैः–

(हजार एमटी में मात्रा)

अवधि अप्रैल–मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2011–12	239.9	1165.1	3.6	173.8	1582.4
2012–13	210.0	1218.2	2.9	160.3	1591.3
2013–14	202.5	1150.4	3.3	171.5	1527.7
2014–15	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2015–16	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2016–17	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2017–18	175.3	910.3	0.0	101.5	1187.1
2018–19	147.6	912.3	0.0	101.3	1161.2

निर्यात में गिरावट, हेसियन तथा अन्य के साथ–साथ सस्ते व बढ़िया गुणवत्ता के हेसियन फैब्रिक के आयात के कारण हेसियन का उत्पादन कम हो रहा है जबकि पिछले 3–4 वर्षों से पिछली बढ़त से गिरावट के बाद सैकिंग का उत्पादन सरकारी एजेंसियों के द्वारा निरंतर मांग के कारण लगभग धीमा रहा है।

घ. पटसन सामानों की घरेलू खपत

भारत मुख्यतया अपने वृहद घरेलू बाजार के कारण विश्व में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक रहा है। कुल उत्पादन में से औसत घरेलू उत्पादन लगभग 90% रहा है। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु पटसन उत्पादों की घरेलू खपत का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

(हजार एमटी में मात्रा)

अप्रैल–मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2010–11	182.3	1034.4	0.9	133.4	1351.5
2011–12	184.2	1079.7	0.1	117.9	1381.9
2012–13	165.8	1118.7	0.8	113.9	1399.0
2013–14	157.6	1043.1	0.4	126.4	1327.5
2014–15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015–16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016–17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017–18	141.9	894.2	0.0	76.5	1112.6
2018–19	130.5	900.0	0.0	82.7	1113.2

(i) निर्यात निष्पादन

वर्ष 2014–15 से 2017–18 के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा '000' मी.टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	
प्रकार	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हेसियन	80.2	769.5	77.7	827.3	78.6	930.2	86.86	917.24
सैकिंग	46.9	296.6	38.7	307.5	46.6	411.9	44.75	407.20
यार्न	23.6	138.7	16.9	118.5	9.3	72.8	16.98	130.20
जेडीपी	0	508.6	0	562.3	0	590.9	0	631.50
अन्य	7.7	100.4	5.1	73.7	4.1	68.5	19.63	72.43
कुल	161.6	1813.8	140.7	1892.3	140.7	2074.2	152.8	2158.57

स्रोतः डीजीसीआई एण्ड एस

ii. कच्ची पटसन एवं पटसन सामानों का आयात

वर्ष 2014–15 से 2017–18 के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं :

(मात्रा '000' मि.टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

साल	कच्चा पटसन			पटसन उत्पाद			कुल आयात मात्रा	कुल आयात मूल्य
	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य	ईकाइ मूल्य		
2014–15	47.6	142.4	29,916	130.7	561.5	42,961	178.3	703.9
2015–16	87.6	364.0	41,552	158.1	933.4	59038	245.7	1297.4
2016–17	138.9	704.2	50,711	140.1	931.6	66,495	279.1	1635.8
2017–18	68.2	289.2	42,405	147.9	1169.4	79,067	216.1	1458.6

स्रोतः 2014–15 – सीमा शुल्क आयुक्त, पेट्रापोल रोड, पश्चिम बंगाल 2017–18 – डीजीसीआईएण्डएस, वाणिज्य मंत्रालय

ङ. पटसन क्षेत्र हेतु पहलें/प्रोत्साहन

i. पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में, वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

केंद्र सरकार एसएसी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा प्रतिशतता के अनिवार्य प्रयोग के लिए जेपीएम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत समय–समय पर आदेश जारी कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकार कच्चे पटसन तथा पटसन वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर पटसन में पैक किए जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित कर सकती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण श्रृंखला में रूकावट पैदा किए बिना देश में उत्पादित पटसन की फसल का उपयोग करने के लिए यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।

वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दिनांक 30.11.2018 के 30.06.2019 तक वैध एस.ओ.सं. 5878 (ई) के आदेश निम्नलिखित बातें तय कीः–

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	उत्पादन का 100%*
चीनी	उत्पादन का 20%**

* प्रारंभिक रुप से खाद्यान्नों के 10% मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के द्वारा जारी किए गए है।

** मिलों या खुले बाजार से प्रापण एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के अंतर्गत विविध पटसन थैलों में

सीसीईए निर्णय में निम्नलिखित अधिदेश दिया गया है –

- खाद्यान्लों की पैकिंग के लिए पटसन थैलों के प्रापण जैम पोर्टल के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर शुरु होंगे। शुरुआत में राज्य प्रापण एजेंसियों (एसपीए) के द्वारा 10% के मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से जारी किए गए हैं। एक सीमा तक जैम पोर्टल बिडिंग के माध्यम से स्वीकृत 30 दिनों के भीतर पूर्ति करने में असमर्थ होने पर, वस्त्र मंत्रालय अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के अपफ्रंट विचलन की अनुमति देगा। जैम पोर्टल में जूट मिलों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन सह–आपूर्ति आदेशों (पीसीएसओ) के आबंटन का फार्मूला संशोधित किया जाएगा।
- जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में अवरोध या कमी होने पर अन्य आकस्मिकता/ अत्यावश्यकता की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय प्रयोक्ता मंत्रालय के परामर्श से इन प्रावधानों को खाद्यान्न उत्पादन के प्रावधानों के अलावा अधिकतम 30% तक सरल कर सकता है।
- यदि प्रापण एजेंसियां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्नों की पैकेजिंग हेतु पटसन थैलों की मांग नहीं करती हैं और मांग (इंडेंट) की संख्या बढ़ जाती है तो पटसन थैलों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को पर्याप्त अतिरिक्त समय मिलेगा। तथापि, यदि मिलें बढ़ाई गई अवधि में थैलों की आपूर्ति करने में असफल होती हैं तो उनके विलय से संबंधित शर्ते लागू होंगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए की कच्ची पटसन में लगे लोग अनिवार्य पैकेजिंग से लाभान्वित हैं, पटसन कार्मिकों को सांविधिक बकायों की अदायगी कराने तथा पटसन कृषकों तथा पटसन के प्रापण पर बैलर्स को त्वरित भुगतान के लिए एक यथोचित व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था में कच्चे पटसन की आपूर्ति के लिए त्वरित भुगतानों पर मिलों से कार्मिकों के सांविधिक भुगतान तथा स्वप्रमाणन से संबद्ध राज्य सरकार के श्रम विभाग से आवधिक प्रमाणन प्राप्त करने को शामिल किया जाएगा।

इस निर्णय से देश के पूर्वी तथा पूर्वात्तर क्षेत्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में अवस्थित किसानों तथा कामगारों को लाभ होगा।

ii. **जूट–स्मार्ट,** सुशासन दिवस 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रारंभ एक ई–शासन पहल बी–ट्विल बोरों की खरीद हेतु एक स्मार्ट अस्त्र के रूप में ई–शासन पहल है।

जूट–स्मार्ट, सभी हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु एक एकीकृत मंच मुहैया करवाने की मंशा रखता है जिससे सूचना पर आसान पहुंच, अधिक पारदर्शिता और पटसन क्षेत्र हेतु व्यापार करने की आसानी हो सके। बी–ट्विल आपूर्ति प्रबंधन तथा मांग उपस्कर, जिसे संक्षेप में जूट–स्मार्ट कहा जाता है, वास्तव में एक वेब आधारित एपलिकेशन है जिसे बी–ट्विल बोरे की खरीद से संबंधित समग्र लेन–देन को सुकर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह निम्नलिखित उद्देश्य हेतु बनाया गया है :

- एसपीए द्वारा बी–ट्विल के इंडेंटिंग प्रणाली का एकीकरण
- एसपीए द्वारा उनके संबंधी बैंक खातों में आवश्यक फंड का प्रेषण
- पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) का नियम आधारित आबंटन
- पटसन मिलों द्वारा इंस्पैक्शन कॉल किया जाना तथा निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षकों का आबंटन
- निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना।
- लोडर्स / पटसन मिलों द्वारा रेल /रोड़ तथा कौंकोर से परिवहन के लिए प्रेषण सूचना आपलोड करना
- जूट मिलों द्वारा बिल बनाना तथा अंततः इस कार्यालय द्वारा पटसन मिलों को संबंधित बैंकों में भुगतान जारी करना।
- एसपीए द्वारा यदि कोई शिकायत हो तो ऑनलाइन शिकायत जेनरेट करना।
- एसपीए द्वारा फंड का सियल टाइम समाधान

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) द्वारा बी–ट्विल बोरे की खरीद तथा आपूर्ति के प्रचालन को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) से लेकर 1 नवम्बर, 2016 से पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता को अंतरित करने का निर्णय लिया था। वार्षिक तौर पर भारतीय पटसन कामगारो तथा किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 6500 करोड़ रु. मूल्य की पटसन के बोरों की खरीद की जाती है।

पूर्ववर्ती प्रणाली अधिकांशतः कागजों पर निर्भर थी और हितधारकों, मुख्यतः राज्य खरीद एजेंसियां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पटसन मिलें, निरीक्षणकर्ता एजेंसी, लोडर, प्रेषिति, वेतन एवं लेखा कार्यालय आदि के मध्य सूचना साझा करने में बाधाएं थी। चूंकि बी–ट्विल बोरी खाद्यानों की खरीद हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है, अतः समूचे प्रचालन समयबद्ध हैं और इनकी निकट रूप से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में राज्य खरीद एजेंसियों को उनकी निधि में ब्याज की कमी के कारण लागत कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वचालित लेन–देन हेतु प्रावधान हैं।

एसपीए ने पहले ही अपने बैंकों तथा निरीक्षण एजेंसियों का चयन प्रस्तावों हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर के माध्यम से चयनित एजेंसियों में से कर लिया है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों, बैंकों, निरीक्षण एजेंसियो तथा आपूर्ति करने वाली

पटसन मिलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान में जूट–स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील है और 17.148 हजार करोड़ रु. (लगभग) मूल्य की क्रमशः 68.66 लाख के कुल मांगपत्र नवंबर, 2016 से मार्च, 2019 तक जूट स्मार्ट के माध्यम से पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।

जूट–स्मार्ट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर मंच है जो राज्य सरकारों तथा एफसीआई द्वारा बी–ट्विल की खरीद की प्रक्रिया को काफी आसान, इसे पूर्णतः पारदर्शी तथा नियम आधारित बनाएगा तथा एसपीए हेतु लागतों में भी कमी लाएगा।

iii. **इसरो के साथ भुवन जम्प परियोजनाः** 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने जेसीआई के परामर्श से पटसन फसल के आंकलन हेतु एक उपग्रह आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है। इस प्रणाली में भू–संबंधित डाटा खेतों से पटसन फसल की स्थिति तथा चित्र दोनों का कैप्चर करने तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र सर्वर पर डाटा अपलोट करने के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है। वर्तमान फसल मौसम 2017–18 में विविध पटसन उत्पादक राज्यों से जेसीआई द्वारा भेजे गए फील्ड डाटा के आधार पर लगभग 7026 फील्ड डाटा इसरो सर्वर को भेजे गए।

iv. **पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास तथा संवर्धनः** पटसन उद्योग मुख्यतः उद्योग के भविष्य हेतु पटसन के बोरों पर निर्भर है जोकि लंबे समय से विविधिकरण तथा आधुनिकीकरण के अभाव से स्पष्ट होता है। विभिन्न अन्य विविधिकृत उत्पादों के विकास हेतु पटसन क्षेत्र को समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) में 2012–13 की तुलना में 28 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है जो ऐसे उत्पादों हेतु एक बढ़ती हुई वैश्विक मांग को दर्शाता है। पटसन के खरीददारी वाले थैले, पटसन की फर्श कवरिंग, पटसन आधारित गृह साज–सज्जा तथा दीवार कवरिंग और पटसन आधारित हस्तशिल्पों जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन तथा विपणन आवश्यक हो जाता है। विविधिकरण का संवर्धन पटसन उद्योग को राज्य सहायता निर्भरता कम करने में सहायता करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा की उद्योग प्रतिस्पर्धी तथा स्वधारण् गीय बने तांकि वैश्विक तथा घरेलू बाजारों में मौजूद अवसरों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

पटसन खेती में बेहतर कृषि–विज्ञान व्यवहारों को बढ़ावा देने, पटसन विविधिकृत उत्पादों के संवर्धन तथा उनका विपणन, पटसन मिलों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु सहायता आदि के लिए कदम उठाए गए हैं। डिजाइन, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा समान सुविधा आधारभूत ढ़ांचा जैसे अग्रगामी तथा पश्चगामी संयोजनों पर सहायता मुहैया करवाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्लैक स्तर पर महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा प्रचालित जेडीपी क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके अनुपालन में मंत्रालय ने पटसन विविधिकृत उत्पादों के डिजाइन को सुकर बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

v. **परियोजना जूट-आईकेयर (जूटः बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया)**

एनजेबी एक चरणबद्ध तरीके से पिछले 2 वर्षों से भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) तथा केंद्रीय पटसन व संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर एक पटसन–आईकेयर (पटसन–बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस पायलट परियोजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर इस परियोजना का विस्तार 31 मार्च 2020 तक किया गया है। मंत्रालय ने तीन वर्ष की अवधि (2017–18 से 2019–20) के लिए एनजेबी को कुल 45.35 करोड़ रु का अनुदान दिया है। वर्ष 2015 (आईकेयर–**I**), 2016 (आईकेयर–**II**), 2017 (आईकेयर–**III**) तथा 2018 में प्रस्तावित आईकेयर–**IV** के पटसन आईकेयर परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	**आईकेयर–I (2015)**	**आईकेयर – II (2016)**	**आईकेयर –III (2017)**	**आईकेयर –III (2018)**
कवर किए गए पटसन उत्पादक ब्लाक/राज्य की संख्या	**असम और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 14 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 30 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 69 ब्लाक**
कवर की गई भूमि (हैक्टेयर)	12,331	26,264	70,628	98897
कवर किए गए किसानों की संख्या	21,548	41,616	1,20,000	193070
मुहैया करवाए गए प्रमाणित बीज (एमटी में)	64	160	500	921
बीज ड्रिल मशीनों की संख्या	350	450	1200	1950
नेल वीडर मशीनों की संख्या	500	700	1200	1950
सीआरआईजेएएफ सोना (एमटी में)	83	273	500	610 एमटी
प्रत्येक किसान को भेजे गए एसएमएस	46	52	55	60
बुवाई व रैटिंग प्रदर्शन	50	132	220	400

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
लाख रु. में	256.98	527.55	1,526,21	790.55'
किसानों की सं.	21,548	41,616	1,02,372	1,93,070

* अनंतिम व्यय

(च) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 को किया गया था और तत्कालीन पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विलय किया गया था। एनजेबी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान एनजेबी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है –

i. कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय):

स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पटसन मिल कार्मिकों के काम की स्थिति के लिए एनजेबी पटसन मिलों को सहायता उपलब्ध कराता है। सहायता की दर वास्तविक व्यय की 90% तथा अधिकतम 50.00 लाख (प्रति मिल/वर्ष) है। पिछले 4 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
लाख रु में	194.33	249.46	274.13	268.72	311.14 '
शौचालय ब्लॉक की संख्या	340	252	323	210	240
मिलों की संख्या	12	9	10	7	8

* अनुमानित

ii. पटसन मिल, एमएसएमई के कार्मिकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना

पटसन मिल कार्मिकों के बाल विद्यार्थियों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सफल होने के लिए सहायता उपलब्ध की जाती है। एनजेबी पटसन मिल कार्मिकों के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक में सफल बाल विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
लाख रु में	187.20	238.74	354.74	277.87	240.00 '
बालिकाओं की संख्या	2721	3151	4442	3835	3175

* अनुमानित

iii. निर्यात बाजार विकास सहायता योजना

निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना पटसन उत्पादों के पंजीकृत निर्माता तथा निर्यातकों को जीवनषैली तथा अन्य पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राश्ट्रीय मेलों तथा विदेषों में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में षामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करती है। पिछले 4 वर्शों के दौरान योजना के अधीन निश्पादन निम्नलिखित है:

साल	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
लाख रुपए में	272.78	306.48	428.12	384.39	329.22 *
पंजीकृत निर्यातकों की संख्या	51	63	73	60	70

* अनुमानित

iv. पटसन विविधिकृत उत्पादों तथा अधिक मात्रा में आपूर्ति योजना के रिटेल आउटलेट

संपूर्ण देश में विशेष रुप से उन क्षेत्रों में जहां पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है जेडीपी का विस्तार करने के लिए रिटेल आऊटलेट योजना चुनिंदा और बड़े पैमाने के उपभोग हेतु पूर्ति श्रंख्ला तथा बड़ी मात्रा में आपूर्ति को प्रोत्साहित करती है। पिछले 4 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निष्पादन निम्नलिखित है–

साल	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
लाख रु में	71.11	94.75	95.15	51.87	35.02 *
इकाइयों की संख्या	11	20	25	14	10

(*अनुमानित)

v. डिजाइन विकास योजना– एनआईडी पर एनजेबी पटसन डिजाइन सेल

एन आईडी (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) अहमदाबाद के प्राकृतिक रेशों के अभिनव केंद्र (आईसीएनएफ) में पटसन के शापिंग थैलों तथा जीवनशैली की अनुषंगी सामग्री के विकास के लिए एक पटसन उत्पादन डिजाइन सेल भी स्थापित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में एवं विदेशों में मूल्यसंवर्धन तथा बेहतर बाजार हेतु डिजाइन तथा तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से नवीन व अभिनव उत्पादों का विकास करना है। एनआईडी ने पटसन नमूनों की जीवनशैली सामग्री के लिए 100 से अधिक बुने हुए, डाई किए हुए तथा तैयार नमूने विकसित किए हैं तथा प्लास्टिक बैग, नष्ट होने योग्य पटसन थैलों आदि के बदले में कम कीमत वाले पटसन कैरी बैग्स प्रदर्शनी में रखे हैं। फैशन थैले, टौटे थैले, मोड़ने योग्य हैंड बैग्स (प्राकृतिक व डाई किए हुए) नाम वाले पटसन थैलों को इंडिया डिजाइन मार्क (५ मार्क), 2017 से भी पुरस्कृत किया गया है। प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में, पटसन विविधिकरण क्रियाकलापों, प्रतिमान गतिविधियों को मूल्य वर्धित जेडीपी के उत्पादन में संलग्न मिल/एमएसएमई इकाइयों के द्वारा बढ़ावा देने के लिए एनआइडी ने प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में उद्योग के समक्ष नये डिजाइनों का प्रस्तुतीकरण किया है। एनजेबी ने इन उन्नत पटसन थैलों तथा जीवनशैली सामग्री को भावी व्यावसायिक गठबंधन हेतु विशिष्ट प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था की है।

vi. पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस)

जेआईडीएस योजना का उद्देश्य विविध क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए सही निकायों के सहयोग से संपूर्ण देश में सुदूर स्थानों पर स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करना है। जेआईडी व संभावित उद्यमियों को

फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकिंग उपलब्ध कराने, मुख्यतया तकनीकी एप्लीकेशन तथा डिजाइन /उत्पाद विकास व प्रसार पर आधारित स्तर पर प्रशिक्षण व जागरुकता प्रदान करने के लिए समन्वयक के रुप में कार्य करता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) इकाइयों, एसएचजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधाओं के लिए जेआईडी एजेंसियां एक प्रमुख स्रोत होंगी। इस प्रकार यह उत्पादन इकाइयों के निर्माण व पोषण में सहयोग करता है जिसमें पश्चात उद्यमों मे विकास तथा स्व सहायता समूहों विशेषकर महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में सहायता मिलती है।

जेआईडी योजना की 2016–17 में शुरुआत से पिछले दो वर्षो का निष्पादन निम्नलिखित है–

साल	2016–17	2017–18	2018–19 *
लाख रुपए में	39.68	62.20	33.17
इकाइयों की संख्या	18	25	10

* अनुमानित

पिछले दो वर्षों के दौरान (2016–17 व 2017–18) में 43 समन्वय एजेंसियां थी जो पटसन विविधिकृत उत्पादों के लिए 860 लाभार्थियों को आधारभूत, उन्नत व डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करता है। जैसा की मूल्यांकन किया जा चुका है, जॉब वर्क या स्वरोजगार पर पटसन विविधिकृत क्रियाकलापों में 350 से अधिक लाभार्थी है।

vii. पटसन कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी) योजना

यह योजना पटसन असंगठित क्षेत्र तथा उत्पादन इकाइयों की आवश्यक्ताओं को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाती है ताकि उन्हें पटसन कच्चे माल की नियमित रुप से आपूर्ति की जाती रहे। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं, जिनके लिए सक्षम संस्थानों/एजेंसियों के फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त संयोजन हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। जेआरएफबी मौजूदा डब्ल्यूएचजी, कारीगरों व उद्यमियों की सेवा के अलावा नये डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों व उद्यमियों को विकसित करने के लिए जेआईडी द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण व कौशल विकास प्रयासों के लिए सहयोग करने का कार्य करते हैं। 2016–17 में इसकी शुरुआत से जेआरएमबी योजना का निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19 *
लाख रु में	14.87	34.30	55.61
इकाइयों की संख्या	9	1 1	15

* अनुमानित

viii. संयुक्त पटसन मिलों का सूचीकरणः

पटसन मिलों में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के शोर, धूल, अधिक रोशनी आदि में पटसन मिलों में काम करने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य निष्पादन निश्चित करने के लिए 67 पटसन मिलों का विस्तृत अध्ययन किया गया

है। 67 पटसन मिलों के अध्ययन के परिणाम प्रसारित कर दिए गए हैं, ताकि इसके लिए पर्याप्त उपचारात्मक प्रस्ताव/कार्रवाई के लिए अध्ययन की अनुशंसाओं को संज्ञान लिया जा सके।

ix. तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन –

जेटीएम के अधीन कार्यान्वित 15 आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए एनजेबी द्व ारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए। व्यवहार्यता रिपोर्ट पटसन मिलों तथा मौजूदा व भावी उद्यमियों को प्रसारित कर दी गई है। महिलाओँ व बालिकाओं में मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता के लिए पटसन लुगदी के प्रयोग से बने कम कीमत वाले सेनेटरी नैपकिन का विकास व्यवहार्यता रिपोर्ट के मुख्य परिणामों में से एक है। यह पटसन लुगदी एनजेबी द्वारा आईआईटी के सहयोग से विकसित की गई थी। एनजेबी ने इजिरा के लिए एक परियोजना को अनुदान दिया है जिसके अधीन पटसन सैनेटरी नैपकिन के निर्माण के लिए स्वचालित व अर्ध–स्वचल मशीनों को विकसित किया गया व इजिरा में उत्पादन प्रारंभ किया गया। यह तकनीकी व साथ ही साथ मशीनरी को पटसन उद्योग सदस्यों के साथ–साथ रुचि रखने वाले उद्यमियों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। यह तकनीकी विकेन्द्रित पटसन क्षेत्र विशेषकर महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी0 की महिला लाभार्थियों तथा आय सृजन के लिए नए आयाम खोलेगा।

x. पटसन–जियो–टैक्सटाइल का उत्तर–पूर्वी क्षेत्र राज्यों में प्रयोग

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में पांच वर्ष (2014–15 व 2018–19) में 427 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ जियो–टैक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है तथा अब इसे अतिरिक्त वर्ष के लिए 31.01.2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य पटसन–जियो टैक्सटाइल समेत जियो टैकनिकल वस्त्रों के प्रयोग को उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों की संवेदनशील भूवैज्ञानिक परिस्थितयों के अवसंरचनात्मक विकास में एक आधुनिक व दीर्घकालिक किफायती तकनीकी के रुप में प्रदर्शित करना तथा सड़कों व तटबंधों के स्थायित्व में सुधार करना है। 2018–19 के दौरान उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में पटसन जियो टैक्सटाइल की खपत की दृष्टि से इस योजना की प्रगति 770.66 एमटी (13,67,500 वर्ग मीटर) रही है। जूट जियो–टेक्सटाइल एप्लीकेशन का प्रयोजन मुख्यतः 6 ढलान स्थिरीकरण के लिए है तथा जेजीटी एप्लीकेशन में संबद्ध संगठन एनएफ रेलवे, एनएचपीसी आदि हैं।

xi. कौशल विकास कार्यक्रमः

सुधारगृहों जैसे तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के कैदियों, दिल्ली पुलिस के परिवारों/लाभार्थियों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा अन्य संस्थानों पर पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध कौशल विकास कार्यक्रम आयोजनत किए गए। कई लाभार्थियों ने एनजेबी के सहयोग से पटसन उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन प्रारंभ कर दिया है।

xii. सतत बाजार सहयोग–

इस योजना के अंतर्गत पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, गैर–सरकारी संस्थानों, महिला स्व–सहायता समूहों को भारत व विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन

तथा संवर्धन करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले इन जनसमूहों की जीविका के साधन हैं। अन्य में से आईआईटीएफ, दिल्ली; सूरजकुंड; हरियाणा; टैक्स ट्रैंड्स, दिल्ली; ताज महोत्सव; लखनऊ महोत्सव; शिल्प ग्राम, उदयपुर, गिफ्टैक्स, मुंबई; भारतीय हस्तशिल्प व उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि शामिल हैं।

xiii. पटसन आधारित किफायती सैनेटरी नैपकिनों का प्रायोगिक निर्माणः

एनजेबी ने पटसन आधारित किफायती सैनेटरी नैपकिन किफायती पटसन अवशोषक लुगदी तथा पटसन आधारित सैनेटरी पैड के लिए कच्चा माल बैंक स्थापित करने के साथ डब्ल्यूएसएचजी के लिए उत्पादन मॉडल को कार्यान्वित करने के लिए इजिरा को परियोजना निर्दिष्ट की है। परियोजना के लक्ष्यों में नैपकिन निर्माण प्रक्रिया में स्वचालन तथा पीएसयू तथा अन्य सरकारी निकायों के माध्यम से पटसन आधारित नैपकिन का व्यावसायिक तथा गुणवत्ता मानदंड व आश्वासन निर्धारित करना, इजिरा ने किफायती पटसन आधारित नैपकिन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा प्रस्तुत की कर दी है। परियोजना के लक्ष्यों में गुणवत्ता मानदंड तथा गुणवत्ता आश्वासन तथा जूट के पल्प से सैनेटरी नैपकिन का प्रायोगिक स्तरीय उत्पादन (2400 पीस/प्रतिदिन) की स्थापना में सम्मिलित हैं। किफायती पटसन आधारित लुगदी के निर्माण पर इजिरा ने डीपीआर तैयोर की है व प्रस्तुत की है। इस प्रकार से विकसित उत्पाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान निगम के द्वारा चिकित्सकीय रुप में स्वच्छ के रुप में प्रमाणित है। उत्पादन में संवर्धन के लिए इजिरा द्वारा मैसर्स इनटेक सैफ्टी प्रा. लि. को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया है। इजिरा के प्रस्तावित क्रियाकलापों, लक्ष्यों समय–सीमा आदि को शामिल करके इजिरा तथा एनजेबी के बीच 18 मार्च, 2016 को एक करार ज्ञापन बनाया गया है।

xiv. पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास व उन्नयन

पटसन उद्योग में विविधीकरण व आधुनिकीकरण न होने के कारण पटसन के शॉपिंग थैले, पटसन के फ्लोर कवरिंग, पटसन आधारित होम फर्निशिंग तथा वाल कवरिंग तथा पटसन आधारित हस्तशिल्प जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन एवं विपणन करने की सख्त जरुरत है। पटसन फार्मिंग में बेहतर कृषक व्यवहार को बढ़ावा देने, पटसन आधारित उत्पाद (जेडीपी) को बढ़ावा देने और विपणन करने, पटसन मिलों आदि के तकनीकी समुन्नयन के लिए सहयोग करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

xv. प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए सब्सिडी योजना

एनजेबी किसानों के लिए प्रमाणित पटसन बीज वितरित करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहीं है। प्रमाणित पटसन बीज योजना के अधीन 40 रु/किग्रा की सब्सिडी पर वितरित किए जा रहे हैं। भारतीय पटसन निगम का नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य कच्चे पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करना तथा कृषकों को बेहतर लाभ प्रदान कराना है।

4.3. रेशम और रेशम उत्पादन

परिचयः

रेशम, कीट से निकले तंतु से बना एक वस्त्र है, जिसमें चमक–दमक, वस्त्र विन्यास और मजबूती का गुण होता है। इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में रेशम को ष्वस्त्रों की रानी के रूप में जाना जाता है। भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश रहा है और इसने दुनिया को कई वस्तु प्रदान किए हैं, रेशम उनमें से एक है। भारत, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तथापि, भारत एकमात्र देश है, जो रेशम की सभी पांच वाणि ाज्यिक किस्मों जैसे शहतूत, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग में उच्च रोजगार सृजन क्षमता के साथ ही साथ कम पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है और रेशम उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

4.3.1 भौतिक प्रगति :

भारत 31,906 मी.ट. रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम– उत्पादक देश है। वर्ष 2017–18 के दौरान के कुल 31,906 मी.ट. कच्चे रेशम उत्पादन की चार किस्मों में शहतूत 69.16% (22,066 मी.ट.), तसर 9.37% (2,988 मी.ट.), एरी, 20.87% (6,661 मी.ट.) और मूगा 0.60% (192 मी.ट.) रहा। आयात प्रतिस्थानी द्विप्रज रेशम उत्पादन 2016–17 के 5,266 मी.ट. से बढ़कर 2017–18 में 5,874 मी.ट. हो गया जो 11.5% की वृद्धि दर्शाता है। वन्य रेशम उत्पादन 8.4% की वृद्धि के साथ 9,075 मी.ट. से 9,840 मी.ट. हो गया। मूगा रेशम 192 मी.टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज करते हुए विकास की एक नई गति निर्धारित की है।

XII बारहवीं योजना (2012–17) और 2017–18, 2018–19(अप्रैल–फरवरी, 2018–19) के दौरान के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ :

क्रम सं	विवरण	लक्ष्य XII योजना (2012-17)	2016-17 के दौरान की उपलब्धियाँ (XII योजना के अंत)	2017-18 दौरान की उपलब्धियाँ	2018-19	
					लक्ष्य	उपलब्धियाँ (अप्रैल-फरवरी,19)
I	शहतूत पौधारोपण (लाख हे.)	2.27	2.17	2.24	2.46	2.45
II	कच्चा रेशम उत्पादन (मी.ट. में)					
क	शहतूत					
	द्विप्रज	5260	5266	5874	7200	6911
	संकर नस्ल	17400	16007	16192	18100	18302
	उप – कुल	22660	21273	22066	25300	25213
ख	वन्य					
	तसर	3285	3268	2988	3650	2977
	एरी	5835	5637	6661	6750	6839
	मूगा	220	170	192	260	232
	उप कुल	9340	9075	9840	10660	10048
	कुल योग(क+ख)	32000	30348	31906	35960	35261
III	संचयी रोजगार	92.42	85.1	86.04		
	(लाख व्यक्ति)					

स्रोतः राज्य रेशम उत्पादन विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित

क. योजना एवं इसके घटक

केन्द्र–क्षेत्र की योजना नामतः "**सिल्क समग्र**" रेशम उद्योग के विकास की एक एकीकृत योजना है, जिसे निम्न चार घटकों के साथ संचालित किया जा रहा है :

1. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल
2. बीज संगठन
3. समन्वयन तथा बाजार विकास
4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्राण्ड उन्नयन व प्रौद्योगिकी उन्नयन

सिल्क समग्र के सभी चार मुख्य घटक आपस में जुड़े हैं और सबका सामान्य लक्ष्य एक है। अनुसंधान विकास इकाईयां प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने की साथ–ही–साथ, पणधारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देती हैं और फ्रंट लाइन प्रदर्शन के माध्यम से तकनीक को क्षेत्र में स्थानांतरित करती हैं, जबकि बीज उत्पादन इकाइयों की जिम्मेदारी है कि प्रजातीय गुणवत्ता, संकर ओज और नस्लों की शक्ति बनाए रखने के लिए चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क को अद्यतन रखे तथा अपने एककों एवं राज्य की बीज उत्पादन इकाइयों को नाभिकीय एवं मूल बीज की आपूर्ति करें और राज्य इकाइयों को मूल बीज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सुविधा प्रदान करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बोर्ड सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार के समन्वय से विकसशील योजनाएं तैयार कर इन्हें कार्यान्वित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेशम उद्योग के विकास के लिए उन योजना कार्यक्रमों के परिणाम राज्य सरकार के समन्वय से पणधारियों तक पहूँच रहे हैं। गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अधीन कार्यरत इकाईयां, रेशमकीट बीज, कोसा, कच्चा रेशम तथा रेशम उत्पाद सहित संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के लिए अनुसंधान व विकास इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा प्रमाणित करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसके अलावा भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा उचित ब्रांड के माध्यम से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेशम मार्क लेबल के माध्यम से शुद्ध रेशम उत्पादों का संवर्धन करता है।

इन योजनाओं से संबंधित विवरण केरेबो वेबसाइट http://www.csb.gov.in/ में दिया गया है।

वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र घटक के लिए निधिकरण की पद्धति (%)निम्नानुसार है:

श्रेणी	भारत सरकार (केरेबो)	राज्य	लाभार्थी
सामान्य राज्य	50	25	25
सामान्य राज्य – एससीएसपी व टीएसपी के लिए	65	25	10
विशेष दर्ज प्राप्त राज्य, उपू राज्य व एससीएसपी व टीएसपी	80	10	10
समूह गतिविधि	100%	––	––

ऊपर के उल्लेख के अनुसार, 100% वित्त पोषण (केरेबो) समूह गतिविधियों की पात्रता के प्रति है क्योंकि ये गतिविधियाँ बहुत सीमित हैं और केरेबो संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। समूह गतिविधियों का तात्पर्य मुख्य रूप से किसानों/पणधारियों द्वारा अपनाये जिस के लिए नवीनतम तकनीकों

का प्रदर्शन जैसे प्रतिदर्श के रूप में चॉकीके, सासुके आदि हैं। समूह गतिविधियों को राज्य विभागों द्वारा अपने फार्मों में भी लिया जा सकता है। यदि समूह गतिविधियों को राज्यों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो भारत सरकार व राज्य/गैससं/लाभार्थी द्वारा हिस्सेदारी पैटर्न 75:25 का होगा। समूह गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी केरेबो और राज्य दोनों द्वारा की जानी है।

4.3.2. सिल्क समग्र के मुख्य आकर्षण

1. आनुवंशिक आधार तथा संकर ओज को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगी अनुसंधान पर जोर।
2. फसल चक्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, नियंत्रित कीटपालन के लिए वन्य रेशम के व्यवस्थित पौधारोपण में विस्तार।
3. समूह पहल के माध्यम से उत्तर–पूर्व सहित गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के क्षैतिज विस्तार को बढ़ावा देना।
4. लाभार्थियों के लिए मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
5. जैव कृषि और पारि अनुकूल रेशम दृ वन्य रेशम, को बढ़ावा देना।
6. किसान नर्सरी से वस्त्र उत्पादन तक उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निवेश समर्थन प्रदान करना।
7. अतिरिक्त मूल्य प्राप्ति के लिए कुक्कुट आहार के लिए रेशमकीट उपोत्पाद (प्यूपा) का उपयोग, सौंदर्यवर्धक अनुप्रयोग के लिए सेरिसिन और गैर–बुने हुए कपड़े, रेशम डेनिम, रेशम बुनाई आदि में उत्पाद विविधीकरण।
8. राज्य के बीज प्रगुणन सुविधाओं के उन्नयन और कच्चे रेशम के उत्पादन–लक्ष्य से मेल खाने के लिए बीज उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करके स्वचालित बीज उत्पादन केंद्रों, मूल बीज फार्मों और विस्तार केंद्रों द्वारा पंजीकरण और रिपोर्टिंग के माध्यम से बीज अधिनियम को सुदृढ़ बनाना।
10. धागाकरण प्रौद्योगिकी का उन्नयन और" मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अधीन विकसित स्वदेशी स्वचालित धागाकरण मशीन और उन्नत वन्य धागाकरण उपकरणों को बढ़ावा देना।
11. रेशम उत्पादन के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना – स्वयं सहाय समूह/समूह पहल को बढ़ावा देना।
12. ब्रांड उन्नयन– भारतीय रेशम के जेनेरिक उन्नयन और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक छवि सृजित करना।
13. रेशम उत्पादन के विस्तार हेतु अधिक जिलों को शामिल करने के लिए एकल खिड़की आधारित (सिल्क्स (रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विस्तार।
14. बेहतर योजना के लिए रेशम उत्पादन डेटाबेस का विकास सुनिश्चित करना। सभी पंजीकृत किसानों और धागाकारों तथा राज्य कार्यकर्ताओं को कोसा और कच्चे रेशम मूल्य संबधी मुफ्त एसएमएस सेवा।
15. किसानों के लिए मोबाइल ऐप, ऑडियो, वीडियो स्पॉट, संस्थान–ग्राम संबद्ध कार्यक्रम

और क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम।

योजना से अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार हैंरू

1. रेशम उत्पादन को वर्ष 2016–17 के 30,348 मी. टन को 2019–20 के अंत तक 38,500 मीट्रिक टन तक बढ़ाना।

2. शहतूत (बहुप्रज और द्विप्रज) रेशम का उत्पादन 21,273 मी. टन से बढ़ाकर 27,000 मी. टन करना जिसमें द्विप्रज रेशम को 5,266 मी. टन से 8,500 मी. टन तक बढ़ाना शामिल है।

3. वन्य (मूगा, एरी और तसर) रेशम उत्पादन को 9,075 मी. टन से 11,500 मी. टन तक बढ़ाना।

4. 4ए ग्रेड शहतूत (द्विप्रज) रेशम का उत्पादन लगभग 15% से 25% तक बढ़ाना।

5. शहतूत कच्चे रेशम की उत्पादकता 100 किग्रा/हेक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 111 किग्रा/हेक्टेयर/वर्ष करना।

6. वर्ष 2019–20 तक रोजगार 85 लाख व्यक्ति से 100 लाख व्यक्ति तक बढ़ाना।

7. नए वृक्षारोपण को शामिल करने के लिए शहतूत की बेहतर किस्मों के पौध लगाने के लिए 453 किसान नर्सरी विकसित करना।

8. कोसे की गुणवत्ता और फसल में वृद्धि के लिए, रेशमकीट अंडों को वैज्ञानिक तरीके से संभालने और नियंत्रित स्थितियों के तहत डिम्भक रेशमकीट लार्वे का पालन करने के लिए 131 नए चॉकी कीटपालन केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की जाएगी।

9. उन्नत धागाकरण की सुविधा के लिए, कोसा सुखाने के लिए 81 तप्त वायु शुष्कक स्थापित किए जाएंगे।

10. कुशल और गुणवत्तापूर्ण रेशम उत्पादन की सुविधा और धागाकरण क्षेत्र में काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए, 162 मोटरीकृत चरखा/धागाकरण उपकरण और 130 बहुछोरीय धागाकरण मशीन, पारंपरिक धागाकरण मशीनरी के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाएगी।

11. द्विप्रज रेशम के उत्पादन पर अधिक जोर देने के लिए, केरेबो द्वारा विकसित देशी स्वचालित धागाकरण मशीन की 29 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

12. वर्ष 2016–17 में 500 लाख रोग मुक्त चकत्तों (डीएफएल) से रेशमकीट बीज उत्पादन वर्ष 2020 तक 595 लाख रोग मुक्त चकत्तों तक बढ़ाने के लिए 17 बुनियादी बीज फार्म और 18 रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा।

प्लान योजनाओं के लिए वित्तीय आबंटन :

वर्ष 2016–17, 2017–18 और चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 (मार्च,2019 तक) के दौरान "सिल्क समग्र" योजना से संबंधित वर्ष वार वित्तीय प्रगति का ब्यौरा निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

(रु करोड़ में)

योजना	2016–17		2017–18		2018–19	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (मार्च, 2019 तक)
सिल्क समग्र	154.01	154.01	161.50	161.50	120.00	117.41
जिसमें से उत्तर पूर्व	23.05	23.05	16.00	16.00	14.00	11.41
जिसमें से एससीएसपी	22.73	22.73	23.00	23.00	25.00	25.00
टीएसपी	8.50	8.50	30.00	30.00	15.84	15.84

नोटः प्रशासनिक लागत को छोड़कर मात्र योजना लागत। 2018–19 के दौरान, उत्तर पूर्व शीर्ष के अधीन की गई बचत रु 2.59 करोड़ वस्त्र मंत्रालय/भारत सरकार को अभ्यर्पित की गई।

4.3.3. उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजनाः

उत्तर पूर्व, रेशम उत्पादन का गैर–परंपरागत क्षेत्र है और इसी कारण, भारत सरकार ने उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन के साथ परपोषी पौधारोपण विकास से अंतिम उत्पाद तक महत्वपूर्ण मध्यस्थता से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में रेशम उत्पादन के समेकन एवं विस्तार के लिए विशेष जोर दिया है। इसके एक भाग के रूप में उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस), वस्त्र मंत्रालय की एक छत्र योजना, के अधीन भारत सरकार ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के चयनित संभाव्य जिलों में कार्यान्वयन के लिए 38 रेशम उत्पादन परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है।

4.3.3.1. चालू परियोजनाएं:

वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक कार्यान्वयन के लिए, सभी पूर्वोत्तर राज्यों में शहतूत, एरी और मूगा क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है , इन परियोजनाओं की कुल लागत 822.94 करोड़ रुपये हैं जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 693.76 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेशम कीटपालन और रेशम उत्पादन मूल्य श्रृखंला संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान कर उत्तर–पूर्व क्षेत्र में व्यवहार्य वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में रेशम उत्पादन स्थापित करना है। इस परियोजना का लक्ष्य पणधारियों के लिए महत्वपूर्ण मध्यस्थता के साथ शहतूत, एरी और मूगा क्षेत्रों के अंतर्गत 31,010 एकड़ में वृक्षारोपण करना है। परियोजना अवधि के दौरान 2,285 मी.टन कच्चे रेशम का अतिरिक्त उत्पादन और 46,094 लाभार्थियों को शामिल करते हुए प्रति वर्ष 1,100 मी.टन रेशम की आशा है, जिससे उत्तर पूर्व का कुल रेशम उत्पादन 2013–14 के 4,602 मी.ट. से बढ़कर 2019–20 तक 9,238 मी.ट. हो जाएगा।

4.3.3.2 नई रेशम उत्पादन परियोजनाएं (आईएसडीपी, आईबीएसडीपी और महत्वाकांक्षी जिले सहित): (14 परियोजनाएं):

उत्तर पूर्व में रेशम उत्पादन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय ने रु 284.02 करोड़ की कुल परियोजना लागत में 2018–19 से कार्यान्वयन के लिए **14 नई परियोजनाओं** को मंजूरी दी है, जिसमें रु 261.30 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा है।

इस परियोजना के अधीन परियोजना अवधि के दौरान 7,160 एकड़ शहतूत,एरी,मूगा और ओक तसर क्षेत्र एवं 17,141 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 366 मी.ट. रेशम उत्पादन करना है। इसके अतिरिक्त असम,बीटीसी एवं मणिपुर राज्यों में स्थापित 3 नये एरी स्पॅन रेशम मिल प्रति वर्ष 165 मी.टन एरी स्पॅन रेशम सूत का उत्पादन करेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी से जिले की संभाव्यता के अनुसार शहतूत, एरी, मूगा अथवा ओक तसर को शामिल करते हुए महत्वाकांक्षी जिलों में प्रति एक/दो ब्लॉकों में रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की है। परियोजना निम्नानुसार है:

(1) असम में एरी स्पॅन रेशम मिल की स्थापना,

(2) बीटीसी में एरी स्पॅन रेशम मिल की स्थापना,

(3) मणिपुर में एरी स्पॅन रेशम मिल की स्थापना,

(4) अरुणाचल प्रदेश में बृहत पैमाने में एरी फार्मिंग,

(5) कसावा पौधारोपण के माध्यम से बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद् की महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के लिए एकीकृत एरी रेशम विकास परियोजना,

(6) नागालैण्ड के वोखा जिले में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से द्विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना,

(7) मिजोरम के महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन विकास

(8) नागालैण्ड के महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन विकास

(9) असम के महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन विकास

(10) बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद् के महत्वाकांक्षी जिले में रेशम उत्पादन विकास

(11) मेघालय के महत्वाकांक्षी जिले में रेशम उत्पादन विकास

(12) अरुणाचल प्रदेश में स्थायी आजीविका के लिए एकीकृत मूगा रेशम विकास

(13) मोकोचुंग,जिला,नागालैण्ड के चुंगटिया में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एरी रेशम विकास परियोजना।

(14) त्रिपुरा में गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना।

मार्च, 2019 तक नई अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में वस्त्र मंत्रालय द्वारा रु.22.85 करोड़ विमोचित की गई।

4.3.3.3 चालू परियोजनाओं की प्रगति: उपरोक्त चालू परियोजनाओं के लिए विमोचित रु 643.26 करोड़ के भारत सरकार हिस्से के सापेक्ष रु 527.63 करोड़ का व्यय उपगत किया गया है (85%)। मार्च, 2019 तक, लगभग 30,652 एकड़ में शहतूत, एरी और मूगा परपोषी पौधारोपण किया गया और42,026 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 2,614 मी.ट.कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया।

उत्तर पूर्व क्षेत्र की वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही समग्र रेशम उत्पादन परियोजनाओं का सारांश नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (रू.करोड़.)	भारत सरकार हिस्सा (रू.करोड़)	मार्च,2019 तक भारत सरकार का विमोचन	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना परिणाम (मी.ट.)	
				(रू.करोड़)	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (v) (मार्च 2019 तक)**
I	**वर्तमान परियोजनाएं**							
1	असम (2 परियोजनाएं)	96.22	73.69	62.44	7109	7109	225	379
2	बीटीसी (4परियोजनाएं)	131.75	115.15	95.20	8724	7543	502	510
3	अरुणाचल प्रदेश	47.89	44.62	42.39	2949	2335	99	23
4	(2 परियोजनाएं)	180.15	151.27	128.05	8782	6756	518	636
5	मणिपुर (2 परियोजनाएं)	59.16	47.68	44.04	3900	3889	189	245
6	मेघालय (2 परियोजनाएं)	76.16	64.20	60.99	3685	3652	159	159
7	मिजोरम (3 परियोजनाएं)	83.12	70.13	66.62	5275	5281	265	316
8	नागालैण्ड (4 परियोजनाएं)	29.68	26.43	25.11	1094	885	27	9
9	सिक्किम (1 परियोजना)	81.09	62.87	57.75	4576	4576	302	337
10	त्रिपुरा (3 परियोजनाएं)	37.71	37.71	35.82	30 लाख शहतूतल – 3.70 लाख मूगा/एरी डीएफएलएस/वर्ष			
11	केरेबो बीज अवसंरचना (1 परियोजना)	–	–	2.00				
	आईईसी	822.94	693.76	620.41	46094	42026	2286	2614
II	**कुल (I) (24 परियोजनाएं)**							
1	नई परियोजनाएं	42.56	38.64	0.00	3700	–	55	–
2	असम (2 परियोजनाएं)	60.43	55.08	5.78	4860	–	67	–
3	बीटीसी (3 परियोजनाएं)	49.94	47.80	9.12	2020	–	98	–
4	अरुणाचल प्रदेश (2 परियोजनाएं)	21.53	19.09	0.00	2500	–	–	–
5	मणिपुर (1 परियोजना)	12.08	10.97	0.00	410	–	14	–
6	मेघालय (1 परियोजना)	11.56	10.82	3.45	650	–	20	–

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (रू.करोड़.)	भारत सरकार हिस्सा (रू.करोड़)	मार्च,2019 तक भारत सरकार का विमोचन	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना परिणाम (मी.ट.)	
				(रू.करोड़)	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (v) (मार्च 2019 तक)**
7	मिजोरम (1 परियोजना)	54.82	51.28	4.50	1901	–	76	–
8	नागालैण्ड (3 परियोजनाएं)	31.11	27.64	0.00	1100	–	35	–
कुल (II) (14 परियोजनाएं)		**284.02**	**261.32**	**22.85**	**17,141**	**-**	**365**	**-**
कुल योग (I+II) (38 परियोजनाएं)		**1,106.97**	**955.08**	**643.26**	**63,235**	**42,026**	**2,651**	**2,614**

** मूलतः परियोजना अवधि तीन वर्ष है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह जारी है। तथापि, परियोजना का विस्तार किया गया है, लक्ष्य की तुलना की तुलना में उत्पादन बढ़ा है।

4.3.4. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना प्रौद्योगिकी पहल

4.3.4.1. अनुसंधान व विकास (अ व वि):

वर्ष 2018–19 के दौरान, **मार्च, 2019** तक कुल 25 नई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं और केरेबो के विभिन्न अनुसंधान व विकास संस्थानों द्वारा **24** परियोजनाओं का समापन किया गया है और वर्तमान में कुल **165** अनुसंधान परियोजनाएं, जिनमें से शहतूत क्षेत्र की **98**, वन्य क्षेत्र की **48** और कोसोत्तर क्षेत्र की **19** प्रगति पर है। वर्ष के दौरान, एक उच्च उपज शहतूत जीन प्ररूप सी–9, कम निविष्ट उपयुक्त मृदा की पहचान की गई और एक शहतूत किस्म पीपीआर–1 विकसित की गई, जो उच्च मूलन प्रतिशतता के साथ शीतोष्ण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।

4.3.4.2. परपोषी पौध सुधार :

- ❖ अखिल भारतीय समन्वित प्रयोगात्मक परीक्षण चरण IV में तीन नयी उच्च उत्पादक शहतूत प्रजाति जैसे एजीबी–8, पीपीआर–1 तथा सी1360 का परीक्षण भारत के 20 परीक्षण केन्द्रों में प्रारंभ किया गया है।
- ❖ छ त्रिगुणित शहतूत जीनप्ररूपों के साथ एक अंतिम उत्पादन परीक्षण प्रारंभ किया गया।
- ❖ 25 चयनित शहतूत संकरों के साथ पीवाईटी प्रारंभ किया गया।
- ❖ सूचीबद्ध संकर पौधारोण द्वारा 4 विभिन्न परीक्षण केंद्रों में एफवाईटी प्रारंभ किया गया।
- ❖ विशेषक का विकास, एकरूपता और स्थिरता (डीयुएस) को शहतूत के लिए मानकीकृत किया गया है और पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- ❖ शुष्क सहिष्णुता के लिए टी. अर्जुना के 10 अभिगमों का परीक्षण किया गया तथा अभिगम सं. 525 एवं सं. 523 उच्च प्रतिबल सहिष्णु सूचकांक के मामले में बेहतर पौधा वृद्धि, भौतिक तथा जैव रासायनिक लक्षणों के साथ

बेहतर पाया गया।

- भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र स्तम्भ सहनशील सी9 के साथ बहुस्थानीय अध्ययन प्रारंभ किया गया है।
- दो सोम अभिगम (एस3 व एस6) पर्ण चित्ती रोग, पर्ण अंगमारी और जंग प्रतिरोधी क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। 32मी.ट./हे/वर्ष के पर्ण उपज के साथ एलेन्थस ग्रांडिस (बरपत) को एरी रेशमकीट के वैकल्पिक परपोषी पौधे के रूप में लोकप्रिय बनाया गया।
- 68–74% रोग दमन प्रभाविकता के साथ मूल गांठ रोग के प्रबंधन के लिए "रॉट फिक्स" विकसित कर लोकप्रिय बनाया जा रहा है।
- अंकुर, जैव एवं अजैव पोषक तत्वों के सम्मिश्रण का परीक्षण परमर्श परियोजना के अधीन किया गया।
- कश्मीर क्षेत्र में मूल गांठ रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- गोशेओरामी उपजाति के लिए 83% सफलता दर के साथ एक सूक्ष्म प्रचार नयाचार विकसित किया गया।
- विगत 10 वर्ष के दौरान, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए कुल 14 शहतूत प्रजातियों का विमोचन किया गया और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए चार वन्य परपोषी पौधों को अनुशंसित किया गया।
- अनुसंधान व विकास प्रयास से शहतूत उत्पादकता 2005–06 के 50मीट/हे/वर्ष से 2017–18 के दौरान 60 मी.ट. तक के सुधार के प्रति मदद मिली है।

4.3.4.3.रेशमकीट फसल सुधार, उत्पादन एवं संरक्षण :

- 68 किग्रा. कोसा/100 रोमुच की उपज संभाव्यता के साथ हाल ही में प्राधिकृत उच्च उत्पादक रेशमकीट संकर जी11× जी19 को कर्नाटक,तेलंगाना,आंध्र प्रदेश,तमिलनाडु,केरल एवं महाराष्ट्र में लोकप्रिय बनाया गया।
- हाल ही में प्राधिकृत उच्च उत्पादक रेशमकीट संकर बी कॉन1x बी कॉन4 को वाणिज्यिक उपयोग के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड और उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकप्रिय बनाया गया।
- बुलगेरिया से रेशमकीट आनुवंशिक संसाधन का उपयोग करते हुए 25 अंडाकार एफ सी और 15 डम्बबेल एफसी विकसित किया गया।
- नव–विकसित एमएएसएन रेशमकीट वंश को दक्षिण भारत में इसकी उपयुक्तता के लिए विभिन्न कृषि जलवायु अवस्था में क्षेत्र में परीक्षण किया गया।
- कावेरी गोल्ड (एमवी11 x एस8) एक उन्नत संकर नस्ल 62 से 74 किग्रा./100 रोमुच की उपज के साथ विकसित किया गया।
- रेशमकीट में अंड निक्षेपण में वृद्धि लाने के लिए व्यवस्थित अंडनिक्षेपण उद्दीपक मिश्रण अर्काएगस्ट्रा विकसित किया गया।
- तसर रेशमकीट में विकसित बीडीआर 10 नस्ल को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।
- अधिक रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए रोग–प्रतिरोधक जीनों की अधिक अभिव्यक्ति के लिए ट्रान्सजेनिक रेशमकीट विकसित किये गये।
- मूगा रेशमकीट एंथेरियाएसामेन्सीसं के जीनोम

का अनुक्रम किया गया और जीनोम का आकार 500 एमबी था।

❖ आण्विक मार्कर सहायता प्राप्त चयन प्रजनन के माध्यम से 21.5% कवच के साथ 72 किग्रा.कोसा/100 रोमुच की उपज संभाव्यता के साथ एक ताप–सहिष्णु द्विप्रज द्वि संकर (एन21xएन56) विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त, दो नए उत्पादक द्विप्रज संकर नामतः सीएसआर52एन x सीएसआर26एन और (सीएसआर52एन.एस8एन) x (सीएसआर16एन.सीएसआर26एन) बीएमएनपीवी सहनशीलता के साथ–ही–साथ 70 किग्रा./100 रोमुच के उपज संभाव्यता के साथ उन्नत संकर नस्ल नामतः आईसीबी 17xएस8 और आईसीबी 14xएन23 और 2ए–3ए श्रेणी के रेशम विकसित किये गये। यह क्षेत्र में परीक्षणाधीन है।

❖ एलएएमपी नोसिमा बॉम्बिसिस का पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की गयी और बीज स्टॉक के साथ मान्यता दी गई। इस तकनीक का उपयोग मूगा रेशमकीटों में भी किया गया।

❖ लिंग फिरोमोन आधारित "ऊजील्युर" को एनबीएआईआर–बेंगलूरु के सहयोग से विकसित किया गया ओर प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय स्थिति में ऊजी मक्खी के प्रभावी प्रबंधन के लिए विश्लेषण किया गया।

❖ स्मियर की स्पष्टता बढ़ाते हुए सेलुलर डेब्रिस हटाते हुए पेब्रिन रोग को आसानी से पहचानने हेतु तसर मादा शलभ में पेब्रिन स्पोर को आसानी से देखने के लिए पेब्रिन विश्युवलाइज़ेशन सोल्यूशन (पीवीएस) विकसित किया गया।

❖ विगत 10 वर्ष के दौरान, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए 13 शहतूत द्विप्रज रेशमकीट संकर, 12 शहतूत संकर नस्ल संकर, 5 वन्य रेशमकीट नस्ल विमोचित किये गये।

❖ अनुसंधान व विकास प्रयास से 2005–06 के 48 किग्रा./100 रोमुच के उत्पादन से 2017–18 के दौरान 60.3 किग्रा./100 रोमुच तक सुधार लाने में मदद मिली है।

4.3.4.4. कोसोत्तर प्रौद्योगिकी का विकासः

- प्रतिदिन 1.2 मी.ट. कोसों को सुखाने की क्षमता की कन्वेयर कोसा शुष्कन मशीन का विकास किया गया।
- मूगा कोसों के भीर धागाकरण की प्रतिस्थापना के लिए नई धागाकरण मशीन "सोनालिका" विकसित की गई।
- एरी कोसों को खोलने की मशीन, कोसों को पकाने के लिए पूर्व उपचार उपकरण तथा रंगाई की छोटी मशीन विकसित की गई।
- अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के भारतीय रेशम का उपयोग करते हुए विविध रेशम निटवेयर उत्पाद/कपड़ों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- एचटीएचपी विधि का प्रयोग करते हुए रेशम सूत से सेरिसिन निष्कर्षण की प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- तसर कोसों को पकाने के लिए "तसर पल्स" का विकास किया गया।

4.3.4.5. उत्पाद डिजाइन विकास एवं विविधीकरणरू

- निफ्ट मुंबई और भुवनेश्वर के साथ चालू परियोजनाएँ, मध्य प्रदेश के बाग़, महेश्वर और उड़ीसा के नुवापटना और संबलपुरी

जैसे क्लस्टरों में नए उत्पादों के विकास के साथ जारी हैं। दोनों परियोजनाओं के अधीन उत्पादों का विकास पूरा हो चुका है।

- हस्ताक्षरित संघ ज्ञापन के अनुसार, मेसर्स फाइव पी वेंचर्स, ईरोड, नियमित रूप से सिल्क डेनिम और अन्य एरी रेशम उत्पादों का उत्पादन कर रहा है और इसे घरेलू और निर्यात बाजार में विपणन कर रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने तकनीकी सहायता प्रदान की है।

- बैंगलूरू से सुश्री दीपिका गोविंद डिजाइनर ने डिजाइन विकास से उत्पादन तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड की तकनीकी सहायता से पटोला क्लस्टर में एरी रेशम के साथ एरी स्टॉल और साड़ियों का विकास किया है। डिजाइनर द्व ारा स्टॉल और साड़ी जैसे उत्पाद विकसित कर इन्हें वाणिज्यिकृत किया गया।

- भुवनेश्वर में तोशाली मेला, दिल्ली में ट्रेड फेयर तथा विभिन्न स्थानों में रेशम मार्क प्रदर्शनी में भाग लिया तथा नवविकसित रेशम उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

4.3.4.6. पेटेन्टिंग/वाणिज्यिकरण के लिए फाइल की गई प्रौद्योगिकी/उत्पाद

- i) जकार्ड के लिए न्यूमेटिक लिफ्टिंग मेकेनिजम का उपयोग करते हुए उन्नत हथकरघा तथा ii) उन्नत धागाकरण सह ऐंठन मशीन के लिए पेटेन्ट को पुरस्कृत किया गया।

- रॉट फिक्स– शहतूत में मूल विगलन के नियंत्रण के लिए एक विशाल स्पेक्ट्रम पारि–स्नेही संरूप को पेटेन्ट करने के लिए आवेदन दिया गया।

- अंकुर, मृदा उर्वरता और स्वास्थ्य के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व के पूरक को वाणिज्यिकृत किया गया।

- अंकुश, रेशमकीट के शरीर के लिए एक पर्यावरण अनुकूल और कीटपालन सीट कीटाणुनाशक को वाणिज्यिकृत किया गया।

- रॉट फिक्स, शहतूत में मूल विगलन रोग के नियंत्रण के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम के पर्यावरण अनुकूल संरूप को वाणिज्यिकृत किया गया।

4.3.4.7. रेशम उत्पादन में सुदूर संवेदन और भूस्थानिक सूचना प्रणाली का अनुप्रयोग

एनईएसएसी, शिलांग (उत्तर–पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र) के सहयोग से सिल्क्स (रेशम उत्पादन सूचना अनुबंध और ज्ञान प्रणाली) का विकास किया गया है और देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।"सिल्क्स" एक एकल विण्डो, आईसीटी (सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी) आधारित सूचना और सलाहकार सेवा प्रणाली है जो योजना बनाने वाले, क्षेत्र कर्मचारी तथा रेशम उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए है। परियोजना के प्रथम चरण में 24 राज्यों में कुल 108 जिलों को शामिल किया गया है और द्वितीय चरण में 70 जिलों को शामिल किया जा रहा है। हाल में रेशम उत्पादन के लिए "प्रोजेक्ट एटलेस" (चरण II उत्तर–पूर्वी राज्य) तथा 20 चयनित जिलों के लिए सिल्क्स पोर्टल का विमोचन दिनांक 22.10.2018 को गुवाहाटी, असम में आयोजित कार्यशाला के दौरान किया गया। शेष 50 जिलों में (उत्तर–पूर्वी राज्यों के अलावा) अध्ययन प्रगति पर है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने स्व–निहित गगन सक्रिय वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली के एक डेटा रिकॉर्डर उपकरण "नवशारे" का उपयोग करते हुए अनेक सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के समर्थन से केरेबो और राज्यों द्वारा बनाई गई परिसंपत्ति (वृक्षारोपण और अवसंरचना) के भू–टैगिंग के लिए उत्तर–पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनईएसएसी) शिलांग, मेघालय के साथ सहयोगी परियोजना भी शुरू की है। भू–टैगिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीपीएस अनुकूल उपकरण परिसंपत्ति के चित्र (पौधारोपण एवं अवसंरचना), स्थान तथा परिसंपत्ति के विवरण जोड़ सकता है।

एनईएसएसी द्वारा मोबाईल ऐप नामतः **'सिल्क्स'** विकसित किया गया है जो परिसंपत्ति के भू–टैगिंग के लिए है और मोबाइल ऐप परीक्षणाधीन है। एनईएसएसी और केरेबो मोबाइल ऐप के प्रयोग के माध्यम से परिसंपत्ति के भू–टैगिंग पर उत्तर–पूर्वी राज्यों के राज्य व केरेबो अधिकारियों/वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की प्रक्रिया में है।

सदस्य सचिव, केरेबो की अध्यक्षता में एनईएसएसी परियोजना के कार्यान्वयन नामतः "उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विभिन्न सरकारी निधि प्राप्त परियोजनाओं के समर्थन से सृजित परिसंपत्ति की भू–टैगिंग" की समीक्षा बैठक केरेबो, बेंगलूरु में दिनांक 28.12.2018 को श्री पी एल एन राजू, निदेशक, एनईएसएसी, शिलांग व एनईएसएसी एवं केरेबो के वैज्ञानिकों के साथ आयोजित की गई।

4.3.4.8. क्षमता विकास व प्रशिक्षणः

केरेबो का क्षमता विकास व प्रशिक्षण अनुभाग अपने सभी अनुसंधान व विकास संस्थानों के साथ वर्ष 2018–19 से क्षमता विकास जारी रखा और उद्योग के पणधारियों को इसे उजागर किया। प्रतिभागियों को विभिन्न संरचित तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से रेशम के सभी उप–क्षेत्रों (शहतूत, तसर, एरी व मूगा) को शामिल करते हुए रेशम क्षेत्र की अनुशंसित प्रौद्योगिकियों और अन्य आधुनिक विकास का प्रदर्शन किया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 17,292 (आंतरिक एवं उद्योग पणधारी सहित) व्यक्तियों को शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2018–19 (अप्रैल 18– मार्च 19) के दौरान 12,825 व्यक्तियों के लक्ष्य के सापेक्ष 13,885 व्यक्तियों को विभिन्न कुशलता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान उपलब्धियों के मुख्य आकर्षण निम्न हैं :

- वर्ष 2018–19 के दौरान 60 विद्यार्थियों के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष कुल 52 विद्यार्थी (शहतूत में 37 उम्मीदवार एवं वन्य रेशम उत्पादन में 15 उम्मीदवार) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे हैं। 55 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों ने छोड़ दिया। इनमें से अधिकतर उम्मीदवारों को उत्तर–पूर्वी राज्य सहित विभिन्न रेशम उत्पादक राज्यों द्वारा प्रायोजित किया गया।
- 8,189 कृषकों/उद्योग पणधारियों को कौशल प्रशिक्षण व उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकियों को उजागर किया गया, **782** आंतरिक मानव संसाधन को

एमडीपी के अन्तर्गत कौशल विकास प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त 4,862 व्यक्तियों को मुख्यतः एनईआरटीपीएस तथा अन्य रेशम उत्पादन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रायोजित उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

- अब तक मुख्य रेशम उत्पादन क्लस्टरों में कुल 23 रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं और सभी प्रचालित हैं। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान इन रेशम उत्पादन संसाधन केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/प्रदर्शन के माध्यम से 5,657 कृषक लाभान्वित हुए हैं जिसे 'सहकर्मियों से सीखना' आधार पर उत्कृष्ट कृषकों द्वारा चलाया जाता है।

4.3.4.9. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण :

समाप्त परियोजनाओं से विकसित प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात् कृषि मेला, समूह चर्चा, प्रबोधन कार्यक्रम, क्षेत्र दिवस, कृषक सम्मिलन, दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, आदि के माध्यम से क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 1438 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 38 प्रौद्योगिकियों को कोसापूर्व क्षेत्र के अधीन उपयोगकर्ता के स्तर पर सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोसोत्तर क्षेत्र में कुल 16 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन 1514 कृषकों को किया गया तथा 1023 कृषकों को कोसोत्तर प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया एवं 91405 कोसा एवं रेशम नमूनों का परीक्षण किया गया एवं इसके परिणाम प्रदान किए गए।

4.3.4.10 क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम

क. द्विप्रज क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम

12वीं योजना के दौरान देश में निर्यात एवज़ी रेशम के संवर्धन और वर्ष 2016–17 के अंत तक द्विप्रज रेशम का उत्पादन 1685 मी. टन (2012–2013) से बढ़ाकर स्तर से 5000 मी. टन तक करने पर अधिक जोर डाला गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य के रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से क्लस्टरों के माध्यम से 12वीं योजना – अवधि के अंत तक 172 द्वि प्रज क्लस्टर विकसित कर लगभग 3200 मी. टन द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन किया, इसके अतिरिक्त अनावृत्त क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए शेष 1800 मी. टन का उत्पादन हुआ। केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, मैसूरु/पाम्पोर/बरहमपुर एवं राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (रारेबीसं), बेंगलूरु के निदेशकों को संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभाग के समन्वय से उन क्लस्टरों में कार्यान्वयन का अनुश्रवण कार्य सौंपा गया।

उत्तर–पश्चिम क्षेत्र के कुछ विद्यमान क्लस्टरों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए इन्हें पुनःसंरचित किया गया है और कुल क्लस्टर लक्ष्य को प्रभावित किए बिना विद्यमान 172 क्लस्टर से क्लस्टरों की संख्या 151 तक कम की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान अच्छी श्रेणी के द्वि प्रज कच्चे रेशम का उत्पादन सबसे अधिक अर्थात् 5874 मी. टन. रिकार्ड किया गया जिससे वर्ष 2011–2012 (11वीं योजना के अंत) के दौरान 1685 मी. टन. के उत्पादन की तुलना में 248% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। वर्ष 2017–18 के दौरान 5874 मी. टन. की उपलब्धि में 151 क्लस्टरों से 4100 मी. टन रेशम (70%) शामिल है। वर्ष 2018–19 के दौरान (फरवरी 2019 तक) कुल द्विप्रज

कच्चे रेशम का उत्पादन 6122 मी. टन. है, जिसमें से क्लस्टरों ने 4150 मी. टन. (67.7%) का योगदान दिया। आशा की जाती है कि इन क्लस्टरों से 4900 मी. टन. (68%) उत्पादित किया जाएगा और शेष 2300 मी. टन. अनावृत्त क्षेत्रों से वर्ष 2018–19 के दौरान उत्पादित किया जाएगा।

वर्षवार द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन (2013–14 से 2017–18 व 2018–19, फरवरी, 2019 तक) और क्लस्टरों का योगदान निम्न तालिका में उल्लिखित है :

वर्ष	कच्चा रेशम			
	लक्ष्य (मी.टन)	उपलब्धि (मी.टन)	उपलब्धि (%)	क्लस्टर उत्पादन (मी.टन)
2013–14	2480	2559	103	1475
2014–15	3500	3870	110	2357
2015–16	4500	4613	103	2932
2016–17	5260	5266	100	3400
2017–18	6200	5874	95	4100
2018–19	7200	6911 (अनंतिम)	96	4987 (अनंतिम)

ख. संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम

प्रयोगशाला से भूमि तक प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण तथा मॉडल रेशम उत्पादन ग्रामो की स्थापना के लिए केरेबो द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान अपने मुख्य अनुसंधान व विकास संस्थानों के माध्यम से संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है। संस्थान ग्राम संबद्ध कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्न है :

- बृहत् तथा सूक्ष्म स्तर पर नई प्रौद्योगिकी की अपेक्षा के लिए कार्यक्षेत्र पहचानना।
- छोटे फार्म उत्पादन प्रणाली की उत्पादकता के साथ दीर्घकालिकता पर जोर देते हुए प्रौद्योगिकी मध्यस्थता करना।
- प्रौद्योगिकी मध्यस्थता को बनाए रखने के लिए उचित प्रौद्योगिकी प्रारंभ करना और उसका एकीएकरण तथा पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार करते हुए उत्पादकता और लाभ को कायम रखने के लिए उसका समाकलन।
- उच्च आर्थिक लाभ के लिए फार्म पर कृषि उत्पाद, उपोत्पाद एवं अपशिष्ट के समुचित मूल्य संवर्धन के लिए सुविधा प्रदान करना।
- कड़ी मेहनत से बचने, महिलाओं की बेहतर क्षमता और उच्च आय प्रदान करने के लिए उचित प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु सुविधा प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी मध्यस्थता के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का अनुवीक्षण।

कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5585 कृषकों को शामिल किया गया जिनमें से 3573 कृषकों को 27 शहतूत क्लस्टरों तथा 1712 कृषकों को 21 वन्य क्लस्टरों तथा 300 कृषकों को कोसोत्तर क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है जो 9 अनुसंधान संस्थानों द्वारा कार्यान्वित है। उपरोक्त क्लस्टरों के परिणाम बेंच मार्क उत्पादन स्तर से द्विप्रज कोसा उत्पादन,

औसत उपज की अपेक्षा 30–40% वृद्धि के साथ उत्साहजनक रहा और देश के द्विप्रज उत्पादन में भी वृद्धि की। यह प्रत्याशित कार्यक्रम के लाभ निकटवर्ती क्षेत्र के कृषकों को आने वाले वर्षों में अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो व्यापक पैमाने पर वैज्ञानिक ढंग से रेशम उत्पादन अपनाने में सहायक होगा। इस कार्यक्रम को वर्ष 2019–2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

ग. वन्य क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम :

वन्य रेशम के उन्नयन के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 9 राज्यों में क्लस्टर पहल के माध्यम से राज्य सरकार के समन्वयन से 22 क्लस्टरों की स्थापना की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, क्षमता विकास के अधीन कुल 2850 लाभार्थियों को शामिल किया गया, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सेवाओं पर एक्सपोज़र विज़िट, रोगाणुनाशक की डोर–टू–डोर आपूर्ति एवं जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली बीज फसल में 924 अपनाए गए कीट पालकों द्वारा 1.692 लाख रोमुबीच का कूर्चन किया गया और 36.45 कोसा/रोमुबीच की दर पर 61.67 लाख बीज कोसों का उत्पादन किया गया।

4.3.4.11. सूचना प्रौद्योगिकी (31 मार्च, 2019 तक सूचना प्रौद्योगिकी पहल):

i. **डीबीटी एमआईएस:** 'रेशम उद्योग के विकास' योजना के लिए डीबीटी एमआईएस का विकास पूरा किया गया और एसटीक्युसी द्वारा सुरक्षा लेखा–परीक्षा समाशोधन प्राप्त हुआ है। इसे डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ii. **एम–किसान :** केरेबो ने कृषकों को उनके मोबाइल टेलीफोन से एम–किसान वेब पोर्टल के इस्तेमाल द्वारा वैज्ञानिक सुझावों को प्रदान करने हेतु सूचना–प्रसार के लिए वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की पहुंच को और विस्तृत किया है। सभी मुख्य संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से सलाह प्रदान कर रहें हैं। 31.03.2019 तक 53,14,565 एसएमएस संदेशों के रूप में 410 सलाह भेजे गए।

iii. **एसएमएस सेवा :** कृषकों तथा उद्योग के अन्य पणधारियों के उपयोग के लिए रेशम तथा कोसों के दैनिक बाज़ार दर के संबंध में मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस सेवा प्रचालित की गई है। पुश और पुल दोनों एसएमएस सेवा प्रचालन में है। रेशम उत्पादन निदेशालय से प्राप्त मोबाइल नम्बर को अद्यतन किया गया है और दैनिक आधार पर सभी पंजीकृत 9361 कृषकों को एसएमएस संदेश प्राप्त हो रहे हैं।

iv. **सिल्क पोर्टल** : उत्तर–पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से छाया चित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विकास किया गया और रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्रों के चयन एवं विश्लेषण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी, बहु–जिला ऑकडा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

v. **वीडियो कान्फ्रेंस :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड में केरेबो कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु, केरेअवप्रसं, मैसूरु व बहरमपुर, केतअवप्रसं, राँची, केरेअवप्रसं, पाम्पोर, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सुसज्जित वीडियो

कान्फ्रेन्स सुविधा उपलब्ध है। 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 33 बहु–स्टुडियो वीडियो की कान्फ्रेंस संचालित किए गए।

vi. केरेबो वेबसाइट : केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट "csb.gov.in" द्विभाषी रूप अर्थात् ण्अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य नागरिकों के लिए, जिन्हें संगठन तथा इसकी योजनाओं एवं अन्य विवरण के बारे में जानना होता है, अधिकाधिक जानकारी प्रसारित की जाती है। वेबसाइट में रेशम उत्पादन योजना कार्यक्रम, उपलब्धियाँ तथा सफलता की कहानियाँ विशेष रूप से दी गई हैं। केरेबो ने अपना नया वेबसाइट पूरा किया है और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू अनुकूल तथा सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

vii. एईबीएएसः आधार सक्रिय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली केन्द्रीय रेशम बोर्ड में लागू की गई है। उपस्थिति पोर्टल में फार्म कामगार सहित 4254 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत है। सभी 121 उपकरण आर डी सेवा से युक्त है। केरेबो की पुनर्संरचना के कारण, लगभग 450 कर्मचारियों को विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया गया, उन्हें अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

viii. कृषकों तथा धागाकारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस : राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों तथा धागाकारों का डेटाबेस बनाने के लिए कृषक एवं धागाकार डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया गया है, इससे प्रभावी निर्णय लेने में समुचित सूचना के साथ नीति निर्धारकों को मदद मिलेगी। डेटाबेस में राज्यों द्वारा 31 मार्च, 2019 को यथाविद्यमान **6,80,180** कृषकों एवं **12,187** धागाकारों के विवरण रिकार्ड किए गए हैं।

ix. एनईआरटीपीएस पर एमआईएस "उत्तर पूर्वी राज्यों में गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना": गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन के लिए एमआईएस विकसित कर सभी पणधारियों द्वारा बिना समस्या के इसे देखने के लिए समर्पित सर्वर पर होस्ट किया गया है।

x. एफआरडीबी कृषकों के साथ संपर्क करने के लिए बीपीओः प्रत्येक अंचल के नोडल अधिकारी एफआरडीबी ऑकडा आधार से मोबाइल नंबर लेते हुए चयनित कृषकों से नियमित रूप से संपर्क कर रहे हैं।

xi. सिल्क समग्र पर मोबाइल एप्प का विकासः डिजाइनिंग एवं आंकडा का संग्रहण प्रगति पर है।

4.3.5. बीज संगठन– रेशमकीट बीज उत्पादन तथा आपूर्ति

बेंगलूरु स्थित राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (रारेबीसं) के अधीन 17 बुनियादी बीज फार्म की श्रृंखला केरेबो तथा राज्य विभागों के अधीन कार्यरत बीज उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक रेशमकीट बीज के उत्पादन के लिए बुनियादी बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त उद्योग के समर्थन के लिए रारेबीसं के अधीन विभिन्न राज्यों में 18 रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र कार्यरत हैं। 17 रेबीउके में आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन के अंतर्गत बीज उत्पादन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण रोगमुक्त चक्ते के उत्पादन पर ज़ोर दिया गया। उत्तर–पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत जोरहट, असम में उत्तर–पूर्व राज्यों के वाणिज्यिक

बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक रेबीउके स्थापित किया गया है।

बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन (बुतरेबीसं) के अंतर्गत देश में उष्ण कटिबंधीय तसर के लिए 18 बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र (बुबीप्रवप्रके) तथा एक केन्द्रीय तसर रेशमकीट बीज केन्द्र (केतरेबीके) कार्यरत हैं। इन इकाईयों की मुख्य जिम्मेदारी देश में बीज उत्पादन का क्रमबद्ध संगठन तथा उष्ण कटिबंधीय तसर बीज की आपूर्ति करनी है। ओक तसर के संबंध में ओक तसर बीज उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए 2 क्षेरेअके, 1 अविकें कार्यरत हैं। मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मूरेबीसं) के अधीन बुनियादी बीज के उत्पादन के लिए 2 पी4 इकाई और 9 पी3 इकाई स्थापित की गई है, इसी प्रकार वाणिज्यिक बीज के उत्पादन के लिए 2 मूगा रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एरी रेशमकीट बीज संगठन (एरेबीसं) के अधीन बुनियादी तथा वाणिज्यिक बीज के उत्पादन तथा राज्यों को आपूर्ति के लिए अपरम्परागत राज्यों में 1 पी2 एरी बुनियादी बीज फार्म, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में 1 एरी रेबीउके तथा 4 एरी रेबीउके स्थापित किए गए हैं।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2017–18 व 2018–19 (फरवरी/मार्च 2019 तक) के दौरान केरेबो की बीज इकाईयों द्वारा उपलब्ध प्रगति का विवरण दर्शाता है :

(रोमुच लाख सं. में)

#	बीज का प्रकार	2017–18		2018–19	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (फरवरी 2019 तक)
1	**शहतूत**				
क	बुनियादी बीज	9.94	10.74	9.92	12.18
ख	वाणिज्यिक बीज	440.00	388.35	440.00	483.04
2	**वन्य बीज**				
क	**बुनियादी बीज**				
i	तसर (बुनियादी व आण्विक)	50.09	52.34	51.02	51.08
ii	ओक तसर	0.99	0.47	0.64	0.78
Iii	मूगा	6.57	5.36	6.28	4.04
Iv	एरी	0.60	0.93	0.70	0.91
ख	**वाणिज्यिक बीज**				
i	मूगा	1.50	1.72	1.88	1.29
ii	एरी	5.40	5.95	5.30	6.31

4.3.6. समन्वय तथा बाजार विकास

केरेबो का लक्ष्य है "भारत विश्व में रेशम के अग्रणी देश के रूप में उभरे" और इस लक्ष्य परक कथन के समर्थन में बोर्ड ने सभी 3 विशेष क्षेत्रों – क) रेशमकीट बीज उत्पादन, ख) क्षेत्र/कोसा पूर्व क्षेत्र तथा ग) उद्योग अथवा कोसोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों को योजनाबद्ध किया है।

केरेबो के कार्यकलापों में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन, 4 स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख–रखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता पैरामीटर स्थापित करना, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का उन्नयन तथा केन्द्र सरकार को रेशमउत्पादन एवं रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों में सलाह देना। इन कार्यकलापों का संचालन विभिन्न राज्यों में स्थित 192 इकाइयों [31.03.2019 को यथाविद्यमान] के समूह द्वारा किया जा रहा है।

रेशम की बढ़ती आंतरिक मांग और भूमंडलीय ताप, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, शहरीकरण एवं नए नाशक जीवों और रोगों के प्रकोप की चुनौतियों को पूरा करने एवं रेशम उत्पादन क्षेत्र को वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान व विकास संस्थान कृषकों/विद्यार्थियों/पणधारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

रेशम उद्योग के संपूर्ण विकास के लिए संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभाग ओर निजी उद्यमियों के समन्वय से केंद्रीय सेक्टर योजना ख्केसेयो, और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केरेबो के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भरपूर लाभ लिया जा रहा है।

4.3.6.1 कच्चा माल बैंक

केरेबो ने वन्य रेशम के लिए कच्चा माल बैंक की स्थापना की है ताकि कोसों के मूल्य में स्थिरता और प्राथमिक उत्पादकों के लिए लाभकर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

कच्चा माल बैंक [आरएमबी]/मूगा कच्चा माल बैंक [एमआरएमबी] द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 **[मार्च 2019 तक]** के दौरान तसर/मूगा कोसों के क्रय एवं बिक्रय के विवरण नीचे दिए गए हैं :

4.3.6.2 तसर कच्चा माल बैंक, चाईबासा :

[इकाई : मात्रा लाख में और मूल्य लाख रुपयों में]

वर्ष	क्रय		बिक्रय	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2017–18	158.18	180.78	157.65	225.32
2018–19	165.11	201.53	104.23	169.43

4.3.6.3 मूगा कच्चा माल बैंक, लाहदोईगढ़ :

[इकाई : मात्रा लाख में और मूल्य लाख रुपयों में]

वर्ष	क्रय		बिक्रय	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2017–18	1.59	2.32	1.59	2.43
2018–19	1.79	2.73	1.79	2.80

4.3.7 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली:

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपाय किया जाए। योजनांतर्गत, दो घटकों यथा "कोसा एवं कच्चे रेशम के परीक्षण एकक" एवं "रेशम मार्क संवर्धन" को लागू किया जा रहा है। कोसों की गुणवत्ता से धागाकरण के दौरान निष्पादन तथा उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीडीपी के समर्थन से विभिन्न कोसा बाज़ारों में स्थापित कोसा परीक्षण केंद्र कोसा परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से संबंद्ध केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केंद्र निर्यात किए जाने वाले रेशम माल को लदान पूर्व स्वैच्छिक निरीक्षण करते हैं, ताकि भारत से निर्यात किए जा रहे रेशम माल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, भारत के रेशम मार्क संगठन [भा रे मा सं] के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्वता के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है। "रेशम मार्क", लेबल एक प्रकार का आश्वसन है, जो शुद्व रेशम के नाम पर कृत्रिम रेशम उत्पादों को बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 [मार्च 2019 तक] के दौरान रेशम मार्क योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है :

विवरण	2017–18		2018–19	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि [मार्च 2019 तक]
नामांकित नये सदस्यों की कुल सं.	250	271	250	291
बेचे गए रेशम मार्क लेबुलों की कुल सं. (लाख सं.)	27.50	23.940	27.00	25.460
जागरुकता कार्यक्रम/प्रदर्शनी / मेले/ कार्यशाला/रोड शो	450	553	480	463

4.3.7.1 रेशम मार्क प्रदर्शनी :

रेशम मार्क की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से देशभर के रेशम मार्क प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए रेशम मार्क प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। रेशम मार्क प्रदर्शनी लोकप्रियता का एक आदर्शमंच है जो शुद्व रेशम उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए निर्माताओं और उपभोक्ताओं को एक ही मंच पर लाने का कार्य करती है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों का अच्छा व्यापार होता है। इस कार्यक्रम के दौरान भारेमसं द्वारा प्रभावशाली जागरुकता और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 [मार्च 2019 तक] के दौरान भारेमसं ने गुवाहाटी [2], डिब्रूगढ़, विशाखापटनम, हैदराबाद, कोच्ची, बेंगलूरु, मैसूर एवं पुणे में 9 रेशम मार्क प्रदर्शनियां आयोजित की।

अभी हाल ही में भारेमसं ने विकास आयुक्त [हथकरघा] के सहयोग से रेशम मार्क विशेष हथकरघा प्रदर्शनी के आयोजन की संभावनों के बारे में विचार किया है। विकास आयुक्त [हथकरघा] ने सैद्धांतिक रूप से पुणे, हैदाराबाद और वैज़ैग में 3 प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी है। इस प्रकार भारेमसं ने वैज़ैग, हैदाराबाद, पुणे में राष्ट्रीय स्तर की विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का सफ़लतापूर्वक आयोजन किया है। अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न नगरों में प्रदर्शनियां आयोजित करने की संभावना के लिए अगली कार्रवाई की जा रही है।

4.3.7.2 रेशम घर-भारतीय शुद्व रेशम का घर

विभिन्न राज्यों और केंद्र के शीर्ष संकायों के समन्वय से रेशम घर–स्टोर–इन–स्टोर, के माध्यम से भारतीय रेशम के संवर्धन के लिए एक आदर्श मंच की परिकल्पना की है जो उपभोक्ताओं को रेशम मार्क लेबुल की प्रमाणिकता सहित 100% शुद्व रेशम उत्पाद उपलब्ध कराता है। प्रयोगात्मक तौर पर नई दिल्ली में रेशमघर–भारतीय शुद्व रेशम का घर, की बेहतरीन प्रतिक्रिया के आधार पर लेपाक्षी के सहयोग से इसी प्रकार केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम (केकुउनि), एम.जी.रोड, बेंगलूरु के प्रांगण में अगस्त 2018 से रेशम घर आरंभ किया गया। नई दिल्ली और बेंगलूरु में रेशम–घर का व्यापार एवं कारोबार काफी उत्साहवर्धक है।

4.3.8. अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग :

बुलगेरिया से प्राप्त आनुवंशिक संसाधन का उपयोग कर एक नया द्विप्रज द्विगुण संकर विकसित किया गया जिसमें उच्च रेशम की मात्रा (24%) है और उपज की क्षमता 75 किग्रा कोसा/100 रोमुच है और प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया जा रहा है। आगे, इंडो–स्वीडिश सहकारी परियोजना, यथा शीर्षक "स्टडीज़ ऑन द जेनेटिक केरेक्टरैसेशन, ट्रान्ससमीशन एण्ड टिश्यू डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ इफलावैरस इनफेक्टिंग दी इंडियन ट्रापिकल तसर सिल्कवर्म, एन्थीरिया माईलिटा" को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय कृषि और खाद्य अनुसंधान संगठन, जापान को अनुसंधान परियोजना "डेवलेपमेंट ऑफ सिल्कवर्म एण्ड सिल्क इंडस्ट्रिज़" विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

4.3.9. योजना स्कीमों के लिए बजट आबंटन:

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 (मार्च 2019

तक) के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए केरेबो को आबंटित बजट और उपगत व्यय निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

#	**केरेबो के कार्यक्रम**	2017–18		2018–19	
		आबंटन	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय (मार्च, 2019 तक)**
	सिल्क समग्र (रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना)				
1	अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहल	489.5	489.5	560.45	**557.86**
2	बीज संगठन				
3	समन्वय एवं बाजार विकास (एचआरडी)				
4	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली एवं निर्यात/ब्रांड संवर्धन तथा तकनीकी उन्नयन				
	एससीसीपी	23	23	25	**25**
	टीएसपी	30	30	15.84	**15.84**
	कुल योग	**542.50 (*)**	**542.50 (*)**	**601.29 ($)**	**598.70 (+)**

(*)– वर्ष 2017–18 के लिए रु.542.50 करोड़ के आबंटन और व्यय में रु.381.00 करोड़ का "सहायता अनुदान–वेतन घटक" शामिल है।

($)– वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रु. 601.29 करोड़ की आबंटित राशि में "रु.481.29 करोड़ का "सहायता अनुदान–वेतन घटक" और रु. 598.70 करोड़ के व्यय में रु. 481.29 करोड़ का "सहायता अनुदान–वेतन घटक" मार्च 2019 तक के लिए शामिल है जिसके परिणामस्वरूप एनई–सीएपी के तहत रु.2.59 करोड़ की बचत हुई जिसे वस्त्र मंत्रालय/भारत सरकार को अभ्यर्पित किया गया।

4.3.10. वर्ष 2018-19 के दौरान सिल्क समग्र योजना के तहत अनुसूचित जाति उप-योजना (अजा उ-यो) और जनजाति उप-योजना (जजा उ-यो) का कार्यान्वयन।

4.3.10.1. अनुसूचित जाति उप-योजना (अजाउयो)

वर्ष 2018–19 के दौरान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने रेशम उत्पादन के तहत अनुसूचित जाति उप–योजना (अजा उ–यो) के कार्यान्वयन के प्रति रु.25.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। वर्ष 2018–19 के दौरान अजाउयो के तहत घटकों के कार्यान्वयन के प्रति राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को रु.25.00 करोड़ की संपूर्ण स्वीकृत राशि विमोचित की गई।

4.3.10.2. जनजातीय उप-योजना (जजाउयो)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 के दौरान रेशम उत्पादन के तहत जनजातीय उप–योजना (जजाउ–यो) के कार्यान्वयन के प्रति रु.15.84 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। वर्ष 2018–19 के दौरान जजाउ–यो के तहत घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को रु.15.84 करोड़ ख्मार्च, 2019 तक, की संपूर्ण स्वीकृत राशि विमोचित की गई।

4.3.11. तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (मकिसप)

केरेबो द्वारा छह राज्यों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (मकिसप) के अंतर्गत रु.7160.90 लाख की लागत पर बहु–राज्य तसर परियोजना का समन्वय किया जा रहा है जिसे अक्तूबर, 2013 से ग्रामीण विकास मंत्रालय (रु.5366.15 लाख) और केरेबो (रु. 1794.75 लाख) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना से झारखंड, उडीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं बिहार के राज्यों में अधिकतर वामपंथी उग्रवाद ख्एलडब्लूई, से प्रभावित 23 जिलों के सीमांत परिवार, विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर 36,000 संपोषणीय जीविका का सृजन हुआ है।

कुल 32,898 कृषकों को 686 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में संघटित किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 2738 कृषकों द्वारा 1520.8 हेक्टेयर तसर परपोषी पौधों को उगाया गया है। 94.33 केंद्रको और 320. 79 लाख मूल बीज कोसों के उत्पादन के लिए 1.752 लाख रोमुच के नाभिकीय बीज और 10.861 लाख रोमुच के मूल बीज का कीटपालन किया गया। 345 निजी बीज उत्पादकों ने 219.548 लाख बीज कोसों को संसाधित कर 51.19 लाख वाणिज्यिक रोमुच का उत्पादन किया।

14231 कीटपालकों ने 53.52 लाख रोमुच कूर्चित कर 1749.41 लाख धागाकरण कोसों का उत्पादन किया। इसके अलावा, तसर मूल्य क्रम की दिशा में अनेक क्षमता और संस्थागत सृजन के कार्यकलाप किए गए।

4.3.12. अभिसरण

वस्त्र मंत्रालय, रेशम समग्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र–वस्त्र संवर्धन योजना के रूप में रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए सहायता दे रहा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्व ारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं की वित्तीय सहायता के अभिसरण से अतिरिक्त निधि की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्यों से वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार रेशम उत्पादन विभागों द्वारा अपने संबंधित सरकारों को **रू.933.86** करोड़ों की लागत से कुल **247 परियोजनाओं में से रू.797.12** करोड़ की लागत से 169 परियोजना को स्वीकृति दी गई और राज्यों में अनेक रेशम उत्पादन कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए रेशम उत्पादन विभागों को रु.600.11 करोड़

विमोचित किया गया। आगे, वर्ष 2018–19 के दौरान रेशम उत्पादन विभागों ने रिपोर्ट किया कि उनके संबंधित राज्य सरकारों को **रू.676.69** करोड़ की लागत के कुल 163 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे जिनमें से **रू.588.67** करोड़ की लागत के 137 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है और रेशम उत्पादन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए रेशम उत्पादन विभागों को **रू.384.88** करोड़ विमोचित किया गया है।

4.3.13. राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (राग्राजीमि) समर्थन संगठन ख्याससं, के रूप में केरेबो के साथ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (मकिसप) के अंतर्गत परियोजनाओं को बढ़ाना:

केरेबो, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा वि मं) के राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (राग्राजीमि) में तसर क्षेत्र के अंतर्गत की गई पहल को बढ़ाने में राज्य ग्रामीण जीविका मिशन (राग्राजीमि) को समर्थन दे रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ख्या वि मं, ने केरेबो के समर्थन से सूत्रबद्ध झारखंड (25,000), उडीसा (5220) और पश्चिम बंगाल (5000) के राज्यों के लिए तीन मकिसप तसर परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है जिसमें 35,220 महिला किसान शामिल हैं। इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा वि मं) (60%) और (राग्राजीमि) (40%) से रु.63.34 करोड़ लागत की निधि प्राप्त होगी, जो वर्ष के दौरान कार्यान्वित होगा। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों का परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन है और महाराष्ट्र के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाना शेष है।

ऊन एवं ऊनी वस्त्र

4.4.1 केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

ऊनी उद्योग के अलग–अलग क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हित में सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य से केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन वर्ष 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4.4.2 योजना बजट

वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए कुल 112 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय में से वित्त वर्ष 2018–19 के लिए योजना आबंटन 19.03 करोड़ रुपए है।

क. क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने नया एकीकृत कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) तैयार किया है जिसे स्थायी वित्त समिति की दिनांक 22.03.2017 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किया गया है। यह कार्यक्रम सभी हितधारकों जैसे ऊन उत्पादक को–ऑपरेटिव का गठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊनी उत्पाद निर्माण सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता सहित ऊन क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है। अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप के माध्यम से प्रमाणन, लेबलिंग, पश्मीना ऊन की ब्रांडिंग और औद्योगिक उत्पादों में दक्कनी ऊन के उपयोग पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस

कार्यक्रम को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए पुर्निर्माण योजना के नाम से आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

क. (i) ऊन विपणन योजना (डब्ल्यू एम एस)

देश में कच्ची ऊन के विपणन पर और जोर देने के लिए लाभप्रद मूल्य पर ऊन की अधिक खरीद, ऊन उत्पादक सोसाइटी का निर्माण, बेहतर सुविधाओं के लिए ऊन की मंडियों के सशक्तिकरण के लिए सहायता हेतु देश के सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन विपण ान योजना (डब्ल्यूएमएस) नामक एक नई योजना लागू की गई है। उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए 1,000 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 121.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

क.(ii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

यह योजना सभी किस्म के ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे ऊन स्कोरिंग, ड्राइंग, कार्डिंग डाइंग, निटिंग, विविंग, ऊन उत्पादन और ऊन व्यापार क्षेत्रों में फेल्टिंग/नॉन–वूवन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए सहयोग प्रदान करेगी। वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए 800 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 100 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

क. (iii) मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी)

विभिन्न विख्यात संगठनों/संस्थाओं/विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस क्षेत्र की अड़चनों को दूर करने और विकसित की गई नई प्रौद्योगिकी को प्रचार करने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड के अपने वूल परीक्षण केंद्र, विविंग एवं डिजाइन प्रशिक्षण केंद्र के संचालन, बाजार आसूचना नेटवर्क, चालू परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए 29.14 लाख रुपए का उपयोग किया है।

क. (iv) अंगोरा ऊन विकास योजना (एडब्ल्यूडीएस)

यह योजना अंगोरा पालन कार्यकलाप में सहायता करने के लिए देश के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 11.25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

क. (v) ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)

वस्त्र मंत्रालय ने 12वीं योजना की स्वास्थ्य देखभाल, नस्ल सुधार आदि जैसे संघटक के साथ भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस) की चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। चल रही परियोजनाओं की देनदारी को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 में 14 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 170.36 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

क. (vi) भेड़ पालक सामाजिक सुरक्षा योजना

यह योजना भेड़ पालकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करके भेड़ पालकों की सहायता करती है। इस योजना की मूल संरचना निम्नानुसार है:

I. सामाजिक सुरक्षा योजना– भेड़ पालक बीमा योजना

अर्हता आयु: 18–50 वर्ष। मौजूदा पीएमजेजेबीवाई योजना के अनुसार आयु के मापदंड हैं।

क. भेड़ पालक बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम का विभाजन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रति सदस्य प्रति वर्ष प्रीमियम	एसएसपीएमजेजेबीवाई
1	एलआईसी यूनिट स्तर पर संग्रह किए जाने वाला प्रीमियम (रुपए) सदस्य की हिस्सेदारी)	80
2	केंद्रीय स्थल पर एलआईसी सीओ स्तर पर संग्रह की जाने वाली मंत्रालय की हिस्सेदारी (रुपए)	162
3	एसएसएफ से प्रीमियम (रुपए)	100
4	कुल (रुपए)	342*

इस योजना के अंतर्गत बीमित राशि 2.0 लाख रुपए है। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में 4.00 लाख रुपए दिए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सात लाख भेड़ पालकों को लाभांवित करने के लिए वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 में 1200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 40.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड ने महाराष्ट्र तथा जेएंडके राज्यों से 1372 भेड़ पालकों के बीमा के लिए एलआईसी को 2.22 लाख रुपए जारी किए हैं।

क.(vii) पश्मीना ऊन के विकास के लिए जेएंडके राज्य हेतु पुनर्निर्माण योजना

इस योजना के अंतर्गत पश्मीना क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए निम्नलिखित संघटकों को निम्नानुसार क्रियान्वित किया जाएगारू

1. कच्ची पश्मीना के उत्पादन में वृद्धि
2. मॉडल उत्पादन क्षेत्र की स्थापना
3. पश्मीना संसाधन केंद्र की स्थापना पश्मीना क्षेत्र के मामलों के निवारण करने के लिए की गई है।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु पुर्निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक 5000 लाख रुपए का प्रावधान किया

गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 1284.39 लाख रुपए का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है और बोर्ड ने इस योजना/लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह तथा कारगिल के संघटक के अंतर्गत 154.25 लाख रुपए जारी किए हैं।

ख. निर्यात रुझानः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊन मिश्रित उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2017–18 की अप्रैल, 2018 से फरवरी, 2019 की अवधि की तुलना में वर्ष 2018–19 की इसी अवधि के दौरान रुपए के संदर्भ में 14.95% की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2017–18 और 2018–19 (फरवरी, 2019 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद	2018-19 फरवरी, 2019 तक	अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2019	अप्रैल, 2018 से फरवरी, 2019
	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
आरएमजी ऊन	1265.81	1003.93	1265.81
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड–अप्स आदि	1363.23	1070.07	1363.23
कालीन (रेशम को छोड़कर)	9393.08	8384.4	9393.08
कुल	12022.12	10458.45	12022.12
वृद्धि			14.95%

ग. आयात रुझान

कच्ची ऊन का आयात

घरेलू उद्योग, अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर बहुत अधिक आश्रित है। यह घरेलू उद्योगों को आयात पर आश्रित बनाता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात कर रहा है। आस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, तुर्की, आदि प्रमुख पांच आयात बाजार हैं। वर्ष 2017–18 और 2018–19 (फरवरी, 2019 तक) के दौरान कच्ची ऊन, ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स तथा सिलेसिलाए परिधान का आयात नीचे दिया गया है:

कच्ची ऊन का आयात

2017–18 (अप्रैल, 17 से फरवरी, 18 तक)		2018–19 (अप्रैल, 18 से फरवरी, 19 तक)	
मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए में	मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए में
73.16	173.78	72.79	2025.72

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स आदि का आयात

2017–18 (अप्रैल, 17 से फरवरी, 18 तक)	2018–19 (अप्रैल, 18 से फरवरी, 19 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
462.57	749.59

आरएमजी का आयात

2017–18 (अप्रैल, 17 से फरवरी, 18 तक)	2018–19 (अप्रैल, 18 से फरवरी, 19 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
79.18	106.83

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

अध्याय-5

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता

5.1 वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। टीयूएफएस एक ऋण संबद्ध योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

5.2 यह योजना आरंभ में अप्रैल, 1999 में 31 मार्च, 2004 तक अनुमोदित की गई थी और इसे तत्पश्चात 2004 से 2007 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007 में यह स्कीम तकनीकी वस्त्र और गारमेंट के सेगमेंटों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ आगे बढ़ाई गई थी और इसे संशोधित टीयूएफएस (एमटीयूएफएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना 29.06.2010–27.04.2011 के दौरान स्थगित रही जिसे 'ब्लैक आउट अवधि' के रूप में जाना जाता है। स्कीम को पुनर्गठित किया गया था और पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आरटीयूएफएस) 28.04.2011 से 31.03.2012 तक क्रियान्वित की गई।

5.3 यह योजना फिर से 01.04.2012 से संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के रूप में संशोधित की गई थी और 11 जुलाई, 2016 तक क्रियान्वित की गई थी। 53805.49 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत कुल 10766 यूआईडी जारी किए गए और 7259.26 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी जारी की गई।

5.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):

5.4.1 एटीयूएफएस पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सब्सिडी के साथ 13 जनवरी, 2016 को आरआरटीयूएफएस के स्थान पर शुरू की गई थी। गारमेंट और तकनीकी वस्त्र जैसे सेगमेंट, जहां रोजगार और निर्यात की संभावना अधिक है 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के पात्र हैं। नए शटलरहित करघे (विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग सहित) के लिए वीविंग, प्रोसेसिंग, पटसन, रेशम और हथकरघा जैसे सेगमेंट 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर पर सब्सिडी प्राप्त करेंगे। एटीयूएफएस के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंटों की सब्सिडी की दरे और सीमा नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	क्षेत्र	पूंजी निवेश सब्सिडी की दरें (सीआइ.एस)
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	30 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
2.	नए शटल–रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	20 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%
3(क)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र–यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	30 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
3(ख)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र–यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश 50% से कम है।	20 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%

5.4.2 यदि इकाई ने पूर्व में आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया हो, तो वह नई अथवा मौजूदा इकाइयों के लिए एक एकल इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष सब्सिडी की सीमा तक पात्र होगी।

5.4.3 एटीयूएफएस के अंतर्गत 12671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं और नए मामलों के लिए 5151 रुपए की देयताओं को पूरा करने के लिए 2015–16 से 2021–22 तक सात वर्षों के लिए 17822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इससे एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 35.62 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होगा।

5.4.4 यह योजना एक वेब आधारित एप्लीकेशन–'आईटफ्स' के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सब्सिडी जारी करने से पूर्व परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन अनिवार्य है। सब्सिडी इकाइयों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।

5.4.5 एटीयूएफएस के अंतर्गत 31.03.2019 तक 25,563.95 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 6982 यूआईडी जारी की गई हैं और 1908.64 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी जारी की गई। एटीयूएफएस की सेगमेंट–वार प्रगति नीचे दी गई है:–

क्र. सं.	सेगमेंट का नाम	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या	जारी किए गए यूआईडी संख्या	कुल परियोजना लागत'	रोजगार'			सब्सिडी धन राशि*
					नए रोजगार	मौजूदा रोजगार	कुल	
1	गारमेंटिंग (15%सीआईएस)	1348	1522.65	56950	56950	176021	232971	167.42
2	हथकरघा (10% सीआईसी)	98	46.31	379	379	178	557	4.01
3	पटसन (10% सीआईसी)	10	1.80	16	16	34	50	0.15
4	बहु–गतिविधि (10% सीआईसी /15% सीआईसी)	1700	11907.72	76835	76835	239418	316253	807.20
5	प्रसंस्करण (10%सीआईसी)	963	2904.12	17106	17106	71417	88523	202.40
6	रेशम (10% सीआईसी)	51	47.26	380	380	400	780	3.20
7	तकनीकी वस्त्र (15% सीआईसी)	304	1341.94	36.8	36.8	8154	11762	120.28
8	विविंग (10% सीआईसी)	4462	7792.15	29827	29827	28749	58576	603.97
कुल		**8936**	**6982**	**25563.95**	**185101**	**524371**	**709472**	**1908.64**

5.4.6 एटीयूएफएस के अंतर्गत अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) ने दिनांक 23.03.2018 को संपन्न हुई अपनी बैठक में एटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु वस्त्र मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर एटीयूएफएस के दिशानिर्देशों को दिनांक 02.08.2018 के सरकारी संकल्प के माध्यम से संशोधित और अधिसूचित किया गया था।

5.5 टीयूएफएस के अंतर्गत बजट आवंटन :–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014–15	2300	1885.02	1884.31
2015–16	1520.00	1413.68	1393.19
2016–17	1480.00	2610.00	2621.98
2017–18	2013	1913.15	1913.15
2018–19	2300	622.63	621.92

* 31.03.2019 के अनुसार

5.6. परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू)

मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प के माध्यम से परिधान क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) को भी अधिसूचित किया है। निर्दिष्ट गुणवत्ता वाली मशीनों की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने वाली परिधान इकाइयों को 3 वर्ष के पश्चात 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसलिए परिधान इकाइयों ने निर्दिष्ट मशीनों के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में इकाई द्वारा उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर 10% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत एसपीईएलएसजीयू की भांति मेडअप्स इकाइयों की सीमा को 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाते हुए उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

अध्याय-6

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु सहायता

6.1 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)

वस्त्र मंत्रालय द्वारा एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) की शुरूआत अक्तूबर, 2010 में 272 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी जिसमें 229 करोड़ रुपए के सरकार के अंशदान के साथ 2.56 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का वास्तविक लक्ष्य शामिल था। इसमें वस्त्र उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल थी। आईएसडीएस के मुख्य चरण को 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 1900 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं योजना में वर्ष 2016–17 की अवधि तक के लिए 23 अगस्त, 2013 को अनुमोदित किया गया था। आईएसडीएस ने उद्योग उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वस्त्र उद्यम में कुशल श्रमशक्ति की गंभीर कमी का समाधान किया। इसका क्रियान्वयन निम्नलिखित 3 संघटकों के माध्यम से 30.11.2017 तक किया गया था जिसमें पीपीपी माध्यम पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत एक मांग आधारित कौशल पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए उद्योग के साथ एक भागीदारी विकसित की गई है:–

i. संघटक–। (वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संस्थान/वस्त्र अनुसंधान संघ)

ii. संघटक–।। (पीपीपी माध्यम में निजी निकाय)

iii. संघटक–।।। (राज्य सरकार की एजेंसियां)

(i.) आईएसडीएस का परिणाम:

कुल प्रशिक्षित	कुल मूल्यांषकित	कुल नियुक्ति	प्रशिक्षित महिलाएं	प्रशिक्षित अनु. जाति	प्रशिक्षित अनु.ज.जाति	प्रशिक्षित दिव्यांग
11.14 लाख	10.45 लाख	8.43 लाख (75.49%)	7.94 लाख (71.27%)	2.32 लाख (20.82%)	0.77 लाख (6.9%)	3176 (0.28%)

(ii) स्था पना से लेकर अब तक आईएसडीएस की वर्ष-वार प्रगति:-

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय आवंटन (करोड़ रूपए में)	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रूपए में)	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि (व्यक्तियों में)	प्लेसमेंट (व्यक्तियों में)
1	2010–11	97.82	41.72	95,230	1,479	1,070
2	2011–12	126.68	55.33	1,60,850	34,432	21,259
3	2012–13	90.00	74.60	80,000	84,224	53,610
4	2013–14	250.00	99.50	1,30,000	1,35,847	91,184

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय आवंटन (करोड़ रूपए में)	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रूपए में)	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि (व्यक्तियों में)	प्लेसमेंट (व्यक्तियों में)
5	2014–15	181.00	170.28	4,00,000	1,30,193	83,549
6	2015–16	134.31	134.31	4,74,000	2,17,682	1,85,178
7	2016–17	250.80	250.79	4,16,000	4,01,611	3,25,878
8	2017–18	100.00	100.00	1,11,000	1,09,077	81,354
कुल		**1230.61**	**926.53**	**18,67,080**	**11,14,545**	**8,43,082**

iii. विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण का संचालन दर्शाने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के चित्र नीचे दर्शाए गए हैं:–

नई कौशल विकास योजना अर्थात 'समर्थ (Samarth)' – वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण योजना

आईएसडीएस के अनुभवों के आधार पर मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और वीविंग को छोड़ते हुए वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 'वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना (एससीबीटीएस)' नामक एक नई कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुसार वित्त पोषण के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस योजना के द्वारा वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट में 10 लाख लोगों को कौशल प्रदान किए जाने और प्रमाणित किए जाने का अनुमान है जिनमें से 1 लाख व्यक्ति परंपरागत क्षेत्रों में होंगे। योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैंरू

(i) संगठित वस्त्र और संबद्ध क्षेत्रों जिसमें स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सम्मिलित है, में रोजगार सृजत करने के उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और अनुपूरित करने के लिए मांग आधारित, रोजगारोंन्मुखी राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुगामी कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना *(स्पिनिंग और वीविंग में कौशल विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)* द्वारा किया जाना है।

(ii) हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और पटसन के पारम्परिक क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना।

(iii) संपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को वेतन अथवा स्व–रोजगार के द्वारा सतत आजीविका की व्यवस्था करना।

योजना के कार्यान्वियन की स्थिति

14 राज्य सरकारों और वस्त्र मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय संगठनों ने 1.2 लाख लाभार्थियों को कौशल प्रदान करने के लक्ष्य से इस योजना को आगे बढ़ाने हेतु भागीदारी की है। वस्त्र उद्योग और उद्योग संघ भी देश में वस्त्र क्षेत्र में कौशल और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार के साथ सहभागिता करने में आगे आए हैं।

6.2 राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)

राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट) फैशन शिक्षा, एकीकृत ज्ञान, अकादमिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक सोच वाला एक अग्रणी संस्थान है। पिछले तीन दशकों में संस्थान की मजबूत उपस्थिति इसके सिद्धांतों की गवाह है जहां अकादमिक उत्कृष्टता इसके केंद्र में मौजूद है। यह संस्थान गंभीर और महत्वपूर्ण कार्यों के मार्गदर्शक तथा सक्षम पेशेवर लोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मौजूद है।

1986 में स्थापित निफ्ट हमारे देश में फैशनशिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक रहा है। इसे भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में एक सांविधिक संस्थान बनाया गया, भारत के राष्ट्रपति इसके 'विजिटर' हैं और संपूर्ण देश में इसके पूर्ण स्तरीय परिसर हैं। व्यापक रेंज के सौंदर्यात्मक और बौद्धिक ऊर्जा से परिपूर्ण लोगों को लाते हुए, इसके आरंभिक प्रशिक्षकों

में फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयार्क, यूएसए से अग्रणी प्रगतिशील विद्वान शामिल थे। आन्तरिक शिक्षण संकाय में बुद्धिजीवियों का एक प्रतिष्ठित समूह शामिल था जिसनें गतिशीलता का आयाम प्रदान किया जिससे प्रभावी शिक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नई दिल्ली में निफ्ट मुख्यालय में पुपुल जयकर हाल उन अनेक शैक्षणिक विचारकों और स्वप्न दृष्टाओं का स्मरण कराता है जो इस संस्थान को सफल बनाने में अग्रणी रहे हैं। शैक्षणिक समावेशिता इस संस्थान की विस्तार योजनाओं की प्रेरणा स्रोत रही है। विगत वर्षों निफ्ट का देश के सभी भागों में विस्तार हुआ है। पेशेवर रूप से प्रबंधित इसके 16 परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न भागों से भावी विद्यार्थी उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसकी स्थापना के शुरूआती वर्षों से संस्थान का डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैशन शिक्षा में मजबूत आधार है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक प्राप्त किए हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषणकर्ताओं के एक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

अपनी इस यात्रा में निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया है। रचनात्मक विचारकों की एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नात्कोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

निफ्ट फैशन शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति कटिबद्ध है। संस्थान का दृष्टि–पत्र चुनौतियों को स्वीकार करता है और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने पर बल देता है। निफ्ट सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों को हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

विगत वर्षों में डिजाइन की भूमिका और संभावनाएं, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में कई गुणा विस्तार हुआ है। निफ्ट में हमने निरन्तर उद्योग से आगे को बने रहने और भारत में फैशन परिदृश्य को दिशा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्तमान और भावी मांगों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और निफ्ट ने वर्धित सृजनात्मक संभावना और लचीलेपन और समय से बहुत आगे के पुनर्संरचित पाठ्यक्रम के साथ वर्ष 2018 के प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं– मेजर्स और माइनर्स की अवधारणाएं, कार्यक्रम के भीतर विशेषसता और चुनने के लिए जनरल इलेक्टिव्स का समूह, जिससे छात्र व्यक्तिपरक विषयों में विशेषज्ञता हासिल कर सकें।

पुनर्संरचित पाठ्यक्रम

वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दी जा रही शिक्षा और प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति की जांच करने और मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 02.11.2016 के आदेश सं. 1/24/2016–निफ्ट के तहत एक समिति

गठित की। पुनरीक्षा समिति को भविष्य के लिए संकल्प दृष्टि युक्त वस्त्र और परिधान उद्योग की आशाओं को पूरा करने के लिए नीति और कार्यक्रम की दृष्टि से निफ्ट का विस्तार और उन्नयन करने के तौर–तरीके बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। समिति ने निफ्ट के शिक्षण संकाय और प्रशासन के साथ अनेक दौर की चर्चा की जिनके आधार पर पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना के लिए सिफारिशें की गईं।

निफ्ट ने लगभग 6 माह तक आरंभिक चर्चाएं की जिसके बाद पाठ्यक्रम पुनर्संरचना के लिए अपनाए जाने वाले फ्रेमवर्क पर सर्वसम्मति विकसित करने के लिए अगस्त में विभागीय अध्यकक्षें और वरिष्ठ शिक्षकों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। बोर्ड का सैद्धातिक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात मांगकर्ता विभागों की संसाधन क्षमता को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर, 2017 में प्रदान किए जाने वाले अंर्तविषयक विषयों के दायरे पर चर्चा करने के लिए एक मार्केटप्लेस का आयोजन किया गया। विशेषज्ञता और अर्न्तविषयक विषयों पर सघन विचार–विमर्श के बाद फरवरी, 2018 में शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ बाह्य विचार–विमर्श आयोजित किया गया।

इसके पश्चात 3 से 5 अप्रैल, 2018 तक एक फैकल्टी कंक्लेव आयोजित किया गया जिसमें कार्यक्रम मेट्रिक्स, प्रति सेमेस्टर विषय सामग्री, प्रति विषय, सेमेस्टर और कार्यक्रम शिक्षा परिण ाम आदि को विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। फैकल्टी कंक्लेव में सभी विभागों और सभी परिसरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 269 प्रतिभागी थे।

इस बीच पाठ्यक्रम पुनर्संरचना के लिए आवश्यक उपसाध्य व्यवस्थाओं के दिशानिर्देशों पर चर्चा करने और प्रस्तावित करने के लिए वरिष्ठ शिक्षकों की समितियां गठित की गईं थी। शामिल किए गए विषय निम्नलिखित हैं:–

1. सामान्य क्रेडिट दिशानिर्देश
2. परिसरों में छात्रों के लिए आईडीएम शुरू करना
3. आईडीएम और जीई के चयन के लिए प्रचालनात्मक अनुदेश
4. अतिथि शिक्षक नीति
5. बाह्य संगठनों की सेवाएं किराए पर लेने के लिए टीओआर
6. उद्योग भ्रमण नीति
7. एकीकृत एसाइन्मेंट तौर–तरीके
8. शिक्षकों द्वारा मेंटरिंग के लिए फ्रेमवर्क
9. शिक्षकों के कार्याविधि का पुनर्मूल्यांकन
10. पुनर्संरचित पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन और आकलन

समितियों द्वारा तैयार प्रारूप दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा 26 मार्च, 2018 और 16 अप्रैल, 2018 को गई थी। निफ्ट के बोर्ड ऑफ गर्वनर्स ने अप्रैल, 2018 में पुनर्संरचित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया और इसे शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से लागू किया गया है।

नया पुनर्संरचित पाठ्यक्रम अग्रगामी है और यह अन्तर्विषयक और सॉफ्ट स्किल्स सहित चहुंमुखी विकास पर बल देता है। यह बेहतर सृजनात्मक और तकनीकी कौशल हासिल करने अवसर देता है। यह उद्योग जगत से संबंधों को संस्थागत रूप देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो निफ्ट प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता है।

पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं–

1. पहली बार निफ्ट ने सभी कार्यक्रमों और सभी सेमिस्टरों में क्रेडिट्स के मानकीकरण का प्रयास किया है।

2. पाठ्यक्रम की मौजूदा संरचना डिसिप्लिन के भीतर कोर और नॉन–कोर विषय रहे हैं और जनरल इलेक्टिव्स के अल्पज्ञान क्रेडिट प्राप्त पाठ्यक्रम नहीं हैं। निफ्ट ने अब मेजर्स–माइनर्स–जनरल इलेक्टिव्स का प्रयास अपनाया है। 15% क्रेडिट इंटरडिसिप्लनरी माइनर्स (आईडीएम) के लिए और 20% क्रेडिट जनरल इलेक्टिव्स के लिए है।

3. मेजर्स के भीतर कोर–नॉन कोर का द्वि भाजन हटा दिया गया है। सभी क्रेडिट प्राप्त पाठ्यक्रम उन्हें दिए जाने वाले क्रेडिट के अनुरूप महत्वपूर्ण हैं। 15% क्रेडिट विभागीय स्पेशलाइजेशन के लिए अलग रखे गए हैं।

4. डीपनिंग स्पेशलाइजेशन और इंटर डिपार्टमेंटल माइनर दोनों स्नातक कार्यक्रमों के लिए सेमेस्टर–III से VI तक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सेमेस्टर– I से III तक पढ़ाए जाएंगे। जनरल इलेक्टिव्स स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों के लिए अंतिम सेमेस्टर के अतिरिक्त सभी सेमेस्टरों में चलाए जाएंगे।

5. प्रत्येक यूजी डिपार्टमेंट 2 यूजीआईडीएम और 1 पीजीआईडीएम उपलब्ध करा रहा है। प्रत्येक पीजी डिपार्टमेंट 1 यूजी और 1 पीजीआईडीएम उपलब्ध करा रहा है।

6. जनरल इलेक्टिव्स को अनिवार्य की श्रेणी में रखा गया है और वैकल्पिक विषय व्यक्तिगत विकास, सम्प्रेषण कौशल, महत्वपूर्ण चिन्तन कौशल, व्यावसायिक आचारशास्त्र जो स्नातक में पढ़ रहे छात्रों के लिए नितान्त अनिवार्य कौशल माने गए थे, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं।

7. क्राफ्ट कलस्टर पहल को पाठ्यक्रम में मिला दिया गया है जबकि इसे सभी डिजाइन और प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य बनाया गया है, इसे विद्यमान पाठ्यक्रम में अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है। अब सभी कार्यक्रमों में सभी सेमेस्टरों में क्राफ्ट कलस्टर पहल को क्रेडिट प्राप्त विषय और गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। फैशन प्रौद्योगिकी में पहली बार क्राफ्ट कलस्टर पहल को कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

8. उद्योग से अंर्तसंबंध को उद्यमियों के साथ व्याख्यान माला, उद्योग वातावरण में विशिष्ट विषयों के लिए पाठ्यक्रम का आंशिक संव्यवहार और पाठ्यक्रम में अनिवार्य क्लास रूप परियोजनाओं को शुरू करके बढ़ाया जा रहा है। पाठ्यक्रम उन परियोजनाओं जिनमें छात्र, फुटकर विक्रेताओं, निर्यातकों, क्रेता गृहों का भ्रमण करेंगे और औद्योगिक वातावरण में आंशिक संव्यवहार करेंगे, के माध्यम से बेहतर उद्योग संबद्ध को बढ़ावा देता है।

9. प्रबंधन अध्ययन में न केवल उद्यमशीलता के कार्यक्रम में मेजर कोर का हिस्सा बनाने के लिए पहल की गई है अपितु उद्यमशीलता को अन्य कार्यक्रमों के लिए डीपनिंग स्पेशलाइजेशन और इंटरडिसप्लीनरी माइनर के रूप रखने की पहल की है।

कन्वर्ज

विभिन्न निफ्ट परिसरों के विद्यार्थियों में संवाद के एक अवसर प्रदान करने के साथ सुनियोजित चहुमुखी समग्र विकास के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में अंतर–परिसर सांस्कृतिक एवं खेल प्रतिस्पर्धायें आयोजित की जाती हैं।

प्रत्येक निफ्ट परिसर में प्रारंभिक चयन सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में हर परिसर के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। सभी निफ्ट परिसरों के विद्यार्थियों ने रायबरेली में आयोजित कन्वर्ज 18 में भाग लिया।

यह कार्यक्रम निफ्ट के सभी परिसरों में विद्यार्थियों में 'एक' मातृ संस्था की भावना का विकास करने में एक प्रमुख कदम है।

दीक्षांत समारोह 2018

प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018 में अलग–अलग परिसरों ने मई–सितंबर, 2018 के दौरान दीक्षांत समारोह आयोजित किए। ये दीक्षांत समारोह अकादमिक वर्ष के दौरान ही संपन्न किए गए ताकि निरंतरता और उत्तीर्ण होने वाले बैच की बेहतर प्रतिभागिता को बनाए रखा जा सके।

वर्ष 2018 में कुल 2737 स्नातकों ने उपाधियां प्राप्त कीं। परिसर–वार तथा कार्यक्रम–वार विवरण तालिका–। में दिया गया है।

तालिका-1 : दीक्षांत समारोह 2018: परिसर-वार तथा कार्यक्रम-वार स्नातक विद्यार्थियों का विवरण

अकादमी कार्यक्रम	बेंगलुरु	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	रायबरेली	शिलांग	कुल
बैचलर ऑफ डिजाइन	30	23	30	22	33	30		28	30		29	36	29	24	20	364
(एसेसरी डिजाइन)																
बैचलर ऑफ डिजाइन	30		29	29	37	30		28	28	29	33	33	25			331
(फैशन कम्यूनिकेशन)																
बैचलर ऑफ डिजाइन	37		37	40	56	27		31	46	27	45	32	30	32	24	464
(फैशन डिजाइन)																
बैचलर ऑफ डिजाइन	27			27		23			30	28	33	31				199
(निटवियर डिजाइन)																
बैचलर ऑफ डिजाइन				32					22			34		26		114
(लेदर डिजाइन)																
बैचलर ऑफ डिजाइन	30	34	33	24	28	32		27	26	22	34	35	30			355
(टेक्सटाइल डिजाइन)																
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (अपैरल प्रोडक्शन)	32		23	27	28	26	27	25	23	28	28	30	27			324
मास्टर ऑफ डिजाइन										30	35	32				97
मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट	32	25	27	33	35	31	28		30	29	33	33	28	24	20	408
मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी	21			16	20							24				81
कुल	**239**	**82**	**179**	**250**	**237**	**199**	**55**	**139**	**235**	**193**	**270**	**320**	**169**	**106**	**64**	**2737**

उपर्युक्त के अलावा निफ्ट दिल्ली कैंपस के दीक्षांत समारोह 2018 में 5 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधियां प्रदान की गई है।

निफ्ट द्वारा शुरू की गई परामर्शदात्री परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाएं संचालित करता है। यह परियोजनाएं शिक्षकों को अनुभव तथा छात्रों को प्रयोगशील शिक्षण के अवसवर उपलब्ध कराती हैं। इनसे तकनीकी कौशल उन्नयन तथा डिजाइन मूल्य में वृद्धि के द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डरों को लाभ प्राप्त होता है। निफ्ट द्वारा चलाए जा रही 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की प्रमुख परामर्शी परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:–

- पहनने को तैयार परिधानों की बेहतर फिटिंग के लिए भारतीयों के शारीरिक माप पर आधारित साइज चार्ट विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना के तहत नेशनल साइजिंग सर्वे इंडिया परियोजना। इस परियोजना का मूल्य 31 करोड रुपए है।
- मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में मध्य प्रदेश के युवाओं (10000 व्यक्तियों) को कौशल प्रदान करने हेतु एक कौशल विकास परियोजना स्वीकृत की गई। परियोजना का मूल्य 12.72 करोड़ रुपए है।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टल्स और ब्रांड निर्माण के साथ सहयोग करके डिजाइन इंटरवेंशन, प्राडक्ट रेंज डेवलपमेंट, पैकेजिंग/प्रदर्शनी, फैशन शो और मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कौशल के उन्नयन और प्रशिक्षण विकास योजना के अधीन निफ्ट ज्ञान भागीदार के रूप में परियोजना मूल्य 12.79 करोड़ है।
- हथकरघा और वस्त्र विभाग, केरल सरकार की मूल्य वर्धित हथकरघा उत्पाद की ब्रांडिंग योजना को कार्यान्वित करने में निफ्ट एक ज्ञान भागीदार के रूप में 3.7 करोड़ रुपए।
- कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कर्नाटक सरकार के लिए एकीकृत प्राडक्ट मैपिंग, डिजाइन इंटरवेशन, उत्पाद विविधीकरण और विकास, प्रशिक्षण और विपण न गतिविधियों के माध्यम से कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ब्रांड को सुदृढ़ करना। परियोजना मूल्य 3.50 करोड़ रुपए है।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के जोधपुर मेगा कलस्टर के लिए व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर योजना के अंतर्गत उत्पाद डिजाइन विकास और नवोन्मेष केंद्र की स्थापना। परियोजना लागत 4.47 करोड़ रुपए है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) के अधीन 17 विषयों के लिए फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी विषयों–चरण–।। हेतु ई–कंटेट का विकास। परियोजना मूल्य 1.16 करोड़ रुपए है।
- निफ्ट को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की सर्वांगीण हथकरघा कलस्टर विकास योजना के अधीन भागलपुर मेगा हैंडलूम कलस्टर का एकीकृत और सर्वांगीण विकास परियोजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, डीपीआर तैयार करने, कार्यान्वयन में सहायता

और परियोजना की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए कलस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। परियोजना मूल्य 62.57 लाख रुपए है।

- निफ्ट के माध्यम से मूल्यवर्धित खादी परिधान की डाइंग और प्रिंटिंग, डिजाइन विकास, क्षमता निर्माण, उत्पादन और बिहार खादी की ब्रांडिंग के लिए खादी बोर्ड, बिहार सरकार के लिए बिहार खादी की व्यापक डिजाइन इंटरवेशन, पोजिशनिंग और ब्रांडिंग परियोजना। परियोजना मूल्य 80 लाख रुपए है।

- राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए पटसन संबंधी एकीकृत कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास और उत्पाद विविधीकरण प्रशिक्षण। परियोजना मूल्य 1.21 करोड़ रुपए है।

- इथोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ईटीआईडीआई) इथोपियाई वस्त्र उद्योग विकास संस्थान, इथोपिया के क्षमता निर्माण और बैंच मार्किंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है ताकि इथोपिया में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ईटीआईडीआई अधिकारियों/विशेषज्ञों को भारत में उच्च शिक्षा और एमडीपी कार्यक्रमों के संचालन के जरिए निफ्ट के साथ ट्विनिंग व्यवस्था के माध्यम से इसे एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदला जा सके। परियोजना के प्रथम चरण की अवधि 4 वर्ष 10 माह थी जो जुलाई, 2013 में आरंभ हुई और 27 अप्रैल, 2018 को समाप्त हुई। प्रथम चरण में इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए डोमेन प्रशिक्षण, परामर्श, इथापियाई अपैरल उद्योग के लिए अनुसंधान और विपणन सहायता सेवओं के लिए अपैरल विपणन/मर्चेनडाइज और गारमेंट टेक्नोलॉजी थे। ईटीआईडीआई–निफ्ट ट्विनिंग व्यवस्था के प्रथम चरण के आकलन के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्य से निफ्ट–ईटीआईडीआई ट्विनिंग एरेंजमेंट के दूसर चरण के लिए समझौता ज्ञापन पर 13 अप्रैल, 2018 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के दूसरे चरण की अविध तीन वर्ष होगी। परियोजना का दूसरा चरण शीघ्र आरंभ होगा और यह अपैरल निर्यात मर्चेन्डाइसिंग/मार्केटिंग और प्रौद्योगिकी डोमेन में फैक्ट्री इंटरवेंशन्स पर अधिक केंद्रित होगी।

इंडिया साइज

निफ्ट भारतीय आबादी के लिए एक व्यापक शारीरिक आकार चार्ट विकसित करने के लिए एक विस्तृत मानवमितीय अनुसंधान अध्ययन कर रहा है। प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य न केवल भारतीय अपैरल क्षेत्र के लिए परिधान आकार चार्ट को मानकीकृत करना है, वरन इस अध्ययन के निष्कर्षों का ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, फिटनेस और स्पोर्टस, कला, कंप्यूटर गेमिंग आदि पर भी प्रभाव होगा जिसमें इन आंकड़ों से श्रमसाध्य डिजाइनीकृत उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होंगे।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना में 15 वर्ष और 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु समूह के 25000 पुरुषों और महिलाओं की माप करना शामिल होगा जो 3डी संपूर्ण बाडी स्केनर का प्रयोग करते हुए भारत के छह क्षेत्रों में स्थित यह भिन्न–भिन्न शहरों अर्थात कोलकाता (पूर्व), मुंबई (पश्चिम), नई दिल्ली (उत्तर), हैदराबाद (मध्य), चौन्नई (दक्षिण) और शिलांग (पूर्वोत्तर) में किया जाएगा।

3डी संपूर्ण बॉडी स्कैनर एक पोश्चर में 10 सेकेंड से भी कम समय में शारीरिक माप निकालने और अत्यधिक शुद्ध 3डी बॉडी मैप कैप्चर करने की नॉन–कंटेक्ट पद्धति है। यह शरीर को स्कैन करती है और ऐसा प्वांइट क्लाउड तैयार करती है जिसमें हस्तचलित माप और ट्रांसक्रिप्शन त्रुटियों को दूर करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए स्वचालित रूप से सैकड़ों बॉडी मेजरमेंट निकाले जाते हैं। यह प्रौद्योगिकी त्वरित, सटीक और मानव सुरक्षित है और यह मानवमितीय सर्वेक्षण के टाइमफ्रेम को कम करने में अत्यधिक सहायता करती है, इसका उपयोग हाल के वर्षों में अनेक देशों जैसे यूएसएस, कनाडा, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, थाइलैंड, कोरिया, चीन, आस्ट्रेलिया आदि द्वारा किए गए सभी राष्ट्रीय साइजिंग मानवमितीय सर्वेक्षणों में किया गया है।

अपने तरह की अनूठी यह परियोजना मई, 2017 में आरंभ हुई और इसके 2021 तक पूरा होने की संभावना है। यह भारत को उन चुनिंदा देशों के बीच वैश्विक मंच पर ला खड़ा करेगा जिन्होंने ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। भारतीय अपैरल के लिए मानकीकृत साइज चार्ट जो इस अध्ययन का परिणाम होगा, न केवल बेहतर फिट्स उपलब्ध कराने में उपभोक्ता के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा वरन बिक्रियों की वापसी/हानि में कमी, बेहतर उपभोक्ता सन्तुष्टि और भारतीय अपैरल और निर्यात के लिए अधिक ध्यान देकर की उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा देगा।

प्रस्तावित नई परियोजनाएं

वस्त्र क्षेत्र बहु–आयामी पहल के लिए निफ्ट द्वारा तीन विस्तृत प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

माननीय प्रधामंत्री ने वस्त्र मंत्रालय को वस्त्र क्षेत्र में 'उत्पादों के नवाचार, प्राथमिकताओं को बदलने, नए उत्पादों के आरंभ के समय नई प्रवृत्तियों और उनके समय तथा विश्व में उभरता हुई आवश्यकताओं' के क्षेत्र में योगदान करने की परिकल्पना करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश पर अमल करते हुए निफ्ट ने नवाचार और विकास के संभावित क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अवधारणा नोट प्रस्तुत किया जो प्रवृत्तियों और प्राथमिकताओं तथा लक्जरी ब्रांडों और हस्तशिल्पित वस्तुओं के क्षेत्र में एक वैश्विक छाप छोड़ेगा।

इस परियोजना के लिए आधार स्वयं इस तथ्य पर आधारित है कि भारतीय वस्त्र और शिल्प बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। भारत में कुछ प्राचीनतम परम्पराएं जीवित बनाए रखी गई हैं जिससे यह हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्राप्त करने का एक प्रमुख गन्तव्य बन गया है। भारत के समक्ष चुनौती मात्र एक स्रोत गन्तव्य के स्थान पर डिजाइन और विकास गन्तव्य बनना है। उत्पाद नवाचार, उभरती हुई वैश्विक प्रवृत्तियां और डिजाइन पर उनका प्रभाव, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं, नई विकसित के रूप में भारतीय शिल्पों की स्थिति सुदृढ़ करना और विश्व तथा स्वयं देश के लिए भारत में सृजित पूर्वानुमान के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति को सक्षम बनाना विचार हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उपर्युक्त कारकों का समाधान करने के लिए नवाचार में एक बहुआयामी दृष्टि को नीतिगत योजना बनाई जा सकती है ताकि भारत केंद्रित वैश्विक दृष्टिकोण के लिए वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके।

इस प्रस्ताव को आईडीसी मुंबई; आईआईटी दिल्ली; आईआईटी चौन्नई; और एनआईडी

जैसी संस्थाओं द्वारा अपनाये गए मॉडलों पर आधारित करने का प्रस्ताव किया गया था जिन्होंने उद्योग के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर स्वतंत्र डिजाइन परियोजनाएं चलाई थी।

इस प्रस्ताव से तीन क्षेत्रों में योगदान की संभावनाएं सामने आईं और इन्हें समय के साथ आत्मनिर्भर परियोजनाओं के रूप में परिकल्पित किया गया :

1. प्रचलन अंतरदृष्टि और पूर्वानुमान केन्द्र
2. भारतीय वस्त्र और शिल्प रिपोजिटरी
3. डिजाइन नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्र

परियोजना की अवधि के दौरान समूचे आधारभूत ढांचे, संकाय सदस्यों और छात्रों संबंधी परियोजनाओं के लिए एनआईएफटी के योगदान पर एक आकलन भी किया गया था।

चूंकि उपरोक्त सभी तीन प्रस्ताव प्रकृति में अद्वितीय हैं और पहली बार वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किए जा रहे हैं, इसलिए संगत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय विचार–विमर्श और व्यापक अनुसंधान और सभी हितधारकों के परामर्श से निम्नलिखित तीन परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई हैं :

1. **प्रचलन अंतरदृष्टि और पूर्वानुमान केन्द्र**

इस परियोजना की योजना दिल्ली और चेन्नई हेतु बनाई जाएगी। भारत की पहली स्वदेशी प्रचलन पूर्वानुमान सुविधा भारतीय फैशन और परिधान उद्योग के लिए शैली, रंग दिशा, क्षेत्रीय लहजे में रुझान का पता लगाएगी। क्रियाकलाप दृ सुविधा की स्थापना, एआई सहयोग, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और उद्योग परामर्श। परियोजना के लिए ट्रेंड स्पॉटर के रूप में प्रशिक्षण से नए रोजगार उत्पन्न होंगे। फैशन ट्रेंड स्पॉटर और एआई समर्थित फैशन विश्लेषणात्मक विशेषज्ञों का एक पूल बना कर उद्योग को लाभ होगा; स्टार्ट–अप्स प्रचलन अंतरदृष्टि और किफायती महत्वपूर्ण क्षेत्र–विशिष्ट रिपोर्ट मुहैया करवाएंगे और और खुदरा उद्योग के 2017 में 672 बिलियन अमेरीकी डालर से बढ़ कर 2021 में 1,200 बिलियन अमेरीकी डालर का होने की आशा है।

यह शोध एक बहु–विषयक और एक अंतर–विधा अध्ययन होगा जिसमें उपभोक्ता की इच्छा के बदलावों और उनकी पसंद तथा वरीयताओं से फैशन के रुझानों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने के लिए उद्योगों में बड़े और छोटे रूझानों की पहचान तथा उनका अध्ययन करना शामिल है। यह डेटा ट्रेंड स्पॉटर्स के माध्यम से एकत्र किया जाएगा, जिसमें एनआईएफटी के 16 परिसरों के छात्र, अन्य संस्थानों और अन्य निकायों से स्वतंत्र ट्रेंड स्पॉटर शामिल होंगे। सूचना को डाटा निकालने, दिशा का पता लगाने और मानसिकता में बदलाव के पैटर्नों की पहचान करने के लिए समूहबद्ध तथा फिल्टर किया जाएगा। यह क्रिया किसी भी समय 1000 से 3000 संभावित ट्रेंड स्पॉटर के साथ प्रत्येक सीजन में दृश्य डेटा की बड़ी मात्रा के संग्रहण को समर्थ बनाएगा। डाटा की मात्रा को एआई और मशीन लर्निंग के नियोजन द्वारा व्यवस्थित, छांटा और क्रमबद्ध किया जाएगा। तथापि, एक व्यापक आउटपुट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटा स्रोतों को लगाया जाएगा।

परियोजना की लागत 20.41 करोड़ रूपए

और परियोजना की अवधि दो वर्ष है।

2. **भारतीय वस्त्र और शिल्प रिपोजिटरी (टीसीआर)**

एनआईएफटी की शिल्प क्लस्टर पहल विकास आयुक्त, हथकरघा और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित है। शिल्प क्लस्टर पहल के माध्यम से उत्पन्न वस्त्र और शिल्प ज्ञान के सार को भारतीय वस्त्र और शिल्प रिपोजिटरी नामक राष्ट्रीय ज्ञान पोर्टल में रखा जाएगा। यह भी प्रस्तावित है कि यह रिपोजिटरी वस्त्र और शिल्प संसाधनों के आभासी रजिस्टर को रखेगी, जो बुनकर सेवा केंद्र, शिल्प संग्रहालय, समान संस्थानों और निजी संग्रह में उपलब्ध हैं। रिपोजिटरी वस्त्र और वस्त्र शिल्प, एक डिजाइनर संग्रह, स्वदेशी मामले के अध्ययन का एक आभासी संग्रहालय विकसित करेगी और संबंधित अनुसंधान पर ऑनलाइन जानकारी के संग्रहकर्ता के रूप में भी कार्य करेगी। रिपोजिटरी का उद्देश्य एक संवादात्मक मंच प्रदान करना है जहां व्यक्तिगत शिल्पकारों और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी साझा की जा सकें। टीसीआर में विभिन्न उप–रिपॉजिटरी शामिल होंगी और यह शोधकर्ताओं, उद्यमियों, शिल्पकारों और शिल्प के प्रति रूचि रखने वाले लोगों को कई सूचना सेवाओं के साथ–साथ सीखने और रचनात्मक संसाधनों तक सहज पहुंच प्रदान करेगी। वस्त्र और शिल्प रिपोजिटरी को पूरा होने पर इसे राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र के पोर्टल (जो कि इस तरह की जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने वाले पोर्टल को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है) के साथ संरेखित/विलय कर दिया जाएगा।

परियोजना की लागत 15.60 करोड़ रुपये और परियोजना की अवधि दो वर्ष है।

3. **एनआईएफटी डिजाइन नवाचार इन्क्यूबेटर (डीआईआई)**

युवा उद्यमियों, कारीगरों, स्टार्ट–अप्स, एनआईएफटी के पूर्व छात्रों और छात्रों के सपोर्ट के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाकर फैशन के मुख्य क्षेत्रों में व्यवसायों को बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि संभावित उद्यमियों के लिए एक डिजाइन नवाचार इनक्यूबेटर हो जो अभिनव डिजाइन विचारों को व्यवहार्य उद्यमों में बदलने और बुनियादी ढाँचे तक पहुँच प्राप्त करने तथा निर्दिष्ट सेवाओं की स्थापना किए जाने के लिए है। डीआईआई व्यवसाय विकास के लिए संगत सहयोग भी प्रदान करेगा। लक्षित लाभार्थियों में निफ्ट के पूर्व छात्र और छात्र शामिल हैं जो उद्यमीय उद्यम शुरू करना चाहते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो निफ्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एनआईएफटी इन्क्यूबेशन सपोर्ट लेना चाहते हैं। उद्योग के सदस्य, मौजूदा स्टार्ट–अप, डिजाइनर, उद्यमी और कारीगर जो अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने या उन्हें बढ़ाने के लिए डीआईआई की सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं।

निफ्ट के मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु परिसरों में निम्नलिखित क्षेत्रों में इन्क्यूबेशन सुविधाएं (क्षेत्रीय इनक्यूबेटर्स) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है:

1. परिधान, घर और स्थानों के लिए वस्त्र (दिल्ली)
2. स्मार्ट पहनने योग्य सिस्टम (बेंगलुरु)

3. फैशन और जीवनशैली से संबंधित सामान (बेंगलुरु)

4. परिधान जिसमें एथलेजर और एक्टिववियर शामिल हैं (मुंबई)

पहचान किए गए क्षेत्र निफ्ट के विशेषज्ञता के क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं और अन्य सरकार समर्थित इनक्यूबेटरों द्वारा इनकी पेशकश नहीं की जाती है। तीन स्थानों को उद्योग, सलाहकारों, मेंटरों और अनुभवी निफ्ट संकाय की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है।

परियोजना के पहले चरण में फैशन और जीवन शैली उत्पादों के पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास रचनात्मक उद्यम क्षेत्र में इन्क्यूबेशन की अवधारणा का प्रमाण विकसित करना होगा। परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इमप्रिंट–2 और नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के उद्देश्यों और परिण ामों के साथ संरेखित होगी और इन पहलों के साथ मिलकर काम करेगी, तथा आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य इन्क्यूबेटरों के साथ साझेदारी करेगी।

निफ्ट डीआईआई के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक धारा 8 कंपनी (सेंटर ऑफ फैशन इनोवेशन) पंजीकृत की जानी है, जो बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली में तीन क्षेत्रीय इनक्यूबेटरों को संचालित करेगी।

डीआईआई के 50 से 60 उद्यमी उद्यम पांच साल के समय में 1500 से अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे।

परियोजना की लागत 17.532 करोड़ रूपए और परियोजना की अवधि 1.5 वर्ष की है।

सतत शिक्षा कार्यक्रम

वस्त्र क्षेत्र में विकास की तीव्र गति के साथ उद्योग में इच्छुक और पेशेवरों की सतत शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रधान कार्यालय में सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) को उद्योग की जनशक्ति प्रशिक्षण और ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान 11 एनआईएफटी कैम्पसों में 93 पाठ्यक्रमों की पेशकश किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल प्रत्याशित राजस्व 21,31,64,500 करोड़ रूपए है, जिसमें वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित सतत शिक्षा कार्यक्रमों से राजस्व सृजन में अनुमानित वृद्धि 40.11 प्रतिशत है।

पेशकश किए जाने वाले सतत शिक्षा कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एनआईएफटी ने शैक्षणिक वर्ष 2014 से डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करना प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और अन्य स्रोतों के इष्टतम उपयोग के लिए केंद्रों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना है।

डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य के उन स्थानीय छात्रों के लिए मूल्य वर्धित कार्यक्रमों की पेशकश करना है जहां नए एनआईएफटी परिसर स्थित है। वर्ष 2017–18 के दौरान, सात डिप्लोमा कार्यक्रमों का आयोजन दो एनआईएफटी कैंपसों में किया गया था जिससे 1,55,21,600/– रूपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। वर्तमान में, दो एनआईएफटी कैंपसों में 2018–19 के दौरान तीन डिप्लोमा कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

इस वर्ष, श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के साथ समन्वय से एनआईएफटी के सेक्टर 26 स्थित अस्थायी कैम्पस में 5 वर्ष का एक सीई कार्यक्रम भी शुरू किया है।

अस्थायी परिसर में पेश किए जाने वाले एक साल के प्रमाणपत्र कार्यक्रम निम्नवत हैं :

1. फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी
2. भारतीय पारम्परिक पहनावे के लिए डिजाइन विकास
3. फैशन और मीडिया संचार
4. साज–सज्जा और फैशन के लिए वस्त्र
5. फैशन निटवेयर उत्पादन और प्रौद्योगिकी

इसके अतिरिक्त, सतत शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही हैं।

उद्योग और पूर्व छात्र मामले – कैम्पस नियोजन

उद्योग और पूर्व छात्र मामलों की यूनिट निफ्ट के स्नातक छात्रों को कैंपस नियोजन की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपना करियर शुरू कर सकें। अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां एनआईएफटी पेशेवरों को भर्ती करने के लिए नियोजन में भाग लेती हैं।

एनआईएफटी के नियोजन में भाग लेने वाली कंपनियों की प्रोफाइल में बड़े रिटेलर्स, ब्रांड मार्केटर्स, विनिर्माता, परामर्शी संगठन, ई–रिटेलर्स, वस्त्र मिले, गृह साज–सज्जा कंपनियां, डिजाइन और ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, प्रौद्योगिकी समाधान मुहैया करवाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और स्टार्ट–अप फर्म जैसे उद्योग के विविध खंडों में काफी विस्तार हुआ है। स्नातक करने वाले छात्र अक्सर उन संस्थानों के साथ नौकरी करते हैं जहां उन्होंने इंटर्नशिप की थी या जिनके लिए उन्होंने स्नातक परियोजनाएं की थी। अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निफ्ट के पेशेवरों की भर्ती करने का प्रयास करती हैं।

वर्ष 2011 से 2018 तक प्रति वर्ष छात्रों के प्रतिशत और लाख रु. में प्रति वर्ष औसत वेतन का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे दिया गया है :

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
नियोजित छात्रों का प्रतिशत	58%	82%	80%	79%	83%	86%	62%	65% (ऑफ कैंपस नियोजन प्रगति पर है)
औसत वेतन प्रति वर्ष (लाख रूपए में)	3.0	3.28	3.19	3.61	4.3	5.1	4.6	4.9

कैंपस नियोजन 2018, 23 अप्रैल 2018 से 12 मई, 2018 तक एनआईएफटी के नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, गांधी नगर और कन्नूर कैम्पसों में आयोजित किए गए थे।

भर्ती करने वाली कंपनियों में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ–साथ डिजाइनर, निर्माता, निर्यातक, खरीद एजेंसियों, परामर्शदाता, खुदरा विक्रेताओं, फैशन ब्रांड्स, ई–रिटेलर्स, घर साज–सज्जा, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं जैसे विविध खंडों से कंपनियां शामिल थी।

वर्ष 2018 में, कुल 352 कंपनियों ने 1710 रिक्तियां निकाली और भर्ती अभियान 2018 अभी भी जारी है। सर्वाधिक भर्ती खुदरा कंपनियों द्वारा की गई जिसके पश्चात फैशन ब्रांड्स, डिजाइनरों/डिजाइन गृहों और निर्यात गृहों/क्रय गृहों का स्थान आता है।

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संबंध

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

एनआईएफटी की अकादमिक रणनीति अंतरराष्ट्रीयता को अपनाती है। पिछले कई वर्षों में, निफ्ट ने सचेत रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और विदेशों में अन्य प्रतिष्ठित फैशन संस्थानों के मध्य अपनी ख्याति में वृद्धि की है। एनआईएफटी के 26 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों और संगठनों के साथ रणनीतिक समझौते और साझेदारी हैं जो समान शैक्षणिक दिशा साझा करते हैं। एक तरफ यह एनआईएफटी छात्रों को सहयोगी संस्थानों के साथ आदान–प्रदान कार्यक्रम का अवसर देकर फैशन की वैश्विक मुख्य धारा के साथ एकीकृत होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत निफ्ट में इसी तरह के ''विदेश में अध्ययन'' के अवसर प्रस्तुत करता है।

शिक्षण अध्यापन, अवधारणाओं और पेशेवर विचारों के आदान–प्रदान को सुकर बनाने के लिए, संकाय सदस्य शैक्षिणक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और व्यापार शो में भाग लेते है जिससे कक्षा में पर्याप्त अनुभव प्राप्त होता है और एनआईएफटी का ज्ञान पूल समृद्ध होता है।

भागीदार संस्थानों के साथ छात्रों का लगातार आदान–प्रदान होता है। जुलाई–दिसंबर 2018 सेमेस्टर में, एनआईएफटी के 13 छात्र अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर आदान–प्रदान कार्यक्रम में शामिल है जबकि 29 एनआईएफटी छात्रों को अकादमिक सत्र जनवरी–जून 2019 में सेमेस्टर आदान–प्रदान कार्यक्रम/स्नातक परियोजना/अनुसंधान

परियोजना हेतु शार्टलिस्ट किया गया है और यह ईएनएसएआईटी, फ्रांस; क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया; नाबा, इटली; पोलीटेक्नीको डी मिलानो, इटली; बंका गौकेन यूनिवर्सिटी, जापान; केईए–कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, डेनमार्क जैसे संस्थानों में किए जाएंगे। मई–जून 2018 में एसटीसी, स्विट्जरलैंड में 20 छात्रों ने ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। परस्पर आदान–प्रदान के रूप में भागीदार विश्वविद्यालयों से अंतर्राष्ट्रीय छात्र विभिन्न निफ्ट परिसरों में सेमेस्टर आदान–प्रदान कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। क्यूयूटी, आस्ट्रेलिया और शेंकर कॉलेज, इजराइल से जुलाई–दिसंबर, 2018 शैक्षणिक सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दो छात्र निफ्ट में आदान–प्रदान कार्यक्रम में शामिल हैं।

सभी परिसरों में निफ्ट के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों ने कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे कि वूल मार्क, वाऊ (वर्ल्ड ऑफ़ वियरबल आट्र्स) आदि में भाग लिया है।

संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शैक्षिक और सांस्कृतिक समृद्धि में अनुभव प्रदान करने वाले निफ्ट की ओर भी आकर्षित करता है। आदान–प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से, विदेशी संस्थानों के छात्रों ने न केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प की मूल्यवान समझ विकसित की है बल्कि भारतीय बाजार तथा इसकी गतिशीलता को भी समझा है। स्विस टेक्सटाइल्स कॉलेज के 20 छात्रों ने जनवरी–फरवरी, 2018 में एनआईएफटी बंगलूरू में विशेषीकृत अल्पावधि कार्यक्रम में भाग लिया।

दोहरी डिग्री अवसर

फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एफआईटी), न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ एनआईएफटी की रणनीतिक साझेदारी ने निफ्ट से मेधावी छात्रों का चयन करने का अवसर दिया है, जिससे उन्हें एनआईएफटी तथा एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर मिलता है। एनआईएफटी से छात्र गृह संस्थान में दो वर्ष का अध्ययन प्रारंभ करते है जिसमें बीच में एफआईटी में एक वर्ष का अध्ययन भी शामिल होता है। तत्पश्चात, छात्र दोनों संस्थानों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने के लिए निफ्ट में अपना अध्ययन पुनः प्रारंभ करते है। पिछले चार वर्षों में 51 छात्रों ने दोहरी डिग्री कार्यक्रम को पूरा किया है और विभिन्न विधाओं के 23 छात्र वर्ष 2018–19 में एफआईटी में दोहरी डिग्री के अवसर का लाभ उठा रहे हैं।

शैक्षणिक सहयोग की परिकल्पना हेतु वर्ष 2018 में एनआईएफटी का दौरा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल :–

- इटैलियन हब ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (आईएचईटी), श्री सुगत दास, महाप्रबंधक दृ इटैलियन हब ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (आईएचईटी) और श्री एड्रियन रॉबर्ट्स, शिक्षा निदेशक, एकेडेमीया कॉस्टयूम एण्ड मोडा के प्रतिनिधिमंडल का 24 अप्रैल, 2018 को दौरा।
- सितंबर 2018 में एनआईएफटी के मुख्यालय में क्रीटियन डायोर और एलवीएमएच के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक।

निफ्ट प्रतिनिधिमंडल की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा

1. **शोधपत्र प्रस्तुतीकरण के लिए विभिन्न संकाय सदस्यों द्वारा यात्रा :**

क. शंघाई में ढोंगहुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित (9 से 13 अप्रैल, 2018) आईएफएफटीआई 2018 सम्मेलन में पेपर प्रस्तुति के लिए एनआईएफटी के निम्नलिखित संकाय सदस्यों का दौरा : –

- प्रो. डॉ. वंदना भंडारी, केडी, निफ्ट दिल्ली
- डॉ. शिंजू महाजन, एसोसिएट प्रोफेसर, एलडी, निफ्ट दिल्ली
- डॉ. पूर्वा खुराना, एसोसिएट प्रोफेसर, एफडी, निफ्ट दिल्ली
- सुश्री सविता शेओरान राणा, एसोसिएट प्रोफेसर टीडी, निफ्ट दिल्ली
- सुश्री लवदीप कौर, सहायक प्रोफेसर एफडी, निफ्ट कांगड़ा

ख. दृश्य संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेपर प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित निफ्ट संकाय सदस्यों का 28–29 मई, 2018 के दौरान रोम, इटली में पोंटिफिसिया यूनिवर्सिटी डेला सांता क्रोस का दौरा :–

- सुश्री डॉली कुमार, सहायक प्रोफेसर, एलडी, निफ्ट दिल्ली
- सुश्री तुलिका महंती, सहायक प्रोफेसर, एलडी, निफ्ट दिल्ली

ग. वरिष्ठ प्रोफेसर डा. बन्ही झा, एफडी, निफ्ट दिल्ली का 8–10 जून, 2018 के दौरान कोबे, जापान में एसीएसईई 2018 सम्मेलन में पेपर प्रस्तुतीकरण हेतु दौरा।

घ. 23 से 26 जुलाई, 2018 तक लीड्स, यूके में 91वीं टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2018 में पेपर प्रस्तुतीकरण के लिए एनआईएफटी के निम्नलिखित संकाय सदस्यों का दौरा :

- डा. संदीप मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, एफडी, निफ्ट कोलकाता
- डा. सुमंत्रा बख्शी, सहायक प्रोफेसर, केडी, निफ्ट कोलकाता

घरेलू लिंकेज

निफ्ट भारत में डिजाइन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है और इसे प्राप्त करने के लिए इसने विभिन्न प्रमुख संगठनों/संस्थानों के साथ अपने को संबद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। एनआईएफटी ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित संगठनों/संस्थानों के साथ समझौता–ज्ञापन किए हैं :

- **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (एनआईडी), अहमदाबाद** – दोनों संस्थानों के बीच सहयोग शिक्षण, निर्णायक मंडल के लिए पैनलिस्ट के साथ–साथ पीएचडी प्रोग्राम हेतु गाइड के लिए संकाय सदस्यों को साझा करना, आधारभूत ढांचे को साझा करना, संयुक्त छात्र फील्ड दौरे, डिजाइन शिक्षा और संवर्धन जैसे क्षेत्रों में है।
- **फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट (एफडीडीआई)** – एनआईएफटी ने दिसम्बर,2013 में एफडीडीआई, दिल्ली के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग शिक्षण, निर्णायक मंडल के लिए पैनलिस्ट के साथ–साथ पीएचडी प्रोगाम हेतु गाइड के लिए संकाय सदस्यों को साझा करना, आधारभूत ढांचों को साझा करना, संयुक्त

छात्र फील्ड दौरे, डिजाइन शिक्षा और संवर्धन जैसे क्षेत्रों में है।

- **सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी)** – एनआईएफटी ने सीसीआईसी, दिल्ली के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। दो संस्थानों के मध्य सहयोग निम्नानुसार हैं :

क. एनआईएफटी, सीसीआईसी की सहायता के लिए नए डिजाइन और उत्पाद विकास तकनीकों पर कार्य करेगा, जिसके आधार पर एनआईएफटी और सीसीआईसी द्वारा नमूना उत्पाद बनाए जाएंगे।

ख. सीसीआईसी उन नमूनों को अपने शोरूमों में रखेगा, विभिन्न प्रदर्शनियों में ऑर्डर बुक करने के लिए प्रदर्शित करेगा और उसके आधार पर विभिन्न शिल्प क्लस्टरों में आर्डर देगा।

घरेलू लिंकेज के लिए नए समझौता ज्ञापन को तैयार किया गया था और उसे एसआईएसी–आई एण्ड डीएल तथा उसके पश्चात सीनेट और बीओजी निफ्ट को प्रस्तुत किया गया था।

नए समझौते

- दिसम्बर, 2017 में सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एण्ड डिजाइन के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षरः इस एमओयू के अंतर्गत दो छात्रों को प्रोगेशन रूट लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और दो संकाय सदस्यों को एससीएडी हांगकांग में संकाय प्रशिक्षण लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जो जनवरी, 2019 के लिए निर्धारित है।
- नॉटिघंम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, यूएसए के साथ फरवरी, 2018 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एनआईएफटी छात्रों हेतु स्टार्ट-अप प्रतियोगिता (व्यापार योजना प्रतियोगिता) की घोषणा

3 नवंबर 2017 को एनआईएफटी और हरीश गुप्ता, अनुसंधान सलाहकार, विभिन्न स्टार्ट–अप के मेंटर और निफ्ट के पूर्व छात्र (एएमएम91) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उनके अल्मा मैटर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिए हरीश गुप्ता और उनकी सहयोगी कंपनियों ने निफ्ट के छात्रों को अपने एसोसिएट संस्थानों के माध्यम से व्यवहार्य व्यापार विचारों के लिए नकद पुरस्कार, मेंटरिंग और नेटवर्किंग सहायता तथा सीड फंडिंग के साथ संस्थान व्यापार योजना प्रतियोगिता की पेशकश की।

एमओयू के अनुसार, अगस्त 2018 में पहली परियोजना के परिणाम की घोषणा की गई थी, जहां विभिन्न एनआईएफटी कैम्पस के 5 फाइनलिस्ट को एमओयू के तहत नकद पुरस्कार प्रदान किया गया था। छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :

- तानिया बरेरिया, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन निफ्ट पटना
- अब्दुल बासिथ, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन
- लवली प्रियंका, बैचलर ऑफ़ टेक्सटाइल डिज़ाइन और आनंद कुमार, बैचलर ऑफ़ एक्सेसरी डिज़ाइन, निफ्ट कांगड़ा
- वार्डन चंद्र बसु, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, निफ्ट नई दिल्ली
- सलोनी तिवारी, बैचलर ऑफ़ निटवियर डिज़ाइन, निफ्ट नई दिल्ली

संकाय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण और विकास

पुनर्गठित पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के साथ, संकाय सदस्यों को नए कौशल और ज्ञान के साथ प्रशिक्षित तथा लैस करने और फैशन व्यवसाय में बदलते रुझानों के साथ उनके पुनर्अभिमुखीकरण की आवश्यकता महसूस की गई।

संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेमेस्टर की शुरुआत से पहले कैम्पस आत्मनिर्भर रहें और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता न्यूनतम हो। परंपरा से अलग हटते हुए, 2018 में टीओटी का आयोजन प्रत्येक परिसर में एक विशिष्ट विषय को पढ़ाने वाले संकाय सदस्य के लिए किया गया है, जो कि विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित है, न कि प्रशिक्षण के लिए चुने जाने वाले संकाय सदस्यों के पैटर्न पर, जिन्हें अन्य संकाय सदस्यों द्वारा उनकी रूचि के अनुसार बनाया गया है।

नए पुनर्गठित पाठ्यक्रम और निफ्ट की आवश्यकता वाले शैक्षणिक प्रदाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट हो गया कि नियमित कार्यक्रम निफ्ट की संकाय प्रशिक्षण की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) या घरेलू प्रशिक्षण की नीति शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉड्यूल को अनुकूलित करने के विषय पर ध्यान नहीं देती है। अतः बीओजी एनआईएफटी ने भारत मे प्रतिषठित संस्थानों और संगठनों के प्रख्यात संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा विशेषीकृत देशीय प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

जुलाई और अगस्त 2018 के दौरान, संकाय सदस्यों के पुनर्अभिमुखीकरण और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए तीन प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इनमें यूके के एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और क्यूयूटी, ऑस्ट्रेलिया से एक; आईआईएम–बेंगलुरू, आईआईएम–अहमदाबाद और आईआईएससी

बेंगलुरू जैसे संस्थानों में अध्यापन करने वाले संकाय सदस्यों द्वारा छह विशेषीकृत देशीय प्रशिक्षण; आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों में तीन देशीय प्रशिक्षण और आंतरिक प्रशिक्षकों और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा 14 टीओटी प्रशिक्षण शामिल थे।

टीओटी के लिए फोकस का क्षेत्र फाउंडेशन प्रोग्राम में शिक्षण पद्धति और संव्यवहार मॉडल और विशेषज्ञता के लिए उभरते क्षेत्रों पर था। बड़ा डाटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, लक्जरी बिजनेस–उत्पाद और खुदरा, डिजाइन प्रक्रिया और इस तरह के कई प्रशिक्षण जुलाई और अगस्त 2018 में आयोजित किए गए। इसमें 241 संकाय सदस्यों ने भाग लिया और प्रशिक्षणों से लाभान्वित हुए।

सुई प्रेस्कॉट, एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, फैशन और परिधान डिजाइनर, और नगा पे महुटोंगा स्कूल ऑफ डिजाइन, मैसी यूनिवर्सिटी में व्याख्याता को निफ्ट, नई दिल्ली में संकाय सदस्यों की एक तीन दिवसीय कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था।

निफ्ट संकाय सदस्यों को सूक्ष्म स्तर पर उद्योग में अपने काम के ज्ञान को अद्यतन करने या उद्योग और इसके अंतर्संबंध के बारे में समग्र समझ हेतु समर्थ बनाने के लिए, संकाय उद्योग संबंधों को सुकर बनाया जाता है जो संकाय को नवीनतम व्यवहारों से अवगत कराता है और कक्षाओं में उनके प्रसार करने के लिए समर्थ बनाता है। कुल 38 संकाय सदस्यों ने जून–जुलाई 2018 के दौरान रिलायन्स अजियो, सन ऑफ ए नोबल, वैदिक एपेरल प्राइवेट लिमिटेड, टुकाटेक, अरविंद डेनिम, ल्यूमिअरे बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एएनसी लाइफस्टाइल आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों/कंपनियों में उद्योग अटैचमेंट को पूरा किया।

इन प्रशिक्षणों के अलावा, 4 दिन प्रत्येक की अवधि के दो संकाय सदस्य समागमों का आयोजन किया गया था – पहला हैदराबाद में डिजाइन संकाय सदस्यों के लिए और दूसरा बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संकाय सदस्यों के लिए। इसका उद्देश्य सभी 16 कैम्पसों में प्रत्येक संकाय सदस्य के लिए पुनर्संरचनाबद्ध पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी का प्रसार करना था। पाठ्यक्रम के अलावा, नीतियों में बदलाव, नई शुरू की गई विशेषताएं जैसे अकादमिक मेंटरिंग और शिक्षण और सीखने के अभिनव तरीकों पर समागम में चर्चा की गई थी।

शिल्प क्लस्टर

भारत में फैशन शिक्षा के अग्रणी के रूप में, एनआईएफटी अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों के महत्व को महसूस करता है और भारत के विभिन्न शिल्पों की सराहना करने और उन्हें बढ़ावा देने में सक्षम डिज़ाइनर बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। कई शैक्षणिक क्रियाकलाप छात्रों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करते हैं और क्षेत्रीय संवेदनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एनआईएफटी में शिल्प क्लस्टर पहलें छात्रों की शिल्प क्षेत्र की अन्य वास्तविकताओं के संबंध में सुग्राहीकरण और आधारभूत क्लस्टर स्तर पर अनुभवों को साझा करने के अवसर मुहैया करवाने के लिए हैं। इस पहल के माध्यम से, एनआईएफटी शिल्प को फैशन में आत्मसात करने तथा इसके उलट को करने के लिए व्यापक जागरूकता तथा संवेदनशीलता

को उत्पन्न करने में सफल रहा है। शिल्प क्लस्टर पहल कार्यक्रम एनआईएफटी के छात्रों को प्रत्येक वर्ष भारत के विविधतापूर्ण प्रचुर एवं अनूठे हथकरघा तथा हस्तशिल्प से एक व्यवस्थित, सतत और नियमित अनुभव प्रदान करता है। विशेषज्ञता के अनुरूप छात्र डिज़ाइन बुद्धिमता, डिज़ाइन नवाचार, उत्पाद विकास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ब्रांड प्रबंधन, खुदरा उद्यमशीलता, संगठनात्मक विकास और प्रणाली डिजाइन तथा विकास जैसे क्लस्टरों के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते है। छात्र प्रक्रिया नवाचार, उत्पादन योजना और अनुसंधान आधारित सुधार और गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्रों में भी योगदान देते है। छात्र लोगों, पोस्टर, ब्रोशर और कैटलॉग जैसी प्रचार सामग्री के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों की अलग पहचान विकसित करने में कारीगरों और बुनकरों की सहायता करते हैं।

प्रत्येक कैंपस ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 2–5 शिल्प समूहों को अपनाया है। पहल के अंतर्गत कवर किए गए क्रियाकलापों की सूची तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2: विभिन्न विभागों द्वारा की गई क्रियाकलापों की सूची

क्रम सं.	क्रियाकलाप	क्रियाकलाप की प्रकृति
1.	छात्र कैंपस के आसपास के क्षेत्र में किसी शिल्प परिवेश का दौरा करते हैं	शिल्पकारों के साथ बातचीत के माध्यम से शिल्प को समझना और 1–5 दिनों की अवधि के लिए आसपास के शिल्प क्लस्टरों के दौरे के माध्यम से उनकी चुनौतियों को समझना।
2.	निफ्ट परिसर में कारीगरों द्वारा शिल्प प्रदर्शन	छात्रों को कौशल प्रदर्शन के लिए परिसर के आसपास के क्षेत्रों में शहरी शिल्प क्लस्टरों से या चिनहित किए गए शिल्प क्लस्टरों से कारीगरों को आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	क्रियाकलाप की प्रकृति
3.	शिल्प अध्ययन और संगोष्ठी	उद्योग, सरकारी एजेंसियों और शिल्प क्षेत्र के पेशेवरों सहित लोगों के लिए चयनित पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है।
4.	शिल्प अनुसंधान और प्रलेखन	देश के ग्रामीण सौंदर्यशास्त्र, गांवों की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ के सुग्राहीकरण के लिए दो सप्ताह का शिल्प क्लस्टर का दौरा; शिल्प प्रलेखन में प्रक्रिया प्रलेखन और नैदानिक अध्ययन शामिल हैं।
5.	शिल्पकारों के साथ उत्पाद विकास	यह सेमेस्टर टप्प के छात्रों द्वारा लिया जाने वाला एक इन–फील्ड क्रियाकलाप है जिसका उद्देश्य फील्ड में उत्पादों को विकसित करना है।
6.	कारीगरों और बुनकरों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं	इस पहल के अंतर्गत उनके द्वारा कवर किए जाने वाले शिल्प समूहों के लिए वर्ष में एक बार प्रत्येक विभाग द्वारा जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ये कार्यशालाएँ शहरी बाजारों के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती हैं। वे एनआईएफटी संकाय और छात्रों के साथ बातचीत करते हैं जो रुझानों और बाजार की मांगों को समझने के लिए ज्ञान साझा करते हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परिसर–वार शिल्प क्रियाकलाप तालिका–3 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 3: एनआईएफटी कैंपस द्वारा हथकरघा कलस्टर में क्रियाकलापों का विवरण

क्र. सं.	कैंपस	क्रियाकलाप और शामिल किए गए शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	कारीगरों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
1.	बेंगलुरु	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण:	67	31	दस्तावेजीकरण
		बुनकर सोसाइटी, येलहांकायबुनकर सोसाइटी, अनेकल, बेंगलुरु			
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला:	87	37	दस्तावेजीकरण और फिल्म
		इलकल हैंडलूम, सारील सागर, चिंतामणी हथकरघा			
2.	भोपाल	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण:	128	5	दस्तावेजीकरण और तस्वीरें
		हौशंगाबाद सिल्क रियरिंग कलस्टर			
		चंदेरी साड़ी बुनकर कलस्टर			
		महेश्वर हथकरघा साड़ी विविंग कलस्टर			
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला:			
		चंदेरी साड़ी बुनाई कलस्टर			

क्र. सं.	कैंपस	क्रियाकलाप और शामिल किए गए शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	कारीगरों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण:			
		महेश्वर हथकरघा साड़ी विविंग कलस्टर			
3.	भुवनेश्वर	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण:	158	9	दस्तावेजीकरण
		तसर विविंग, गोपालपुर, ओडिशा			
		नुआपटना हैंडलूम कलस्टर, कटक			
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण:	11	4	दस्तावेजीकरण
		सोनपुर हैंडलूम विविंग कलस्टर			
4.	चेन्नई	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा:	38	5	दस्तावेजीकरण
		बुनकर सेवा केंद्र, कांचीपुरम			
5.	गांधीनगर	शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण:	33	4	दस्तावेजीकरण
		ब्रोकेड, गुजरात			
		फील्ड अध्ययन और शिल्पसंवेदीकरण:	31	2	दस्तावेजीकरण
		पटोला और मशरु, पाटन			
6.	हैदराबाद	फील्ड अध्ययन और शिल्पसंवेदीकरण:	161	10	दस्तावेजीकरण
		शिल्पराममम शिल्प बाजार का दौरा			
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा:	218	45	दस्तावेजीकरण
		पोचमपल्ली इकाट, नालगोंडा, तेलंगानाय येलमुला टेक्सटाइल्स, वारंगल, तेलंगाना			
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला:	87	12	दस्तावेजीकरण और फिल्म
		धुरी, वारंगलय पोचमपल्ली इकाट, नालगोंडा, तेलंगाना			
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण:	30	10	दस्तावेजीकरण
		मंगलगिरी हथकरघा, गुंटूर			
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान:	30		**Collaterals** और दस्तावेजीकरण
		महादेवपुर टेक्सटाइल, वारंगल, तेलंगाना			
		कारीगरों द्वारा इंडिगो वार्ता और शिल्प प्रदर्शन	105		फिल्में
7.	जोधपुर	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा:	90	12	दस्तावेजीकरण
		सलावास के हथकरघा			
8.	कांगड़ा	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण:	77		दस्तावेजीकरण
		तिब्बती कालीनय पट्टू विविंग			
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा:	107		दस्तावेजीकरण
		नूरपुर सिल्क मिल्स			
9.	कन्नूर	कारीगर जागरूकता कार्यशाला:	18	8	दस्तावेजीकरण और फिल्म
		मोराजा हथकरघा			
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण:	30	12	दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	क्रियाकलाप और शामिल किए गए शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	कारीगरों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
		मोराजा हथकरघा			
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः मोराजा हथकरघा	20	1	कोलेटरल और दस्तावेजीकरण
10.	कोलकाता	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः	135	73	दस्तावेजीकरण
		हथकरघाविविंग (फुलिया, नाडिया, पश्चिम बंगाल)य जामदानी (कलनाध्समुद्रदर्ग और धतरीग्राम, बर्दवान, पश्चिम बंगाल) हथकरघा विविंग (बेगमंपूर, हुगली, पश्चिम बंगाल)य हथकरघा विविंग (लावपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल)			
		कारीगर जागरूकता कार्यशालाः हथकरघा बुनना (बेगमंपूर, हुगली, पश्चिम बंगाल)य जामदानी (कलना / समुद्रदर्ग और धतिरीग्राम, बर्दवान, पश्चिम बंगाल)य बलूची (बिश्नुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल), हथकरघा विविंग (लावपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल)	102	20	कार्य और दस्तावेजीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरणः हथकरघा विविंग (शांतीपुर, फुलिया, पश्चिम बंगाल)	29	75	दस्तावेजीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः जामदानी (कलना / समुद्रगढ़ और धतरीग्राम, बर्दवान, पश्चिम बंगाल),बलूची (बिश्नुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल)	28	8	कोलेटरल
11.	मुंबई	महाराष्ट्र और गुजरात के हथकरघा, पैथानी और पटोला	48	शून्य	दस्तावेजीकरण
12.	नई दिल्ली	कारीगर जागरूकता कार्यशालाः ब्रोकेड वीविंग, मुबारकपुर (यूपी)य धूरी बुनाई, अजमेर (राजस्थान)	178	12	कार्य और दस्तावेजीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरणः धूरी विविंग, अजमेर (राजस्थान)	5	10	दस्तावेजीकरण
		कारीगरों द्वारा इंडिगो वार्ता और शिल्प प्रदर्शन	60		

क्र. सं.	कैंपस	क्रियाकलाप और शामिल किए गए शिल्प	विद्यार्थियों की संख्या	कारीगरों की संख्या	भौतिक लक्ष्य
13.	पटना	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: पालीगंग, बिहार में हथकरघा कपास उत्पाद	33		दस्तावेजीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटनाय बसवन बीघा, नालंदा, बिहार में बावनबूटि शिल्प कलस्टर	97		दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण: भागलपुर के हथकरघा	28	45	दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति
		कारीगरों द्वारा इंडिगो वार्ता और क्राफ्ट प्रदर्शन	62		प्रदर्शनी
14.	रायबरेली	शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: बनारस के हथकरघा	58		दस्तावेजीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: वाराणसी में बर्जदीदी बुनकर	32	10	दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण: बनारस ब्रोकेड	28	17	दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति
15.	शिलांग	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: मार्नगर, उम्डेन, इपंगार, रीहोई जिला, मेघालय और लार्नेई, पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय चंद्रपुर कलस्टर, कामरूप जिला, असम	129	5	दस्तावेजीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: प्राकृतिक डाई, उम्डेन, रीभोई जिला	25	11	दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण: एरियल, कपास, ऐक्रेलिक यार्न: माजुली कलस्टर, असम	22	12	दस्तावेजीकरण, प्रस्तुति
		प्रोटोटाइप विकास: एरि, पॉलिएस्टर, कपास, ऐक्रेलिक यार्न, चंद्रपुर कलस्टर, कामरूप जिला, असम में फ्लाइट शटल	25	75	प्रोटोटाइप विकास

तालिका 4: एनआईएफटी परिसरों द्वारा हस्तशिल्प कलस्टर में क्रियाकलापों का विवरण

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
1	बेंगलुरु	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: लकड़ी के लकरवेयर, चन्नापट्टना पोटरी, पोटरी टाउन, बेंगलुरु पत्थर पर नक्काशी शिल्प, शिवारापट्टनम, कोलार केन और टोकरी बुनाई, ऑडुगोडी और बनशंकरी नारियल शैल आभूषण बांस क्राफ्ट	394	70	दस्तावेजीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: टेराकोटा क्राफ्ट, कौदिचार, पुत्तूर, मैंगलोर जिला, कर्नाटक लकड़ी के लेकरवेयर, चन्नापटना लम्बेनी, कढ़ाई, हम्पी पत्थर पर नक्काशी, शिवरापटना मैसूर रोज वुड इनले क्राफ्ट, मैसूर कसूतीकढ़ाई, धारवाड़ लकड़ी के लकरवेयर खिलौने, चन्नापटना	256	65	दस्तावेजीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: कर्नाटक का पुष्प गारलैंड बनाना क्राफ्ट जारदोजी कढ़ाई बर्तनों क्राफ्ट बांस क्राफ्ट पिपल लीफ आर्ट केले फाइबर क्राफ्ट	56	18	दस्तावेजीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन: कसूतीकढ़ाई, धारवाड़ मैसूर रोज वुड इनले क्राफ्ट, मैसूर	101	33	दस्तावेजीकरण
2	भोपाल	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: ब्लॉक प्रिंटिंग, भोपाल कढ़ाई और जरी काकाम, भोपाल	100	10	दस्तावेजीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन: बेल मेटल (डोको) क्राफ्ट, बैतुल, महा शक्ति केंद्र	28	4	**कारीगरों और दस्तावेजीकरण द्वारा प्रदर्शन**
3	भुवनेश्वर	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: पिपली क्राफ्ट, रघुराजपुर और बालाकाटी पेपियरमाचे और पट्टचित्र, रघुराजपुर बेल मेटल क्राफ्ट, बालकाटी	492	14	दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: पट्टचित्र क्राफ्ट, रघुराजपुर ब्लॉक प्रिंटिंग, गोपालपुर अपलिक, अरोही कलस्टर, खंडागिरी	105	21	कारीगरों और दस्तावेजीकरण द्वारा प्रदर्शन
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण: जनजातीय ज्वेलरी, कार्मुल, ढेंकनाल ढोकरा कास्टिंग, सदेबरीनी सबाई घास, बरिपदा, सोनेपुर	16	8	दस्तावेजीकरण
4	चेन्नई	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: पत्थर पर नक्काशी, महाबलीपुरुम मंदिर छाता शिल्प, चमड़ा क्राफ्ट, सिंगपेरुमल कोई पाम पत्ती शिल्प सॉफ्ट डॉल मेकिंग पीपल लीफ पेंटिंग, तिरुवन्मलाई प्राकृतिक फाइबर वस्त्र, अनकापुधुर हाथ कढ़ाई और स्क्रीन प्रिंटिंग वुड़ विडिंग क्राफ्ट, चिन्तापादिपेट, त्रिप्लिकान और रोयापेटाह आरी कढ़ाई, गुम्मीदी पूंदी	232	35	दस्तावेजीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: हाथ बुनाई	29	6	दस्तावेजीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: लकड़ी नक्काशी, कोट्टिवाकम सागर शैल क्राफ्ट, त्रिप्लिकैन मिट्टी के बर्तनों, दक्षिणचित्ता बांस ब्लाइंड्स वीविंग, तिरुवनम्यूर	83	32	दस्तावेजीकरण
		पाम पत्ती टोकरी, पुलिकट मंदिर छाता, चिंदितपुएट पत्थर नक्काशी, महाबलीपुरम केन फर्नीचर, तिरुवनमीयर ईचनबास्केट, चिटपिट			
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: चमड़े की कठपुतली, केन फर्नीचर, तंजौर चित्रों, केन शैल क्राफ्ट, क्राफ्ट आभूषण, टेरा कोट्टा मोती आभूषण, अथांगुडी टाइलें, लकड़ी की नक्काशी, पेपर उत्पाद, अग्रबाती बनाने, चंदन की कलम, समुद्री शैल शिल्प, कोरा चटाई, ग्रेनाइट पत्थर पर नक्काशी, मारापछी गुड़िया, जूट बैग, तंजावुर थालायती बोम्माई, मंदिर छाता	30	35	सहायकऔर दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः	125	22	कारीगरों और दस्तावेजीकरण द्वारा प्रदर्शन
		कलमकारी			
		टेराकोटा शिल्प, पांडिचेरी			
		पेपियरमाचे, थिरुकन्नूर			
		पत्थर पर नक्काशी, महाबलीपुरम			
5 वीं	गांधीनगर	फील्डअध्ययन और शिल्प संवेदीकरणः	174	28	दस्तावेजीकरण
		गांवः लोदरा			
		लकड़ी परनक्काशी			
		कंठी माला मेकिंग			
		अगरबत्ती बनाना			
		लकड़ी का काम,			
		कृषि केउपकरण (ब्लैक स्मिथिंग)			
		खाट मेकिंग			
		मखमल पेंसिल मेकिंग			
		ईंट मेकिंग			
		मिट्टी के बर्तनों			
		आभूषण बनाना			
		क्विल्ट और गद्दा बनाना			
		क्रोचेट			
		गांवः पेठापुर			
		ब्लॉक बनाना			
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः	230	26	दस्तावेजीकरण
		पत्थर नक्काशी, पाटन ६ हिम्मतनगर			
		मनका कार्य, बापू नगर और जुनावदेज, अहमदाबाद			
		टेराकोटा, वडू गांव, अहमदाबाद			
		कढ़ाई,एप्लिक और पैचवर्क, अहमदाबाद			
		ब्लॉक प्रिंटिंग, अहमदाबाद			
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरणः	33		दस्तावेजीकरण
		एप्लिक			
		माता नी पचेडी			
		ब्लॉक बनाना और ब्लॉक प्रिंटिंग			
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः	37	21	**Collaterals** और दस्तावेजीकरण
		अहमदाबादः			
		कठपुतली बनाना			
		पतंग बनाना			
		ब्लॉक प्रिंटिंग			
		एप्लिक			
		कागज उत्पाद			
		पेपियर माचे			
		जरदोजी			
		प्लास्टर ऑफ पेरिस			

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः लकड़ी की पत्रा मेकिंग, अहमदाबाद और राजकोट टेराकोटा और ब्लैक पॉटरी, बडौदा बीडवर्क, वडोदरा	35		कारीगरों और दस्तावेजीकरण द्वारा प्रदर्शन
6	हैदराबाद	कारीगर जागरूकता कार्यशालाः सिल्वर फिलीग्री, करीमनगर पंबरबाड़ी ब्रासवेयर, वारंगल चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, वारंगल क्रोचेट फीता, नरसपुर कलमकारी, श्रीकालहस्ती बंजारा कढ़ाई, येल्लामा थांडा	111	20	दस्तावेजीकरण और फिल्म
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, वारंगल पंबर्थी ब्रासवेयर, वारंगल	37	5	दस्तावेजीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः सिल्वर फिलीग्री, करीमनगर	30	–	कोलेटरल और दस्तावेजीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः पीतल शीट काम	29	2	कारीगरों और दस्तावेजीकरण द्वारा प्रदर्शन
7	जोधपुर	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरणः लकड़ी क्राफ्ट, जोधपुरय बोन एंड हॉर्न, प्रताप नगर, शिवंचि गेट, जोधपुर मोजरीकलस्टर, शिवानंच गेट, जोधपुर	88	6	दस्तावेजीकरण
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरणः हड्डी और सींग चमड़ा शिल्प लकडी और आयरन शिल्प	29	29	दस्तावेजीकरण
8	कांगड़ा	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरणः थांगका और कांगड़ा चित्र	231	6	दस्तावेजीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौराः बांस क्राफ्ट, रय्यत, कांगड़ा पेपर क्राफ्ट, धर्मशाला	154	7	दस्तावेजीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचानः तिब्बती शिल्प, मैकलोडगंज, कांगड़ा बांस क्राफ्ट, राइट, कांगड़ा पेपर क्राफ्ट, धर्मशाला कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनः बांस शिल्प, पालमपुर पाइन सुई, कांगड़ा लकड़ी जड़ना, होशियारपुर	30	2	सहायक और दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
9	कन्नूर	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: उरुवू बांस कलस्टर			
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: पेंच पाइन क्राफ्ट, थैलोलापरमबु, कोट्टायम	33	5	दस्तावेजीकरण
		पय्यानूर बेल मेटल क्राफ्टऔर संबद्ध मेटल क्राफ्ट			
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: कोरा ग्रास मैट, चित्तूर, पलक्कड़ पेंच पाइन क्राफ्ट, थैलोलापरमबु, कोट्टायम	147	46	दस्तावेजीकरण और फिल्म
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: पय्यानूर बेल मेटल क्राफ्ट पेंच पाइन क्राफ्ट, थैलोलापरमबु, कोट्टायम	1	40	सहायकऔर दस्तावेजीकरण
10	कोलकाता	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: कांथा – काजीपारा, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल कांथा – गूमा, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल जरी – बौरिया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल टेराकोटा – मन्ना, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल	159	48	दस्तावेजीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: पटचित्र – पिंगला, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल कांथा – बरसैट, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल चमड़ा क्राफ्ट, सोडेपुर और गारिया	130	26	दस्तावेजीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: कांथा, बोलपुर, ननूर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल पट्टचत्र, पिंगला, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल टेराकोटा, पंचमूरा, बांकुरा, पश्चिम बंगाल चमड़ा क्राफ्ट, सोडेपुर और गारिया कांथा, बरासत हस्त पेंटिंग	191	61	दस्तावेजीकरण और फिल्म
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: कांथा, बोलपुर, पश्चिम बंगाल पट्टचित्र, पिंगला, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल टेराकोटा, पंचमूरा, बांकुरा, पश्चिम बंगाल कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन:	28	2	सहायकऔर दस्तावेजीकरण
		कांथा, बरासत मिट्टी के बर्तनों सबाई घास मिट्टी के पात्र टेराकोटा			

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
11	मुंबई	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: गणेश मूर्ति मेकिंग, पेन, पतवा, धारावी बांस और केन, माहिम और बांद्रा चमड़ा शिल्प, धारावी जारदोजी, चीता कैंप मानखुर्द, बिंगवाड़ी गोवंडी टेराकोटा, धारावी लकड़ी परनक्काशी, माहिम, मुंबई	246	14	दस्तावेजीकरण
		कारीगर जागरूकता कार्यशाला: लातूर पालघर	30	20	दस्तावेजीकरण और फिल्म
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: फूल शिल्प, दादर गोदादी शिल्प, नेरुल, कुंभर्ववाड़ा पोट्टेरी क्राफ्ट, धारावी वर्ली क्राफ्ट, धारावी जूट शिल्प चमड़ा शिल्प पतवा शिल्प, मुम्बादेवी बांस और केन शिल्प	1059	45	दस्तावेज
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: कॉयर, सिंधुदुर्ग टेराकोटा, धारावी चित्रकथा, पिंगुली	99	2	सहायकऔर दस्तावेजीकरण
		कोल्हापुर चौपल गनीफा, सावंतवाडी संगीत उपकरण, मिराज			
12	नई दिल्ली	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: ब्लॉक प्रिंटिंग: ओखला (जाकिर नगर) धातु का काम: मालवीय नगर ६ साकेत पोटरीध्लोंगपी: साकेत कढ़ाई: शाहपुर जाट कढ़ाई: खानपुर पोटरी: उत्तम नगर पोटरीध्बर्तन: चिराग दिल्ली	235	–	दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
		शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण: चमड़ा शिल्प, अजमेर (राजस्थान) लघु चित्रकारी ब्लॉक प्रिंटिंग, टाइ एंड डाई एंड सिल्वर आभूषण, उदयपुर, राजस्थान कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन: ब्लैक पॉटरी: निजामाबाद, आजमगढ़, यूपी चमड़ा शिल्प, अजमेर, राजस्थान	26	–	दस्तावेज
13	पटना	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: जरदोजी लकड़ी के शिल्प टैटू बनाना पतंग बनाना सूजिनी मधुबनी एप्लिक केन और बांस पीतल के बर्तनों			दस्तावेजीकरण
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: सुजिनी शिल्प कलस्टर, भुसा गांव, मुजफ्फरपुर	64	3	दस्तावेजीकरण
		शिल्प संवर्धन और ब्रांड पहचान: कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन: टिकुली, केन एंड बांस एंड पेपियर माचे, पटना	26	1	सहायकऔर दस्तावेजीकरण
14 वीं	रायबरेली	फील्ड अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: टेराकोटा, स्टोन का काम, मेटल वर्क, बांस बास्केट्स दालुवा, केंस घास बास्केट वर्क्स, देहरा मऊ, दिघिया, सैंडिनगिन, गेखखुआ, मेनूपुर, टकिया, मुसहा, खासपाड़ीऔर मुंसीगंज में सोप बेना	111	–	
		शिल्प कलस्टर का फील्ड दौरा: हड्डी शिल्प, लखनऊ, लाह खिलौने, वाराणसी, टाई और डाई कार्यशाला, बाटिक कार्यशाला, चमड़ा एम्बॉसिंग कार्यशाला शिल्प अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण: लकड़ी टर्निंग लाह खिलौने, वाराणसी बोन नक्काशी, लखनऊ कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन: लकड़ी टर्निंग लाह खिलौने, वाराणसी बोन नक्काशी, लखनऊ	261	14	दस्तावेजीकरण दस्तावेजीकरण

क्र. सं.	कैंपस	गतिविधि और क्राफ्ट कवर	विद्यार्थियों की सं.	कारीगरों की सं.	भौतिक डिलिवरेबल
		टाई एंड डाई, जयपुर, राजस्थान			
15	शिलांग	शिल्प अध्ययन और शिल्प संवेदीकरण: मार्नगर, उम्डेन, इपंगार, रीभोई जिला, मेघालय और लार्नेई, पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय	61	6	दस्तावेजीकरण
		कारीगरों द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शन: ब्लैक पॉटरी लारनई, पश्चिम जयंती हिल्स जिला, मेघालय	128	5	दस्तावेजीकरण

चंपारण शताब्दी सप्ताह

''इंडिगो वार्ता'' – चंपारण आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने, स्वदेशी और भारत हैंडलूम ब्रांड के महत्व पर प्रकाश डालने, विशेष रूप से इंडिगो सहित प्राकृतिक रंगों के उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सभी निफ्ट कैम्पसों में व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया था। नैतिक व्यवहार के आयाम, कारीगरों के प्रति संवेदनशीलता, आर्थिक धारणीयता और प्राकृतिक रंगों का प्रसार, चर्चा के क्षेत्र थे। सुश्री रितु सेठी, सुश्री रीता कपूर चिश्ती, सुश्री आरती कवला, सुश्री पदमिनी टोलट बलराम और श्री जीसस क्राइजिया जैसे विशेषज्ञों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था।

प्राकृतिक रंग के रूप में इंडिगो का उपयोग और चंपारण आंदोलन के इतिहास को दर्शाने के लिए एक व्यापक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इंडिगो प्रदर्शनी कुछ निफ्ट परिसरों में छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए और इंडिगो तथा अन्य प्राकृतिक रंगों के साथ रंगे हुए कपड़ों का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित की गई थी।

शिल्प आधारित स्नातक परियोजनाएं

वर्ष 2018 में निफ्ट कैम्पस में नौ छात्रों द्वारा चार–हथकरघा क्लस्टर आधारित और पांच हस्तकला क्लस्टर आधारित स्नातक परियोजनाएं आयोजित की गईं। स्नातक सेमेस्टर के छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे मिजोरम हैंडलूम, महेश्वरी क्लस्टर में डिजाइन हस्तक्षेप, उत्तर प्रदेश के हथकरघा, बेल मेटल शिल्प के संवर्धन हेतु संप्रेषण साधनों का विकास, मिजोरम जेवरात में नवाचार, लेदर खिलौनों में हस्तक्षेप, पोडूरू खादी के सुई शिल्प और अमूर्त विरासत के अभिलेखन तथा केरल में हथकरघे के पुनरूद्धार में शिल्प आधारित परियोजनाओं पर कार्य किया।

वर्ष 2018 में सभी निफ्ट कैंपस में कुल बाईस छात्रों द्वारा छह हथकरघा क्लस्टर आधारित और सोलह हस्तशिल्प क्लस्टर आधारित स्नातक परियोजनाएं प्रारंभ की गईं। स्नातक सेमेस्टर के छात्रों ने जवाजा (दरी), जामदानी हैंडलूम क्लस्टर, कवर्धा, बोलागढ़, और नुआपटना में डिज़ाइन हस्तक्षेप; बनारस बुनाई का पुनरुद्धार और नवाचार; हाथ बुनाई और क्रोशिया; बुदनी की लकड़ी के लाख को बढ़ावा देना; किन्नल या किन्हल शिल्प में नवाचार; बाटीक शिल्प में डिजाइन हस्तक्षेप; सहस्त्राबदी के लोगों के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाना; भारत के पारंपरिक टेबलवेयर को बढ़ावा देना; झारखंड के प्राचीन लोकगीतों को पुनर्जीवित करना, कुशमंडी छऊ मुखौटा का वर्णसंकर शिल्प; असम की बेंत और बांस हस्तशिल्प; बुदिथि बेल और पीतल शिल्प में डिजाइन हस्तक्षेप; झारक्राफ्ट क्लस्टर में डिजाइन हस्तक्षेप; मछलीपट्टनम कलमकारी में डिज़ाइन हस्तक्षेप, टॉन्क क्लस्टर राजस्थान में नमदा आसनों में डिज़ाइन हस्तक्षेप; जयपुर की बंधनी शिल्प के लिए कहानी सुनाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शिल्प आधारित परियोजनाएं प्रारंभ की थीं। इन सभी परियोजनाओं को विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था।

शिल्प बाजार

प्रत्येक निफ्ट कैंपस ने क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन किया है जहाँ कारीगरों और बुनकरों को चिन्हित समूहों से आमंत्रित किया गया है। इन शिल्प बाज़ारों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया है और उन्होंने बुनकरों और कारीगरों द्वारा विकसित उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान किया है। शिल्प बाज़ारों को मीडिया से प्रशंसा मिली है क्योंकि स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसे कवर किया गया है। कारीगरों ने उन्हें आमंत्रित करने और उन्हें शहरी बाजारों में उजागर करने और शहरी ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करने की पहल की सराहना की है।

डिजिटल शिल्प बाजार

भारत में स्वदेशी शिल्प और प्रथाओं का एक अनूठा इतिहास है, जो कारीगरों को पीढ़ी–दर–पीढ़ी मिली हैं। कई कारीगर मशीनीकरण और तेजी से बदलते फैशन के चलते होने वाली प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों की चुनौतियाँ, पावरलूम से उत्पादन किए गए सस्ते वस्त्र और कारीगरों की युवा पीढ़ी की अपने परिवार के व्यवसाय को जारी रखने के प्रति उदासीनता परम्परागत शिल्प क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है।

डिजिटल मीडिया भारत के शिल्प के पुनरुद्धार

को उत्प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे कारीगर और बुनकर बाजारों से सीधे जुड़ सकते हैं और सस्ता ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किफायती संचार उपकरण, ऑनलाइन बाज़ार और उपभोक्ता समुदायों का एक उभरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र वर्तमान खुदरा परिदृश्य को बदल रहा है। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की वृद्धि ने कारीगरों के लिए बेहतर मूल्यों पर गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए भौगोलिक सीमाओं से परे ग्राहकों के साथ जुड़ने हेतु अवसरों को सक्रिय कर दिया है। वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए पारंपरिक शिल्पों की सुंदरता का लाभ उठाने के लिए, स्वतंत्र डिजाइनर सक्रिय रूप से कारीगरों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

एनआईएफटी ने ऑनलाइन व्यापार के तीन दिग्गजों दृ मिंत्रा, जेपोर और अमेजन के साथ वस्त्र और अन्य उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाज़ार प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के लिए संपर्क स्थापित किया है जिन्हें एनआईएफटी के छात्रों द्वारा कारीगरों के सहयोग से अपने कैंपसों में डिज़ाइन किया गया होगा। ये डिजिटल पोर्टल कारीगरों को ऑनलाइन उपभोक्ताओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। ये कंपनियां हस्तनिर्मित उत्पादों को दुनिया में ले जाकर पारंपरिक भारतीय शिल्प को सफलतापूर्वक बढ़ावा देने में सक्षम रही हैं। डिजिटल बाज़ार एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कारीगरों और बुनकरों को सीधे बाजार पर पहुंच प्रदान करता है और इस तरह बिचौलियों को बीच में से हटा देता है।

डिजिटल शिल्प बाजार के माध्यम से, निफ्ट और उसकी साझेदार कंपनियां न केवल उत्पादों, बल्कि संभावनाओं और सपनों को भी बेचती हैं क्योंकि वे रुग्ण शिल्प के लिए ऊर्जावान भविष्य तैयार करती हैं। 31 जनवरी, 2018 को एनआईएफटी के साझेदार के रूप में मिंत्रा, जेपोर और अमेजन वाले डिजिटल शिल्प बाजार का उद्घाटन भारत के कारीगरों और बुनकरों के लिए एक परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु इस सहयोगात्मक प्रयास की दिशा में पहला कदम है।

शिल्प रिपोजिट्री

एनआईएफटी ने अपने हितधारकों हेतु ग्रेडिड पहुंच प्रणाली के साथ शिल्प क्लस्टर रिपोर्ट की एक स्थायी डिजिटल रिपोजिट्री विकसित की है। निफ्ट की यह पहल शिल्प क्लस्टरों में सृजनशील नवाचार और प्रयोगों में परिणत होने वाले युवा डिजाइन पेशेवरों के लिए डिजाइन हस्तक्षेप के अवसरों को बढ़ाने के वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की नई शिल्प क्लस्टर पहल के उद्देश्यों के अनुरूप है।

शिल्प अनुसंधान और प्रलेखन निफ्ट के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है जो छात्रों के उनकी समृद्ध शिल्प विरासत के बारे में सुग्राहीकरण के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ वस्त्र मंत्रालय के अनूठे शिल्प क्लस्टर पहल कार्यक्रम का मिलान करता है। रिपॉजिटरी ने कैंपसों में फैली हुई शिल्प प्रलेखन या परियोजना रिपोर्टों को एकत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ये रिपोर्टें नैदानिक अध्ययन और प्रक्रिया प्रलेखन के माध्यम से एनआईएफटी के छात्रों और संकाय द्वारा शिल्प क्लस्टरों में हस्तक्षेप के परिणाम हैं। शिल्प रिपोजिट्री निफ्ट समुदाय के बीच इन शोधों के परिणामों को एक ही मंच पर एकत्र करने, दर्शाने और साझा करने की आवश्यकता पर ध्यान देती है। निफ्ट सदैव ही ज्ञान के प्रसार में अग्रणी रहा है और यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएचडी और अनुसंधान

एनआईएफटी उद्योग के वस्त्र, फैशन और जीवन शैली तथा परिधान क्षेत्रों के व्यापक संदर्भ में यथा लागू डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में पीएचडी की पेशकश करता है। इस प्रोग्राम को वस्त्र, फैशन और परिधान क्षेत्र में अनुसंधान करने के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि शिक्षा और उद्योग में व्यापक उपयोग के लिए मूल ज्ञान का एक निकाय बनाया जा सके।

पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया सामान्य रूप से हर साल अप्रैल के महीने के दौरान शुरू होती है और परिणाम की घोषणा तथा पंजीकरण जुलाई के महीने में किया जाता है।

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अहर्ता पात्रता दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट की जाती है।

पीएचडी कार्यक्रम 2009 में सात छात्रों के साथ शुरू किया गया था और वर्तमान में 33 छात्र एनआईएफटी से पीएचडी कर रहे हैं। कार्यक्रम की समय–सीमा के संबंध में, उम्मीदवार से पांच वर्ष के भीतर पर्यवेक्षित अध्ययन पूरा करने की आशा की जाती है, जिसे महानिदेशक, निफ्ट के विशिष्ट अनुमोदन द्वारा अधिकतम सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 20 स्कॉलर को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई है।

अध्याय-7

अवसंरचना के लिए सहायता

7.1 वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से वस्त्र उद्योग को अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करा रहा है।

क. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

वस्त्र उद्योग को विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुवधिाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वित की जा रही है। इसकी परियोजना लागत में अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता के साथ आईटीपी की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन/सहायता के लिए सामान्य अवसंरचना और भवन शामिल हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीपी स्थापना में ढील दी गई है।

2. इस योजना के अंतर्गत कंपाउंड, वॉल सड़क, नाली, जलापूर्ति, कैपटिव विद्युत संयंत्र सहित विद्युत आपूर्ति, बहिस्राव शोधन, दूरसंचार लाइन, परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरण सहित), डिजाइन केंद्र (उपकरण सहित), परीक्षण केंद्र (उपकरण सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, वेयर हाउसिंग सुविधा/कच्ची सामग्री डिपो, एक पैकेजिंग इकाई, क्रैच, कैंटीन, कामगार होस्टल, सेवा प्रदाता कार्यालय, श्रमिक विश्राम स्थल और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सुविधा प्रणाली (वैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) आदि जैसी **सामान्य सुविधाओं के लिए भवन,** उत्पादन के लिए **कारखाना हेतु भवन**, **संयंत्र एवं मशीनरी** और वस्त्र इकाइयों के लिए कार्य स्थल और कामगारों के होस्टल, जो किराया/हायर परचेज आधार पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं जैसी **सामान्य अवसंरचना** के घटकों के अंतर्गत वित्त पोषण किया जाता है।

3. भारत सरकार की कुल वित्तीय सहायता 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत का 40% तक सीमित है। तथापि, भारत सरकार की सहायता अरुणालच प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 90% की दर से प्रदान की जाएगी।

4. अभी तक 59 स्वीकृत वस्त्र पार्क क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

क्रियान्वयन की स्थितिः

उपर्युक्त पार्कों के पूरी तरह से प्रचालनशील हो जाने पर लगभग 5909 वस्त्र इकाइयों के शुरू होने, लगभग 346093 व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 26825 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किए जाने की संभावना है।

2. इन 59 वस्त्र पार्कों के लिए एसआईटीपी के अंतर्गत 1332.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

3. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अभी तक 22 पार्क पूरे हो गए हैं। ये हैं– ब्रांडिक्स –आंध्र प्रदेश, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, मुंद्रा सेज, आरजेडी टेक्सटाइल पार्क, सूरत

सुपर यार्न प्रा.लि., व्रज आईटीपी, फेयरडील टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि., सयन टेक्सटाइल पार्क– गुजरात हाइटैक को–ऑपरेटिव पार्क लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र; पल्लाडम हाईटैक वीविंग पार्क, करूर टेक्सटाइल्स पार्क, तमिलनाडु; मदुरई एकीकृत वस्त्र पार्क, तमिलनाडु, इस्लामपुर एकीकृत वस्त्र पार्क, बारामती हाईटेक वस्त्र पार्क, दिशान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं लातूर इन्टीग्रटेड टेक्सटाइल पार्क–महाराष्ट्र। लोटस इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, पंजाब, डोडबल्लापुर टेक्सटाइल पार्क, कर्नाटक। जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि. –राजस्थान, पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लि. तृ तेलंगाना, अस्मिता इन्फ्राटेक प्रा.लि., महाराष्ट्र और प्राइड इंडिया कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पार्क लि. महाराष्ट्र।

एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल निर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान योजना (एसएजीएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्योग में तेजी लाने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर यह योजना क्रियान्वित कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पार्क में नई/अतिरिक्त अपैरल इकाइयों की स्थापना करने के लिए एसआईटीपी के अंतर्गत एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत पल्लाडम हाईटेक विविंग पार्क, तमिलनाडु के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है।

(क) एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से अक्तूबर, 2013 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी और शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) सहित उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाना है। राज्य सरकारों से मौजूदा वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन अथवा परियोजना लागत का 25% को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिबद्ध ता से मंत्रालय के विचारार्थ अपने राज्यों में नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए उपयुक्त प्रस्ताव अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा नीचे दिए गए 7 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

i. बलोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और बलोतरा, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा. लि., बलोतरा द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

ii. जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और जसोल, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा. लि., राजस्थान द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना करना।

iv. विरूधनगर, तमिलनाडु में सदर्न जिला

टेक्सटाइल प्रसंस्करण कलस्टर (प्रा.) लि. द्वारा 6 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

v. भवानी, इरोड, तमिलनाडु में कदायमपट्टी सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र (भवानी) प्रा. लि. द्वारा 8 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vi. भवानी तालुका, इरोड जिला, तमिलनाडु में श्री भवानी सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र द्वारा 4 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vii. गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, सूरत, गुजरात में 25 एनएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

2. स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 47.81 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है।

(ख). अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) की शुरूआत 12.93 करोड़ रुपए/उद्भवन केंद्र की दर से 3 उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए 38.80 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ जनवरी, 2014 में पायलट आधार पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न उद्यमियों को पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और प्लग एंड प्ले की सुविधा के साथ एकीकृत कार्यस्थल प्रदान कर अपैरल विनिर्माण क्षेत्र में उन्हें बढ़ावा देना है जो नए उद्भवन केंद्र स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत और प्रयासों को कम करने में उनकी मदद करेगा। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में एचएसआईआईडीसी, ओडिशा में एसपीआईएनएफईडी तथा मध्य प्रदेश में आईआईडीसी की एक–एक अर्थात कुल तीन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

(ग). वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास (एसटीआईडब्ल्यूए)

वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरूआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2014 में 45 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के कामगारों को वस्त्र एवं अपैरल उद्योगों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों के नजदीक सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। ऐसी दो परियोजनाओं को अक्तूबर, 2014 में स्वीकृत किया गया था जिनमें गुजरात इको–टेक्सटाइल्स पार्क प्रा. लि. तथा तमिलनाडु में पल्लाडम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा.लि. शामिल हैं। पल्लाडम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा. लि. के कामगारों का हॉस्टल का कार्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा कर लिया गया है।

अध्याय–8

वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

8.1 **पटसन सहित वस्त्र उद्योग की अनुसंधान और विकास योजना** को 149 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किया गया था। इस योजना को निम्नलिखित प्रमुख संघटकों के साथ तैयार किया गया है:

संघटक–I:

वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े वस्त्र अनुसंधान संघों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी (कुल परिव्यय – 50 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य :

- संविदा अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से उद्योगों के साथ सहयोग करके बाजार प्रेरित अनुसंधान को सुनिश्चित करना।
- नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं का विकास।
- अनुसंधान और विकास का क्षेत्र में वस्त्र मूल्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों और विशेषकर तकनीक जैसे अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान को शामिल किया जाएगा।
- इस संघटक में उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए कारोबारी अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए बाजार में नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को लाने के उद्देश्य से विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने/बाजारीकरण की भी परिकल्पना की गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करना कि आर एंड डी प्रयास उस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए लक्षित हो जो इस सेक्टर और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हो।

संघटक–II:

पटसन क्षेत्र में आर एंड डी का प्रोत्साहन; पटसन क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रसार के क्रियाकलाप (कुल परिव्यय–80 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य:

- पटसन का उपयोग और विविध कार्यों में बढ़ाने के लिए आर एंड डी प्रयासों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से जहां पटसन का उपयोग भारी मात्रा में होता हो।
- वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान आर एंड डी प्रयासों में पटसन का उपयोग पटसन–जियो––टेक्सटाइल, पटसन–एग्रोटेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, पेपर की लुगदी का निर्माण, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में पटसन मिश्रित चीजों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है।
- अन्य टेक्सटाइल प्रयोगों में पहले से हासिल की गई प्रौद्योगिकी को (वुलेनाइजेशन, बलेंड्स, महीन धागा, सुगंधित कपड़े, अग्निरोधी और जलरोधी कपड़ा इत्यादि) पटसन में प्रयोग के लिए और आर एंड डी के माध्यम से सुग्राह्य

बनाना।

- विकसित प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए औद्योगिक/क्षेत्रीय प्रदर्शन।

संघटक–III:

मानकीकरण संबंधी अध्ययन, ज्ञान का प्रसार और आर एंड के माध्यम से हरित प्रयासों को प्रोत्साहित करना (कुल परिव्यय–15 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य:

- औद्योगिक मानक और मानकीकरण तैयार करने के लिए अनुसंधान अध्ययन चलाना और उचित मानकीकरण हासिल करने के लिए चरणों की पहचान करना और उन्हें प्रलेखित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उद्योग हरित प्रयासों को कार्यान्वित कर सकें।
- इस प्रकार तैयार किए गए मानकी का प्रसार और इकाइयों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना; और
- इस मानकीकरण को हासिल करने वाली इकाइयों को प्रत्यायन में सहयोग देना और बेहतर राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता देना।

8.2 पात्र एजेंसियां:

वस्त्र अनुसंधान संगठनों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियां, विश्वविद्यालय, उद्योग संघ, सरकार अनुमोदित अनुसंधान केंद्र जैसे आईआईटी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं/मान्यता प्राप्त इंजिनियरिंग कॉलेज/डीएसटी/डीएसआईआर आदि से अनुमोदित संस्थान परियोजना प्रस्ताव देने के लिए पात्र होंगे।

8.3 कार्यान्वियन एजेंसी और नोडल अधिकारी:

(i) संघटक I और III के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा ओर संघटक II के लिए पटसन आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा।

(ii) भारत सरकार का अपर सचिव/संयुक्त सचिव रैंक का वस्त्र आयुक्त संघटक I और III के सभी आर एंड डी क्रियाकलापों हेतु प्रत्यक्ष रूप से नोडल अधिकारी होगा और संघटक प्प के तहत सभी पटसन संबंधी आर एंड डी क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का पटसन आयुक्त नोडल अधिकारी होगा। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन पीएएमसी करेगा और अपनी सिफारिशों को पीएसी को भेजेगा।

8.4 पात्र निधि सहायता:

(i) व्यावहारिक अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के मामलों में, परियोजना लागत की अधिकतम 70 प्रतिशत राशि की सहायता दी जाएगी और शेष राशि का प्रबंध संबंधित परियोजना अधिशासी एजेंसी/संस्थान द्वारा उद्योग से अथवा स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा; जिसका ब्यौरा परियोजना प्रस्ताव जमा कराते समय दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसंधान उद्योग की जरूरत के अनुसार होगा। यदि एजेंसी का पूर्ण या आंशिक योगदान सेवाओं के रूप में होगा तो इसका मूल्य निर्धारित करके परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा।

(ii) बुनियादी अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पीएएमसी 100 प्रतिशत निधि तक की सिफारिश पुरजोर तर्क सहित केस–वार आधार पर कर सकती है।

वर्तमान में टीआरए/अनुसंधान एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 118 परियोजनाएं चल रही हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	अनुसंधान एजेंसी का नाम	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (लाख रूपए में)	भारत सरकार की हिस्सेदारी (लाख रूपए में)	जारी की गई कुल जीओआई निधि (लाख रूपए में)
1	अटीरा	6	1484.54	972.488	401.7568
2	बिटरा	10	617.54	484.687	335.3411
3	सिटरा	9	428.36	297.74	153.86415
4	निटरा	10	1015.89	884.50	525.2755
5	मंतरा	5	145.64	105.231	49.8022
6	ससमीरा	15	816.15	571.27095	259.32947
7	डब्ल्यूआरए	19	768.19	570.50	292.98196
8	इजिरा	13	1203.63	824.391	348.7605
9	निफ्ट	3	5175.1676	4383.6623	468.45896
10	आईआईटी दिल्ली	2	282	197.40	78.96
11	डीजेएफटी	11	845.26	620.08	261.3858
12	डीकेटीई	6	119.63	83.74	52.13502
13	आईसीटी, मुंबई	2	63.076	44.1532	20.58448
14	पीएसजी कॉलेज, कोयंबटूर	1	19.96		19.96
15	निरजफ्ट, कोलकाता	1	74.04	74.04	25.92
16	आईआईईएसटी, हावड़ा	1	78.20	54.74	21.896
17	केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, उ.प्र.	1	8.74	8.74	3.496
18	कुमारगुरू प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयंबटूर	1	23.50	14.10	5.64
19	आईआईटी मद्रास/एमएचआरडी (यूएवाई)	1	160	40.13	19.17
20	आईआईटी, कानपुर/एमएचआरडी (इमप्रिंट)	1	250	125	37
	कुल	**118**	**13615.0886**	**10079.2871**	**3313.94194**

8.5 मंत्रालय आरएंडडी योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों को उच्चतर आविष्कार योजना यूएवाई योजना के अंतर्गत 25% की दर से और इंप्रिंट योजना के अंतर्गत 50% की दर से निधि प्रदान करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) और इंप्रिंट योजना का भी समर्थन कर रहा है।

8.6 वस्त्र अनुसंधान संघ

वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं की उन्नति में अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए मंत्रालय ने वस्त्र अनुसंधान संघों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया है जिसमें वस्त्र क्षेत्र की समग्र श्रृंखला कवर होती है। अनुसंधान और विकास के कार्य में 8 वस्त्र अनुसंधान संघ कार्य कर रही है:

(i) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए)

(ii) बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए)

(iii) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए)

(iv) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)

(v) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (एमएएनटीआरए)

(vi) सिंथेटिक एवं आर्ट रेशम मिल्स अनुसंधान संघ (एसएएसएमआईआरए)

(vii) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए)

(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

8.7 टीआरए की परियोजनाएं और पेटेंट का ब्यौरा

क्र. सं.	टीआरए का नाम	आरएंडडी परियोजनाओं की संख्या	दर्ज और प्राप्त पेटेंटों की संख्या
1.	अटीरा	4	3
2.	बिटरा	10	5
3.	सिटरा	9	0
4.	निटरा	10	3
5.	मंतरा	5	1
6.	ससमीरा	15	8
7.	इजिरा	14	3
8.	डब्ल्यूआरए	19	11
	कुल	**86**	**34**

अध्याय–9

तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्र, वस्त्र सामग्री और उत्पाद है जो उनके तकनीकी कार्य निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तकनीकी वस्त्रों का बाजार बढ़ रहा है क्योंकि तकनीकी उत्पाद सुरक्षात्मक कपड़े, कृषि, क्लोदिंग, निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, पैकेजिंग, खेलकूद, पर्यावरण संरक्षा और अन्य कार्यों जैसे विभिन्न उद्योगों में अंतिम उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तकनीकी वस्त्रों की सफलता मुख्य रूप से इसकी बड़ी रेंज के प्रयोग के विस्तार के साथ फाइबर, यार्न और वूवन/निटेड/नॉन–वूवन फैब्रिकों की सृजनशीलता, नवीनता तथा बहु–आयामी के कारण है। तकनीकी वस्त्रों की क्षमता नए कार्यात्मक उत्पादों का सृजन एक–दूसरे और अन्य उत्पादों के साथ मिश्रण के लिए वृद्धि के असीमित अवसर की पेशकश करती है।

भारत में तकनीकी वस्त्रों की भारी संभावना है और निःसंदेह यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत में विश्व तकनीकी वस्त्र उत्पादन की 3% है जो तकनीकी वस्त्र का लगभग 90,000 मी.टन बनता है। चीन और यूरोप तकनीकी वस्त्र के अग्रणी विनिर्माता हैं जो तकनीकी वस्त्र का 75% से अधिक का उत्पादन करते हैं। हालांकि यूरोप और चीन तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े आयातक देश हैं। भारत वैश्विक तकनीकी वस्त्र का 4% निर्यात करता है और 3% आयात करता है। भारत में वर्ष 2017–18 में तकनीकी वस्त्र उद्योग 1,16,217 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। भारत का घरेलू तकनीकी वस्त्र बाजार 20% के सीएजीआर के साथ वर्ष 2020–21 तक 2,00,823 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने कई योजनाएं शुरू की हैं और इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

I. पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू–तकनीकी वस्त्रों का उपयोग संवर्धन योजना :

इस योजना को 5 वर्ष की अवधि (2014–15 से 2018–19) के लिए 24.03.2015 को 427 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सड़क, पहाड़ी/ढलान संरक्षण तथा जलाशयों में मौजूदा/नई परियोजनाओं में भू–तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास में भू–तकनीकी वस्त्रों का संवर्धन और उपयोग करना है। इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों तथा संबंधित हितधारक एजेंसियों के परामर्श से चिह्नित किया गया है।

अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि लाख रूपए में)	अनुमोदन की तिथि
मणिपुर			
सड़क परियोजनाएं			
(i)	इम्फाल एयरपोर्ट सड़क (पूर्ण)	145.00	06.06.2015
(ii)	एमएसआरआरडीए के अधीन पीएमजीएसवाई चरण–**X** के अंतर्गत थुबल, मणिपुर में हियांगलाम से हिरनमई तक सड़क के फुटपाथ का सुदृढ़ीकरण – 4.8 किलोमीटर (एमएन0832 परियोजना–1) (पूर्ण)	26.00	27.06.2016
(iii)	एमएसआरआरडीए के अधीन पीएमजीएसवाई चरण–**X** के अंतर्गत थुबल, मणिपुर में थुनाओजाम से एलांगखांगपोकपी तक सड़क के फुटपाथ का सुदृढ़ीकरण–5.2 किलोमीटर (एमएन0833 परियोजना–2) (पूर्ण)	28.25	27.06.2016
(iv)	बिषनुपुर–नुंगबा सड़क (विभिन्न लंबाई के सड़क के 7 हिस्से, ढलान स्थिरीकरण के लिए 26 हिस्से तथा मिट्टी का एक कठोर ढ़ांचा)	1682.20	24.06.2018
(v)	इम्फाल जिलें में खुदराकपाम से ताओरेम तक सड़क का निर्माण	56.23	05.02.2016
(vi)	इम्फाल पूर्व जिले में टी07/0.7 से सीईडीटी एवं सीएचसी तक सड़क का निर्माण	29.02	05.02.2018
	उप–योग	**1966.71**	
जलाशय			
(vii)	एंड्रो माखा लेईकाई, इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार (पूर्ण)	29.43	30.12.2015
(viii)	इम्फाल पश्चिमी जिला, मणिपुर में कादांगबंद पार्ट–प्प में जलाशय में सुधार (पूर्ण)	30.44	
(ix)	कासा लुई, उखरुल जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार (पूर्ण)	13.58	30.12.2015
(x)	बिषनुपुर जिला मणिपुर के ओकसोंगबुंग में जलाशय में सुधार	14.63	
(xi)	थोबुल जिला, मणिपुर में लेईशांगथेम पूर्व में जलाशय में सुधार	25.64	
(xii)	कोनपुई, छुराछंदपुर जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	15.68	
(xiii)	लांगोई खुनफी लोउकोल, चंदेल जिला,मणिपुर में जलाशय में सुधार	13.58	
(xiv)	बंगती, सेनापती जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	18.53	
(xv)	लेंगलौंग, तामेंगलौंग जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	8.36	
	उप–योग	**169.87**	

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि लाख रूपए में)	अनुमोदन की तिथि
ढलान स्थिरीकरण			
(xvi)	कांग्ला आउटर मोट, खोंगजाम में पटसन जियो–टेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	4.54	30.12.2015
(xvii)	टूरिस्ट सर्किट मणिपुर–इम्फाल–मोईरांग–खोंगजाम–मोरेह (कैनाल/जलाशय)	147.07	24.06.2016
(xviii)	थाउबाल, खुनाव में 400 केवी सब–स्टेशन में पटसन जियोटेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	13.96	25.05.2016
(xix)	तामेंगलांग जिले में कुइलोंग III पाइंट। को आईटी रोड (जेनल), 10 किमी, पैकेज नं.एमएन0769 – आईजेआईआरए	16.12	30.01.2018
(xx)	तामेंगलांग जिले में कुइलोंग III पाइंट।। को आईटी रोड (जेनल), 10 किमी, पैकेज नं.एमएन0778 दृ आईजेआईआरए	24.05	30.01.2018
(xxi)	तामेंगलांग जिले में तमेई से अटंग कुहनौप्ट पाइंट II, 10 किमी, पैकेज नं.एमएन7106 – आईजेआईआरए	22.75	30.01.2018
(xxii)	टी03 से लुखाम्बी, 6.60 किमी तामेंगलोंग जिले में पैकेज नं. एमएम 7116 – आईजेआईआरए	187.00	30.01.2018
(xxiii)	तामेंगलांग जिले में टी02 से बराक झरना, 10.50 किमी, पैकेज नं.एमएन7117 – आईजेआईआरए	27.30	30.01.2018
(xxiv)	तामेंगलांग जिले में रिशोपहंग से कमलाचिंग, 10 किमी, पैकेज नं.एमएन6257 दृ आईजेआईआरए	19.50	30.01.2018
(xxv)	तामेंगलांग जिले में हरूप खोपी से राजाथर, 4.0 किमी, पैकेज नं.एमएन6267 – आईजेआईआरए	14.30	30.01.2018
	उप–योग	**476.59**	
	कुल – मणिपुर	**2613.17**	
त्रिपुरा सड़क परियोजनाएं			
(xxvi)	मोहनपुर डिवीजन के अंतर्गत तालाब बाजार से होकर खोलाबारी से झारानतिल्ला तक सड़क	21.39	30.12.2015
	उप–योग	**21.39**	
त्रिपुरा जलाशय			
(xxvii)	अगरतला में भगतसिंह हॉस्टल में जलाशय	28.19	24.06.2016
(xxviii)	अरारतला में महिला महाविद्यालय में जलाशय	37.70	24.06.2016
	उप–योग	**65.89**	
	कुल – त्रिपुरा	**87.28**	
अरूणाचल प्रदेश ढलान स्थिरीकरण			
(xxix)	एनआईटी, जेओटीई में रिटेनिंग वॉल का निर्माण	96.72	25.05.2016
	कुल – अरूणाचल प्रदेश	**96.72**	

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि लाख रूपए में)	अनुमोदन की तिथि
मेघालय सड़क परियोजनाएं			
(xxx)	शिलांग – नोंगस्टोईन सड़क	495.32	24.06.2016
(xxxi)	प्रस्तावित बॉर्डर हॉट, मेवसिनराम प्रभाग मेघालय की ओर जाने वाली बलत–बगली सड़क के सुधार, मेटलिंग और ब्लैक टापिंग (3.682 किमी	190.50	19.12.2016
	उप-योग	**685.82**	
मेघालय ढलान स्थिरीकरण			
(xxxii)	'जोंगशा–खरांग–डेंग्लिंग–नोंगज्रोंग रोड का उन्नयन (लंबाई –10.00 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 5 एनएच शिलांग बाय पास डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	22.10	27.06.2016
(xxxiii)	'एसटी रोड एनएच–40 से मवान के 12वीं मील हेतु कमजोर फुटपाथ के सुदृढ़ीकरण में सुधार (लंबाई – 3.764 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 6 एनएच शिलांग बाय पास डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	1.76	27.06.2017
(xxxiv)	'रवांग–लंगजा–लंगपिह सड़क की ब्लैक टॉपिंग की मेटलिंग सहित सुधार (32 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 8 नोंगस्टोइन डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	3.80	27.06.2016
(xxxv)	'रेलांग में आंतरिक ग्राम सड़क की मेटलिंग और ब्लैक टॉपिंग सहित निर्माण (3.00 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 9 नार्थ जोवाई डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	11.44	27.06.2016
(xxxvi)	वापुंग सोहकीमफोर से बायरवी सड़क की एमबीटी सहित निर्माण और सुधार (15.00 किमी) में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 10 एनईसी डिवीजन, जोवई के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	1.94	27.06.2017

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि लाख रूपए में)	अनुमोदन की तिथि
(xxxvii)	'राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के अंतर्गत मावशिनररूट–हाशिम सड़क के उन्नयन हेतु संशोधित अनुमान (37.365 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 7 नोंगस्टोइन डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए	57.59	27.06.2016
	उप–योग	**98.63**	
	कुल	**784.45**	
मिजोरम सड़कें			
(xxxviii)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत छुमखुम से चांग्टे (0+000 से 41+530 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	2565.00	19.12.2016
(xxxix)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत सेरचिप से सियालशुक (0+000 से 15+000 किमी तक) और सेरचिप से बोरपुई (0+000 से 40+000 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	2088.20	19.12.2016
(xl)	चम्फईदृजोखवतार सड़क, पीडब्ल्यूडी मिजोरम का सुधार और उन्नयन	1948.60	19.12.2016
	कुल – मिजोरम		**6601.80**
	कुल अनुमोदित राशि		**10183.42**

योजना की वित्तीय प्रगति :–

(करोड़ रूपए में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन	व्यिय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव भू–तकनीकी वस्त्र के उपयोग के संवर्धन संबंधी योजना	2014–15	8.00	4.00
	2015–16	15.00	3.63
	2016–17	19.99	17.24
	2017–18	19.82	19.82
	2018–19	15.00	0.00
कुल	77.81	44.69	

III **पूर्वोत्तर क्षेत्र एग्रो टेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजन :**

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपये के परिव्यय से पूर्वोत्तर क्षेत्र एग्रो टेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना योजना अनुमोदित की है। योजना दिसम्बर, 2012 के दौरान अनुमोदित की गई और जून, 2013 में इसे प्रचालनशील किया गया। इस योजना

का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, बागवानी, पुष्पोत्पादन और रेशम उत्पादन के उत्पादों में सुधार लाने हेतु एग्रो टेक्सटाइल्स के उपयोग को प्रोत्साहन देना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोग के लिए ग्राहक अनुकूल एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों का विकास करना, क्षेत्र के लिए उपयोगी एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों के प्रयोग–लाभों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी–सेटअप तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत, किसानों को एग्रो–टेक्सटाइल्स किटों का वितरण किया जा रहा है जिसमें एग्रो टेक्सटाइल्स सामग्री, अनुदेश, एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों का उपयोग करते समय सही पद्धतियां और प्रक्रिया शामिल है। एग्रो टेक्सटाइल्स की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए उद्यमियों द्वारा देश में और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादन इकाइयों की स्थापना किए जाने की संभावना है।

अभी तक, एग्रो टेक्सटाइल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 44 प्रदर्शनी केंद और शेष भारत में 10 प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 1171 एग्रो टेक्सटाइल्स किटें वितरित की गई हैं तथा 42.46 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। प्रगति का संक्षिपत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :–

योजना की भौतिक प्रगति :

राज्य	प्रदर्शन केंद्र	प्रशिक्षण लक्ष्य	प्रशिक्षण पूर्ण	एग्रो किट लक्ष्य	वितरित एग्रो किट
मणिपुर	4	350	386	172	172
मिजोरम	7	300	374	114	114
असम	4	750	963	279	279
मेघालय	6	600	1202	212	212
अरुणाचल प्रदेश	6	750	834	139	139
त्रिपुरा	5	300	224	80	19
सिक्किम	7	300	323	79	69
नागालैंड	5	400	444	167	167
कुल	**44**	**3750**	**4750**	**1242**	**1171**

III – योजना की वित्तीय प्रगतिः

(करोड़ रूपए में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन	व्यय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना	2012-13	0.32	0.32
	2013-14	सं.अ. – शून्य	शून्य
	2014-15	9.00	9.00
	2015-16	10.00	10.00
	2016-17	14.99	14.99
	2017-18	9.99	8.15
	2018-19	7.60	0.00
कुल		**51.9**	**42.46**

III. **तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) :**

तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन को 200 करोड़ रूपए के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान दो लघु मिशनों के साथ शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में तकनीकी वस्त्र उत्पादन में रूकावट डालने वाली बाधाओं का निस्तारण करना था। टीएमटीटी को 200 करोड़ रूपए के समग्र परिव्यय के अन्दर ही दो और वर्षों (2015–16 से 2016–17) तक बढ़ा दिया गया। टीएमटीटी के विस्तार के अंतर्गत फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर (एफआईसी), भारत में एग्रो टेक्सटाइल्स प्रयोग संवर्धन हेतु योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) योजना को शुरू किया था। योजना का विवरण/उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

लघु मिशन–I

उद्देश्य : मानकीकरण, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन वाली सामान्य परीक्षण सुविधाओं का सृजन, प्रोटोटाइप का घरेलू विकास तथा आई टी अवसंरचना के साथ संसाधन केंद्र।

पहलें :

क) तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सुविधा हेतु एक स्थान पर अवसरंचना सहायता उपलब्ध कराने के लिए चार नए उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना।

विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सहायता के उद्देश्य से नॉन–वूवन्स, कंपोजिट्स, इंडुटेक एंड स्पोर्टेक के क्षेत्रों में चार नए सीओई स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक सीओई को 25 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। इन उत्कृष्टता केंद्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	सीओई का नाम	क्षेत्र	राज्य	लागत
1.	डीकेटीई सोसाइटीस टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इचलकरांजी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	नॉन–वूवन्स	महाराष्ट्र	25 करोड़ रूपए
2.	पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	इंडुटेक	महाराष्ट्र	25 करोड़ रूपए
3.	अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद, गुजरात	कंपोजिट्स	गुजरात	25 करोड़ रूपए
4.	वूल रिसर्च एसोसिएशन (डब्ल्यूआरए), थाणे	स्पोर्टेक	महाराष्ट्र	25 करोड़ रूपए

तकनीकी वस्त्र वृद्धि एवं विकास योजना (एसजीडीटीटी) के अंतर्गत एग्रोटेक (ससमीरा), जियोटेक (बीटीआरए), प्रोटेक (निटरा) तथा मेडीटेक (सीटरा) के अंतर्गत चार मौजूदा सीओई को उनके प्रत्येक के उन्नयन के लिए 14 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। इन उत्कृष्टता केंद्रों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र-सं-	सीओई का नाम	क्षेत्र	राज्य	लागत
1.	अग्रणी भागीदार के रूप में बीटीआरए के साथ बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए) मुंबई एवं अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद।	जियोटेक	महाराष्ट्र	14 करोड़ रूपए
2	एक अग्रणी भागीदार के रूप में ससमीरा के साथ एक नॉलेज पार्टनर के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के साथ सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई तथा मैन–मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा), सूरत तथा नवसारी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी।	एग्रोटेक	महाराष्ट्र	14 करोड़ रूपए
3	एक अग्रणी भागीदार के रूप में निटरा के साथ नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा), गाजियाबाद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली।	प्रोटेक	उत्तर प्रदेश	14 करोड़ रूपए
4	एक अग्रणी भागीदार के रूप में सिटरा के साथ साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा), कोयम्बटूर तथा एसी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, चौन्नई।	मेडीटेक	तमिलनाडु	14 करोड़ रूपए

उक्त सभी आठ सीओई तकनीकी वस्त्र उद्योग को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन 8 सीओई को कुल 139 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

उत्कृष्टता केंद्रों में सृजित आवश्यक सुविधाएं इस प्रकार हैं :

i. विदेशी संस्थानों/प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन के साथ तकनीकी वस्त्रों के अभिज्ञात सेगमेंट के उत्पादों के परीक्षण और मूल्यांकन हेतु सुविधाएं।

ii. आईटी अवसंरचना संसाधन केंद्र।

iii. प्रोटोटाइप के घरेलू विकास हेतु सुविधाएं।

iv. केंद्रक कार्मिको के प्रशिक्षण तथा तकनीकी वस्त्र उद्योग के कार्मिकों के नियमित प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं।

v. स्टेकहोल्डरों के साथ जानकारी बांटना।

vi. इन्क्यूबेशन सेंटर।

vii. वैश्विक स्तर के समकक्ष मानकों की स्थापना।

सीओई का विस्तार :

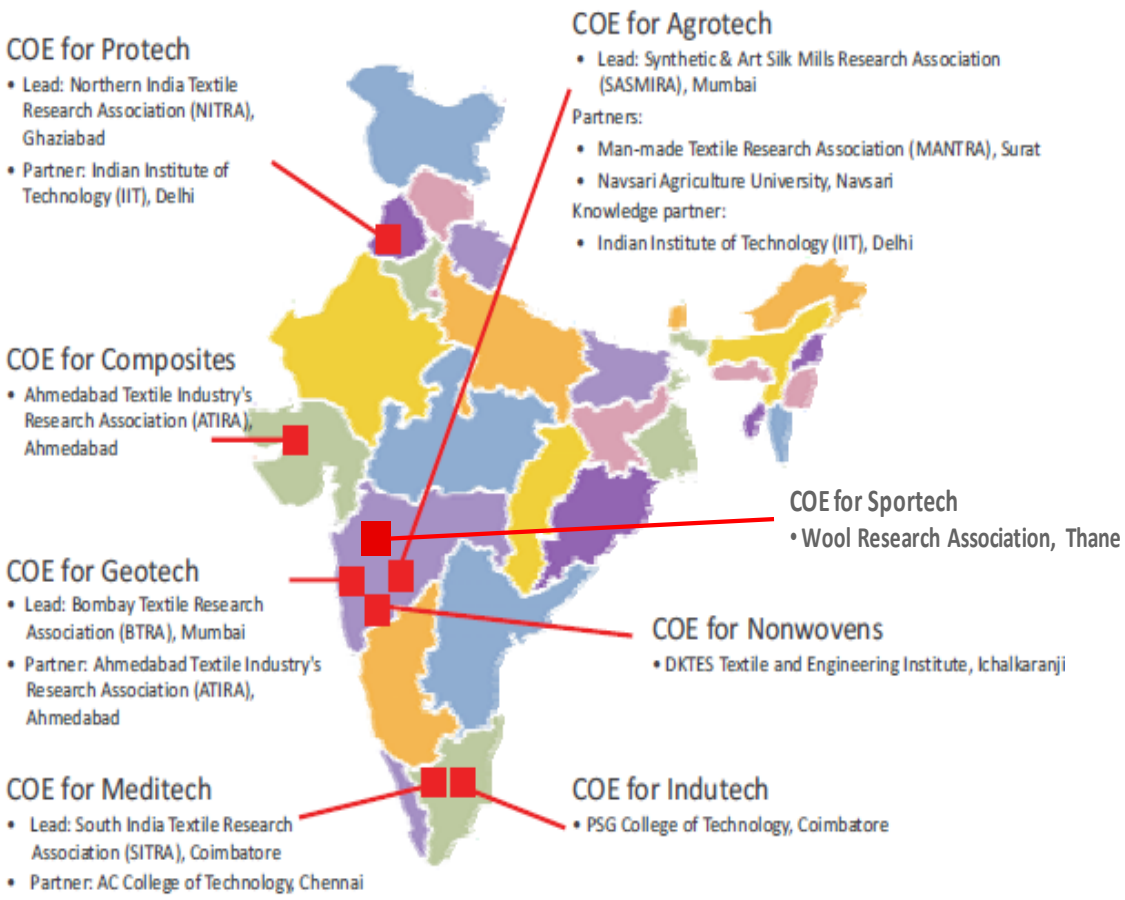

इन सीओई द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- सीओई को शुरू करने से कुल सृजित राजस्व 23.15 करोड़ रुपए है।
- 530 प्रोटोटाइप नमूने विकसित किए गए हैं।
- उद्योग के लिए 22147 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।
- बीआईएस को 142 मानक प्रस्तुत किए गए।
- 360 तकनीकी परामर्शी कार्य किए गए हैं।
- तकनीकी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए 105 डीपीआर तैयार की गई हैं।
- 654 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमीनार/सम्मेलन आयोजित किए गए।

लघु मिशन–II

उद्देश्य : तकनीकी वस्त्रों के घरेलू तथा निर्यात बाजार विकास के लिए सहायता।

पहलें :

क) बिजनेस स्टार्ट–अप के लिए सहायता

- तकनीकी वस्त्र एक नया क्षेत्र है तथा विशेष रूप से एसएमई क्षेत्र के उद्यमी तकनीकी वस्त्र पर परियोजना को शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा सीओई तथा अन्य संगठनों/संस्थानों/स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया गया है जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे और परियोजना की समाप्ति तक

संभावनाशील उद्यमियों को सहयोग करेंगे। परामर्शदाता उत्पाद चयन, प्रौद्योगिकी की परिभाषा और खरीद, बाजार आकलन, वाणि ाज्यिकीकरण और विपणन सहायता सहित संभावनाशील निवेशकों को शुरू से अंत तक सेवा उपलब्ध करायेंगे।

- टीएमटीटी के अंतर्गत बिजनेस स्टार्ट–अप के लिए 6 परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया गया है अभी तक, इस संघटक कें अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 27 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है तथा 6 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

ख) कार्यशालाओं के आयोजन के लिए निधि सहायता उपलब्ध कराना

- विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय सहित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को संगोष्ठी, कार्यशाला तथा लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है जिनमें न्यूनतम प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, बाजार विवरण, वैश्विक परिदृश्य आदि के संबंध में जानकारी साझा की जा रही है।

- इस योजना के शुरूआत से अब तक 75 कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं। इन कार्यक्रमों को सभी स्टेकहोल्डरों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

ग) मानकीकरण, नियामक उपायों के माध्यम से सामाजिक अनुपालन

- तकनीकी वस्त्रों के कुछ क्षेत्रों को प्रयोक्ता उद्योगों/मंत्रालयों द्वारा प्रयोग के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और कुछ क्षेत्रों को अनिवार्य आदेश की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के साथ–साथ आवश्यक नियामक परिवर्तनों की पहचान तथा नियमों तथा विनियमों में ऐसे परिवर्तनों को सुकर बनाने की रणनीति के लिए भी परामर्शदाताओं की सेवाएं ली गई हैं।

इस पहल के अंतर्गत, टीएमटीटी के अंतर्गत 'भारत में जियोटेक के प्रयोग के संवर्धन के लिए विनयामक उपाय' तथा 'भारत के एग्रोटेक के प्रयोग के संवर्धन के लिए विनियामक उपाय' पर अध्ययन किए गए हैं। अंतिम रिपोर्ट वेबसाइट www.technotex.gov.in पर उपलब्ध है।

4) थोक एवं संस्थागत खरीदारों को विपणन सहायता के लिए बाजार विकास सहायता

- इस पहल के अंतर्गत देश भर में क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित की जा रही है जिनमें घरेलू विनिर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। संस्थागत ग्राहकों, सरकारी अधिकारियों, प्रयोक्ताओं को खरीदारों के साथ अपनी आवश्यकताओंको साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्रेता–विक्रेता बैठकों के दौरान बी2बी बैठकें भी आयोंजित की रही हैं।

- इस संघटक के अंतर्गत 18 क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता बैठकें 'टेक्नोटेक्स इंडिया 2011', 'टेक्नोटेक्स 2013', 'टेक्नोटेक्स 2014', 'टेक्नोटेक्स 2015', 'टेक्नोटेक्स 2016', 'टेक्नोटेक्स 2017' और 'टेक्नोटेक्स 2018', जैसे ब्रांड नाम के अंतर्गत आयोजित की गई हैं जिनमें विभिन्न देशों से स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया।

ड.) निर्यात बिक्री हेतु बाजार विकास सहायता

- विदेश में कई प्रतिष्ठित तकनीकी वस्त्र मेले

आयोजित किए गए। इन मेलों में प्रतिभागिता घरेलू विनिर्माताओं की निर्यात क्षमता में सुधार करेगी। कुछ तकनीकी वस्त्र इकाइयां भी एप्लीकेशन आधारित मेलों की प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। भारतीय तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए तकनीकी वस्त्र मेंलों/एप्लीकेशन आधारित मेलों में प्रतिभागिता सहायता के अंतर्गत शामिल है। इकोनॉमी श्रेणी शुल्क में हवाई यात्रा व्यय तथा तैयार स्टॉल के शुल्क को 5 लाख रुपए प्रति दौरे की वित्तीय सीमा के साथ 50 प्रतिशत की सीमा तक सहायता अनुमेय है।

- निर्यात बिक्री के लिए बाजार विकास सहायता के अंतर्गत 77 दावों का निपटान किया गया है।

च) आईआईटी/ टीआरए/ तकनीकी संस्थानों के माध्यम से संविदा अनुसंधान एवं विकासः

- तकनीकी वस्त्र एक उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जहां अधिकाशं नई सामग्री, उच्च स्तरीय परिवर्तित उत्पादों का आयात किया जाता है, उत्पदों के घरेलू विकास की सख्त आवश्यकता है जिसके लिए आरएंडडी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए संविदा अनुसंधान को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- इस संघटक के अंतर्गत निम्न 5 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया तथा सभी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

क्र.सं.	परियोजना शीर्षक	अनुसंधान संगठन	उद्योग साझीदार
1	नॉन–वूवन और वूवन संरचना का प्रयोग करके मॉपिंग पैड का विकास	सिटरा	मैसर्स केयर मेड सर्जिकल
2	हार्निया मेश पर कॉलेजन कॉटेड का विकास	सिटरा	मैसर्स कॉलोजेनेसिस हेल्थ केयर प्रा.लि.
3	स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए नॉन टॉक्सिक एक्सरे रेसिसटेंट प्रोटेक्टिव एप्रोन	श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रीयल रिसर्च	मैसर्स आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लि.
4	विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लेपित पटसन फैब्रिक पर आधारित तकनीकी वस्त्रों का विकास	इंस्टीट्यूट आफ जूट टैक्नालॉजी	मैसर्स रोहन अल्ट्रा टेक, मैसर्स त्रिमूर्ति इंडस्ट्रीज लि.
5	पादप वृद्धि और उपज पर रंगहीन शेड जालों के अंतर्गत सृजित की गई विभिन्न लाइट स्पेक्ट्रम स्थितियों के प्रभाव पर अध्ययन	ससमीरा	मैसर्स गारवेयर वॉल रोप्स लि.

छ) फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर (एफआईसी):

- क्षमतावान निवेशकों को तकनीकी वस्त्र सेगमेंट में प्रवेश करने में सहायता के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय प्लग एंड प्ले मॉडल पर टीएमटीटी के अंतर्गत स्थापित सीओई में फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) की स्थापना की है। 5 सीओई के लिए 14.45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 5 एफआईसी का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	सीओई/एफआईसी का नाम	एफआईसी में स्थापित की जा रही विनिर्माण सेट-अप	स्वीकृत निधि (करोड़ रूपए में)
1.	अटीरा	पोर्टा केबिन का विनिर्माण	3.42
2.	डीकेटीई	वूवन, निटेड एवं नॉन–वूवन फैब्रिक की कोटिंग	2.70
3.	निटरा	सिलाई मशीन सेट–अप	2.87
4.	पीएसजी टेक	i. फिल्टर कन्वर्टिंग मशीन ii. अल्ट्रासोनिक बॉडिंग मशीन iii. कटिंग मशीन iv. रेस्पीरेटर कन्वर्टिंग मशीन v. हॉट प्रेस मशीन/ओवन	2.85
5.	सिटरा	कन्वर्जन फेसेलिटी एंड सेम्पल डेवलेपमेंट वीविंग	2.61
	कुल		**14.45**

इसके पश्चात, प्राधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) नामतः आईआईटी, खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली और कानपुर में भी 44.90 करोड़ रूपए की कुल लागत से 6 फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर अनुमोदित किए गए है। विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	आईआईटी का नाम	एफआईसी में स्थापित की जा रही विनिर्माण सेट-अप	स्वीकृत निधि (करोड़ रूपए में)
1.	आईआईटी खड़गपुर	प्रयोक्ता उद्योगों/उद्यमियों के लिए तकनीकी वस्त्र विनिर्माण हेतु अवसंरचना	6.98
2.		तकनीकी वस्त्रों हेतु अवसंरचना : रक्षा, वायुयान तथा प्रदूषण–नियंत्रण संबंधी उत्पादों का विनिर्माण	5.12
3.	आईआईटी मुंबई	आईआईटी में तकनीकी वस्त्र	6.96
4.		एडवान्सड फाइबर रि–इन्फोर्सड पॉलीमर कंपोजिट डेवलपमेंट सेंटर	9.00
5.	आईआईटी दिल्ली	हरित तथा अवशिष्ट कंपोजिट सहित स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स के विकास हेतु एडवान्स्ड टेक्स्टाइल्स स्ट्रक्चर्स के लिए एक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म	9.83
6.	आईआईटी कानपुर	आईआईटी, कानपुर में तकनीकी वस्त्र फोकस इन्क्यूबेशन सेंटर	7.01
		कुल	**44.90**

उपर्युक्त एफआईसी को निम्न लक्ष्यों तथा दायित्वों को सौंपा गया है:

i. संभावनाशील उद्यमियों को उत्पादन को वाणिज्यक स्तर पर करने के लिए उनकी इकाइयों की स्थापना हेतु आधारभूत अवसंरचना सहित औद्योगिक शेड/आधारभूत मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी।

ii. नए उद्यमियों को ''प्लग एंड प्ले मॉडल'' के आधार पर एफआईसी उपलब्ध कारई जाएगी जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर नवाचार शुरू

करने के लिए संबद्ध सीओई द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

iii. एक बार स्थापित हो जाने के उपरांत वे अपने भवनों में स्थानांतरित हो जाएंगे और केंद्र नए उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

iv. सीओई को अपने क्षेत्र में 6 माह की अवधि के दौरान एफआईसी की स्थापना करनी है।

v. प्रत्येक उद्यमी के लिए उपकरणों की अलग श्रृंखला होगी।

vi. एफआईसी का संचालन उद्यमियों द्वारा किया जाएगा न कि सीओई द्वारा।

vii. कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राज्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए तकनीकी वस्त्रों के वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए प्लग एंड प्ले प्रणाली में नए स्टार्ट–अप उद्यमियों को मशीनों के साथ औद्योगिक शेड वाली आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। सीओई ऐसे नए उद्यमियों का हाथ थामते हैं और उन्हे आवश्यक सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

ज) शेष भारत में एग्रोटेक्सटाइल उपयोग संवर्धन योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) :

पूर्वोत्तर राज्यों में जियोटेक्सटाइल्स और एग्रोटेक्सटाइल्स के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए 'भारतमें एग्रोटेक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर)' को 10.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के अंतर्गत 2 वर्षों की अवधि (2015–16 एवं 2016–17) के लिए शुरू एवं वित्त पोषित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे 6 राज्यों में 10 प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी 10 प्रदर्शन केंद्र प्रचालनशील है। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के उपरांत स्थापित प्रदर्शन केंद्रों के निकट किसानों को 200 एग्रोटेक्सटाइल्स किट्स का वितरण किया गया है।

राज्य का नाम	एग्रो टेक्स्टाइल प्रदर्शन केन्द्र		प्रशिक्षण पूर्ण	एग्रो किट वितरण	
	स्वीकृत प्रदर्शन केन्द्र	पूर्ण		लक्ष्य	वितरित
महाराष्ट्र	2	2	50	40	40
राजस्थान	3	3	75	60	60
पश्चिम बंगाल	2	2	76	40	40
गुजरात	1	1	26	20	20
तमिलनाडू	1	1	30	20	20
जम्मू एवं कश्मीर	1	1	28	20	20
कुल	**10**	**10**	**285**	**200**	**200**

किसानों को योजना से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है; एग्रोटेक्सटाइल्स का प्रयोग किसानों को उनकी आय में वृद्धि करने में सहायता प्रदान कर रहा है और इस प्रकार 'किसानों की आय को दोगुना करने' के प्रधानमंत्री के मिशन में सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना की कृषि विश्वविद्यालयों, किसानों के क्लब तथा केवीके आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रशंसा की गई है और प्रत्येक क्षेत्र में आवंटन के लिए किट्स की संख्या बढ़ाने का परामर्श दिया गया है।

IV. **टेक्नोटेक्स 2018:** तकनीकी वस्त्र पर सातवां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन ''टेक्नोटेक्स 2018'' का आयोजन बॉम्बे एक्जीबिशन सेंटर, गोरेगांव और मुंबई में 28–29 जून, 2018 के दौरान किया गया था। महाराष्ट्र मेजबान राज्य था और गुजरात, झारखंड और कर्नाटक ने भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया। दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन और तुर्की आदि जैसे 22 देशों के तकनीकी वस्त्र उद्योगों के समर्पित पेविलियन ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

अध्याय–10

क्षेत्रवार की योजनाएं

10.1 विद्युतकरघा

10.1.1 सिंहावलोकन

विकेन्दीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गए मैसर्स नीलसन बेसलाइन पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार यह विकेंद्रीकृत क्षेत्र में 44.18 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है एवं देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60% का योगदान करता है। विद्युतकरघा क्षेत्र में उत्पादित होने वाले फैब्रिक का 60% मानव निर्मित होता है। निर्यात होने वाले फैब्रिक में से 60% से अधिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। रेडीमेड गारमेंट एवं घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतया विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

सितंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार लगभग 27.77 लाख विद्युतकरघे हैं। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का स्तर सामान्य करघों से लेकर उच्च तकनीक वाले शटल रहित करघों तक है। इस क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख शटलरहित करघे मौजूद हैं। यह अनुमान है कि शटल वाले करघों में से 75% से अधिक अप्रचलित एवं 15 वर्ष तक पुराने हैं तथा उनके साथ कोई प्रसंस्करण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/उपस्कर नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी, पिछले 8–9 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के स्तर में महत्वपूर्ण उन्नयन हुआ है।

10.1.2 विद्युतकरघा क्षेत्र में वृद्धि :

स्थापित वस्त्र आयुक्त के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित/पंजीकृत किये गये विद्युतकरघों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	करघों की संख्या	वृद्धि की प्रतिशतता
2012–13	23,47,249	2.12%
2013–14	23,67,594	0.86%
2014–15	24,47,837	3.39%
2015–16	25,22,477	3.05%
2016–17	26,29,269	4.23%
2017–18	26,66,229	1.40%
2018–19 (अप्रैल – सितंबर)	27,77,575	–––

10.1.3 कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में) :

पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन की तुलना में कुल कपड़ा उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	कुल उत्पादन	विद्युतकरघा उत्पादन	कुल कपड़ा उत्पादन की तुलना में विद्युतकरघा का %
2012–13	62,792	38,038	60.57%
2013–14	63,500	36,790	57.93%
2014–15	65,276	37,749	57.83%
2015–16	65,505	36,984	56.78%
2016–17	64,421	35,672	55.37%
2017–18	67779	38945	57.46%
2018–19 (अप्रैल–फरवरी)	64813	36575	56.43%

10.1.4 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण:

वस्त्र आयुक्त तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत 47 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) में से 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) को आधुनिक मशीनों और प्रोजेक्टाइल, रेपियर, एयरजैट, ऑटामेटिक, कॉप चौंजिंग करघों, ड्राप बॉक्स करघों, तीन वाइंडर, कॉन वाइंडर, सेक्सनल वार्पिंग मशीन, डीजीसेट आदि किस्म के शटल रहित करघों जैसे उपकरण के साथ आधुनिकीकृत किया गया है। 47 पीएससी में से 15 पीएससी वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के अधीन हैं, 26 पीएससी विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाए जाते हैं, 4 पीएससी कर्नाटक विद्युतकरघा राज्य विकास निगम (केएसटीआईडीसी), बैंगलोर के अधीन हैं तथा एक–एक पीएससी क्रमशः मध्य प्रदेश सरकार और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है।

10.1.5 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का निष्पादन

01.04.2018 से 30.09.2018 तक की पीएससी की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 2356
परीक्षित नमूनों की संख्या : 32181
विकसित डिजाइनों की संख्या :25
परामर्श/समस्या निदान की संख्या : 1201
कुल राजस्व : 85.52 लाख रुपए

10.1.6 विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं :

क. विद्युतकरघा कामगार समूह बीमा योजना (जीआईएस) :

भारत सरकार ने समूह बीमा योजना वर्ष 2003–04 से शुरू की है और यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विद्युतकरघा बनुकरों/कामगारों को एक वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर पुनः नया बनाया जाता है।

गत तीन वर्षों हेतु योजना के अंतर्गत पंजीकृत विद्युतकरघा कामगारों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	पंजीकृत विद्युतकरघा कामगारों की संख्या	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त अंशदान
1	2015–16	111441	6.62
2	2016–17	131921	2.00
3	2017–18	161821	4.00
4	2018–19	103344	5.28

ख. अभिसारित समूह बीमा योजनाः इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय विद्युतकरघा क्षेत्र के सभी कामगारों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित करने का इच्छुक है और इसे 18 से 50 वर्ष की आयु समूह हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा 51 से 59 वर्ष की आयु समूह हेतु आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को एकत्र करके 1 अभिसारित समूह बीमा योजना के अंतर्गत बनाया गया है।

उक्त बीमा योजना 1 जून, 2017 से प्रभावी है और यह तीन वर्षों की अवधि अर्थात 31.3.2020 तक वैध रहेगी। योजना को विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारो हेतु अभिसारित समूह बीमा योजना के रूप में जाना जाएगा।

उद्देश्य

योजना का आधारभूत उद्देश्य प्रकृतिक मृत्यु, दुर्घटनावश मृत्यु और साथ ही साथ दुर्घटना के कारण आंशिक तथा स्थाई निशक्तता के मामले में बीमा कवर मुहैया करवाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों हेतु अभिसारित समूह बीमा योजना में 2 घटक अर्थात योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ होंगे जो निम्नानुसार हैं।

प्रीमियम और लाभ

सामाजिक सुरक्षा पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ ढांचा (पीएमएसबीवाई के प्रीमियम सहित) निम्नानुसार हैः

आयु समूह	प्रीमियम ढांचा	लाभ
18 से 50 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का अंशदान 162/– रूपए	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु 200000/– रूपए
	सदस्य का अंशदान 80/– रूपए	दुर्घटना के कारण मृत्यु 400000/– रूपए (पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 200000/– रूपए और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 200000/– रूपए)
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/– रूपए	स्थायी पूर्ण निशक्तता पर 200000/– रूपए
	कुल 342/– रूपए	स्थायी आंशिक निशक्तता पर 100000/– रूपए

संशोधित एएबीवाई योजना केवल नवीकरण आधार पर मौजूदा विद्युतकरघा बुनकरों हेतु लागू हैं जो जून, 2016–मई 2017 के दौरान तत्कालीन जीआईएस में पहले से पंजीकृत हैं। एएबीवाई योजना के अंतर्गत किसी नए विद्युतकरघा बुनकर को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। जीआईएस के मौजूदा सदस्यों हेतु संशोधित एएबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ ढांचा निम्नानुसार है:

आयु समूह	प्रीमियम ढांचा	लाभ
51 से 59 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का अंशदान 290/– रूपए	किसी कारण मृत्यु होने पर 60000/– रूपए
	सदस्य का अंशदान 80/– रूपए	
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/– रूपए	
	कुल 470/– रूपए	

अतिरिक्त लाभ :

उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के अंतर्गत कोई कामगार शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के तहत अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा/प्रति छमाही 600 रुपए के शैक्षिक अनुदान का पात्र होगा।

10.1.7 पावरटेक्स इंडिया

विद्युतकरघा क्षेत्र की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता पर ध्यान देने और प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्तमान विद्युतकरघा क्षेत्र का पुनरूद्धार नए घटकों यथा सौर उर्जा योजना और विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करके और वर्तमान योजनाओं यथा समूह कार्य शेड योजना, समान सुविधा केंद्र योजना, धागा बैंक योजना, प्लेन मशीनीकरघों हेतु स्व–स्थाने उन्नयन योजना आदि के युक्तिकरण/उन्नयन द्वारा किया गया है। इस योजना को अब पावरटेक्स इंडिया के नाम से प्रारंभ किया गया है और यह 1.04.2017 से 31.3.2020 तक प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक हैं:

योजना के अंतर्गत घटक :

क. साधारण विद्युतकरघों का स्व–स्थाने उन्नयन

- इस योजना का उद्देश्य कतिपय अतिरिक्त संलग्नकों के साथ सादे विद्युतकरघों का उन्नयन करके उत्पादन किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है जिससे वे स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होंगे। इसका उद्देश्य 3 वर्षों (2017–18 से 2019–20) में 1,25,000 करघों को शामिल करना है।
- यह योजना लघु विद्युतकरघा बुनकरों के लिए है जिनके पास 8 तक करघे हों। 4 से कम करघों वाली इकाइयों को वरीयता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, एससी और एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए क्रमशः 45,000 रुपए, 67,500 रुपए और 81,000 रुपए प्रति विद्युतकरघा अधितकतम सब्सिडी तक उन्नयन की लागत का 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:
- भारत सरकार की करघा सब्सिडी के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारें भी प्रति विद्युतकरघा 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बिहार

राज्य सरकार भी अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 12,000 रुपए प्रदान कर रही है। तेलंगाना सरकार अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में अधिकतम 20,000 रुपए की सीमा के अध्यधीन उपस्कर लागत के 50% प्रदान कर रही हैं।

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 44.98 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सब्सिडी में 4797 करघों का उन्नयन किया गया था।

ख. समूह कार्य शेड योजना (जीडब्ल्यूएस)

इस योजना का उद्देश्य मशीनीकरघों हेतु आधुनिक बुनाई मशीनरी के साथ आधारभूत ढांचे की स्थापना करना है ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके। संशोधित योजना के अनुसार कार्य शेड के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता निर्माण की इकाई लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी जो कि अधिकतम 400 रु. प्रति वर्ग फुट की सीमा के अधीन होगी, इनमें से जो भी कम हो। सामान्यतः एकल चौड़ाई (230 सेटींमीटर तक) के 24 आधुनिक करघे वाले न्यूनतम 4 बुनकरों का समूह अथवा 16 अधिक चौड़ाई वाले करघों (230 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक) वाले प्रत्येक लाभग्राही के पास कम से कम चार करघे होने वाले बुनकरों का समूह बनेगा।

शयनगृह/कामगारों के आवास के निर्माण हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता में न्यूनतम 1.25 व्यक्ति प्रति विद्युतकरघे के आवास हेतु 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति का पर्याप्त स्वच्छता पूर्ण शौचालय तथा स्नानागार (वैकल्पिक तौर पर भंडार कक्ष के साथ रसोई तथा भोजन कक्ष शामिल किया जा सकता है) के साथ आवास मुहैया करवाया जाएगा। शयनगृह/कामगार आवास हेतु प्रतिवर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर समूह कार्य शेड के लिए लागू प्रति वर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर के समान होगी।

प्रारंभ से, अब तक 344 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और भारत सरकार की 100.83 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

ग. यार्न बैंक के लिए स्थायी निधि

विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी)/कंसोर्टियम को थोक मूल्य की दर पर यार्न की खरीद हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए ब्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान करने और विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित दर पर ब्याज प्रदान करना। यार्न की बिक्री पर बिचौलिए/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की दलाली प्रभार को दूर करना। प्रति यार्न बैंक अधिकतम 200 लाख रुपए का ब्याज मुक्त स्थायी निधि।

प्रारंभ से, अब तक 75 धागा बैंक परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और भारत सरकार की 22.98 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 10 धागा बैंक परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी है तथा 5.65 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

घ. सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

एक समूह में संबद्ध और सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना। कलस्टर की आवश्यकता के अनुसार पिछडी और अग्रणी एकीकरण के लिए पीपीपी

पद्धति वाली परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें हाऊस डिजाइन केन्द्र/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना एवं व्यापार केन्द्र तथा सामान्य कच्ची सामग्री/यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक उद्योग के लिए जल शोधन संयंत्र और सामान्य बुनाई पूर्व सुविधाएं अर्थात वार्पिंग, साइजिंग आदि शामिल हैं।

सीएफसी के लिए भारत सरकार का शेयर प्रति कलस्टर 200 लाख रुपए है।

विद्युतकरघा कलस्टरों की ग्रेडिंग के आधार पर भारत सरकार की सहायता के स्तर हैंरू

- ग्रेड – ए – परियोजना लागत के 60% तक।
- ग्रेड – बी – परियोजना लागत के 70% तक।
- ग्रेड – सी – परियोजना लागत के 80% तक।
- ग्रेड – डी और पूर्वोत्तर क्षेत्र/जम्मू एवं कश्मीर के कलस्टरों में परियोजना लागत के 90% तक।

प्रारंभ से, अब तक 13 सीएफसी परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और भारत सरकार की 3.94 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

ङ. विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु सौर उर्जा योजना

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा ईकाइयों द्वारा सामना की जा रही विद्युत की कटौती/कमी की समस्या को दूर करना है ताकि उपयोग. दक्षता, उत्पादकता आदि में सुधार किया जा सके और सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र की स्थापना हेतु छोटी विद्युतकरघा यूनिटों को वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया करवाकर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पार्धात्मक रूप से सामना किए जाने के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह योजना 1.4.2017 से कार्यान्वित की गई है।

प्रस्तावित सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र को 2 माध्यम में कार्यान्वित किया जाना है– (1) ऑन–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र और (2) ऑफ–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र।

भारत सरकार निम्नलिखित के अनुसार आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए सौर उर्जा संयंत्र की आधारभूत लागत (सौर पैनल की लागत + इनवर्टर + बैटरी) के क्रमशः 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी–

क्र.सं.	किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) के रूप में क्षमता		आर्थिक सहायता हेतु पात्र उपकरण तथा घटक की अधिकतम लागत		अधिकतम आर्थिक सहायता रूपए में	
			ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑफ–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑन–ग्रिड सौर संयंत्र हेतु
1	4 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 04 करघों के लिए उपयुक्त)					
	सामान्य @ 50%	2,80,000/–		3,60,000/–	1,40,000/–	1,80,000/–
	अनु.जा. @ 75%				2,10,000/–	2,70,000/–
	अनु.ज.जा. @ 90%				2,52,000/–	3,24,000/–

2	6 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 06 करघों के लिए उपयुक्त)					
	सामान्य @ 50%	4,20,000/–		5,40,000/–	2,10,000/–	2,70,000/–
	अनु.जा. @ 75%				3,15,000/–	4,05,000/–
	अनु.ज.जा. @ 90%				3,78,000/–	4,86,000/–
	8 केडब्ल्यूपी (आमतैर पर 08 करघों के लिए उपयुक्त)					
3	सामान्य @ 50%			2,80,000/–	3,60,000/–	
	अनु.जा. @ 75%	5,60,000/–	7,20,000/–	4,20,000/–	5,40,000/–	
	अनु.ज.जा. @ 90%			5,04,000/–	6,48,000/–	

च. विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना

विद्युतकरघा बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, निवेश आवश्यकताओं (सावधि ऋण) तथा साथ ही साथ कार्यशील पूंजी हेतु एक लोचशील एवं लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाना।

योजना में दो घटक हैं अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत श्रेणी–। और स्टैंड–अप इंडिया योजना के अंतर्गत श्रेणी–।। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय इस योजना के प्रचालन हेतु ऋणदाता एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है।

इन घटकों के अंतर्गत पात्रता, आवेदन के तरीके तथा उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा योजना दिशानिर्देशों में दिया गया है। यह योजना 1.4.2017 से कार्यान्वित की गई है।

छ. सहायता अनुदान और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, 26 वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) और 6 राज्य सरकारों के अंतर्गत 15 विद्युतकरघा सेवा केंद्र (पीएससी) समूचे देश में स्थापित किए गए हैं तथा कार्य कर रहे हैं। पीएससी सरकार की ओर से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, संगोष्ठी/कार्याशाला आदि जैसी विभिन्न सेवा की पेशकश कर रहे हैं।

टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मुहैया करवाया गया सहायता अनुदान मुख्यतः विद्युतकरघा क्षेत्र को सेवाएं मुहैया कराने के लिए पीएससी के चालन हेतु आवृत्त व्यय हेतु है। टीआरए/राज्य सरकार के एजेंसियों के पीएससी को सहायता अनुदान के स्वीकृति वस्त्र आयुक्त द्वारा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 19 पीएससी/टीआरए को 4.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

ज. टेक्स–वेंचर पूंजी निधि की योजना

विद्युतकरघा उद्योग में निर्माण और सेवा कार्यकलापों में लगी कंपनियों में प्राथमिक निवेश करने के लिए 35 करोड़ रुपए के कार्पस वाली एक समर्पित निधि, टेक्स फंड शुरू की गई है।

टेक्स–वेंचर पूंजी निधि के लिए भारत सरकार

24.50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और सिडबी द्वारा 10.50 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा।

टेक्स–वेंचर निधि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार और समय–समय पर संशोधित अनुसार इक्विटी शेयर और/अथवा वस्त्र सुक्ष्म और लघु उपक्रम की इक्विटी में कन्वर्टिवल इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा। इस निधि का संचालन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन 2012 (सेबी का एआईएफ विनियमन 2012) के तहत होगा।

निधि का प्राथमिक निवेश उद्देश्य आरंभिक अथवा विकास स्तर पर पूंजी निवेश आवश्यकता के लिए गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निजी वार्ता सम्मत इक्विटी/इक्विटी से संबंधित और/अथवा परिवर्तनीय/गैर–परिवर्तनीय ऋण साधनों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के माध्यम से आकर्षक जोखिम समायोजित प्रतिफल प्राप्त करना है।

लाभ :

योजना के अंतर्गत कंपनियों की इक्विटी में निवेश से उनकी निवल मूल्य, वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि, उनकी विनिर्माण क्षमता में सुधार और बिक्री कारोबार, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा।

भारत सरकार और सिडबी के बीच दिनांक 03.10.2014 को अंशदान करार पर हस्ताक्षर किया गया है और वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित 11.50 करोड़ रुपए की राशि सिडबी वेंचर पूंजी लि. (एसवीसीएल) को नवम्बर, 2014 में जारी की गई है।

इस घटक के अंतर्गत कुल 20.93 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सात मामलों को अनुमोदित किया गया है।

झ. **विद्युतकरघा के लिए सुविधा केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार** विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन और रोजगार सृजन के रूप में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वदेशी उत्पादन तथा विपणन के साथ–साथ विद्युतकरघा बनुकरों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2007–08 से एकीकृत योजना कार्यान्वित की गई है, जिसका उद्देश्य विद्युतकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, अनुभव दौरा, क्रेता विक्रता आदान–प्रदान, कलस्टर विकास कार्यकलाप तथा कौशल विकास/उन्नयन इत्यादि है।

10.1.7.1 सुविधा सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के घटक:

(क) सुविधा सेवाएं

- **हेल्पलाइन:** निरूशुल्क कॉल द्वारा विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता/परामर्श/जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित **हेल्पलाइन (1800222017)** स्थापित की गई है।
- **विद्युतकरघा बुनकरों तथा इकाइयों की पीएससी के साथ पंजीकरण की सुविधा**
- **एसएमएस एलर्ट:** एक प्रणाली विकसित की गई है ताकि जिससे विद्युतकरघा संबंधित विषयों पर नए घटनाक्रम/पहलों के संबंध में विद्युतकरघा बुनकरों को एसएमएस एलर्ट भेजे जा सके।
- **बैंक सहायता:** अग्रणी बैंक तथा प्रमुख बैंकों की सेवाएं विद्युतकरघा क्लस्टरों में विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के माध्यम से मुहैया

करवाई जाएंगी ताकि विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके और विद्युतकरघा इकाइयां बैंकों से ऋण सुविधाएं तथा मुद्रा ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी – भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल/मोबाइल एप्लीकेशन का विकास।

(ग) जागरूकता और बाजार विकास कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक/क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।

2.1 संगोष्ठियां/कार्याशालाएं

2.2 क्रेता विक्रेता बैठकें

2.3 विपरीत क्रेता विक्रेता बैठकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमः

2.4 विद्युतकरघा उत्पादों के विपणन हेतु ई–प्लेटफार्म

2.5 बुनकरों का संपर्क दौरा दृ भारत सरकार द्व ारा प्रत्येक बुनकर को आकस्मिक व्यय और स्लीपर क्लास के लिए आने–जाने का रेल भाड़ा के प्रति 5000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.6 अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन कार्यक्रमों का आयोजन करना/विशेष आवश्यकताओं संबंधी योजनाएं

(घ) इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया मे प्रचारः

विभिन्न विद्युतकरघा क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रचार में सहायता करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंटरनेट, दूरदर्शन, इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जैसे विभिन्न साधनों द्वारा हितधारकों/विद्युतकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान (बीएसएम, संपर्क दौरा, संगोष्ठी/कार्यशालाओं तथा ऑनलाइन पोर्टल/हेल्पलाइन के अंतर्गत) 3.20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

10.1.8. व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना

भिवंडी (महाराष्ट्र) तथा इरोड़ (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर वर्ष का विकास करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2008–09 में की गई घोषणा का कार्यान्वयन करने के लिए वर्ष 2008–09 में व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना तैयार की गई थी। तत्पश्चात वित्त मंत्री ने 2009–10, 2012–13 और 2014–15 के बजट भाषणों में क्रमशः भीलवाड़ा (राजस्थान), ईचल करांजी (महाराष्ट्र) और सूरत (गुजरात) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टरों के विकास करने की घोषणा की है।

क्लस्टरों के डिजायन में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य विश्वस्तरीय आधारभूत ढ़ांचे का सृजन करना है तथा उत्पादन श्रृंखला को इस ढंग से एकीकृत करना है कि जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कलस्टर दृष्टिकोण योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते बाजार शेयर के अनुसार कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना तथा उत्पादों का उच्च इकाई मूल्य प्राप्त करके उत्पादकता को बढ़ाना है। योजना में पर्याप्त आधारभूत ढ़ांचा, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजायन विकास, कच्ची सामग्री, बैंकों, विपणन और संवर्धन, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य घटकों के अनुसार अपेक्षित सहायता/संपर्क उपलब्ध कराया जाता है

जो विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

यह योजना 12वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2013 में संशोधित की गई थी। इसे 2017–2020 की अवधि के लिए फिर से संशोधित किया गया था। चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 25.00 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई थी। संशोधित योजना के कलस्टर के लिए सरकार की सहायता अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है।

इस योजना के अंतर्गत पांच विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

(i) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इरोड (तमिलनाडु):

बजट 2008–09 में 145.78 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से इरोड में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की घोषणा की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत, दो मुख्य घटकों नामतः थोक बाजार परिसर (दैनिक बाजार) और साप्ताहिक वस्त्र सैंडी मार्केट वाले एक एकीकृत वस्त्र बाजार परिसर अनुमोदित किए गए थे। साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजार का निर्माण पूरा हो गया है जबकि प्रदशर्नी कक्ष के निर्माण से संबंधित कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है।

(ii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सोलापुर (महाराष्ट्र):

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भिवंडी की घोषणा बजट 2008–09 में की गई थी। भूमि की अनुपलब्धता और भिवंडी में परियोजना के विकास में भाग लेने के लिए स्टेकहोल्डरों में अनिच्छा के कारण महाराष्ट्र सरकार ने भिवंडी के स्थान पर सोलापुर में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की स्थानपना किए जाने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, मैसर्स ग्रैंड थार्टन एलएलपी, गुडगांव को सीएमटीए के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना की प्रारूप संकल्पना रिपोर्ट (डीसीआर) को कलस्टर समन्वय समूह (सीसीजी) द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर (शोलापुर) द्वारा की जाती है। मंत्रालय द्वारा उक्त रिपोर्ट जांच/विचाराधीन है।

(iii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भीलवाड़ा (राजस्थान)

आरंभ में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भीलवाडा की घोषणा बजट 2009–10 में की गई थी। भीलवाडा, में भूमि की अनुपलब्धता के कारण भीलवाडा जिले में करनपुरा में परियोजना को पुनः स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए करनपुरा गांव में 30 एकड़ भूमि आबंटित की है। चूंकि भीलवाड़ा में पिछले 8 वर्षों में सीएमटीए द्वारा कोई प्रगति नहीं की जा सकी, पीएएमसी ने सीएमटीए रद्द करने का निर्णय लिया और दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए नई सीएमटीए का चयन करने के लिए वस्त्र आयुक्त को आरएफपी पुनः आवंटित करने की सलाह दी। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय ने सीएमटीए का चयन करने के लिए छठी बार अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है किंतु बोलियों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या पूरी नहीं की जा सकी।

(iv) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, ईचलकरंजी (महाराष्ट्र)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचल करंजी की बजट घोषणा 2012–13 में कुल 113.57 करोड़

रुपए की परियोजना लागत से और 50 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सहायता से की गई थी। आज की तारीख तक परियोजना को 29.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कार्य प्रगति पर है।

(v) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत (गुजरात)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत की बजट घोषणा 2014–15 में की गई थी। सीएमटीए के रूप में आईएलएंडएफएस का चयन किया गया है। कलस्टर समन्वय समूह (सीसीजी) का गठन किया गया है। सीसीजी द्वारा अनुमोदित डीसीआर मंत्रालय में जांच/विचाराधीन है।

10.1.9 वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस):

जून, 1985 की वस्त्र नीति के पैरा 18.7 के अनुसार भारत सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना तैयार किया है जो 15 सितंबर, 1986 से लागू की गई है। टीडब्ल्यूआरएफएस का उद्देश्य मिलों के स्थायी रूप से बंद कर दिए जाने के कारण बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राहत टेपरिंग आधार पर केवल 3 वर्ष के लिए अर्थात प्रथम वर्ष के वेतन के 75%, दूसरे वर्ष 50% और तीसरे वर्ष 25% के बराबर उपलब्ध है। दिनांक 05.06.1985 को अथवा उसके पश्चात बंद हुई मिलों को टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह योजना राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य/केंद्र सरकार की को–ऑपरेटिव के क्षेत्र वाली वस्त्र इकाइयों के लिए लागू नहीं है और इस योजना के अंतर्गत पात्र कामगारों को ही सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें किसी दूसरे रोजगार को अपनाने में समर्थ बनाया जा सके। ऐसी सहायता विरासती, हस्तांतरणीय अथवा किसी कामगार के किसी अन्य देयताओं से जोड़े जाने के लिए नहीं है। यदि कामगार किसी अन्य पंजीकृत अथवा लाइसेंसशुदा उपक्रम में रोजागार पा जाएगा तो उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। यदि कामगार स्वयं को स्व–रोजगार उद्यम में लगा लेता है तो पुनर्वास सहायता में कटौती नहीं की जाएगी।

अ. योजना की प्रगति

दिनांक 30.09.2018 तक 96 मिलों के 1,20,141 कामगारों को 327.05 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। चालू वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान टीडब्ल्यूआरएफएस के अंतर्गत बजट अनुमान 1.50 करोड़ रुपए है।

(ii) टीडब्ल्यूआरएफएस का आरजीएसकेवाई के साथ विलय

टीडब्ल्यूआरएफएस को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.04.2017 को जारी अधिसूचना सं. सा.आ. 10810 के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के साथ मिला दिया गया है। टीडब्ल्यूआरएफएस को दिनांक 01.04.2017 से बंद कर दिया गया है। पंजीकृत कामगार नई आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे।

10.1 हथकरघा

10.2.1 प्रस्तावना

हथकरघा बुनाई कृषि के बाद सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है जो 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 15% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशलों के हस्तांतरण द्वारा कायम रहा है। इस क्षेत्र की ताकत इसकी अद्वितीयता, उत्पादन में लचीलेपन, नवाचारों में खुलापन, आपूर्तिकर्ता की जरुरत के अनुसार अनुकूलन क्षमता और इसकी परंपरा की दौलत में निहित है।

तथापि, आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है। विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा,सस्ते आयातित फैब्रिक की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को चुनौती दी है।

भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रही है। विभिन्न नीति संबंधी पहलों और योजना संबंधी हस्तक्षेपों यथा क्लस्टर एप्रोच, आक्रामक विपणन प्रयास और समाज कल्याण उपायों के कारण हथकरघा क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है और बुनकरों की आय में वृद्धि हुई है। 11वीं योजना की शुरूआत में हथकरघा फैब्रिक उत्पादन काफी प्रभावी रहा और इसकी विकास दर 6% से 7% रही। इसके बाद आर्थिक मंदी ने भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और हथकरघा क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा। वर्ष 2008–09 में उत्पादन में मामूली गिरावट रही। वर्तमान में इसमें सकारात्मक संकेत है और उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।

हथकरघा पीढ़ीगत विरासत का एक अनमोल हिस्सा है और हमारे देश की समृद्धि एवं विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता को दर्शाता है। हाथ से बुनाई की परंपरा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक हिस्सा है। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में, हथकरघा कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लगभग 23.77 लाख हथकरघा से जुड़े 43.31 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 10% अनुसूचित जाति से हैं, 18% अनुसूचित जनजाति से हैं, 45% अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और 27% अन्य जातियों से हैं। वर्ष 2013–14 में हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन 7104 मिलियन वर्ग मीटर था। 2014–15 के दौरान, हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन 7203 मिलियन वर्ग मीटर दर्ज किया गया। 2015–16 के दौरान, हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन 7638 मिलियन वर्ग मीटर है और इसका विवरण तालिका 10.1 में दिया गया है।

तालिका 10.1

हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	कुल वस्त्र उत्पादन*	हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन वस्त्र	कुल वस्त्र उत्पादन में हथकरघा का हिस्सा	हथकरघा से विद्युतकरघा तक का अनुपात (वस्त्र के रूप में)
2008–09	42121	6677	15.9	1:5.04
2009–10	45819	6806	14.9	1:5.41
2010–11	47083	6907	14.6	1:5.59
2011–12	46600	6901	14.8	1:5.42
2012–13	61949	6952	11.22	1:5.47
2013–14	46425	7104	15.30	1:5.18
2014–15	47438	7203	15.18	1:5.24
2015–16	46334	7638	15.31	1:5.21
2016–17		8007		
2017–18		7990(अनंतिम)		

*कुल वस्त्र उत्पादन में हौजरी, खादी, ऊन और रेशमी वस्त्रों को छोड़कर हथकरघा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र का कुल वस्त्र उत्पादन सम्मिलित है।

हथकरघा क्षेत्र की योजनाएं:

विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय चार योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जो हैं: (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी); (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना; (iii) यार्न आपूर्ति योजना; (iv) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना। योजना–ब्यौरा इस प्रकार है:–

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम :

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान कार्यान्वयन हेतु आंशिक संशोधनों के साथ तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम हथकरघों के एकीकृत और समावेशी विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित संकल्पना का अनुसरण करता है। यह बुनकरो को स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारिता के दायरे के अन्दर और बाहर दोनों तरह से कच्ची समाग्री, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी अवसंरचना के सृजन, हथकरघा उत्पादों की ई–मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास आदि के लिए सहायता प्रदान करता है।

योजना के मुख्य संघटक इस प्रकार हैं :–

1. रियायती ऋण
2. ब्लॉक स्तरीय कलस्टर
3. हथकरघा विपणन सहायता
4. हथकरघा संगणना

1. **हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋणः**

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम की रियायती ऋण संघटक योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र को रियायती दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। योजना के तहत, तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए की मार्जिन मनी सहायता और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जा रही है। पूर्व में बुनकर क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण स्वीकृत किए जाते थे। वर्तमान में हथकरघा बुनकरों तथा बुनकर उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा पोर्टल प्लेटफार्म अपनाया गया है। ब्याज सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी और मार्जिन मनी के संबंध में वित्तीय सहायता के दावों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से "हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' विकसित किया गया है। मार्जिन मनी बुनकर के ऋण खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है और ब्याज छूट तथा ऋण गारंटी शुल्क इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकों को स्थानांतरित की जाती है।

वर्ष 2018–19 के दौरान 199.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के साथ 35952 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

2. **ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरः** ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर एनएचडीसी का एक संघटक है। एनएचडीपी दिशानिर्देशों को अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के दौरान कार्यान्वयन हेतु जुलाई 2017 में आंशिक संशोधनों के साथ संशोधित किया गया है। विभिन्न मध्यस्थताओं यथा सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), डिजाइन विकास, सामान्य और व्यक्तिगत वर्कशेड का निर्माण, क्लस्टर विकास कार्यकारी (सीडीई) की नियुक्ति, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन इत्यादि के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना के लिए ब्लॉक में एक कलस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर ईटीपी सहित डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित राज्यों के लिए 16 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं:

2018–19 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत स्वीकृत ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर की संख्या/जारी राशि तथा शामिल लाथार्थी

क्रम सं.	राज्य	ब्लॉक क्लस्टरों की संख्या	जारी राशि	लाभार्थियों की संख्या
एनएचडीपी – ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर				
1	आंध्र प्रदेश	3	127.35	442
2	हिमाचल प्रदेश (02 बीएलसी दूसरी किस्त 18–19)		15.21	
3	हरियाणा		4.31	14
4	केरल (2 बीएलसी दूसरी किस्त और एचएसएस रिलीज)		79.65	260
5	महाराष्ट्र		9.22	68

क्रम सं.	राज्य	ब्लॉक क्लस्टरों की संख्या	जारी राशि	लाभार्थियों की संख्या
6	जम्मू और कश्मीर		3.69	32
7	कर्नाटक	5	72.24	1622
	1 बीएलसी 2 दूसरी किस्त		42.30	
8	ओडिशा	5	61.26	1050
	(01 बीएलसी दूसरी किस्त पार्ट पेमेंट)		0.98	
9	राजस्थान		11.97	51
10	तेलंगाना		11.25	50
11	उत्तर प्रदेश	1	15.75	350
12	पश्चिम बंगाल	2	97.85	774
	कुल (सामान्य)	**16**	**553.04**	**4713**
	पूर्वोत्तर			
1	असम दूसरी किस्त (07 बीएलसी)		273.65	
2	मिजोरम (07 बीएलसी दूसरी किस्त 18–19)		24.20	
3	सिक्किम (1 बीएलसी दूसरी किस्त 18–19)		5.33	
	कुल (पूर्वोत्तर)	**0**	**303.18**	**0**
	कुल योग (सामान्य पूर्वोत्तर)	**16**	**856.22**	**4713**

3. **हथकरघा विपणन सहायता:** घरेलू तथा निर्यात बाजारों में विपणन माध्यम विकसित करने एवं उनकों बढ़ावा देने और एक सुव्यवस्थित एवं एकीकृत तरीके से दोनों के बीच संपर्क बनाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती विपण न एवं निर्यात संवर्धन योजना का विलय किया गया और एनएचडीपी के एक संघटक के रूप में हथकरघा विपणन सहायता तैयार किया गया है। हथकरघा विपणन सहायता का उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करना है। इस संघटक के मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:–

i. एक्सपो, क्रियाकलापों एवं शिल्प मेलों का आयोजन
ii. निर्यात संवर्धन
iii. हथकरघा मार्क
iv. इंडिया हैंडलूम ब्रांड
v. ई–कॉमर्स
vi. विपणन प्रोत्साहन
vii. हथकरघा पुरस्कार
viii. भौगोलिक संकेतक

i. **एक्सपो, क्रियाकलापों एवं शिल्प मेलों का आयोजन:** 2016–17 और 2017–18 में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल 181 घरेलू विपणन कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 2018–19 के दौरान कुल 165 कार्यक्रम (घरेलू) स्वीकृत किए गए हैं।

ii. **निर्यात संवर्धन:** हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में भाग लेने तथा नवीनतम डिजाइन, रुझान, रंग पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा

निर्यातकों की सहायता करना है। इस घटक के तहत, (प) निर्यात परियोजनाओं (पप) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी और (पपप) डिजाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। 2017–18 के दौरान एचईपीसी ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत 08 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। 2017–18 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2280.19 करोड़ था। 2018–19 के दौरान एचईपीसी ने 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया। वर्ष 2018–19 (फरवरी, 2019 तक) के लिए निर्यात के आंकड़े 2174.22 करोड़ रुपये हैं।

iii. **हैंडलूम मार्कः** हैंडलूम मार्क खरीदारों को गारंटी के रूप में सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद एक वास्तविक हस्तनिर्मित उत्पाद है और पावरलूम या मिल निर्मित उत्पाद नहीं है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडिकेटेड लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित और लोकप्रिय किया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। 31.03.2019 को हथकरघा चिह्न के लिए कुल 21,313 पंजीकरण जारी किए गए हैं। 31.01.2019 की स्थिति के अनुसार 12.41 करोड़ रूपए (संचयी) के हैंडलूम मार्क लेबल बेचे गए हैं। 815 रिटेल आउटलेट हैंडलूम मार्क लेबल के साथ हथकरघा सामान बेच रहे हैं।

iv. **इंडिया हैंडलूम ब्रांडः** ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरण ात्मक अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, बुनाई एवं अन्य मानकों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएसबी) का शुभारंभ किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' केवल उत्कृष्ट हस्तनिर्मित उत्पादों के इच्छुक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खराबी रहित प्रीमियम एवं प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष बाजार स्थान तथा आय में वृद्धि करना है। इस प्रकार 'इंडिया हैंडलूम' की अवधारणा उन हथकरघा उत्पादों को ब्रांड देना है जो व्यापक रूप से सामाजिक–पर्यावरणात्मक रूप से जागरूक ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) एक व्यापक जागरूकता और ब्रांड निर्माण अभियान शुरू किया गया

(ii) ई–विपणन के लिए ई–कॉमर्स कंपनियों के लिए एक खुली नीति जिसके तहत ई–कॉमर्स कंपनियों को विशेषकर आईएचबी उत्पादों तथा सामान्यतः आईएचबी के अलावा हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए फोकस करने हेतु प्रेरित करना

(iii) 101 खुदरा केन्द्रों से पैन इंडिया आधार पर भागीदारी की गई जिनमें ये केन्द्र अपने स्टोर में विशेष रूप से आईएचबी उत्पादों के लिए स्थान आरक्षित रखेंगे।

v. **ई–कॉमर्सः** 25 अगस्त, 2014 को फ्लिपकार्ट के साथ हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन विपणन मंच प्रदान करने और बिचौलियों को समाप्त करने हेतु ई–कॉमर्स के माध्यम से

बुनकरों और हथकरघा सहकारी समितियों के हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, और अधिक ऑनलाइन विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए, वर्ष 2015 के दौरान हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु ई–कॉमर्स संस्थाओं को आमंत्रित करने के लिए एक ओपन डोर नीति तैयार की गई थी। तद्नुसार विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए 23 ई–कॉमर्स संस्थाओं नामतः (i) मै. वीवस्मार्ट ऑनलाइन सर्विसेज (ii) मै. ईबे इंडिया प्रा.लि. (iii) मै. फिल्पकार्ट इंटरनेट प्रा.लि. (iv) मै. क्राफ्टविला हैंडिक्राफ्ट प्रा.लि. (v) मै. पीर्गासे टैकन्लॉजी प्रा.लि. (vi) मै. गोकोप सॉलूशन एंड सर्विसेज प्रा.लि. (vii) मै. क्लूज नेटवर्क प्रा.लि. (viii) मै. सैनोरिटा क्रिएशन प्रा.लि. (ix) मै. एमाजोन सेलर सर्विस प्रा.लि. (x) मै.टैकवाइडर नेटवर्क इंडिया प्रा. लि. (xi) मै. वीनस शॉपी (xii) मै. सुरेखा आर्ट (xiii) मै. मूडी साफ्टवेयर आर एंड डी प्रा.लि. (xiv) मै. मंत्रा डिजाइन प्रा.लि. (xv) मै. ईराम इन्फोटैक प्रा.लि. (xvi) मै. डीज ऐली (xvii) मै. चारू क्रिएशन प्रा.लि. (xviii) मै. आरामार्ट ई–कॉमर्स एलएलपी (xix) मै. बिग फुट रिटेल सॉलूशन्स (xx) मै. ऑरपैक्स क्वॉलट्रा (xxi) मै. बाइन्ड बाइन्ड ईकॉमर्स प्रा.लि. (xxii) मै. डेनिम क्लब इंडिया तथा (xxiii) मै. शॉपिंग कार्ट 24 ऑनलाइन सर्विसेस प्रा.लि. को अनुबंधित किया गया है।

vi. **विपणन प्रोत्साहनः** विपणन प्रोत्साहन हथकरघा एजेंसियों को शर्तें तैयार करने के लिए दिया जाता है, जो हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए सहायक हैं। यह काफी हद तक हथकरघा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में मूल्य के लिए एक प्रोत्साहन होगा ताकि एक ओर जहां वे कीमत में मामूली कमी करने में सक्षम हों, दूसरी ओर वे बुनियादी ढाँचे में निवेश कर सकें जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके। एजेंसी से उम्मीद है कि इस राशि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाएगा जो हथकरघा सामानों की समग्र बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगी। विपणन प्रोत्साहन (एमआई) के लिए सहायता राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों के लिए पात्र होगी। विपणन प्रोत्साहन उन एजेंसियों को दिया जाना चाहिए, जिन्हें वास्तव में विपणन सहायता की आवश्यकता होती है और इसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि बाद में एजेंसी अपने आप निर्वाह कर सके। विपणन प्रोत्साहन की जारी करने के लिए पात्रता हेतु ऊपरी सीमा वार्षिक टर्नओवर के 30 लाख रूपए निर्धारित की जाए ताकि उपलब्ध बजट के भीतर जरूरतमंद समितियों को शामिल किया जा सके। 30 लाख रूपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली समितियां एमआई के लिए पात्र नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 22.61 करोड़ रूपए और वर्ष 2018–19 के दौरान 26.35 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

vii. **हथकरघा पुरस्कारः** वस्त्र मंत्रालय हथकरघा बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र प्रदान करता है। पुरस्कारों का संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः–

(क) संत कबीर पुरस्कारः संत कबीर पुरस्कार ऐसे

उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर, जिसे राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

वित्तीय सहायता:– इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, स्वर्ण से मढ़ा हुआएक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्टफोन और प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कार: राष्ट्रीय पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और सार्थक तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वित्तीय सहायता:– इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन तथा एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(ग) राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र: राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र (एनएमसी) उत्कृष्ट एवं हुनरमंद हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वित्तीय सहायता: राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में 0.75 लाख रुपये का एक नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

वर्ष 2015 के दौरान इस मंत्रालय ने हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन विकास के क्षेत्र में अतिरिक्त, 03 राष्ट्रीय पुरस्कार और 06 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार और हथकरघा उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 05 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किए हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2016 से बुनाई के क्षेत्र में मौजूदा संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र के अलावा विशेष रुप से महिला हथकरघा बुनकरों के लिए 02 संत कबीर पुरस्कार, 04 राष्ट्रीय पुरस्कार और 04 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र भी शुरु किए गए हैं। महिला हथकरघा बुनकरों को यह विशेष पुरस्कार "एसकेए/एनए/एनएमसी (कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार)" के नाम से होगा।

संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र पुरस्कारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	पुरस्कार का नाम	श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या			सकल योग
		सामान्य	विशेष रूप से महिलाओं के लिए	कुल	सामान्य	
01	संत कबीर पुरस्कार (एसकेए)	बुनाई	10	02	12	12
02	राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए)	बुनाई	20	04	24	32
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	03	–	03	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	05	–	05	
03	राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र (एनएमसी)	बुनाई	20	04	24	40
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	06	–	06	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	10	–	10	
	कुल		74	10	84	84

नोटः – हथकरघा क्षेत्र में (हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए बुनाई, डिजाइन विकास और हथकरघा उत्पादों के विपणन) कुल मिलाकर अधिकतम **12 संत कबीर पुरस्कार, 32 राष्ट्रीय पुरस्कार और 40 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।**

पिछले 4 वर्षों में दिए गए पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार हैः –

(i) वर्ष 2012, 2013 और 2014 के लिए चेन्नई में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 7 अगस्त 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ii) वर्ष 2015 के लिए, 7 अगस्त 2016 को वाराणसी में माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iii) वर्ष 2016 के लिए माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में 7 अगस्त 2018 को चौथे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुरस्कार	वर्ष एवं पुरस्कारों की संख्या					
	2012	2013	2014	2015	2016	कुल पुरस्कार
संत कबीर पुरस्कार	06	05	05	03	05	24
राष्ट्रीय पुरस्कार	20	19	18	23	22	102
राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र	19	07	04	20	22	72
कुल	45	31	27	46	49	198
पुरस्कार प्रदान किए जाने वाला वर्ष	2015	2015	2015	2016	2018	

viii. **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतनः** वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनका दूसरों द्वारा अनधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है। जीआई अधिनियम के तहत हथकरघा वस्तुओं के पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता को 1.50 लाख रूपए से बढ़ाकर 3.00 लाख रूपए कर दिया गया है, जिसमें से 1.50 लाख रूपए पंजीकरण के लिए और 1.50 लाख रूपए प्रशिक्षण तथा सूचना के प्रचार–प्रसार आदि के लिए दिया जाते हैं। अब तक जीआई अधिनियम के तहत 65 हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

हैंडलूम हाट, जनपथ, नई दिल्लीः शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हैंडलूम मार्केटिंग काम्प्लेक्स जो हैंडलूम हाट, जनपथ के नाम से लोकप्रिय है, के निर्माण के लिए वस्त्र मंत्रालय को 12/04/1999 को जनपथ, नई दिल्ली में 1.779 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी। इस भवन के निर्माण की परियोजना लागत 42.00 करोड़ रूपए थी।

हाट का मुख्य उद्देश्य हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने तथा देशभर में तैयार किए गए हथकरघा उत्पादों के उत्कृष्ट विविध प्रकारों के प्रदर्शन के लिए अवसंरचना सहायता मुहैया करना है। काम्प्लेक्स का उद्घाटन 9 अक्तूबर, 2014 को तब के माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री संतोष के गंगवार द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों, जो सक्रिय रूप से हथकरघा उत्पादों के विपणन क्रियाकलाप में भागीदारी कर रहे हैं, को शॉरूम/स्थल आबंटित किया गया।

II. **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना**

12वी योजना के दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना कार्यान्वित की गई थी। योजना में दो घटक थे नामतः (i) स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) जो बुनकरों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती थी (ii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) जो स्वभाविक मृत्यु, दुर्घटनात्मक मृत्यु, पूर्ण दिव्यांगता व आंशिक दिव्यांगता के मामले में बीमा कवर प्रदान करती थी।

सभी हथकरघा बुनकरों/कामगारो को दिनांक 30.09.2014 तक वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) के माध्यम से स्वास्थ्य देख–रेख सुविधा प्रदान की जाती थी। उसके बाद स्वास्थ्य बीमा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) पद्धति पर कार्यान्वित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और मार्च, 2018 तक कार्यान्वयन किया गया। वर्तमान दिशानिर्देशों में बजटीय प्रावधान केवल 31.03.2018 तक की भारत सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 9 मई, 2015 को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का शुभारंभ किया गया था ताकि एक सार्वभौमिक और किफायती सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार की जा सके। पीएमजेजेबीवाई जीवन बीमा

कवर प्रदान करती है जबकि पीएमएसबीवाई दुर्घटनात्मक मृत्यु और दिव्यांगता के लिए दुर्घटनात्मक बीमा कवर प्रदान करती है।

सभी नागरिकों के लिए जीवन और दुर्घटनात्मक बीमा योजनाओं को एक ही बीमा योजना में शामिल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 18–50 वर्ष की आयु समूह वाले हथकरघा बुनकरों/कामगारों को पीएमजेबीबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत जीवन, दुर्घटना और दिव्यांगता कवर प्रदान किया जाएगा। तथापि, 51–59 वर्षों की आयु समूह वाले हथकरघा बुनकरों/कामगारों, जिन्हें पहले ही महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के तहत शामिल किया जा चुका है, को विलयित एमजीबीबीवाई के तहत शामिल रहेंगे।

तदनुसार, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के निम्नलिखित घटक होंगे:

(i) पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और विलयित एमजीबीबीवाई घटकों के तहत 2017–18 से 2019–20 तक जीवन, दुर्घटना और विकलांगता बीमा कवरेज।

(ii) दिनांक 31.03.2018 तक की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 के लिए आरएसबीवाई पैटर्न पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज।

(i) पीएमजेबीबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत जीवन और दुर्घटना बीमा

(क) 31 मार्च, 2017 तक हथकरघा बुनकरों को एमजीबीबीवाई के तहत जीवन एवं दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया था। दिनांक 5 जून, 2018 को कुछ संशोधनों के साथ हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) का अनुमोदन किया गया। इस योजना के तहत 18–50 वर्ष की आयु समूह वाले हथकरघा बुनकरों/कामगारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत कवर प्रदान किया जाएगा। तथापि, 51–59 वर्षों की आयु समूह वाले मौजूदा बुनकर विलयित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के तहत कवरेज जारी रखेंगे। पीएमजेबीबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत प्रति बुनकर 342/–रूपए के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार है:–

क्र.सं.	वार्षिक हिस्सा	राशि
(i)	भारत सरकार हिस्सा	162/– रूपए
(ii)	एलआईसी हिस्सा	80/– रूपए
(iii)	बुनकर हिस्सा	100/– रूपए
	कुल	**342/– रूपए**

लाभ

क्र.सं.	मद	लाभ
(i)	प्राकृतिक मृत्यु	2,00,000/– रूपए
(ii)	दुर्घटना मृत्यु	2,00,000/– रूपए
(iii)	पूर्ण दिव्यांगता	2,00,000/– रूपए
(iv)	आंशिक दिव्यांगता	1,00,000/– रूपए

(ख) विलयित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई):

विलयित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (विलयित एमजीबीबीवाई) एक ऐसी बीमा योजना है जो 51–59 वर्ष की आयु समूह वाले ऐसे हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जो दिनांक 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत पहले से ही शामिल हैं। दिनांक 01.

06.2017 को अथवा उसके बाद इस योजना के तहत 51–59 वर्ष की आयु समूह वाले बुनकरों का कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार एमजीबीबीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या हर वर्ष कम हो जाएगी और 9 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी। 470/– रूपए के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार होगाः–

भारत सरकार का हिस्सा	290/– रूपए
एलआईसी हिस्सा	100/– रूपए
बुनकर हिस्सा	80/– रूपए
कुल	**470/- रूपए**

लाभ

लाभ	
प्राकृतिक मृत्यु	60,000/– रूपए
दुर्घटना मृत्यु	1,50,000/– रूपए
पूर्ण विकलांगता	1,50,000/– रूपए
आंशिक विकलांगता	75,000/– रूपए

पिछले चार वर्षों से जीवन और दुर्घटना बीमा योजना के तहत बुनकरों का नामांकन निम्नानुसार है:

वर्ष	नामांकित बुनकर
2015–16	5.84 लाख
2016–17	5.32 लाख
2017–18	1.70 लाख
2018–19 (31.03.2019 तक)	1.43 लाख

2015–16 के लिए 1.39 लाख लाभार्थियों के संबंध में 8.80 करोड़ रूपए की राशि और 2016–17 के 1.66 लाख लाभार्थियों के संबंध में 10.99 करोड़ रूपए का छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान किया गया था।

इस योजना के तहत निःशुल्क ऐड–ऑन लाभ के रूप में लाभार्थी के 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रत्येक बच्चे के लिए 100/– रु प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। हालांकि, छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से किया जाएगा। छात्र को एनएसपी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। स्कूल और नोडल एजेंसी छात्रों के विवरण को सत्यापित करेगी। एलआईसी वर्ष में एक बार डीबीटी के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति की पेमेंट जारी करेगी। छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(ii) आरएसबीवाई पैटर्न पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज

आरएसबीवाई पैटर्न पर हथकरघा बुनकरों/कामगारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज वर्ष 2017–18 के लिए उपलब्ध था। 08 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा 03 हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 90रू10 के रूप में वित्तपोषण साझा किया जाएगा और शेष राज्यों के लिए 60:40 के अनुरूप में साझा किया जाएगा। केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय सरकार 100 प्रतिशत वित्तपोषण उपलब्ध कराएगी।

III. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

भारत सरकार मिल गेट कीमत पर हथकरघा बुनकरों को हर प्रकार का यार्न प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित कर रही है ताकि हथकरघा क्षेत्र हेतु बेसिक कच्ची सामग्री की नियमित आपूर्ति सुविधा प्रदान की जा सके और इस क्षेत्र की पूर्ण रोजगार संभाव्यता का उपयोग करने

में सहातया मिल सके। यह योजना भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत माल–भाड़ा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। मालभाडा प्रतिपूर्ति की दर, डिपो संचालन व्यय तथा एनएचडीसी के सेवा प्रभार इस प्रकार हैः

(आपूर्त यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	माल भाड़ा			डिपो प्रचालन प्रभार	एनएचडीसी सेवा प्रभार
	सिल्क/जूट के अलावा	सिल्क यार्न	जूट/जूट मिश्रित यार्न		
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%	2.0%	1.25%
पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्र	2.5%	1.25%	10%	2.0%	1.5%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5%	1.50%	10%	2.0%	2.00%

इसके अलावा, पावरलूम और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी युक्त यार्न प्रदान करने हेतु मात्रात्मक सीमा सहित कॉटन, घरेलू रेशम, ऊनी यार्न और हंक रूप में लिनन यार्न पर **10% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है**। 10% सब्सिडी घटकों के तहत विभिन्न प्रकार के यार्न की पात्रता निम्नानुसार हैरू

कॉटन और घरेलू रेशम के धागे के लिए

1. 40एस कॉटन सहित एवं तक – 30 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
2. 40एस कॉटन से अधिक – 10 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
3. घरेलू रेशम के लिए – 4 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

ऊनी यार्न के लिए

ऊनी यार्न (10एस एनएम से नीचे)	50 कि.ग्रा. प्रति करघाध्माह
ऊनी यार्न (10एस से 39.99एस एनएम)	10 कि.ग्रा. प्रति करघाध्माह
ऊनी यार्न (40एस एनएम एवं उससे अधिक)	4 कि.ग्रा. प्रति करघाध्माह

लिनन यार्न के लिए

लिनन यार्न (5 ली से 10 ली)	20 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
लिनन यार्न (10 ली से अधिक)	7 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के तहत यार्न की आपूर्ति इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रूपए में)
2014—15	1484.300	216077.51
2015—16	1725.46	235686.52
2016—17	1799.14	294194.80
2017—18	1556.05	256459.01
2018—19	376.79	80884.06

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के 10% सब्सिडी संघटक के तहत आपूर्ति इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रूपए में)
2014—15	286.34	102683.50
2015—16	257.077	92777.460
2016—17	313.31	134601.15
2017—18	330.90	120973.11
2018—19	146.13	49234.59

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के के तहत जारी निधियां इस प्रकार है:

वर्ष	जारी निधियां (करोड़ रूपए में)
2014—15	127.81
2015—16	321.96
2016—17	261.35
2017—18	199.84
2018—19	126.84

VI. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) को मेगा हथकरघा कलस्टरों के विकास के वर्ष 2017—18 से 2019—20 तक कार्यान्वयन के अधीन है। योजना के अनुसार मेगा हथकरघा क्लस्टर में कम से कम 15000 हथकरघें होने चाहिए और प्रति क्लस्टर 40 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सहायता के लिए पात्र हैं।

सीएचसीडीएस के दिशानिर्देश अगस्त, 20;15 में संशोधित किए गए थे जिसमें एनएचडीपी की तर्ज पर ब्लॉक लेवल क्लस्टर दृष्टिकोण शामिल है। 2018—19 के दौरान 15 ब्लॉक लेवल क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

वर्ष 2018—19 के दौरान (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए मेगा हथकरघा क्लस्टरों के लिए 16.61 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत/जारी की गई है।

10.2.4 हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के सा.आ. सं. 2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित हैं। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए विद्युतकरघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1

क्र.सं.	वास्तविक प्रगति	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 फरवरी, 2019
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	3,08,888	3,21,452	3,34,468	3,51,572	3,67,860
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	3,09,817	3,32,327	3,47,293	3,67,927	3,85,557
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	88	140	64	83	67
4.	दोषसिद्धि	66	120	24	89	66

दिल्ली, चेन्नै और अहमदाबाद स्थित तीन प्रवर्तन कार्यालय हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार 'हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन' योजना के तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया गया है:–

तालिका 1.2 (लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	41.22	–	–
2.	पश्चिम बंगाल	14.83	3.79	14.67	0.49	33.37
3.	गुजरात	38.42	10.12	11.37	25.70	15.39
4.	राजस्थान	–	–	–	30.80	14.54
5.	मध्य प्रदेश	21.17	–	28.86	13.64	8.72
6.	हरियाणा	–	–	–	–	–
7.	तमिलनाडु	63.28	108.95	72.44	121.72	57.06
8.	उत्तर प्रदेश	41.06	8.24	12.71	89.28	91.63
9.	केरल	14.38	7.78	5.63	10.88	–
10	तेलंगाना	–	11.36	47.40	6.97	7.18
	कुल	193.34	150.24	234.30	299.48	227.89

10.2.5 हथकरघा संगठन

क) हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश)

हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश), राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और अंतर–राज्य स्तरीय हथकरघा विकास निगमों और शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों का राष्ट्र–स्तरीय शीर्ष संगठन है। हथकरघा क्षेत्र में विपणन का समन्वय और संवर्धन करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत आकाश का पंजीकरण जून, 1984 में किया था। एकल निविदा प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के विभागों/अभिकरणों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीदे जाने वाले हथकरघा सामानों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने आकाश की तैनाती नोडल अभिकरण के रुप में की है। आकाश के माध्यम से हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति के लिए विकासआयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हथकरघा निगम और शीर्ष समितियां आकाश के सदस्य हैं। हथकरघा वस्तुओं के संवर्धन और विपणन में भी आकाश सहायता करता है।

एकल निविदा–प्रणाली के अंतर्गत आकाश ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 96.72 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए। वर्ष 2018–19 के दौरान आकाश ने 145.65 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए।

आकाश का यह कार्य भी है कि वह देश के विभिन्न भागों में हथकरघा प्रदर्शनियां आयोजित कर हथकरघा उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को सुकर बनाए।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आकाश ने 31 प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान आकाश ने प्रदर्शनियां/कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है। एचईपीसी का गठन 96 सदस्यों के साथ 1965 में किया गया और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1501 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में है और क्षेत्रिय कार्यालय नई दिल्ली में है।

एचएचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

- तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर तथा हरियाणा में पानीपत में प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र हैं। निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद जैसे कि टेबलमेट्स, प्लेसमेट्स, कशीदाकारी वस्त्र सामग्री, पर्दे, फर्श मैट, किचनवेयर आदि का उत्पादन करूर, मदुरै और कन्नूर में किया जाता है, जबकि पानीपत दरियों और अन्य भारी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है जहां हैंडस्पून यार्न का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा, केरल, वारणासी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संपलपुर जैसे अन्य केंद्र भी हैंडलूम निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान

देते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में व्यापारी निर्यातक हैं जो अपने उत्पादों इन केंद्रों से खरीदते हैं।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के उद्देश्य

परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार–प्रसार,
2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार,
3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक विपणन जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाना,
4. निर्यात–बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना,
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाइन संबंधी निविष्टियां प्रदान करना,
6. व्यापार मिशनों/क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी,
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्शी एवं मार्गदर्शी सेवाएं,
8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ सम्पर्क करना,
9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान,
10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों के साथ आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना।

निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	
		करोड़ रूपये में	यूएस डॉलर में
2013–14	602 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2233.11	369.11
2014–15	460 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2246.48	367.41
2015–16	421 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2353.33	360.02
2016–17	450 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2392.21	357.53
2017–18	463 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2280.18	353.92
2018–19	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1757.96 (अप्रैल से फरवरी, 2019)	253.38 (अप्रैल से फरव. री, 2019)

ग) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)

परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि हथकरघा क्षेत्र को तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप बनाया जा सके। इस समय एनसीटीडी दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यूएससी) के परिसर से कार्य कर रहा है। 2018–19 के दौरान (अक्टूबर, 2018 तक) 859 डिजाइन विकसित किए गए हैं और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जो प्रक्रियाधीन है।

10.3 हस्तशिल्प

आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, की समग्र भारत में मौजूदगी है जिसमें मुख्यतः 06 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और गुवाहाटी में हैं जा मुख्यतया शिल्प–केन्द्रित क्षेत्रों में 60 हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों के कामकाज का समन्वय करते हैं।

कारीगर: अनुमानित हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या 68.86 लाख है, इनमें से 30.25 लाख पुरुष और 38.61 लाख महिला कारीगर हैं।

कारीगरों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा:

महिला	56.13%
पुरुष	43.87%
अनुसूचित जाति	20.8%
अनुसूचित जनजाति	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	52.4%
सामान्य	19.2%

10.3.1 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मेलों में कारीगरों को मिल रहे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्स्पोज़र के अतिरिक्त देश भर में 9 मेगा कलस्टरों की स्थापना और 10 हस्तशिल्प परियोजनाओं के एकीकृत विकास और संवर्धन के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यात के मामले में तेजी से बढ़ रहा है।

मार्च, 2019 तक हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 36798.20 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2017–18 के दौरान निर्यात 32122.20 करोड़ रुपए था।

पिछले पाँच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प उत्पादन और निर्यात

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रूपये में)*	हस्तशिल्प का निर्यात (करोड़ रूपये में)
2013–14	35275	26212.29
2014–15	38249	28524.49
2015–16	41418	31038.52
2016–17	46930	34394.30
2017–18	43137	32122.20
2018–19	49476	36798.20

10.3.2 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित दो स्कीमें क्रियान्वित कर रहा हैं–

क. ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)''

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना)

वर्ष 2017–18 के दौरान हस्तशिल्प कलस्टरों के समग्र रूप से विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने हेतु "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एनएचडीपी) नामक योजना के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत एनएचडीपी के निम्न संघटक हैं–

1. बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों का संगठन (एएचवीवाई)
2. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
3. मानव संसाधन विकास
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान एवं विकास

7. विपणन सहायता एवं सेवाएं

10.3.2.1 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों का संगठन (एएचवीवाई)

इस योजना का उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं परस्पर सहयोग के सिद्धान्त के आधार पर सामुदायिक उद्यम को व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर के रुप में विकसित करते हुए भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। योजना के संघटक निम्न प्रकार से हैं–

i. कारीगरों को स्वावलंबन समूहों (एस एच जी)/ समितियों में संघटित करने हेतु सामुदायिक सशक्तिकरण।

ii. डीपीआर/डीएसआर तैयार करना।

iii. कलस्टर प्रबंधक को वेतन क्षतिपूर्ति सहित परियोजना प्रबंधन लागत।

iv. व्यापक विकास सहायता।

v. कारीगरों की उत्पादक कंपनी का गठन।

इस योजना के तहत, 2018–19 के दौरान 21 कलस्टरों और 50 विभिन्न पहलों को 3.32 करोड़ रुपये तक की मंजूरी दे दी गई है जिससे 54467 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

10.3.2.2 डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

इस योजना का उद्देश्य विदेशी बाजारों के लिए अभिनव डिजाइनों और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनुरुत्थान और विरासत के परिरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल को उन्नत करना है। इस योजना के निम्न संघटक हैं–

i. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला।

ii. एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना।

iii. डिजाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं उद्यमी को सहायता।

iv. डिज़ाइन, ट्रेंड और टेक्निकल कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना।

v. हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र।

vi. औजारों, सुरक्षा उपस्करों, करघों, भट्टियों आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता।

vii. आज की आवश्यकताओं के अनुरूप इस योजना में वेतन क्षतिपूर्ति, कारीगरों के यात्रा भत्ते /दैनिक भत्ते, कार्यक्रम की अवधि आदि में वृद्धि जैसे कुछ बदलाव किए गए हैं।

देशभर के उत्कृष्ट हस्तशिल्प कारीगरों को हस्तशिल्प क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए दिये गए वर्ष 2016 के पुरस्कारों का सारांश–

क्र.सं.	राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र	शिल्प गुरू पुरस्कार विजेता	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता	राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र विजेता
1.	आंध्र प्रदेश	–	01	02
2.	बिहार	–	02	01
3.	छतीसगढ़	–	–	01
4.	दिल्ली	01	02	04
5.	गुजरात	–	02	01
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	01
7.	जम्मू एवं कश्मीर	01	01	–
8.	कर्नाटक	–	03	–
9.	महाराष्ट्र	–	–	01
10.	मणिपुर	–	01	–
11.	ओडिशा	01	02	05
12.	पंजाब	01	01	01
13.	राजस्थान	03	04	06
14.	तमिलनाडु	–	01	01
15.	तेलंगाना	–	01	–
16.	उत्तर प्रदेश	–	02	07
17.	पश्चिम बंगाल	01	02	03
कुल		**08**	**25**	**34**

पुरस्कारः शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय क) पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र नामक हस्तशिल्प पुरस्कार हस्तशिल्प क्षेत्र में देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिये जाने वाले सर्वोच्च हस्तशिल्प पुरस्कारों में से एक हैं।

शिल्प गुरूः शिल्प गुरु पुरस्कार प्रति वर्ष 10 सिद्धहस्त शिल्पियों को प्रदान किये जाते हैं जो हस्तशिल्प की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हों और जिन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया हो। कोई भी हस्तशिल्प कारीगर जो या तो राष्ट्रीय

पुरस्कृत या राज्य पुरस्कृत हो, राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र विजेता हो अथवा जो असाधारण कौशल का ऐसा हस्तशिल्प कारीगर हो जिसने हस्तशिल्प परंपरा के संवर्धन, विकास और परिरक्षण, शिल्प समुदाय के कल्याण में असाधारण योगदान दिय हो जो और अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करता हो। प्रत्येक पुरस्कार में 2.00 लाख रुपए नकद, एक स्वर्ण जड़ित सिक्का, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्र पट्टिका शामिल होती है।

ख) **राष्ट्रीय पुरस्कारः** शिल्प कौशल में उत्कृष्टता बनाए रखने और हमारी पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए सिद्धहस्त शिल्पियों को उनके उत्कृष्ट योगदान और विकास को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष 20 शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में 1.00 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्र पट्टिका शामिल होती है।

ग) **राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र :** राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र पुरस्कार प्रति वर्ष 20 सिद्धहस्त शिल्पियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने हस्तशिल्प उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और पात्रता मानदंडों को पूरा किया हो। प्रत्येक पुरस्कार में 75,000/– नकद और एक प्रमाण पत्र शामिल होता है।

डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत वर्ष 2018–19 के लिए 126 विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं कारीगरों को 5754 टूल किटों के वितरण हेतु 12.20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसके कारण 9724 कारीगर लाभांवित हुए हैं।

10.3.2.3 मानव संसाधन विकास

हस्तशिल्प क्षेत्र को अर्हताप्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास योजना ख्एचआरडी, तैयार की गई है। यह कार्यबल वर्तमान बाजार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में मजबूत उत्पादन आधार तैयार करने में योगदान देगा। यह योजना अपने संघटकों के माध्यम से अपेक्षित इनपुट प्रदान करके हस्तशिल्प हेतु डिजाइनरों के प्रशिक्षित काडर के रूप में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसमें कारीगरों को अपना व्यवसाय सफलता से शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं–

i. प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।

ii. हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम।

iii. गुरु–शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण।

iv. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण।

v. डिज़ाइन मेंटॉरशिप तथा प्रशिक्षु कार्यक्रम।

वर्ष 2018–19 के दौरान 31/03/2019 तक स्वीकृत कार्यक्रमों का विवरणः–

क्र.सं.	योजना का नाम (संघटक)	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित कारीगर
1.	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण	1	200
2.	गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण	–	–
3.	एचटीपी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	206	4120
	सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम	120	2400
4.	प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	–	–
5.	डिजाइन मेंटरशिप तथा प्रशिक्षु कार्यक्रम	–	–
	कुल	**327**	**6720**

मानव संसाधन विकास योजना के तहत 2018–19 के दौरान 327 हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 17.12 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई जिससे 6720 कारीगर लाभांवित हुए हैं।

10.3.2.4 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

इस योजना में कारीगरों आदि के लिए स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, मान्यता, उनके लिए ऋण सुविधाओं के क्षेत्र को बढ़ाने, उनको औजार एवं उपस्कर मुहैया कराने की सुविधा जैसे कल्याबणकारी उपायों की परिकल्पानिा की गई है। इस योजना के मुख्य संघटक निम्न हैं–

1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर जी एस एस बी वाई)
2. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना 'आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई),
3. दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता
4. ऋण गारंटी योजना
5. ब्याज में छूट स्कीम
6. पहचान–पत्र जारी करना और डाटाबेस का निर्माण।

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) [एएबीवाई]

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराना है।

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना के तहत सभी शिल्पीगण पात्र हैं बशर्ते वे समय–समय पर एलआईसी द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत आते हों। लाभभोगियों की मौजूदा आयु 18–59 के बीच होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता का पैटर्न

भारत सरकार का योगदान	290/– रूपए
कारीगरों का योगदान	80/– रुपए
एलआईसी का योगदान	100/– रुपए
कुल प्रीमियम*	470/– रुपए

लाभ एवं शर्तें :

प्राकृतिक मृत्यु	–	0.60 लाख रुपये
दुर्घटना में मृत्यु	–	1.50 लाख रुपये
पूर्ण विकलांगता	–	1.50 लाख रुपये
आंशिक विकलांगता	–	0.75 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त, कक्षा IX से कक्षा XII में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए चार वर्षों के लिए अथवा जब तक कि उनकी कक्षा XII पूरी नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, उनको 1200/– रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चे की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना अधिकतम 02 बच्चों तक प्रतिबंधित है।

मुद्रा ऋण

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने मुद्रा ऋण को संघठित किया है जिससे अब तक पूरे देश के 7294 हस्तशिल्प कारीगरों को लाभ पहुंचा है। 31/03/2019 को मुद्रा ऋण के संबंध में क्षेत्रवार कारीगरों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से हैं –

क्र. सं.	क्षेत्र	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	राशि (लाख रू० में)
1.	मध्य	1180	805.42
2.	दक्षिणी	2253	1220.61
3.	पूर्वी	1310	681.11
4.	उत्तरी	519	339.07
5.	पश्चिमी	1101	602.02
6.	पूर्वोत्तर	931	289.33
कुल		**7294**	**3937.56**

कारीगरों की प्रत्यक्ष लाभ योजना के तहत, 2018–19 के दौरान तक 8.87 करोड़ रूपये स्वीकार किए गए हैं।

10.3.2.5 अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

देश में निकटतम संभावित स्थान पर अपेक्षित प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चे माल के बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करना है और विश्व बाज़ार में मुक़ाबला करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता के साथ–साथ लागत को बढ़ाना है।

अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना के तहत 2018–19 के दौरान 0.74 करोड़ रुपए की राशि के साथ 01 विपणन एवं सोर्सिंग हब स्वीकृत किया गया है।

10.3.2.6 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं के गहन विश्लेषण और महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी सूचना सृजित की जा सके तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किये जाएंगे :

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग/प्रमाणीकरण के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।

3. क्षेत्र/ सेगमेंट की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को तैयार करने, लुप्तप्राय शिल्पों, डिज़ाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन को शामिल करते हुए शिल्पों की सुरक्षा से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिज़्म) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता।

4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना।

5. भौगोलिक संकेतन अधिनियम के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन पर आवश्यक कार्रवाई।

6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित वैश्विक और बार कोडिंग के लिए हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।

7. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं /मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता।

8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर कार्यशालाओं /सेमिनारों का आयोजन।

वर्ष 2018–19 के दौरान 24 वर्कशॉप/ सेमिनार तथा 15 सर्वेक्षण/अध्ययनों के लिए 1.69 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई जिससे 1200 कारीगर लाभांवित हुए हैं।

10.3.2.7 विपणन सहायता एवं सेवाएं

हस्तशिल्प बाजार का संवर्धन करने के उद्देश्य से महानगरों/राज्यों की राजधानियों/पर्यटक एवं वाणिज्यक स्थलों/ अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों को आयोजित करने/भाग लेने के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे देश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्प कारीगरों/ स्वावलंबन समूहों को सीधे विपणन मंच मुहैया होगा।

क. घरेलू विपणन कार्यक्रमः 63 घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किये गये। ये कार्यक्रम कारीगरों को गांधी शिल्प बाजार, शिल्प बाजार, थीमेटिक प्रदर्शनी आदि के माध्यम से घरेलू विपणन अवसरों को मुहैया कराता है। इसमें तोशाली मेला, सूरजकुंड, भारत पर्व आदि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मेले भी शामिल हैं। विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों को उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली हाट आईएनए में 12 स्लॉट आवंटित किए गए हैं जिससे 2018–19 के दौरान 15858 कारीगरों को लाभ पहुंचा।

ख. अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमः 2018–19 के दौरान तक भारत के बाहर 35 अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाग लेने वाले देशों में शामिल हैं चीन (5), जापान (4), हाँग–काँग (3), ऑस्ट्रेलिया (2), जर्मनी (5), तुर्की (1), त्रिनिडाड एंड टोबेगो (1) मलेशिया (2), भूटान (1), डेनमार्क (1), फ्रांस (2), इटली (1), नाइजीरिया (1), फिलीपींस (1), स्वीडन (1), यू.के. (2) तथा यूएसए (1)। इन मेलों में कुल 273 कारीगरों/ निर्यातकों/ प्रदर्शनकारियों/उद्यमियों ने भाग लिया।

ग. जबकि, भारत में उक्त अवधि के दौरान 19 अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 2018–19 के दौरान 289 कारीगर/निर्यातक/प्रदर्शनकारी/उद्यमी लाभांवित हुए।

विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना के तहत, वर्ष 2018–19 के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु 23.54 करोड़ रूपये स्वीकृत

किए गए जिससे 2018–19 के दौरान तक 12075 कारीगर लाभांवित हुए।

10.3.3 व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना)

मेगा कलस्टर अप्रोच उन हस्तशिल्प कलस्टरों में अवसंरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने का एक अभियान है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं अवसंरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए श्रेष्ठ मार्किट सृजित करने हेतु मूल सिद्धांत के रुप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त नव परिवर्तित विनिर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी भी अपेक्षित है। प्रस्तावित कार्यक्रम विपणन लिंकेजे और उत्पाद विविधीकरण के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करता है।

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एनएचडीपी द्वारा ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करना संशोधित रणनीति का प्रतीक है। साथ ही साथ प्राथमिक उत्पादकों की सहायता करना, डिज़ाइन में मदद करना तथा कारीगरों को प्रशिक्षण देने और विपणन सहायता का भी प्रावधान रखा गया है।

क) नरसापुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर–भदोही, श्रीनगर, जोधपुर, बरेली, लखनऊ, कच्छ और जम्मू एवं कश्मीर में 09 हस्तशिल्प मेगा कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं और अब तक 198.15 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

ख) उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक और तेलंगाना में 10 एकीकृत विकास एवं संवर्धन हस्तशिल्प परियोजना (विशेष परियोजनाएं) स्वीकृत की गई है और इनके लिए अभी तक 81.05 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

ग) **'लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म'** के तहत ओडिशा में रघुराजपुर तथा आंध्र प्रदेश में तिरुपति को पर्यटन स्थल के रूप में समग्र विकास हेतु चुना गया है। अभी तक रघुराजपुर शिल्प ग्राम के लिए 6.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और तिरुपति शिल्प ग्राम के लिए 4.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1) 19 फरवरी, 2018 से 24 फरवरी, 2018 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण वर्ष को समर्पित 99 हस्तकला सहयोग शिविरों का आयोजन। इन शिविरों के दौरान देश भर में निम्नलिखित गतिविधियां आरंभ की गईः–

- 26246 कारीगरों ने सहयोग शिविरों में भाग लिया।
- मुद्रा ऋण के तहत 3134 नामांकित हुए और उनमें से 158.60 लाख रु० की राशि के 387 मुद्रा ऋण स्वीकृत हुए।
- पहचान कार्ड के लिए 11309 नामांकित हुए और 10826 कार्ड वितरित किए गए।
- 2150 टूल किट वितरित किए गए।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के सहयोग से हस्तशिल्प कारीगरों और अनुसूचित जाति के कारीगरों के बच्चों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में 263 आवेदन प्राप्त हुए।

- इग्नू के लिए 459 आवेदन प्राप्त हुए।
- 327 विपणन गतिविधियां आयोजित की गई।

17 मार्च, 2018 को तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित किया गया, श्री किरण रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार ने समारोह की शोभा बढ़ाई और हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान पत्रऔर उन्नत टूल किट वितरित किए। शिविर के दौरान कुल 103 हस्तशिल्प कारीगरों ने भाग लिया।

श्री किरन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार नें समारोह की शोभा बढ़ाई और हस्तशिल्प कारीगरों को उन्नत टूल किट वितरित किए।

2) 12 मार्च, 2018 को टीएफ़सी, वाराणसी में माननीय प्रधान मंत्री तथा फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के संबंध में कारीगरों के लाभ के लिए 10 से 15 मार्च, 2018 को एक विशेष विपणन कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक शिल्प प्रदर्शनी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

3) बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तथ महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले की जयंती मनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 11 से17 अप्रैल, 2018 तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कारीगरों के लिए 24 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे लगभग 1000 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कारीगर लाभान्वित हुए।

4) हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के संवर्धन के लिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग हेतु **केंद्रीय वस्त्र एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की अध्यक्षता में वस्त्र राज्य मंत्री, श्री अजय टम्टा** और सचिव (वस्त्र), श्री अनंत कुमार सिंह की उपस्थिति में 26 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में राज्य वस्त्र मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य मंत्रियों सहित वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा विकास आयुक्त हथकरघा एवं हस्तशिल्प भी उपस्थित थे।

5) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत मुद्रा ऋण (2018–19 से 2019–20 तक के लिए) के अधीन स्थायी वित्त समिति (एसएफ़सी) नोट के एक नए घटक मार्जिन मनी का अनुमोदन किया गया।

6) रायपुर (छत्तीसगढ़) में वर्ष 2016 के लिए 14 सितंबर, 2018 को माननीय वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 08 शिल्प गुरु तथा 25 राष्ट्रीय पुरस्कार (नौ महिला कारीगरों सहित) हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए गए।

छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वस्त्र मंत्री 14 सितंबर, 2018 को शिल्प गुरू एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की कलाकृतियों को निहारते हुए।

छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, माननीय वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में रायपुर (छत्तीसगढ़) में वर्ष 2016 हेतु 14 सितंबर, 2018 को श्री अर्जुन प्रजापति, शिल्प गुरू को पुरस्कार प्रदान करते हुए।

छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, माननीय वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में रायपुर (छत्तीसगढ़) में वर्ष 2016 हेतु 14 सितंबर, 2018 को श्रीमती ममता देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए।

छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी के साथ शिल्प गुरुओं तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का सामूहिक फोटोग्राफ।

10.3.4 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के तत्वाधान में परिषदों की गतिविधियां

i. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

वर्ष 2018–19 (अप्रैल–सितंबर) के दौरान ईपीसीएच द्वारा हस्तशिल्प के संवर्धन, विकास तथा निर्यात वृद्धि हेतु की जा रही गतिविधियों के संबंध में सूचना तथा निष्पादन सामग्री का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) निर्यातक सदस्यों के साथ भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों में सहभागिता

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेले का नाम अवधि	शहर/देश	
1.	होम एक्स्पो इंडिया 2018	16–18 अप्रैल, 2018	ग्रेटर नोएडा, इंडिया
2.	हाँग काँग हाउस वेयर फेयर	20–23 अप्रैल, 2018	हाँग काँग, चीन
3.	हाँग काँग टेक्सटाइल शो	20–23 अप्रैल, 2018	हाँग काँग, चीन
4.	फेम–मनीला	19–21 अप्रैल, 2018	मनीला–फिलीपींस
5.	हाँग काँग गिफ्ट एंड प्रीमियम	27–30 अप्रैल, 2018	हाँग काँग, चीन
6.	यीवू इंपोर्टेड कोमोडिटी फेयर	06–09 मई, 2018	यीवू, चीन
7.	ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल	09–17 जून, 2018	क्वालालांपुर, मलेशिया
8.	अंबिएंटे इंडिया	27–29 जून, 2018	नई दिल्ली, इंडिया
9.	एचजीएच इंडिया	2–4 जुलाई, 2018	मुंबई, इंडिया
10.	इंडियन फैशन ज्वेलरी शो	16–18 जुलाई, 2018	ग्रेटर नोएडा, इंडिया
11.	गिफ्टेक्स वर्ल्ड	4–6 जुलाई, 2018	टोक्यो, जापान
12.	इंडिया इन्टरनेशनल होस्पिटेलिटी एक्स्पो	8–11 अगस्त, 2018	ग्रेटर नोएडा, इंडिया
13.	इंडिया इन्टरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर	17–27 अगस्त, 2018	ग्रेटर नोएडा, इंडिया
14.	इंडिया होम फर्नीशिंग फेयर	18–20 जुलाई, 2018	ओसाका, जापान
15.	डेकोर एंड डिजाइन	19–22 जुलाई, 2018	मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया
16.	डबल्यूबीएमएसएमई कोंक्लेव	20–21 अगस्त, 2018	कोलकाता,पश्चिम बंगाल
17.	ओटम फेयर इंटरनेशनल	2–5 सितंबर, 2018	बर्मिंघम, यूके
18.	मेसियन एंड ओब्जेट	7–11 सितंबर, 2018	पेरिस, फ्रांस
19.	एशिया फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज शो	12–15 सितंबर, 2018	हाँग काँग, चीन
20.	इंडेक्स–इंटरनेशनल डिजाइन एक्जिबिशन	16–18 सितंबर, 2018	दुबई, यूएई
21.	इंडिया ट्रेंड फेयर	19–21 सितंबर, 2018	टोक्यो, जापान

ii. विदेशों में रोड शो/संवर्धनात्मक अभियान

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेले का नाम	अवधि	शहरध्देश
1.	ईपीसीएच रोड शो	20–23 अप्रैल, 2018	हाँग काँग, चीन
2.	ईपीसीएच रोड शो	23–27 अप्रैल, 2018	गुयांगझौ, चीन
3.	ईपीसीएच रोड शो	27–30 अप्रैल, 2018	हाँग काँग, चीन
4.	डलास टेम्प शो	21–24 जून, 2018	डलास, यूएसए
5.	अटलांटा इन्टरनेशनल गिफ्ट्स एंड होम फर्नीशिंग मार्केट	11–15 जुलाई, 2018	अटलांटा, यूएसए
6.	होमी मिलानो	14–17 सितंबर, 2018	मिलान, इटली
7.	स्पोगा़ गाफा	2–4 सितंबर, 2018	कॉलॉन, जर्मनी

iii. कार्यशाला/सेमिनार/जागरूकता कार्यक्रम आदि

मध्य क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र
12	14	18	14	16	19

iv. भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शो

क्र.सं.	प्रदर्शनीध्मेले का नाम	अवधि	शहरध्देश
1.	होम एक्स्पो इंडिया, 2018	16–18 अप्रैल, 2018	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
2.	इंडियन फैशन ज्वेलरी शो	16–18 जुलाई, 2018	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

v. अक्तूबर, 2018 से मार्च, 2019 तक संचालित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियां :

- आईएचजीएफ दिल्ली मेला– शरद, 2018 14–18 अक्तूबर, 2018 से निर्धारित
- आईएचजीएफ दिल्ली मेला– बसंत, 2019 18–22 फरवरी, 2019 से निर्धारित
- हाँग काँग, नाइजीरिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, तुर्की, ब्राजील और चिली में 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/रुमेलों में निर्यातक सदस्य के साथ भागीदारी प्रस्तावित है।
- हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर भारत में 100 कार्यशालाएँ संचालित किए जाने हेतु प्रस्तावित है।
- हस्तशिल्प उत्पादों और नूतन विकसित उत्पादों की श्रेणियों के संवर्धन के लिए फिलीपींस, हाँग काँग, जर्मनी, इटली और फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 8 प्रचार बूथ स्थापित किए जाएंगे।

vi. पूर्वोत्तर क्षेत्र से हस्तशिल्प का केन्द्रित संवर्धन (अप्रैल-अक्तूबर, 2018):

- अप्रैल–अक्तूबर, 2018 के दौरान 06 क्षमता वर्धन कार्यक्रम संचालित किए गए।300 कारीगरोंध्उद्यमियों ने इन जागरूकता सेमिनारों में भाग लिया।इसके अलावा, अक्तूबर 2018 – मार्च, 2019 के दौरान 12 ऐसे सेमिनार संचालित किए जाएंगे और 600 कारीगरों/उद्यमियों को कवर किया जाएगा।
- सेमिनार आयोजित करके ईपीसीएच ने कवर न किए गए और दूर–दराज वाले अधिकांश क्षेत्र को कवर कर लिया है जहां सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों

में रहने वाले कारीगर रहते हैं। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) से प्राप्त वित्तीय सहायता से सेमिनार संचालित किए गए ताकि कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उनके कौशल प्रदर्शन की संभावनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

- ईपीसीएच ने आईएआरआई (मेला ग्राउंड), पूसा, नई दिल्ली में 16–18 मार्च, 2018 तक कृषि उन्नति मेले में भाग लिया। मेले में पूर्वोत्तर क्षेत्र के हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।
- 24 प्रदर्शकों अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों और उद्यमियों ने आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में 16–18 अप्रैल, 2018 तक संचालित होम एक्स्पो–2018 में भाग लिया। इससे उन्हें हस्तशिल्पों के निर्यात बाजार को एक्सप्लोर करने का अवसर प्रदान किया गया।
- 03 प्रदर्शकों अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों और उद्यमियों ने गुवाहाटी, असम में 03–05 मई, 2018 तक संचालित वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018 में भाग लिया। इससे उन्हें हस्तशिल्पों के निर्यात बाजार को एक्सप्लोर करने का अवसर प्रदान किया गया।
- 14 प्रदर्शकों अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों और उद्यमियों ने आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में 16–18 जुलाई, 2018 तक संचालित इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज शो (आईएफजेएएस) में भाग लिया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के 21 प्रदर्शकों ने आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में 14–18 अक्तूबर, 2018 तक संचालित आईएचजीएफ दिल्ली मेला–शरद, 2018 में भाग लिया।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा समर्थित ईपीसीएच ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के 08 (आठ) हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों में सामाजिक अनुपालन डेस्क स्थापित किए हैं जिससे स्थानीय प्राथमिक उत्पादकों को लाभ पहुँच रहा है।

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, होम एक्स पो इंडिया 2018 के 7वें कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए रिबन काटते हुए।

श्री ओ.पी.प्रहलदका, अध्यहक्ष, ईपीसीएच, श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष–आईईएमएन और ईडी–ईपीसीएच, श्री पंकज सिंह, बीजेपी के महासचिव और एमएलए, नौएडा, श्री सतादेव पचौरी, माननीय खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उ.प्र. सरकार, डा. महेश शर्मा, माननीय संस्कृकति राज्यह मंत्री (स्वीतंत्र प्रभार), श्री एचकेएल मगु, अध्यहक्ष, एईपीसी, आईएफजेएएस के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रज्जवलित लैंप के साथ

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय वस्त्रे मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, होम एक्सपो इंडिया 2018 के 7वें आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करती हई।

ii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

वर्ष 2018–19 (अप्रैल–सितंबर, 2018) के लिए परिषद की गतिविधियां

1. 2,695 की सदस्यता (सितंबर, 2018 तक)।
2. भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों का निर्यात

वर्ष	यूएस मिलियन डॉलर में निर्यात	करोड़ रुपए में निर्यात
2015–16	1,448.24	9,481.36
2016–17	1,491.22	10,001.90
2017–18	1427.70	9205.90
2018–19 (अप्रैल–अगस्त 2018) अनंतिम	582.66	4001.71

3. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा वर्ष 2018–19 (सितंबर, 2018 तक) के दौरान आरंभ की गई गतिविधियां:

क्र.सं.	गतिविधि	अप्रैल-सितंबर, 2018 संख्या
1.	जारी किए गए कालीन लेबल	2,09,880
2.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	6
3.	घरेलू कार्यक्रम	8

आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम:

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां:

1. 9 सदस्य–निर्यातकों के साथ **20–23 अप्रैल, 2018 तक हाँग काँग इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड फर्नीशिंग फेयर** में भागीदारी की। सीईपीसी ने भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों के थीमेटिक प्रोजेक्शन के लिए एक पेवेलियन स्थापित किया।

2. 61 सदस्य निर्यातकों के साथ **02–06 जून, 2018 तक इंटरनेशनल कार्पेट एक्जिबिशन, चीन (किंघई), 2018** में भागीदारी की।

एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्री रत्नेश कुमार झा, अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, श्री महावीर प्रताप शर्मा, अध्यक्ष, सीईपीसी और श्री संजय कुमार, कार्यकारी निदेशक, सीईपीसी शामिल थे, ने भी शो का दौरा किया।

3. 10 सदस्य निर्यातकों के साथ 19–22 जुलाई, 2018 तक ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर, मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) में भागीदारी की।

4. 06 सदस्य निर्यातकों के साथ 27–30 अगस्त, 2018 तक इंटर टेक्सचर शंघाई होम टेक्सटाइल, 2018 शंघाई, (चीन) में भागीदारी की।

5. 08 सदस्य निर्यातकों के साथ 11–13 सितंबर, 2018 तक हाउस होल्ड एक्स्पो, मॉस्को, रूस में भागीदारी की।

6. 09 सदस्य निर्यातकों के साथ 16–18 सितंबर, 2018 तक इंडेक्स डिजाइन सीरीज़, दुबई (यूएई) में भागीदारी सुनिश्चित की।

घरेलू गतिविधियां:

I. 10 अप्रैल, 2018 को वाराणसी में और 11 अप्रैल, 2018 को भदोही, उत्तर प्रदेश में जीएसटी धनवापसी एवं अनुपालन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हस्तनिर्मित कालीनों के विकास एवं संवर्धन पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन।

II. 11 से 12 मई, 2018 तक गंगटोक (सिक्किम) में सिक्किम के हस्तनिर्मित कालीन निर्माताओं को विपणन लिंकेजेस की समझ एवं संवर्धन पर सेमिनार का आयोजन।

III. 23 जुलाई, 2018 को धिरोडा (अलवर) में "राजस्थान से निर्यात क्षमता तथा कालीन निर्यात का संवर्धन करने की रणनीतियाँ" पर सेमिनार का आयोजन।

IV. 1 अगस्त, 2018 को पानीपत में पानीपत निर्यातक संघ के साथ जीएसटी एवं आरओएसएल पर पारस्परिक चर्चा का आयोजन।

V. 6 अगस्त, 2018 को भदोही (उत्तर प्रदेश) में "गंगा बेसिन राज्यों में वस्त्र उद्योग में जल के पुनः उपयोग और प्रदूषण की रोकथाम के लिए ड्राफ्ट चौप्टर" पर सेमिनार का आयोजन।

VI. 17 सितंबर, 2018 को भदोही एवं मिर्ज़ापुर में माननीय प्रधान मंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर मुफ्त मेडिकल स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन।

VII. 20 सितंबर, 2018 को एसएमएस कन्वेन्शन सेंटर, रामबाग, जयपुर में श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के साथ जयपुर आधारित कालीन, हस्तशिल्प, अपैरल एवं टेक्सटाइल के निर्यातक संघ का संवाद सत्र का आयोजन।

VIII. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की मानव संसाधन योजना के तहत डालटनगंज (झारखंड), मणिपुर, गंगटोक (सिक्किम), कुरनूल (आंध्र प्रदेश), मधुबनी (बिहार), धिरोडा, अलवर (राजस्थान) और आगरा (उत्तर प्रदेश) में हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया गया।

iii. हस्तशिल्प विकास निगमों का परिषद (कोहाण्ड्स)

हस्तशिल्प विकास निगमों का परिषद (कोहाण ड्स), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 29 राज्य सरकार के हस्तशिल्प विकास निगमों का एक पंजीकृत संघीय निकाय है। हस्तशिल्प के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने में लगे जमीनी स्तर के संगठनों की सहायता में यह सक्रिय रूप से शामिल है।

हाल के दिनों में कोहाण्ड्स ने उचित डिजाइनों एवं तकनीकी इंटरवेंशनों के माध्यम से कारीगरों के कौशल संवर्धन के लिए अच्छी संख्या में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किए हैं ताकि उन्हें तेजी से बदलते बाज़ार पूर्वानुमानों का सामना करने के लिए अभिनव तथा मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने में समर्थ बनाया जा सके।

जमीनी स्तर के संगठनों, एनजीओ, स्वं–सहायता समूह, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और छोटे उद्यमी जो हस्तशिल्प और संबद्ध शिल्पों में संलग्न हैं, की सहायता करना शामिल है। व्यापार के सभी पहलुओं को प्रभावित करना, कोहाण्ड्स का प्राथमिक महत्व है, लेकिन यह व्यापार में सीधे शामिल नहीं होता है। यह व्यापार के लिए आवश्यक

गति, बल और दिशा प्रदान करता है और उत्प्रेरक तत्वों को सक्रिय करने में भी मदद करता है तथा जो सभी हितधारकों के लिए एक सकारात्मक और निष्पक्ष स्तर का मंच प्रदान करते हुए व्यापार को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव प्रमुख रूप से कारीगरों और शिल्पियों पर स्पष्ट दिखता है।

प्रमुख उद्देश्यः

- सामान्य रूप से विभिन्न हस्तशिल्प विकास निगमों, सदस्य संगठनों और हस्तशिल्प क्षेत्र के साझा हितों को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और विकसित करना।
- हस्तशिल्प क्षेत्र के विभिन्न घटकों के बीच बेहतर समन्वय, सहयोग, संयुक्त भागीदारी, संबंध और समझ विकसित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन, संचालन और/अथवा भाग लेना।
- हस्तशिल्प से संबंधित जानकारी के संकलन और आदान दृप्रदान में भारत और विदेश में विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।
- अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना, शोध परियोजनाओं और यांत्रिक आविष्कारों, हस्तशिल्प से जुड़े डिजाइन के उपकरणों का संग्रह करना।
- विभिन्न देशों में अध्ययन दल को प्रायोजित करने और/अथवा सीधा संपर्क स्थापित तथा विकसित करने के लिए भारत अथवा भारत से बाहर के व्यापारिक प्रतिनिधियों या व्यापार संगठनों, संघों और विदेशों के चेंबर्स के साथ प्रत्यक्ष संपर्क विकसित करना और संबंध स्थापित करना।

वर्ष 2018-19 (1 अप्रैल, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक) के लिए गतिविधियां

❖ 16 से 18 अप्रैल, 2018 तक इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट, एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में होम एक्स्पो इंडिया 2018 में भागीदारी।

❖ 25 मई से 24 जून, 2018 तक इन्दिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स तथा 7 से 12 अगस्त, 2018 तक टीडीआई मॉल, राजौरी गार्डन में कारीगरों के लाभ के लिए **विशेष थीमेटिक हस्तशिल्प प्रदर्शनी** का आयोजन।

- 27 से 29 जून, 2018 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सम्पूर्ण भारत से आए व्यापारी आगंतुकों की ओर लक्ष्यांकित होम एंड डेकोर उद्योग हेतु प्रमुख व्यापार मेले **अंबिएंट इंडिया** में भागीदारी।

- 01/06/2018 से 10/06/2018 तक शिल्प संग्रहालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में तथा 14 से 23 जून, 2018 तक सलीम चिश्ती दरगाह, फ़तेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में देश के विभिन्न भागों से आए कारीगरों के लाभ के लिए **गांधी शिल्प बाज़ार** का आयोजन।
- 3 से 5 जुलाई, 2018 तक बॉम्बे एक्जिबिशन सेंटर, मुंबई में **होम डेकोर गिफ्ट्स हाउसवेयर इंडिया, 2018** में भागीदारी।
- हार्डबाउंड बुक, सॉफ्टबाउंड बुक और लीफ़लेट आदि के माध्यम से **'पंखा'** के लिए प्रचार शुरू करना।
- फील्ड फोर्मेशन द्वारा कलस्टरों के अभिग्रहण पर 12 एवं 13 जून, 2018 तक राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, नई दिल्ली में 2 दिवसीय **ओरिएंटेशन कार्यक्रम/कार्यशाला** का आयोजन।
- 09 और 10 जून, 2018 और 20 और 21 जून, 2018 तक शिल्प संग्रहालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में तथा 11 एवं 12 अगस्त, 2018 तक टीएफ़सी वाराणसी में **शिल्प जागरूकता कार्यक्रम** का आयोजन।
- मानव संसाधन विकास योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में **गुरू शिष्य परंपरा** के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

- ❖ **वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश** के शिल्पों के बारे में लघु फिल्में तैयार करना।
- ❖ अनुसूचित जाति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों पर केन्द्रित टेक्सटाइल क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की 7 वीडियो फिल्में/ क्लिपिंग तैयार करना।

परिषद द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- ❖ कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ देने की योजना के तहत आवेदनों का संग्रहण, आवेदनों का मान्यकरण और कारीगरों को पहचान पत्रों का वितरण।
- ❖ **बाबा साहेब अंबेडकर जयंती** के अवसर पर 13 से 19 अप्रैल, 2018 तक नई दिल्ली, चंडीगढ़, जोधपुर, जयपुर, रेवाड़ी, कानपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, देहारादून, लखनऊ, मधुबनी, पटना, सूरत, पुणे, नागपुर, कच्छ, भोपाल, ग्वालियर, बड़ौदा, अहमदाबाद, जबलपुर तथा बंगलौर में देश के विभिन्न भागों के अनुसूचित जाति कारीगरों के लाभ के लिए **24 विशेष विपणन** कार्यक्रमों का आयोजन।
- ❖ रायपुर, छत्तीसगढ़ में 14 सितंबर, 2018 को वर्ष 2016 के लिए **सिद्धहस्तशिल्पियों को शिल्प गुरू एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने** हेतु प्रबंध करना।

iv. भारतीय कालीन प्रोद्यौगिकी संस्थान – भदोही

भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईसीटी के नाम से लोकप्रिय, की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1998 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रुप में की गई। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्ष 2001 में बी–टेक (कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी) डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत से कार्य करना आरम्भ किया, यह बी–टेक डिग्री कार्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा डिग्री कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 20 छात्रों से की गई थी और बाद में यह संख्या 60 तक पहुंच गई।

आई आई सी टी की गुणवत्ता नीति

- हमारे विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराना जिससे कि पणधारियों की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए सतत आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना।
- उद्योगों एवं अन्य सभी पणधारियों को सभी पोर्टफालियों में समय पर और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना।

संस्थान के प्रोफाइल का प्रदर्शन

1. मानव संसाधन विकास (एच आर डी)

- ➢ **कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी–टेक कार्यक्रम**
- **बी–टेक** कार्यक्रम में कुल 228 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
- 431 विद्यार्थी इस उद्योग में कार्यरत हैं जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटीआईई, आईएसएम, आईआईएम, निफ्ट आदि में उच्च शिक्षा शामिल है।

➢ **भविष्य की योजनाः** भविष्य में 20 छात्रों के साथ कालीन एवं वस्त्र प्रबंधन में एम.टेक आरंभ करने तथा आईआईसीटी में वस्त्र के प्री पीएचडी कोर्स को कवर करते हुए पीएचडी

कार्यक्रम को शामिल करने की योजना का मसौदा तैयार किया गया है। अधिक प्रयोगशालाओं का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि वे उन्नत एवं नव गतिविधियों जैसे उन्नत कालीन एवं होम टेक्सटाइल निर्माण, फैशन/स्टाइल/टेक्सचर, डिजाइन, सूचना प्रोद्यौगिकी ईडीपी, व्यक्तित्व विकास/ अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषा को शामिल करते हुए भाषा कौशल को कवर कर सकें।

इस प्रयास में आईआईसीटी को पुनः स्थापित करने हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। फेस प्प् विस्तारण के लिए डीपीआर भी प्रस्तुत किया गया है।

➢ **परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण**

- 3500 से अधिक प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है जिसमें डिजाइनिंग एवं तकनीकी विकास, कालीन बुनाई एवं सॉफ्ट स्किल, शिल्प जागरूकता, सूचना प्रोद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कुछ प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा फ्रीलान्सिंग के अलावा, प्रशिक्षित डिजाइनरों की एक बड़ी संख्या उद्योग की सेवा में लगी हुई हैं। अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को कोंट्रेक्टर द्वारा नियोजित किए जाने के अलावा स्व रोजगार भी व्याप्त है।

➢ **अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति कार्यक्रम (आई डी एल पी)**

- उद्योग चालित विशेष पाठ्यक्रम और आईडीएलपी पैकेजे।

- ए जी रिसर्च लि०, न्यूज़ीलैंड के सहयोग से आईआईसीटी द्वारा संचालित आईडीएलपी के माध्यम से 6000/– रुपये प्रति विषय की दर से फीस देकर अपने वांछित विषय (यों) पर अपने प्रतिनिधि (यों) को नामांकित करके उद्योग लाभ उठा सकता है।

➢ **लघु अवधि पाठ्यक्रमः समय-समय पर तदुनुकूल उद्योग संचालित लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।**

➢ **एमईएस आधारितः कालीन निर्माण में कंप्यूटर एवं आईटी का अनुप्रयोग।** सीएडी, कालीन यार्न डाइंग, कालीन बुनाई, ऊनी धागों की कताई, कालीन की धुलाई एवं फिनिशिंग का उपयोग करते हुए कालीन एवं वस्त्र डिजाइन। कौशल अंतर को भरने के लिए अभी तक 5000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2. डिजाइन सृजन एवं विकास (डीसीडी)

डिजाइन बैंक विकसित किए गए है – 15000 से अधिक डिजाइन विकसित किए गए हैं जिनमें से 3500 डिजाइनों का उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जा चुका है। विभिन्न डिजाइन बैंकों में पारंपरिक भारतीय मोटिफ (जैसेः हड़प्पा, अजंता, मुगल, रंगोली, जयपुरी, फुलकारी, कांथा, पैठनी, कलमकारी, बनारसी, जामवार आदि), ट्रेंड के अनुसार आधुनिक मोटिफ शामिल हैं।

3. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

उत्पाद विकास– संस्थान अथवा सहयोग के स्तर पर कई उत्पाद विकास क्रियाकलाप किए गए जिनमें शामिल है– कॉयर आधारित कालीन, सिल्क कालीन, ईरी सिल्क कालीन, मॉडएक्रेलिक आधारित कालीन, हाथ से बुने एस्ट्रोटरफ किस्म के कालीन, प्राकृतिक फाइबर आधारित कालीन, प्राकृतिक डाइंग, ऑरगेनिक उत्पाद, पॉलिएस्टर शेगी का विकल्प, भुजबन उपयोगिता, वर्टिकल ब्लाइंड, कॉयर पेपर और कॉयर सिल्क।

कॉयर सिल्क के लिए सीसीआरआई एलेप्पी, केरल कॉयर बोर्ड, कोच्चि द्वारा समर्थित एक अन्य क्रांतिकारी अनुसंधान जारी है। प्रतिष्ठित रायन निर्माता कंपनी (ग्रासिम एंड सेंचुरी रायन) के साथ वाणिज्यिक स्तर परीक्षण शुरू किए गए हैं। मूल्य वर्धन से देश के नारियल उत्पादन के सघन राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु में नारियल उत्पादकों को लाभ होगा और कॉयर पेपर एवं कॉयर सिल्क उत्पादन के लिए औद्यौगीकरण को सहायता मिलेगी। मेक इन इंडिया मिशन को पूरक करने हेतु एक मालिकाना कदम ताकि उद्योग आगे आएं और एक्सप्लोर करें।

- एरगोनोमिक एंड फलैक्सिबल टफ्टिंग फ्रेम की संकल्पना
- हैंड नोटेड एंड तिब्बतन, शेगी, सौमक आदि के लिए क्रॉस बार हॉरिजॉन्टल लूम सीबीएचएल (वुडन या मैटेलिक)
- इंडियन (भारतीय) नॉटः आईआईसीटी का स्वामित्व जिसमें लूम में सेमी नोटिंग अनुमत है, मेक इन इंडिया मिशन को पूरा करने हेतु एक मालिकाना कदम ताकि उद्योग आगे आएं और एक्सप्लोर करें।
- स्नेहआभा कालीन बेकिंग प्रणालीः पॉलीमर बेकिंग तकनीक, हल्का, धोने योग्य। इसकी विशेषताएं और व्यवहार्यता कार्पेट ई वर्ल्ड जैसे प्रकाशनों में प्रकाशित की गई है।
- एक अन्य टेरी लेनो संरचनाः मेक इन इंडिया का मालिकाना कदम ताकि एक नया/किफायती कालीन टेरी प्रणाली प्रदान की जा सके।
- इस आर एंड डी संकल्पना का लाभ कालीन एवं होम टेक्सटाइल द्वारा उठाया जा सकता है जिसमें मुख्यतः टावल उद्योग शामिल है ताकि वे अपने बाज़ार/बाज़ार हिस्से/निष्पादन में वृद्धि कर सकें।

4. उद्योग को तकनीकी सहायता (टीएसआई)

- संस्थान अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे सीएडी लैब, डिज़ाइन स्टूडियो, फिज़िकल एवं कैमिकल लैब और कारपेट लैब आदि के माध्यम से उद्योग को निरन्तर सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे ग्लोबल मार्किट के साथ मुकाबला करने की उनकी ज़रुरतों को पूरा किया जा सके।
- आई आई सी टी प्रयोगशालाएं, एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं अतः परीक्षण रिपोर्टें अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है।
- **"कालीन बन्धु"** – उद्योग के लिए मंच– आई आई सी टी इंटरफेस इंटरेक्टिव कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रही है।

रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफ़डी) अनुपालन : संस्थान ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी), अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), डिजाइन निर्माण एवं विकास (डीसीडी), तकनीकी सहायता एवं सेवाएँ (टीएसआई) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रशासनिक गतिविधियों के लिए 98% अंक प्राप्त किए हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आईआईसीटी सरकार द्वारा दी गई पणधारकों की लक्ष्यांकित आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

वर्ष की मुख्य उपलब्धियां –

- कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठकें दिनांक 25/07/2018, 03/04/2018, 01/11/2017, 04/07/2017 और दिनांक 25/07/2018, 04/07/2017 को आयोजित की गई वार्षिक आम बैठक

(एजीएम) 25.07.2018 और 04.072017 को आयोजित की गई।

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी ने आईआईसीटी के पिपरिस कैंपस में निर्माण एवं विकास कार्य आरंभ किया है।
- प्रो० (डॉ०) के के गोस्वामी, पूर्व निदेशक, आईआईसीटी– बुकः अडवांसेस इन कार्पेट मेनुफ़ेक्चर द्वितीय संस्करण, एल्सेविएर प्रकाशन।
- आईआईसीटी के विभिन्न संकायों ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया और विभिन्न मंचों जैसे एनआईटीटीटीआर, कोलकाता, एनआईएमआई, चेन्नई, यूपीटीटीआई, कानपुर, बीएचयू, वाराणसी आदि में आईआईसीटी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।
- संस्थान में विभिन्न कार्यशालाएं जैसे भारतीय मोटिफ के पारंपरिक पहलू के साथ हस्तनिर्मित कालीन में डिजाइन परियोजना, दरी शिल्प में से स्थान दिया है।

भारतीय डिजाइन, भारतीय टफटेड कालीन डिजाइन शिल्प, शिल्प के संदर्भ में संवाद योग्यता आदि सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

- श्री राघवेंद्र सिंह, आईएएस, सचिव (वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), अध्यक्ष, आईआईसीटी, माननीय संसद सदस्य, भदोही एवं अन्यों के साथ संस्थान का दौरा किया गया और उनके द्वारा दिए गए निदेशों/ सुझावों का संस्थान द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।
- आईआईसीटी, भदोही का बीएचयू, वाराणसी के साथ विलयन गतिविधि पर माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा विचार किया जा रहा है और मामला प्रक्रियाधीन है।

संस्थान इस क्षेत्र की लंबे समय से लंबित तकनीकी विशेषज्ञों की मांग को अपने बी टेक टेक्नोक्रेट्स के माध्यम से पूरा करने में सक्षम हो गया है। उद्योग भी आगे आया है और इन टेक्नोक्रट्स को अपने संगठन में उपयुक्त रूप

श्री राघवेंद्र सिंह, सचिव (वस्त्र), माननीय संसद सदस्य, भदोही, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), अध्यक्ष,

सीईपीसी तथा अन्यों के साथ दिनांक 02/09/2018 को आईआईसीटी का दौरा करते हुए।

श्री राघवेंद्र सिंह, आईएएस, सचिव (वस्त्र), श्री शांतमनु, आईएएस, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), अध्यक्ष, सीईपीसी तथा अन्यों के साथ दिनांक 02.09.2018 को आईआईसीटी का दौरा करते हुए।

श्री शांतमनु, आईएएस, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), श्री राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक प्रभारी, आईआईसीटी,

डीएम, भदोही, पूर्व निदेशक, आईआईसीटी प्रो० डा. के के गोस्वामी एवं अन्यों की उपस्थिति में दिनांक 11/08/2018 को दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

IX. धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र

धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र (एम एच एस सी), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करता है और इसका संचालन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन और व्यापार एवं संबंधित संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए गठित शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

केन्द्र का उद्देश्य

1. कलात्मक धातुपात्रों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाना और उनकी निर्यात योग्यता को बढ़ाना।
2. शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और कलात्मक धातुपात्र उद्योग से जुड़ी तकनीकों को मुहैया कराना।
3. हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिशिंग में सुधार लाने में निर्यातकों की मदद हेतु **सामान्य सुविधा केन्द्र** (सीएफसी) की स्थापना।
4. एनएबीएल द्वारा एक्रेडिटिड अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं के संबंध में परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
5. मेटल फिनिशिंग तथा धातु हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े क्रियाकलापों के क्षेत्र में सतत **अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)** मुहैया कराना।

01 अप्रैल, 2018 से नवंबर, 2018 तक की उपलब्धियां

1. 01 अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2018 तक सीएफसी से एमएचएससी ने 83.94 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया।
2. 01 अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2018 तक आरटीसी प्रयोगशाला से एमएचएससी ने 19.66 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया।

सीएफसी एवं आरटीसी प्रयोगशाला से अर्जित कुल राजस्व 103.96 लाख रुपए है। केंद्र में उपलब्ध डाटा दर्शाता है कि उपर्युक्त सीएफसी एवं आरटीसीएल से लगभग 860 निर्यातकों, विनिर्माताओं, खरीददारोंध्खरीद एजेंटों और मुरादाबाद एवं आसपास के कारीगरों ने टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण या फिनिशिंग के विविध रूपों में इसका लाभ उठाया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए केंद्र की लेखा परीक्षा न की गई आय एवं व्यय का ब्यौरा :–

वर्ष	आय (लाख रू० में०)	व्यय (लाख रू० में)
2017–18	184.47 रु०	146.74 रु०

क. नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज़ ने एनएबीएल एक्रेडिशन के नवीकरण के लिए मुख्य आंकलनकर्त्ता डॉ० वाई सी निझावन (पूर्व निदेशक नेशनल टेस्ट हाऊस) सहित एनएबीएल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों की टीम द्वारा दिनांक 12/07/2017, 13/07/2017, 19/07/2017, 20/07/2017 तथा 23/08/2017 को आरटीसी लेबोरेट्री का मूल्यांकन किया और उक्त को केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया।

ख. एमएचएससी ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेम वर्क (एनएसक्यूएफ़) से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी), इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एफफ्लुएंट

ट्रीटमेंट, एनग्रेविंग, क्वालिटी कंट्रोल, लेकरिंग एंड पेंटिंग, वैल्डिंग एंड सोल्डरिंग, पाउडर कोटिंग और पैकेजिंग उद्योग में वस्त्र मंत्रालय के आईएसडीएस कार्यक्रम के तहत 2929 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया और संबद्ध संस्थानों की सहायता से 74% प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक प्लेसमेंट किया गया।

ग. एमएचएससी ने भारत के विभिन्न स्थानों में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय से स्वीकृत 04 एकीकृत डिजाइन कार्यक्रमों (आईडीपी) को आरंभ किया है। एमएचएससी ने 03 डिजाइन कार्यशालाएँ भी आरंभ की हैं।

घ. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आईडीपी एवं डीडबल्यू कार्यक्रमों को आयोजित करके लगभग 2000 कारीगरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। यह भी योजना है कि कार्यक्रमों की सफलता दर को देखने के पश्चात भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

मेगा कलस्टर स्कीम के तहत सीएफसी सुविधाओं का विस्तारण :-

सीएफसी के सभी उपस्कर पहुंच गये हैं और इलैक्ट्रोप्लेटिंग संयंत्र की ड्राई इन्स्टालेशन पूरी हो चुकी है, उत्कीर्ण एवं कटिंग मशीनों और प्रोसेस लैब के उपस्करों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्लेटिंग खंड में पीतल, एल्यूमिनियम और लोहे पर चाँदी की प्लेटिंग उपलब्ध है। सीएफ़सी में बेरल प्लेटिंग सुविधा भी उपलब्ध है जो मुरादाबाद हस्तशिल्प उद्योग में आरंभ एक नई सुविधा है। इसके अतिरिक्त संयंत्र को चलाने के लिए रसायन और कच्चे माल के लिए लगभग 3.42 करोड़ रुपये के फंड की आवश्यकता है। तथापि, मेगा कलस्टर के संचालन के मिशन को पूरा करने के लिए एमएचएससी को अनुदान जारी करने की पहल की जा रही है।

मेगा कलस्टर योजना के तहत आरटीसी प्रयोगशाला का विस्तारणः-

मेगा कलस्टर योजना के तहत धातु को छोड़कर लकड़ी, ग्लास, रेजिन के परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आरटीसी प्रयोगशाला के विस्तारण का कार्य प्रगति पर है। परीक्षण प्रयोगशाला में सभी सुविधाएं होंगी; **मिलिपोर- जल शुद्धिकरण प्रणाली, मेट्टलर बेलेंस-XP-204-0.1 एमजी, 100 कि०ग्रा० वजन के साथ फ्लोर संतुलन, हेंड हेल्ड एनलाइज़र, रेडिएशन डिटेक्टर, बीओडी इंक्यूबेटर, बीओडी डाइजेस्टर, विक्कर्स हार्डनेस, रोकवेल हार्नेस, थर्मल शॉक टेस्टर, स्पार्क एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एलीमेंटल एनलाइज़र सीएचएनएस, ईडी-एक्सआरएफ़-एक्सडीवी, कौलस्कोप एंड माइक्रोवेव डाइजेस्टर** स्थापित किए गए और धातु हस्तशिल्प निर्यातकों, निर्माताओं एवं कारीगरों द्वारा टेस्टिंग के लिए परिचालित किए गए।

हाल ही में एमएचएससी, मुरादाबाद में गणमान्य व्यक्तियों का दौराः-

(क) श्री राकेश कुमार, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने एमएचएससी का दौरा किया और एमएचएससी, मुरादाबाद की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

(ख) श्री राजेश कुमार, आईएएस, डिविजनल कमिश्नर (मुरादाबाद) ने एमएचएससी का दौरा किया और एमएचएससी, मुरादाबाद की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

(ग) श्री अतुल कुमार तिवारी, आईएएस, अपर सचिव, वस्त्र मंत्रालय ने एमएचएससी का दौरा किया और एमएचएससी, मुरादाबाद की सम्पूर्ण कार्यपद्धति की समीक्षा की।

vi. **राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केंद्र, नई दिल्ली**

रायपुर, छत्तीसगढ़ में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार एवं शिल्प गुरू पुरस्कार 2016 के उत्पादों का थीमेटिक प्रदर्शन

एनसीडीपीडी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रेक्षागृह, रायपुर, छत्तीसगढ़ में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार एवं शिल्प गुरु पुरस्कार 2016 के उत्पादों की थीमेटिक प्रदर्शनी लगाई। यह कार्यक्रम 14 सितंबर, 2018 को आयोजित किया गया था। एनसीडीपीडी ने सुनियोजित एवं प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शनी का आयोजन किया।

एक्सिम बैंक एवं बीसीडीआई ने असम में बांस एवं बेंत कारीगरों के लिए सयुंक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया।

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्सिम बैंक) ने बीसीडीआई के साथ मिलकर बरपेटा, असम में बांस एवं बेंत कारीगरों के लिए एक डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। स्वीकृत राशि 10.25 लाख रुपए थी। 25 कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए असम के एक दूरदराज के गाँव में 30 दिन लंबी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य शिल्पकारों को राष्ट्रीय बाजारों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों हेतु उपयुक्त नए उत्पादों को डिजाइन करने में समर्थ बनाना था। इस कार्यशाला द्वारा कारीगरों को बांस एवं अन्य कच्ची सामग्री से निर्माण के विभिन्न तरीकों तथा व्यवसायिक ढंग से नए उत्पादों के विकास के लिए अभिनव विचारों को जानने का अवसर उपलब्ध कराया गया। यह कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

जयपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान थीम पवेलियन तथा थीमेटिक प्रदर्शनी लगाना

एनसीडीपीडी ने जयपुर में अगस्त 2018 में हुए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हेतु विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के लिए थीम पवेलियन तथा भारतीय हथकरघा की थीमेटिक प्रदर्शनी लगाई। फेसिलिटेशन डेस्क, आमंत्रण पत्र व सम्पूर्ण ग्राफिक्स एनसीडीपीडी द्वारा तैयार किए गए थे।

vii. बांस व बेंत विकास संस्थान, अगरतला

1. बांस हस्तशिल्प पर डिज़ाइन और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला

2. बरपेटा, असम

बरपेटा, असम में 29 अप्रैल, 2018 से 04 जून, 2018 तक बांस एवं बेंत विकास संस्थान द्वारा असम के बांस एवं बेंत शिल्पकारों हेतु डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसे निर्यात–आयातबैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित किया गया।

निधियन/ समन्वयन एजेंसी : एक्सिम बैंक
कार्यक्रम की प्रकृति : प्रशिक्षण
अवधिः 29 अप्रैल, 2018 से 04 जून, 2018
प्रतिभागियों की संख्याः 16

3. बांस के गोल स्टिक निर्माण का प्रशिक्षण

नागपुर अगरबत्ती कलस्टर एसोसिएशन, महाराष्ट्र से कुल 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बांस के गोल स्टिक निर्माण करने वाली मशीनों का संचालन, समायोजन, और इसका रखरखाव आदि सीखना है।

निधियन/समन्वयन एजेंसी : नागपुर अगरबत्ती कलस्टर एसोसिएशन, महाराष्ट्र
कार्यक्रम की संख्या : 7 दिन
कार्यक्रम की प्रकृति : बांस की गोल स्टिक निर्माण पर औद्योगिक अटेचमेंट
अवधि : 8 दिन
प्रतिभागियोंकी संख्या : 10

4. **त्रिपुरा बांस कार्यशाला से जापान और भारत के बीच बांस के माध्यम से संबंध सेतु का निर्माण**

जापान और भारत के बीच बांस के माध्यम से संबंध सेतु निर्माण कार्यशाला का बेंत एवं बांस प्रौद्योगिकी केंद्र (सीबीटीसी) असम द्व ारा 2 अगस्त,2018 को बांस एवं बेंत विकास संस्थान, अगरतला में आयोजन किया गया। इस अवसर पर जापान के आर्थिक मंत्री और त्रिपुरा के वन मंत्री तथा अन्य सरकारी अधि ाकारी उपस्थित थे। प्रसिद्ध जापानी कारीगर और त्रिपुरा के शिल्प गुरु, पारंपरिक पूर्वोत्तर कारीगरों ने अपने विचारों का आदान–प्रदान किया और शिल्प वस्तुएँ निर्मित की।

निधियन/समन्वयन एजेंसी : पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी)

कार्यक्रम की संख्या/अवधि : 1 दिन

कार्यक्रम की प्रकृति : जापान और भारत के मध्य शिल्प विनिमय

अवधि : 02 अगस्त, 2018

प्रतिभागियों की संख्या : लगभग 50

5. पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी),पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), भारत सरकार द्व ारा प्रायोजित बेंत एवं बांस प्रौद्योगिकी केंद्र (सीबीसीटी), गुवाहाटी के सहयोग से एक माह का आवासीय बांस फर्नीचर प्रशिक्षण।

निधियन/समन्वयन एजेंसी: पूर्वोत्तर परिषद

कार्यक्रमों की संख्या/अवधि : 1 माह

कार्यक्रम की प्रकृति : प्रशिक्षण

अवधि: 29 अगस्त से 27 सितंबर 2018

प्रतिभागियों की संख्या: 16

6. बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली के 'बांस प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा' के विद्यार्थियों हेतु एक माह का प्रशिक्षण

निधियन/ समन्वयन एजेंसी : बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र

कार्यक्रमों की संख्या/अवधि : 1 माह

कार्यक्रम की प्रकृति : प्रशिक्षण

अवधि : 04 सितंबर से 03 अक्तूबर, 2018

प्रतिभागियों की संख्या : 14

viii. राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय

राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय (एनएचएचएम), जिसे शिल्प संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, प्रगति मैदान, भैरों मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है।

उद्देश्य

इसके मुख्य उद्देश्य हैं: हस्तशिल्प एवं हथकरघा की प्राचीन भारतीय परंपराओं के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाना, शिल्पकारों, डिज़ाइनरों, निर्यातकों, विद्वानों और लोगों के लिए एक संवादात्मक मंच उपलब्ध कराना, शिल्पकारों की सहायता करना ताकि उन्हें विपणन हेतु बिना बिचौलिए के एक मंच मिल सकें और भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपराओं हेतु एक संसाधन केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करना। शिल्प प्रतिरूपों का संग्रहण, संरक्षण और परिरक्षण तथा कला एवं शिल्प का पुनरुत्थान, पुनरुत्पादन और विकास इस शिल्प संग्रहालय की गतिविधियां हैं।

संग्रहालय संकलन:

संग्रहालय में 32,000 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है जिसमे धातु प्रतिमाएं, दीपक और अगरबत्ती बर्नर, अनुष्ठान संबंधी सहायक सामग्री, रोजमर्रा की मदें, काष्ठ नक्काशी, चित्रांकित काष्ठ और पेपर मेशी, गुड़िया, खिलौने, कठपुतलियां, मुखौटे, लोक एवं आदिवासी चित्र और मूर्तियां, टेराकोटा, लोक एवं जनजातीय आभूषण और पारंपरिक भारतीय वस्त्र उद्योग का एक पूरा सेक्शन शामिल है। ये संकलन लोक एवं जनजातीय कला दीर्घा, मंदिर दीर्घा, दरबारी क्राफ्ट गैलरी और वस्त्र गैलरी में प्रदर्शित किए जाते हैं और शेष संग्रहालय के संग्रह स्टोर में रखी जाती हैं।

शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम

संग्रहालय वर्ष भर के दौरान होने वाले अपने नियमित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। शिल्पियों को शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें।

गांव परिसर (विलेज कॉम्प्लेक्स)

संग्रहालय का ग्राम परिसर देश के विभिन्न भागों के गाँव की विशिष्ट संरचनाओं सहित ग्रामीण भारत का एक संस्मरण है। इसे 1972 में रुरल इंडिया कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताएं शामिल हैं जहां झोपड़ियों और मकानों, दीवारों एवं आंगनों आदि के प्रतिरूपों को तैयार करते हुए उन्हें पारंपरिक लोक कला रूपों से सजाया गया है। परिसर में चार ओपन एयर थिएटर भी विकसित किए गए हैं जिनके नाम हैं–

- कादम्बरी रंगमंच
- सारंगा एम्फीथिएटर
- आँगन मंच
- पिलखन मंच

पुस्तकालय:

संग्रहालय में एक विशेष संदर्भ पुस्तकालय है जिसमे पारंपरिक भारतीय कला, शिल्प, वस्त्र पर 20,000 से अधिक संदर्भ पुस्तकों के साथ अन्य पत्रिकाएँ भी उपलब्ध हैं। इसके

अतिरिक्त भारतीय जनजातियों आदि पर प्रमुख एंथ्रोपोलीजिकल ग्रंथ भी इस संग्रहालय में हैं।

प्रदर्शनियों का ब्यौरा

1. मेक्सिको दूतावास द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2018 से 08 अप्रैल, 2018 तक **"विविंग आइडेंटिटी" टेक्सटाइल रिचनेस इन लेटिन अमेरिका एंड द केरिबियन** नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

2. पुर्तगाल दूतावास द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2018 से 29 अप्रैल, 2018 तक **हस्ट** नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

1. 50 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2017 को शिल्प संग्रहालय का दौरा किया गया।

2. रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के उप प्रधान मंत्री की पत्नी एवं विदेशी मामलों के मंत्री द्वारा दिनांक 03 मई, 2018 को शिल्प संग्रहालय का दौरा किया गया।

3. तुर्की के राजदूत ने अपनी पत्नी एवं दो अतिथियों के साथ 08 अक्तूबर, 2018 को शिल्प संग्रहालय का दौरा किया।

4. 34 सदस्यीय कोरियाई प्रतिनिधिमंडल एवं युवा कार्य मंत्रालय के 03 अधिकारियों द्वारा 08 नवंबर, 2018 को शिल्प संग्रहालय का दौरा किया गया।

वित्तीय स्थिति:

चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न शीर्षों के तहत एनएचएचएम का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 19.00 करोड़ रुपए से घटाकर 6.08 करोड़ रुपए कर दिया गया।

रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के उप प्रधान मंत्री की पत्नी एवं विदेश मामलों के मंत्री द्वारा दिनांक 03 मई, 2018 को शिल्प संग्रहालय का दौरा किया गया।

21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एनएचएचएम में वस्त्र मंत्रालय के कार्मिक योग करते हुए।

अध्याय–11

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन

11.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए को पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन और क्रियान्वयन में आवश्यक लचीलेपन के साथ परियोजना आधारित दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत अपैरल एवं परिधान, पटसन, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा और रेशम उत्पादन सहित वस्त्र क्षेत्र के सभी उप–क्षेत्रों को शामिल करने वाली परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और बाजार पहुंच के लिए आवश्यक सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर में वस्त्र उद्योग का स्थायी विकास करना है।

11.2 एनईआरटीपीएस के अंतर्गत पहल

11.2.1 रेशम उत्पादनः एनईआरटीपीएस के अंतर्गत एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी) तथा गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी) तथा महत्वकांक्षी जिलों (एडी) की तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में चिन्हित क्षमतापूर्ण जिलों में क्रियान्वयन के लिए रेशम उत्पादन परियोजना अनुमोदित की गई हैं।

11.2.1.1 एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी):

11.2.1.1(क): बीटीसी सहित असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में क्रियान्वयन के लिए 586.17 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 483.35 करोड़ रुपए) की कुल लागत के साथ कुल 14 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। यह परियोजनां मलबरी, एरी और मूगा के 27010 एकड़ पौधारोपण को सहायता प्रदान करेंगी। जबकि 15 परियोजनाएं राज्य रेशम उत्पादन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जानी है, एक परियोजना–बीज अवसंरचना का सृजन, पूर्वोत्तर राज्यों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन तथा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीएसबी द्वारा क्रियान्वित की जानी है। मार्च, 2019 तक उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए 418.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसकी तुलना में व्यय 359.97 करोड़ रुपए (86%) की रिपोर्ट है। 'सीएसबी की बीज अवसंरचना इकाई' तथा 'त्रिपुरा में रेशम प्रिंटिंग इकाई' का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

11.2.1.1 (ख): **सीएसबी में बीज अवसंरचना इकाइयां**: पूर्वोत्तर में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन के लिए अवसंरचना सृजित करने हेतु 37.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस योजना में 6 बीज अवसंरचना इकाइयों ख(जोरहट (असम) में 1 मलबरी बीज इकाई), सिल्चर (असम), मोकुकचुंग (नागालैंड), कोकराझार (बीटीसी–असम), तुरा (मेघालय) में 4 मूगा बीज इकाई, और टोपाटोली (असम) में 1 एरी बीज इकाई) 30 लाख मलबरी डीएफएलएस और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएलएस की उत्पादन क्षमता सहित, के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के लिए अभी तक 35.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसकी तुलना में 32.54 करोड़ रुपए का व्यय (91%) सूचित किया गया है।

11.2.1.1 **(ग): त्रिपुरा में रेशम छपाई इकाई:** त्रिपुरा में उत्पालदित रेशम और फैब्रिक के लिए मूल्यवर्धन हेतु रेशम छपाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 3.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर रेशम प्रसंस्करण और छपाई इकाई की स्थापना के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई है। इस इकाई का लक्ष्य 1.50 लाख मीटर रेशम प्रति वर्ष की छपाई और प्रोसेस करने का है। अब तक इस प्रयोजन हेतु 3.52 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

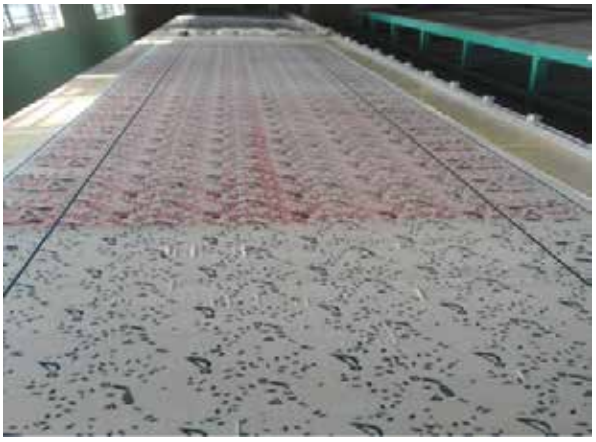

11.2.1.2 इंटेसिव बाइवोल्टाइइन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आईबीएसडीपी):

एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 236.78 करोड़ रुपये की कुल लागत (भारत सरकार का हिस्साप 210.41 करोड़ रुपये) के साथ आयात विकल्पक वाली बाइवोल्टा इन रेशम के लिए 8 परियोजनाएं स्वीरकृत की गई हैं। इस परियोजना में लगभग 1100 महिला रेशम किसानोंध्राज्य को शामिल करते हुए प्रत्येक जिले के 2 ब्लॉक में 500 एकड़ को शामिल करने की परिकल्प ना की गई है। कुल मिलाकर इसमें मलबरी पौधारोपण हेतु 4,000 एकड़ क्षेत्र जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की लगभग 9071 महिलाएं भी होंगी, कवर करने का लक्ष्य है। मार्च, 2019 तक इस परियोजना के लिए 199.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसकी तुलना में 167.46 करोड़ रुपए (84%) का व्यकय सूचित किया गया है।

एनईआरटीपीएस (आईएसडीपी एवं आईबीएसडीपी) के रेशम उत्पा्दन क्षेत्र के अंतर्गत सभी पूर्वोत्तवर राज्योंप में 822.94 करोड़ रुपये की कुल लागत (भारत सरकार का हिस्सो 693.76 करोड़ रुपये) के साथ मलबरी, एरी तथा मूगा रेशम को शामिल करते हुए कुल 24 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्यए आवश्याक अवसंरचना सृजित करके और रेशमकीट पालन तथा मूल्यक श्रृंखला में संबद्ध कार्यकलापों के लिए स्था नीय लोगों को कौशल प्रदान करके पूर्वोत्त्र में व्यांवहारिक वाणिज्यिक कार्यकलाप के रूप में रेशम उत्पांदन को स्थारपित करना है। परियोजना में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों के अंतर्गत पौधारोपण के लगभग 31010 एकड़ क्षेत्रफल को लाने का प्रस्तााव है और इससे परियोजना अवधि के दौरान कच्चीप रेशम का 2285 मी.टन अतिरिक्तम उत्पातदन तथा 2,30,500 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का अनुमान है।

उपर्युक्त 24 परियोजनाओं के लिए जारी किए गए भारत सरकार के 620.42 करोड़ रुपए के हिस्सेक की तुलना में 527.63 करोड़ रुपए (85%) का व्य य किया गया है। मार्च, 2019 तक 42,026 लाभार्थियों को शामिल करते हुए मलबरी, एरी तथा मूगा के होस्टा प्लांकटेशन के अंतर्गत 30,652 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है तथा 2614 मीट्रिक टन कच्चीट रेशम का उत्पोदन किया गया।

11.2.1.3 नई रेशम उत्पादन परियोजनाएं (आईएसडीपी, आईबीएसडीपी तथा महत्वाकांक्षी जिलों सहित): (14 परियोजनाएं)

पूर्वोत्तर में रेशम उत्पादन विकास क्षमताओं को देखते हुए वस्त्र मंत्रालय ने 17,141

लाभार्थियों को शामिल करने के लिए 284. 02 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ वर्ष 2018–19 से क्रियान्वेयन के लिए 14 नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 261.30 करोड़ रुपए है जिससे मलबरी, एरी, मूगा और ओक तसर क्षेत्रों में 7160 एकड़ खेती सहित परियोजना अवधि के दौरान 366 मीट्रिक टन रेशम का उत्पौदन हुआ था। इसके अतिरिक्त असम, बीटीसी तथा मणिपुर राज्यों में स्थापित 3 नई एरी स्पोन सिल्क मिलें प्रति वर्ष 165 मीट्रिक टन एरी स्पान रेशम यार्न का उत्पादन करेंगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्य सरकारों को शामिल करते हुए जिलों की क्षमता के अनुसार मलबरी, एरी, मूगा अथवा ओक तसर को शामिल करते हुए महत्वकांक्षी जिलों में प्रति जिला एक/दो ब्लॉक में रेशम उद्योग के विकास की शुरूआत की है। ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

(1) असम में एरी स्पोन रेशम मिल की स्थापना

(2) बीटीसी में एरी स्पान रेशम मिल की स्थापना

(3) मणिपुर में एरी स्पान रेशम मिल की स्थापना

(4) अरूणाचलप्रदेश में बड़े स्तर पर एरी फार्मिंग

(5) तापिओका प्लोंटेशन के माध्यम से बीटीसी की महिलाओं के लिए संपोषणीय आजीविका हेतु एकीकृत एरी रेशम विकास परियोजना

(6) नागालैंड के वोखा जिले में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से बाइवोल्टालइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना

(7) मिजोरम में महत्वाकांक्षी जिले में रेशम उत्पादन विकास

(8) नागालैंड में महत्वाकांक्षी जिले में रेशम उत्पादन विकास

(9) असम में महत्वाकांक्षी जिले में रेशम उत्पादन विकास

(10) बीटीसी में महत्वाकांक्षी जिले में रेशम उत्पादन विकास

(11) मेघालय में महत्वाकांक्षी जिले में रेशम उत्पादन विकास

(12) अरूणाचल प्रदेश में संपोषणीय आजीविका के लिए एकीकृत मूगा रेशम विकास

(13) मोकोचुंग जिला, नागालैंड के चुंगतिया में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एरी रेशम विकास परियोजना

(14) त्रिपुरा में सापाहीजाला गहन बाइवोल्ट्युइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना

मार्च, 2019 तक वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में 22.85 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

चालू परियोजनाओं की प्रगति:

11.2.1.4उपर्युक्त चालू परियोजनाओं के लिए जारी भारत सरकार के 643.26 करोड़ रुपए के हिस्से की तुलना में 527.63 करोड़ रुपए (85%) का व्यय किया गया है। मार्च, 2019 तक 42,026 लाभार्थियोंको शामिल करते हुए मलबरी, एरी तथा मूगा के होस्टस प्लोंहटेशन के अंतर्गत लगभग 30,652 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है तथा 2,614 मीट्रिक टन कच्ची रेशम का उत्पोदन किया गया है। एनईआरटीपीएस के अंतर्गत समग्र रेशम उत्पा,दन परियोजनाओं का सार नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	मार्च, 2019 तक जारी भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना के दौरान परिणाम (एमटी)	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनं.) (मार्च, 2019 तक)
I एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना								
1	असम	66.67	47.42	37.48	5,965	5,965	196	343.25
2	बीटीसी	34.92	24.68	22.62	3,356	3,356	171	259
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	10.08	654	654	60	86.65
4	बीटीसी (मिट्टी से रेशम तक)	55.36	53.12	37.09	3,526	2,345	245	136
5	अरूणाचल प्रदेश	18.42	18.42	17.5	1,805	1,672	79	17.5
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.6	107.55	6,613	5,555	450	575
7	मणिपुर (हिल)	30.39	24.67	20.5	2,169	1,201	68	60.53
8	मेघालय	30.16	21.91	19.57	2,856	2,856	162	219.39
9	मिजोरम	32.49	24.49	23.26	1,683	1,683	117	134.56
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	12.19	833	800	16	1.75
11	नागालैंड	31.47	22.66	21.52	2,678	2,678	166	268.36
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	12.19	1,053	1,053	72	34.37
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	8.06	400	406	कोकून पूर्व एवं यार्न पूर्व क्रियाकलाप	
14	त्रिपुरा	47.95	33.2	29.58	3,432	3,432	275	289–9
15	त्रिपुरा (प्रिंटिंग)	3.71	3.71	3.52	.	.	1–50 लाख मी/वर्ष	
16	सी,सबी के अंतर्गत मलबरी एवं वान्या बीज अवसंरचना	37.71	37.71	35.82	.	.	30 लाख मलबरी एवं 3.70 लाख मूगा /एरी डीएफएलएस /वर्ष	
	कुल (I)	**586.17**	**483.35**	**418.54**	**37,023**	**33,656**	**2,076**	**2,426.27**
II गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना								
17	असम	29.55	26.28	24.96	1,144	1,144	29	36.01
18	बीटीसी	30.06	26.75	25.41	1,188	1,188	26	28.8
19	अरूणाचल प्रदेश	29.47	26.2	24.89	1,144	663	20	5
20	मेघालय	29.01	25.77	24.47	1,044	1,033	27	26.1
21	मिजोरम	30.15	26.88	25.54	1,169	1,169	26	23.1
22	नागालैंड	29.43	26.16	24.85	1,144	1,144	27	13.38
23	सिक्किम	29.68	26.43	25.11	1,094	885	27	8.5
24	त्रिपुरा	29.43	25.95	24.65	1,144	1,144	27	47.05
	कुल (II)	**236.78**	**210.41**	**199.88**	**9071**	**8,370**	**209**	**187.94**
	आईईसी			**2**				
III	**नई परियोजनाएं**							
25	अरूणाचल प्रदेश (आईएलएसईएफ)	37.25	35.65	9.12	1,270	–	86	
26	असम (ईएसएसएम)	21.53	19.09	–	2,500	–	–	–
27	बीटीसी (ईएसएसएम)	21.53	19.09	–	2,500	–	–	–
28	मणिपुर (ईएसएसएम)	21.53	19.09	–	2,500	–	–	–
29	मिजोरम (एडी)	11.56	10.82	3.45	650	–	20	–
30	नागालैंड (एडी)	14.65	13.49	4.5	965	–	18	–
31	बीटीसी –आईईएसडीपी (टैप)	18.63	17.35	5.78	1,400	–	45	–
32	नागालैंड –बीआईवी	22.43	20.68	–	436	–	18	–
	कुल (III)	**169.11**	**155.27**	**22.85**	**12,221**	**0**	**202**	**0**

#	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	मार्च, 2019 तक जारी भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना के दौरान परिणाम (एमटी)	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनं.) (मार्च, 2019 तक)
IV	**नई परियोजनाएं**							
33	असम–एडी	21.03	19.55	–	1,200	–	55	–
34	बीटीसी–एडी–	20.28	18.64	–	960	–	22	–
35	अरूणाचल प्रदेश आईएमएसडीपी	12.69	12.15	–	750	–	12	–
36	मेघालय–एडी	12.08	10.97	–	410	–	14	–
37	नागालैंड–चुंगतिया	17.74	17.11	–	500	–	26	–
38	त्रिपुरा–सेपाहीजाला	31.11	27.64	–	1,100	–	35	–
	कुल (IV)	114.92	106.05	-	4,920	-	164	-
सकल योग (I+II+III+IV)		1,106.97	955.08	643.26	63,235	42,026	2,651	2,614.21

पीः अनंतिम ''मूलरूप से परियोजना अवधि 3 वर्ष की है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, परियोजना अवधि को बढ़ाए जाने के बाद से लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

परियोजनाओं की मॉनीटरिंगः ये परियोजनाएं केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) की मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है। सीएसबी द्वारा सभी रेशम उत्पादन परियोजनाओं पर रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है। विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल 42,026 लाभार्थियों से मार्च, 2019 तक 35,227 लाभार्थियों के आंकड़े एमआईएस में अपलोड कर दिए गए हैं।

11.2.2 अपैरल एवं परिधान निर्माण परियोजनाः इस परियोजना को स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान संवर्धन करने के लिए शुरू किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 18.18 करोड़ रुपए प्रति सेंटर की दर पर 7 सेंटरों का उद्घाटन किया गया है जो उच्च प्रौद्योगिकी वाली परिधान मशीनरियों से सुसज्जित है। और अपने काम को शुरू करने के लिए उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आशा है कि परियोजना न केवल पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान के लिए एक नए अवसर तैयार करेगी बल्कि पूर्वोत्तर में संबद्ध उद्योगों का भी विकास करेगी।

11.2.3 हथकरघा परियोजनाः हथकरघा जनगणना 2009–10 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21.60 लाख बुनकर और 15.10 लाख हथकरघे हैं। राष्ट्रीय रूझान की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में बुनकरों की संख्या 14.60 लाख बुनकर परिवारों (1995 में) से बढ़कर 15.60 लाख बुनकर परिवार हो गई (जनगणना 2009–10)। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश करघे घरेलू उपयोग क लिए लगाए जाते हैं जबकि अत्यंत कम करघों को घरेलू एवं वाणिज्य उपयोग दोनों के लिए लगाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हथकरघा बुनाई पूर्वोत्तर के सभी सामाजिक वर्गों की संस्कृति का हिस्सा है। वर्ष 2009–10 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कुल बुनकरों की संख्या में महिला बुनकरों की

संख्या सबसे अधिक है। एनईआरटीपीएस के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र की निम्नलिखित कार्यक्रमों द्वारा सहायता की गई है:

11.2.3.1 हथकरघा के लिए कलस्टर विकास परियोजनाएं: इस परियोजना के अंतर्गत 98.08 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 195 कलस्टर विकास परियोजना का कार्यान्वयन किया जाता है। डिजाइन कार्यक्रम, उत्पाद लाइनों का विविधीकरण और विपणन सहायता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

11.2.3.2 विपणन संवर्धन: विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2017–18 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को 531.56 लाख रुपए की राशि जारी की गई है और कुल 19 एक्स्पो स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 12 एक्स्पो स्वीकृत किए गए थे तथा इनके लिए 196.73 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

11.2.4 हस्तशिल्प क्षेत्र: पूर्वोत्तर राज्यों में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र एकीकृत एवं सतत विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अनुमोदित/स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	परियोजना एवं क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	कुल परियोजना लागत	भारत सरकार का हिस्सा	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	राज्य /आई. ए. हिस्सा	लाभ प्राप्ता करने वाले कारीगर/ भावी लाभार्थी
1.	विपणन एप्रोच के माध्यम से पूर्वोत्तर हस्तशिल्प का व्यापक विकास – ईपीसीएच	12.48	12.48	4.05	4.05	Nil	1960
2.	नागालैंड के लिए हस्तनिर्मित बांस, प्राकृतिक फाइबर और वस्त्र आधारित कलस्टर का एकीकृत विकास – नागालैंड सरकार (उद्योग निदेशालय)	6.59	6.59	3.06	1.47	Nil	550
3.	मणिपुर में टेराकोटा शिल्प का व्यापक विकास – मणिपुर सरकार (एमएचएचडीसी लि.)	2.05	1.845	0.58	0.58	0.205	250
4.	त्रिपुरा में टेराकोटा शिल्प का व्यापक विकास दृत्रिपुरा सरकार (निदेशक, उद्योग, त्रिपुरा)	2.05	1.845	0.58	0.00	0.205	250
5.	नोंगपोह, मेघालय में एकीकृत वस्त्र पर्यटन परिसर की स्थापना (रेशम उत्पादन विविंग निदेशालय)	7.98	7.98	3.99	00	00	5000
7.	विपणन संपर्कों के साथ एकीकृत डिजाइन विकास परियोजना – (सीसीआईसी, नई दिल्ली)	1.98	1.98	0.99	00	00	400
8.	असम के 7 कलस्टरों में हस्तनिर्मित बांस, प्राकृतिक फाइबर तथा वस्त्र आधारित कलस्टर की एकीकृत परियोजना (आर्टफेड, गुवाहाटी)	9.705	9.705	0.00	00	00	2450

क्र. सं.	परियोजना एवं क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	कुल परियोजना लागत	भारत सरकार का हिस्सा	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	राज्य /आई. ए. हिस्सा	लाभ प्राप्ता करने वाले कारीगर/ भावी लाभार्थी
9.	बीसीडीआई, अगरतला में बांस एवं बेंत हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए बांस एवं बेंत विकास संस्थान का सुदृढ़ीकरण। एनसीडीपीडी, नई दिल्ली द्वारा	2.02	2.02	0.00	00	00	––
10.	एमएचएचडीसी, इम्फॉल द्वारा मणिपुर में हस्तशिल्प का एकीकृत विकास एवं संवर्धन	10.08	9.08	0.00	00	1.008	6000

11.2.5 **मणिपुर में विद्युतकरघा परियोजनाः** मणिपुर में 13.17 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 9.22 करोड़ रुपए के भारत सरकार के हिस्से से पहली विद्युतकरघा परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार विद्युतकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं विद्युतकरघा (प्रीपेरेटरी मशीनों सहित) के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। यह परियोजना प्रगति में है।

11.2.6 **डिजीटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पटसन में सकेंद्रित इन्क्युवेशन सेंटरः** पटसन फैब्रिकों के लिए डिजीटल प्रिंटिंग हेतु सुविधा सृजित करने के लिए गुवाहाटी में 3.75 करोड़ रुपए की कुल लागत और भारत सरकार की 2.75 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी से एक परियोजना क्रियान्वित की गई है। मशीनों की खरीद के साथ–साथ इकाई की स्थापना का कार्य प्रगति में है।

अध्याय-12

वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें

वस्त्र मंत्रालय में डिजिटल तैयारी

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल पहल का सक्रिय रूप से सवंर्धन कर रहा है; डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं पारदर्शी हो और नागरिकों को आसानी से प्राप्त हो सकें। मंत्रालय का आईटी प्रभाग, नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने और एप्लीकेशन सिस्टम को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अधिकांश एप्लीकेशन नेशनल क्लाउड सर्विसेज (मेघराज) पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों की अधिकांश योजनाएं और सेवाएं कभी भी कहीं भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

सरकार के विजन और मिशन को हकीकत में बदलने के लिए इस मंत्रालय ने अपनी ई–गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु कई पहलें की हैं। ई–ऑफिस स्यूट, ई–समीक्षा, ई–खरीद आदि जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन हथकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं पर एमआईएस का विकास, हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एनजीओ पोर्टल, वस्त्र में क्षमता निर्माणा योजना का विकास (समर्थ) से कार्यकरण में सुधार हुआ है, जिसके आधार पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्रालय और इसके संगठन, नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के जिलाधिकारियों और लाभार्थियों के साथ केंद्रीय वस्त्र मंत्री का चर्चा, सचिव की अध्यक्षता वाले एसओएम में मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भागीदारी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सचिव (वस्त्र) द्वारा नियमित प्रगति सत्रों में भाग लेने, महत्वपूर्ण वीसी सत्र आयोजित किए गए। अनुभागों में आईसीटी अवसंरचना को नवीनतम डेस्कटॉप से उन्नत किया गया है और साफ्टवेयर को आईपीवी6 कंपैटिविलिटी के साथ उद्योग भवन की गीगा बिट लैन/वैन/वायरलेस नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी डेस्कटॉप वीडियो क्रांफ्रेंस सुविधा दी गई है। मंत्रालय, संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय, एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली में विभिन्न एप्लीकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनआईसी–टीआईडी, मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को तकनीकी और कार्यात्मक सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह वेबसाइट के विकास, कार्यान्वयन, रख–रखाव और समन्वय तथा उसकी 24**x**7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वे क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाओं, विभिन्न एप्लीकेशनों के विकास/विस्तार, नेटवर्क सहायता सेवाएं प्रदान कराने और आईसीटी अवसंरचना के रख–रखाव को भी सुकर बनाते हैं।

वेबसाइट प्रबंधन

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय की सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) आधारित वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइट के दिशानिर्देश) के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया था जिससे यह ऐक्सिसबिलिटी के मल्टिपल–मोड के अनुसार बन गई है, द्विभाषी रूप में होने से यह नेत्रहीन लोगों की पहुंच में भी है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री का समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की गई है।

आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लैन/वैन/पीसी के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक उन्नयन किया जाता है। साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक फायरवाल और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाने जैसे आवश्यक उपाय किए जाते हैं। लैन/वैन/सेवाओं में वायरस मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच प्रबंधन और वायरस पहचान प्रणाली भी अद्यतन की गई हैं। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय में नया वीसी स्टूडियो की स्थापना की गई है।

ई-गवर्नेंस

इन–हाउस वर्क–फ्लो को मजबूत करने के लिए नई विशेषताओं के साथ वेब आधारित ई–ऑफिस स्यूट को उन्नत किया गया है। रिकॉर्डों और फाइलों का डिजीटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। मंत्रालय में ई–ऑफिस क्रियान्वित किया गया है, मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए ई–ऑफिस पर नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फाइल बनाने, उसके मूवमेंट आदि में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/ई–हस्ताक्षर को क्रियान्वित किया गया है और संबंधित अधिकारियों द्व ारा इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। ई–ऑफिस के क्रियान्वयन में किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वस्त्र मंत्रालय को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया है। यह पुरस्कार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सचिव (वस्त्र) द्वारा प्राप्त किया गया है।

मंत्रालय में कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस), ई–विजिटर्स प्रणाली, ई–खरीद पोर्टल, जन शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली, संसदीय प्रश्न/उत्तर (ई–उत्तर), आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), एसीसी रिक्ति मॉनीटरिंग प्रणाली (एवीएमएस) का नया संस्करण, स्पैरो सिस्टम, ई–विजिटर्स मॉनीटरिंग सिस्टम, विदेशी दौरा प्रबंधन प्रणाली, ई–पालिटिकल क्लीयरेंस सिस्टम, अपीलीय मॉनीटरिंग सिस्टम, कोर्ट केसेज मॉनीटरिंग सिस्टम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) और डीबीटी जैसी जी2जी सेवाओं का सफलतापूर्वक

क्रियान्वयन किया जाता है और मंत्रालय में उनका रख–रखाव किया जा रहा है।

नई पहल

1. **वस्त्र मंत्रालय और इसके संगठनों के लिए आईसीटी कार्ययोजना की तैयारी**

वस्त्र मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों में एकरूपता लाने और मौजूदा आईटी संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक आईसीटी कार्ययोजना शुरू की गई है। मंत्रालय के संसाधनों (जनशक्ति, सूचना, आईटी प्रणाली और हार्डवेयर आदि शामिल है) में एकरूपता लाने के लिए यह अनिवार्य है। ऐसी कार्ययोजना समुचित डिविजन और उद्देश्य के साथ मंत्रालय में भावी आईटी पहलों के लिए एक दिशा प्रदान करेगी। उद्यम स्तर की वास्तु का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है जो भविष्य में आईटी सेवाओं को एकीकृत करने में सहायता करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय आसूचना उपकरणों का प्रयोग करके डाटा का विश्लेषण करने के लिए व्यापक मास्टर डाटाबेस का निर्माण करने के लिए इस मंत्रालय के अधीन संगठनों की विभिन्न मौजूदा आईटी प्रणालियों से संगत डाटा प्राप्त करना है। इसका एक वेब पोर्टल रखना है जो निर्णय लेने में विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करेगा। डाटा का विश्लेषण करने वाले उपकरणों का प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कार्य के घंटों, गुणवत्ता वाले आउटपुट, सटीकता, दोहराव, जवाबदेही, फीडबैक और पारदर्शिता आएगी।

2. हैंडलूम मार्क योजना के लिए वेब आधारित और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास प्रगति पर है और इसमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगीः–

- मौजूदा योजना के अंतर्गत हैंडलूम मार्क का लाभ प्राप्त करने के लिए नए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों की पहुंच
- प्रत्येक चरण पर एसएमएस और ई–मेल नोटिफिकेशन
- सभी हितधारकों को ऑनलाइन आवेदन और दावे की स्थिति प्रदान करना
- वर्कफ्लो क्रियान्वयन और हैंडलूम मार्क का ऑनलाइन लेबल
- ऑनलाइन शिकायत प्रणाली
- वस्त्र समिति, मुंबई द्वारा जारी किए गए हैंडलूम लेबलों का ऑनलाइन सत्यापन

3. **समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना)**

एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) का प्रबंधन मजबूत और लाइव प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय ने एक 'सार्वजनिक डैशबोर्ड' की सुविधा तैयार की है जो योजना की रियल टाइम प्रगति प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक डैशबोर्ड राज्य–वार स्थिति दर्शाता है जिसे आगे चलकर जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति के लिए लागू किया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रशिक्षण केंद्रों और चल रहे प्रशिक्षणों के अभ्यर्थियों की संख्या को लाइव भी देख सकता है।

एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) उन प्रशिक्षुओं को ई–प्रमाणपत्र जारी करता है जो प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं और मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। इस प्रमाणपत्र में एक क्यूआर कोड होता है जिसे प्रमाणपत्र की वास्तविकता की जांच करने के लिए मोबाइल आधारित बारकोड

स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से इस प्रमाणपत्र को आईएसडीएस वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा पर जाकर सत्यापित भी किया जा सकता है।

4. हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए डीबीटी पोर्टल की शुरूआत की गई है। डीबीटी का उद्देश्य नागरिक को समय पर लाभ प्रदान करना है। डीबीटी के माध्यम से सरकार का आशय लाभ का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण, भुगतान में विलंब को कम करना और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लाभार्थियों का सटीकता से पता लगाना है जिसे लिकेज और दोहराव को दूर किया जा सकता है।

5. मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय में पूर्णतया ई–ऑफिस क्रियान्वित किया गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ई–ऑफिस के सभी मॉड्यूलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

6. **ई-धागा (यार्न आपूर्ति योजना में बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन का एकीकरण)**

- आधार प्रमाणन वर्जन 2.5 का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें वास्तविक पहचान की जा रही है।
- हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ईआरपी पोर्टल और ई–धागा मोबाइल एप्लिकेशन शुरू की गई थी।
- यह प्रणाली हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने और भुगतान को सुकर बनाती है।

इस एप के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक बुनकर लाभांवित हुए।

संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में आईसीटी का कार्यान्वयन

मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों को विकसित और अद्यतन किया है, आईपीवी6 के अनुरूप व्यवस्थित और वायरलेस लैन की अपेक्षानुसार अपनी आईसीटी अवसंरचना का भी उन्नयन किया है। इन कार्यालयों ने और अधिक प्रयोक्ता क्रेंद्रित विशेषताओं और जीआईजीडब्ल्यू का अनुपालन करके अपनी–अपनी वेबसाइटों को उन्नत किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनता या व्यापारिक समुदाय द्वारा अपेक्षित विभिन्न आवेदन फार्मों को डाउनलोड करने हेतु उन्हें साइट पर उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक डाटाबेस आधारित बहुत सी सांख्यिकीय/विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी उद्योग जगत के संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों को भी पर्याप्त आईसीटी अवसंरचना से लैस किया गया है। बेहतर प्रचालन संबंधी कुशलता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में मोबाइल गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकारी खरीद में जीईएम पोर्टल का प्रयोग

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय और मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य संगठन जेम पोर्टल के माध्यम से माल/वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं।

अध्याय–13

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तोत्तर प्रयोग में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेज और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषिक रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया।

मंत्रालय में, राजभाषा नियम, 1976 के नियम–5 का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों पर संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित निदेश दिए जाते हैं तथा उनकी अनुपालना को सुनिश्चित किया जाता है।

अनुवाद कार्य

मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से मंत्रिमंडल नोट, सभी अधिसूचनाओं, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी कागजातों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, स्थायी समितियों व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों, वस्त्र मंत्री, वस्त्र राज्य मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों का नियमित रूप से अनुवाद किया जाता है।

हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2018 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, हिंदी निबंध, ई–नोटिंग, हिंदी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। वस्त्र मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वस्त्र उपक्रमों में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री और सचिव (वस्त्र) की अपीलें

परिचालित की गईं।

इसी क्रम में दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को आयोजित किए गए हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, श्री अजय टम्टा द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, श्री अजय टम्टा

समितियां

मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में गठित है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मंत्रालय में ''हिंदी सलाहकार समिति'' गठित है। समिति की 25वीं बैठक दिनांक 20.04.2018 को हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित की गयी थी। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर संघ की राजभाषा नीति के आलोक में कार्रवाई की जाती है।

20 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद (तेलंगाना) में संपन्न हिन्दी सलाहकार समिति की 24वीं बैठक में उपस्थित समिति के गैर–सरकारी एवं सरकारी सदस्य

अध्याय-14

एससी/एसटी/महिला और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय

14.1 रेशम क्षेत्र

वर्ष 2018–19 के दौरान सिल्क समग्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

14.1.1 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। 25.00 करोड़ रुपए (मार्च, 2019 तक) की पूरी स्वीकृत राशि को वर्ष 2018–19 के दौरान एससीएसपी के अंतर्गत संघटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी कर दिया गया है।

14.1.2 जनजातीय उप-योजना (टीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 15.84 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। 15.84 करोड़ रुपए (मार्च, 2019 तक) की पूरी स्वीकृत राशि को वर्ष 2018–19 के दौरान टीएसपी के अंतर्गत संघटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी कर दिया गया है।

14.1.3 महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) तसर विकास के लिए परियोजनाएं

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत बहु–राज्यीय तसर परियोजनाओं को 6 राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय (5366.15 लाख रुपए) तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड (1794.75 लाख रुपए) अर्थात 7160.90 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अक्तबूर, 2013 से समन्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार के सबसे अधिक वामपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) 23 जिलों में विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत घरों के लिए 36,000 से अधिक स्थायी आजीविकाओं का सृजन करने की संकल्पना की गई है।

परियोजना के अंतर्गत 32898 किसानों को 686 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में शामिल कियागया है और 2738 किसानों द्वारा 1520.8 हैक्टेयर तसर होस्ट प्लांट तैयार किए गए है। न्यूक्लियस बीज के 1.752 लाख डीएफएलएस तथा आधारभूत बीज के 10. 861 लाख डीएफएलएस को 94.33 लाख न्यूक्लियस तथा 320.79 लाख आधारभूत बीज कोकून के उत्पादन के लिए तैयार किया

गया है। 345 निजी उपजकर्ताओं ने 219. 548 लाख बीज कोकून का प्रसंस्करण किया तथा 51.19 लाख वाणिज्यिक डीएफएलएस का उत्पादन किया। 14,231 रियररों ने तसर मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्षमता निर्माण तथा संस्था निर्माण क्रियाकलापों के अतिरिक्त 53. 52 लाख डीएफएलएस की सफाई की तथा 1749.41 लाख रीलिंग कोकून का उत्पादन किया।

14.2 हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र 23.77 लाख हथकरघों पर बुनाई एवं संबद्ध क्रियाकलापों में 43.31 लाख कामगारों को रोजगार देता है। यह क्षेत्र बुनकर विशिष्ट/पेशेवर स्वरूप का है और इसमें अधिकतर बुनकर समाज के सबसे गरीब और निम्न वर्गों से हैं। भारत में हथकरघा क्रियाकलाप में कार्य में भागीदारी के मामले में महिला कामगारों का आधिपत्य है। लगभग 78% हथकरघा कामगार महिलाएं हैं। कुल बुनकर कार्यशक्ति में महिला बुनकरों की अधिकता पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है जो भारत की हथकरघा गणना (2009–10) की रिपोर्ट के अनुसार 99% है।

वर्ष 2018–19 के दौरान विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय हथकरघा के विकास एवं हथकरघा बुनकरों के क्लयाण के लिए 4 योजनाओं यथा (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (iii) यार्न आपूर्ति योजना तथा (iv) व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। ये सभी योजनाएं महिलाओं सहित सभी के लिए समान रूप से लागू हैं। तथापि, एकल वर्कशेड के निर्माण के लिए महिलाओं को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, एनआईओएस/इग्नू के पाठ्यक्रमों के लिए 75% फीस का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

यह कार्यालय महिला बुनकरों को प्लान योजनाओं में शामिल करने का हर संभव प्रयास करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भेदभाव न हो।

14.3 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय वर्ष 2017–18 के दौरान हस्तशिल्प कलस्टर का विकास समग्र रूप में करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने हेतु 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' नामक एक व्यापक योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

एनएचडीपी के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक हैं:–

क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

i. बेस लाइन सर्वेक्षण और शिल्पकारों का एकीकरण (एएचवीवाई)
ii. डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन
iii. मानव संसाधन विकास
iv. शिल्पकारों को प्रत्यक्ष लाभ
v. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
vi. अनुसंधान एवं विकास
vii. विपणन सहायता एवं सेवाएं

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना)

ये सभी योजनाएं महिला कारीगरों और अनुसूचित जाति और अनुसूचिज जनजाति से संबंधित कारीगरों के सशक्तिकरण और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कुल कार्यबल में से अनुमानतः 56.1% महिलाएं हैं जिनमें से 28.30% महिलाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं (स्रोतः जनगणना सर्वे 2012–13)। कुछ ऐसे विशिष्ट शिल्प हैं जिन्हें केवल महिलाएं ही बनाती हैं जैसे कशीदाकारी, चटाई बुनाई आदि। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिला कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन संबंधी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रदर्शनी आदि जैसी सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

14.4 दिव्यांग व्यक्ति

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत समूह क, ख,ग और घ के विभिन्न पदों में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षित की जाने वाली 3% रिक्तियों की तुलना में उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	कार्यालय/संगठन	समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
		एसएस	पीडब्यूयडी की संख्या	एसएस	पीडब्यूयडी की संख्या	एसएस	पीडब्यूयडी की संख्या	एसएस	पीडब्यूयडी की संख्या
1.	वस्त्र मंत्रालय	44	1	89	2	59	0	—	—
2.	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और इसके संगठन	102	0	304	0	739	14	—	—
3.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	246	3	173	3	514	3	8804	41
4.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन इंडिया लि.	69	0	45	4	481	2	156	3
5.	भारतीय कपास निगम लि.	73	2	91	1	883	11	139	4
6.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान	831	2	337	0	763	1	—	—
7.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	62	1	242	4	325	2	—	—
8	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय	38	—	398	—	1383	02	—	—
9.	भारतीय पटसन निगम लि.	38	1	100	4	199	6	65	2
10.	वस्त्र समिति	80	1	156	1	198	2	82	—
11.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	646	10	1232	21	1084	25	—	—

14.5 लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

(क) रेशम

लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

रेशम उत्पादन अपने निम्न निवेश, उच्च सुनिश्चित रिटर्न, अल्प परिपक्वता अवधि और आय को बढ़ाने के अधिक अवसरों तथा वर्ष भर परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार सृजन के कारण सीमांत तथा छोटे स्तर के भू–स्वामियों के लिए उचित है। रेशम उत्पादन महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए भी संभावनाएं भी उपलब्ध कराता है। यह अनुमान है कि रेशम उत्पादन में संलग्न लोगों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाएं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं जिससे वे परिवार तथा समाज में अधिक पहचान तथा सम्मान प्राप्त होने में समर्थ बनती हैं।

औसतन 30% महिला लाभार्थी केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'सिल्क समग्र' (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत शामिल हैं। सीएसबी का आरएंडडी संस्थान रेशम उत्पादन में महिलाओं की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादन श्रृंखला से संबंधित सभी क्रियाकलापों में थकानको कम करने पर बल देता है।

वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत सीएसबी में एससी/एसटी तथा महिला कर्मचारियों के संबंध में मानव श्रम व्यय का विवरण तथा आबंटन क्रमशः अनुबंध–। तथा।। में दर्शाया गया है।

अनुबंध–I

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू–560 068

'लैंगिक बजट' और एससी एवं एसटी के विकास की योजना संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	योजना का ब्यौरा	बजट प्राक्कलन 2018–19 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		संशोधित प्राक्कलन 2018–19 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		बजट प्राक्कलन 2019–20 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		कुल वेतन एवं मजदूरी	एससी/एसटी हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	एससी/एसटी हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	एससी/एसटी हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना)	272.19	91.83	354.94	120.75	323.92	109.96

अनुबंध–II

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू– 560 068 'लैंगिक बजट' और महिलाओं के विकास की योजना संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	योजना का ब्यौरा	बजट प्राक्कलन 2018–19		संशोधित प्राक्कलन 2018–19 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		बजट प्राक्कलन 2019–20 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
		(वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)	महिला हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	महिला हिस्सेदारी	कुल वेतन एवं मजदूरी	महिला हिस्सेदारी
1	एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना	272.19	47.69	354.94	62.17	323.92	59.28

अध्याय-15

सतर्कता कार्यकलाप

15.1 वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी पर की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल व्यक्ति होता है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैः

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना;
- निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अथवा अन्यथा विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करना;
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना।
- वस्त्र मंत्रालय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- वस्त्र मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न का रखरखाव करना और डीओपीएंडटी द्वारा अपेक्षित संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी/संवर्ग को अग्रेषित करना।
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों की सूची तैयार करना।
- मंत्रालय के नियत्रंणाधीन संगठनों में सीवीओ/अंशकालिक सीवीओ की नियुक्ति/विस्तार से संबंधित कार्य।
- चल और अचल, बहुमूल्य संपत्तियों तथा संबंधित व्यक्ति को इसकी पावती के रिकार्ड का रखरखाव करना।

i. प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और सीवीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15.1.1 वस्त्र मंत्रालय ने मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यशील निम्नलिखित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पद स्वीकृत किए हैं:

i. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी लि.)

ii. भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई लि.)

iii. भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई लि.)

iv. राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)

v. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी एवं एचएचईसी लि.)।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यशील संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी हैं।

तथापि, इन कार्यालयों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों का पूरा उत्तरदायित्व वस्त्र मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी पर है।

15.1.2 मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर उपचारात्मक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:

i. मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।

ii. सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाया गया है और गलत प्रकियाओं से बचने के लिए उचित संस्थागत प्रणालियां लागू की गई हैं।

iii. वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को समय–समय पर सीवीसी, लोक उद्यम विभाग और डीओपीएंडटी के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने आचरण, अनुशासनिक और अपील नियमावली को संशोधित और अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है।

15.1.3 इस वित्त वर्ष (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय पोर्टल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 57 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक डिवीजनों और सीवीओ को समय पर अग्रेषित करके कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सीवीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट/की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। इन मामलों में सीवीसी की प्रथम स्तर की सलाह मांगी गई है। तीन मामलों में सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह मांगी गई है। सीवीसी की प्रथम स्तर की सलाह मांगने के लिए तीन अन्य मामले भी प्रक्रियाधीन हैं।

15.1.4 वर्ष के दौरान दो प्रशासनिक मामलों में यूपीएससी की सांविधिक सलाह मांगी गई है। शेष छह मामले विभिन्न स्तरों पर हैं और मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यरत संबंधित संगठनों द्वारा प्रक्रियाधीन है।

15.1.5 मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत कार्यरत 135 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति जारी की गई है। सीवीसी से सतर्कता

स्वीकृति मांगने के लिए पीएसयू के बोर्ड स्तर के पांच मामलों पर कार्रवई की गई है।

15.1.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2018 की शुरूआत मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ की गई। 'माई विजन–करप्शन फ्री इंडिया' विषय पर 30.10.2018 को एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 'प्रभावी सतर्कता विकास का एक माध्यम हो सकती है' विषय पर 29.10.2018 को एक वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 'सतर्कता जागरूकता' विषय पर एक 31.10.2018 को श्री एस. पी. कतनौरिया, निदेशक (सेवानिवृत), वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक व्याख्यान दिया गया। इन सभी कार्यक्रमों के प्रति उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। 24 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस कार्यक्रम का समापन 2 नवंबर, 2018 को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। यह एक उच्च स्तर का टीम वर्क था जिसमें सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया।